दीक्षा माला, खंड 10, अंक 32

गुरुवार, 5 मई, 2005
15 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FD-025
Block 'G'
Acc. No.....5.8.....
Dated.....3/2/06..

(खण्ड 10 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र. ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 10, चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)

अंक 32, गुरूवार, 5 मई, 2005/15 वैशाख, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	1
श्री हरिकोटा, आन्ध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से दो उपग्रहों को वाहित करने वाले पी एस एल वी-सी6 का सफल परीक्षण	
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
लोक सभा की कार्यवाही में विपक्षी दलों की भागीदारी	2-3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 561–564 और 566	4-29
प्रश्नों के लिखित उत्तर	29-193
तारांकित प्रश्न संख्या 565 और 567–580	29-45
अतारांकित प्रश्न संख्या 5995–6162	45-193
सभा पटल पर रखे गए पत्र	193-196
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
161वें प्रतिवेदन से 171वां प्रतिवेदन	196-197
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
रक्षा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री प्रणव मुखर्जी	197-205
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से पांच क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाएं समाप्त करने के हाल के निर्णय से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	205-216
श्री सर्वानन्द सोनोवाल	205, 208-209
श्री एस. जयपाल रेड्डी	206-208, 214
श्री मोहन सिंह	210-216

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित ! चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
	श्री किरिप चालिहा	210-211
	डा. बाबूराव मिडियम	211
	श्रीमती जयाप्रदा	212
	श्री रामदास आठवले	212-213
	श्री हन्नान मोल्लाह	213-214
नियम 377 के अधीन मामले		230-237
(एक)	उत्तर प्रदेश के हापुड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिम्भावली चीनी मिल द्वारा गंगा नदी को प्रदूषित करने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल	230-231
(दो)	गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की आवश्यकता	
	श्री वी. के. तुम्मर	231
(तीन)	तमिलनाडु के पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हाथियों द्वारा की गई तबाही को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जे. एम. आरुन रशीद	231-232
(चार)	उड़ीसा के परलाखेमुण्डी में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्रशेखर साहू	232
(पांच)	छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक कैप्टिव विद्युत संयंत्र लगाने के लिए स्टारलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कथित रूप से वनों की कटाई की जांच किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्र शेखर दूबे	232-233
(छह)	त्रिपुरा में विद्रोह को रोकने के लिए राज्य में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे जाने की आवश्यकता	
	श्री खगेन दास	233-234
(सात)	केरल के अलपुझा और पटनमतित्ता जिलों में अत्याधिक वर्षा के कारण जिन किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं, उन्हें मुआवजा मुहैया कराए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती सी. एस. सुजाता	234
(आठ)	पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली और हरिद्वार के बीच सड़क को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजेन्द्र कुमार	235
(नौ)	देश की नदियों में बढ़ते प्रदूषण स्तर को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रेयती रमन सिंह	235-236

विषय कॉलम

(दस) बिहार के दरभंगा में इलाहाबाद बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को बनाए रखने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव . 236

(ग्यारह) महाराष्ट्र के कोल्हापुर के शिवाजी विश्वविद्यालय में एक कृषि जैव–प्रौद्योगिकी विभाग खोलने और इसकी स्थापना के लिए आवश्यक निधि मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक . 236-237

(बारह) देश में सम्बद्ध प्रजनक प्रौद्योगिकी (ए आर टी) क्लीनिकों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए विधान लाए जाने की आवश्यकता

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार 237

तटवर्ती जल कृषि प्राधिकरण विधेयक, 2005 238-279

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री कांतिलाल भूरिया . 238-241

श्री के. एस. राव . . 241-247

श्री शैलेन्द्र कुमार . 247-249

डा. सिबैस्टियन पॉल . . 249-250

श्री राम कृपाल यादव . . 251-253

श्री इलियास आजमी . . . 253-254

श्री सी. के. चन्द्रप्पन . 254-256

श्री एम. एम. पल्लम राजू . 256-259

प्रो. एम. रामदास 259-262

डा. बाबू राव मिडियम 262-264

श्री जे. एस. आरुन रशीद 264-265

डा. सुजान चक्रवर्ती . 265-267

श्री डी. पुरन्देश्वरी . . 267-269

श्री एस. के. खारवेनथन 269-270

श्री किन्जरपु येरननायडु 270-272

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम 272

श्री शरद पवार . 272-279

खंड 2 से 27 और 1 279

पारित करने के लिए प्रस्ताव 279

विषय	कॉलम
नियम 193 के अधीन चर्चा	280
निर्वाचन सुधार	
श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव	280-282
डा. एम. जगन्नाथ	282-286
कुँवर मानवेन्द्र सिंह	286-287
श्री सीताराम सिंह	287-290
डा. के. एस. मनोज	290-291
श्री एस.के. खारवेनथन	291-292
श्री हंसराज भारद्वाज	292-312
अनुबंध-I	313-318
तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	313
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	314-318
अनुबंध-II	319-322
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	319-320
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	319-322

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

गुरूवार, 5 मई, 2005/15 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

श्रीहरिकोटा, आन्ध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से दो उपग्रहों को वाहित करने वाले पी एस एल वी-सी6 का सफल परीक्षण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि आज सुबह 10.20 बजे आन्ध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से 'कार्टोसैट–1' और 'हैमसैट' नामक दो उपग्रहों को ले जाने वाले पोलर उपग्रह प्रक्षेपण यान 'पी.एस.एल.वी.–सी6' का सफल प्रक्षेपण किया गया है। पहली बार दो उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित किए गए हैं। साथ ही, पहली बार 'कार्टोसैट–1' जैसे भारी उपग्रह, जिसका वजन लगभग 1,500 किलोग्राम है, का प्रक्षेपण भारत द्वारा किया गया है।

इसकी तुलना में हैमसेट एक छोटा उपग्रह है, जिसका वजन केवल 42.5 किलोग्राम है। पी.एस.एल.वी. का प्रक्षेपण नए प्रक्षेपण स्थल से किया गया है, जिसे कल ही महामहिम राष्ट्रपति डा. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम ने देश को समर्पित किया था।

भारत द्वारा प्रक्षेपित दूर संवेदी उपग्रहों के क्रम में 'कार्टोसैट–1' 11वां उपग्रह है और इसका मूल उद्देश्य देश का नक्शा तैयार करना है।

दूसरी ओर, हैमसेट शौकिया रेडियो ऑपरेटरों के समुदाय को 'इसरो' की ओर से उपहार है। इसमें दो ट्रांसपोंडर लगे हुए हैं जिनसे बाढ़, भूकम्प आदि के बारे में कम लागत पर शीघ्र सूचना देने में हैम रेडियो ऑपरेटरों को मदद मिलेगी।

इन दो उपग्रहों के प्रक्षेपण से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के एक और अग्रणी क्षेत्र में हमारे कर्मठ वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों द्वारा भारतीय विज्ञान की शक्ति का एक बार पुनः प्रदर्शन संभव हुआ है।

मुझे विश्वास है कि सदन इन उपलब्धियों पर हमारे वैज्ञानिकों को मेरे साथ शुभकामनाएं देगा।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

लोक सभा की कार्यवाही में विपक्षी दलों की भागीदारी

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु, मैं आपको इस टिप्पणी के पश्चात् बुलाऊँगा। सर्वप्रथम, मैं तेलगु देशम पार्टी के माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं जिन्होंने सदन की कार्यवाही में भाग लेने का निर्णय लिया है।

लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में, मैं विपक्षी दलों द्वारा सदन से निरंतर अनुपस्थित रहने के निर्णय पर घोर निराशा व्यक्त करता हूं। जब से विपक्षी दलों ने बहिष्कार का निर्णय लिया, तब से मैं लगभग प्रत्येक दिन उनसे सदन में आकर कार्यवाही में भाग लेने का अनुरोध करता रहा हूं। अपनी ओर से, मैंने उन्हें इस बात का भी आश्वासन दिया कि मैं सभा में उन सभी मुद्दों पर चर्चा की अनुमति दूंगा जो नियमों द्वारा अनुमत्य होते हैं।

लोक सभा, जनता की सभा होती है। यह न तो सरकार की या सदन के किसी वर्ग विशेष की होती है। अध्यक्ष का कर्त्तव्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सदन, नियमों और कार्य प्रक्रिया के अनुसार चले ताकि जिन उद्देश्यों के लिए लोक सभा का गठन हुआ है, उन्हें पूरा किया जा सके।

यदि अध्यक्ष किसी पार्टी या पार्टियों के राजनीतिक कार्यकलापों अथवा राजनीतिक संरचनाओं में हस्तक्षेप करता है अथवा हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, तो मैं समझता हूं कि यह उसकी शक्ति का अवांछित प्रयोग होगा। विपक्ष में मेरे कुछ मित्रों ने सुझाव दिया है कि मुझे इस मुद्दे, जिसे 'सरकार और सत्तापक्ष के विरुद्ध विपक्ष की शिकायतें' कहा गया है, पर माननीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखना चाहिए था। मेरे अनुसार, ऐसा करना अध्यक्ष द्वारा एक ऐसे क्षेत्र में हस्तक्षेप करना होगा, जिस पर निर्णय लेने और उसका समाधान करने का कार्य राजनीतिक दलों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए।

मीडिया के जरिए मौखिक रूप से और साथ ही, राजग के माननीय अध्यक्ष एवं विपक्ष के माननीय नेता को सम्बोधित पत्रों द्वारा, हर दिन के अनुरोध के अतिरिक्त में सभी राजनीतिक दलों के माननीय नेताओं–कार्यवाही का बहिष्कार करने वाले दलों सहित–को प्रातः प्रतिदिन कार्यवाही शुरू होने से पहले बैठक के लिए और वापस आने का अनुरोध करता रहा हूं। परन्तु, दुर्भाग्यवश इसका वांछित परिणाम नहीं निकला है।

मैं सदन में अपने मित्रों से, सदन की कार्यवाही में हमें उपलब्ध पर्याप्त नियमों और प्रक्रियाओं के तहत, कार्यवाही में भाग लेने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी संसदीय कार्यवाही का बहिष्कार कर रही थी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले, कृपया ऐसा न करें। यह उचित नहीं है। यह बहुत गंभीर और बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी 27 अप्रैल से लेकर कल तक संसदीय कार्यवाही का बहिष्कार कर रही थी।

तथापि, सोमवार को मैंने वित्त विधेयक, 2005 संबंधी बहस में भाग लिया। उनका शत्रुतापूर्ण और प्रतिशोधी रूख निंदनीय है। एक स्वस्थ्य लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बड़ी महत्त्वपूर्ण है। विपक्ष के बिना संसदीय लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं रहता। यू पी ए सरकार को चाहिए कि वह विपक्ष को मित्र समझे न कि शत्रु क्योंकि ऐसा करने से ही संसदीय लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा।

मेरी पार्टी ने सभा में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाने का निश्चय किया है। सरकार के शत्रुतापूर्ण और प्रतिशोधी रवैये की निंदा करते हुए हम संसदीय कार्यवाही में भाग ले रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाईये। आपको सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने की इस प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु : मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री किन्जरपु येरननायडु के कथन के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वे उनके भाषण में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं वह स्वतंत्रता दे रहा हूं। आपको यह स्वतंत्रता प्राप्त है, यदि कोई उसमें हस्तक्षेप करता है तो मैं उसे ऐसा करने से रोकूंगा। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक–दूसरे के भाषण में व्यवधान डालने की यह आदत सहन नहीं की जायेगी।

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री किन्जरपु येरननायडु : सरकार के रवैये की निंदा करते हुए हम दबाव में संसदीय कार्यवाही में भाग लेना चाहेंगे।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। मेरा आशय हस्तक्षेप करने का नहीं है। मैं आपकी टिप्पणी से पूर्णतया सहमत हूं और सरकार की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी आपके निर्देश होंगे, हम उनका अनुपालन करेंगे। जब यह गतिरोध शुरू हुआ था तो आरंभ में ही प्रधान मंत्री ने दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं और राजग के अध्यक्ष से बात की थी और उनसे सभा की कार्यवाही में भाग लेने का अनुरोध किया था। सदन के नेता के रूप में मैंने मीडिया के माध्यम से अनेक बार उनसे अपील की कि वे कार्यवाही में भाग लें। उन्होंने सदैव उस बात पर बल दिया कि प्रधान मंत्री ही अपील को दुहराते जायें। हम राजग को अपना शत्रु नहीं समझते हैं। संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक विरोधी होते ही हैं। इसमें विसम्मति होती है; मत– मतान्तर होते हैं और हम मत–मतांतर का आदर करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हम एक–दूसरे के मत से सहमत हों किन्तु हमें एक–दूसरे के विचारों का सम्मान करना ही चाहिए। और इसी बात पर आपने बार–बार बल दिया है।

मैं आपके साथ विरोधी दलों के नेताओं से वाद–विवाद में भाग लेने का अनुरोध करता हूं। सरकार की ओर से मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि जिस किसी विषय पर भी वह चर्चा करना चाहते हैं, जो नियमों के अधीन आपके द्वारा अनुमत्य है, सरकार उसके लिए समय देने के लिए तैयार है। मैं पुनः उनसे सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अपील करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह वह भावना है जो दोनों पक्षों में व्याप्त होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा है मैं एक बार फिर उनसे अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय रेल विकास योजना

+

***561. श्री टी. के. हमजा :**
श्री महेश कनोडीया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगस्त, 2002 में घोषित की गई राष्ट्रीय रेल विकास योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना से संबंधित कार्य की प्रगति पर निगरानी रखने और इसका मूल्यांकन करने हेतु कोई समिति नियुक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय रेल विकास योजना (एन आर वी वाई) के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए वर्तमान में कुल 70 परियोजनाओं की पहचान की गई है जो अधिकांशतः गैर–बजटीय कार्य है। इन परियोजनाओं में से 37 परियोजनाएं स्वर्णिम चतुर्भुज और विकर्णों की, 29 पत्तन संपर्क की और 4 बड़े पुलों से संबंधित हैं।

70 परियोजनाओं में से 52 परियोजनाएं स्वीकृत हैं और 18 परियोजनाएं अभी स्वीकृत की जानी हैं। स्वीकृत परियोजनाओं में से 10 परियोजनाओं पर कार्य पूरा कर लिया गया है और 42 परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में है। 7 परियोजनाओं का कार्य 2005–2006 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

वर्ष 2003–04 और 2004–05 (अनंतिम) के दौरान एन आर वी वाई परियोजनाओं पर खर्च क्रमशः 627 करोड़ रुपए और 743 करोड़ रुपए अर्थात् कुल 1370 करोड़ रुपए (अनुमानित) है।

(ग) और (घ) जी, हां। समिति में रेलवे बोर्ड के अधिकारी अर्थात् अपर सदस्य/योजना, अपर सदस्य/निर्माण, अपर सदस्य/बजट, अपर सदस्य/वाणिज्य, अपर सदस्य/सिग्नल और अपर सदस्य/बिजली शामिल हैं। समिति को गैर बजटीय संसाधन जुटाने के साथ–साथ राष्ट्रीय रेल विकास योजना के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की मॉनीटरिंग करनी होगी। इसके अलावा, 100 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक लागत की परियोजनाओं पर सदस्य इंजीनियरी, रेलवे बोर्ड की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निगरानी की जा रही है, जिसमें अन्य के साथ–साथ एन आर वी वाई की परियोजनाएं भी शामिल हैं।

श्री टी. के. हमज़ा : 70 परियोजनाओं, जिनकी पहचान की गई थी, में से 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह पता करने के लिए क्या काम विनिर्दिष्ट समय में पूरा हुआ और उपलब्धि की प्रतिशतता कितनी रही, किसी मूल्यांकन के आधार पर कोई आकलन किया गया है।

श्री आर. वेलु : महोदय, ये 70 परियोजनाएं नेशनल रेल विकास योजना के अंतर्गत पूरी की गई हैं। इन 70 परियोजनाओं में से 37 परियोजनाएं स्वर्णिम चतुर्भुज, 29 परियोजनाएं पत्तन से जुड़ने और 4 परियोजनाएं वृहत् 2 पुलों से संबंधित हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि सिर्फ दस परियोजनाएं पूरी हुई हैं और वह यह जानना चाहते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन किया गया है। ये परियोजनाएं रेलवे द्वारा शुरू की गई गैर–बजटीय पहल के अंतर्गत आती हैं। वित्तपोषण के संघटकों में परियोजनाओं में गैर सरकारी भागीदारी, एशियाई विकास बैंक से वित्तपोषण और बजटीय समर्थन से कुछ राशि शामिल है। आरम्भ में, परियोजनाएं विश्वसनीय हैं अथवा नहीं, की दृष्टि से परियोजनाओं की पहचान में कुछ समस्याएं थीं।

आरम्भ में, यह पहचान करने में कुछ समस्याएं थी कि क्या परियोजनाएं विश्वसनीय हैं अथवा नहीं हैं। ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि क्या इसे आर वी एन एल से बाहर किया जा सकता है जो कि विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में सृजित किया गया है। वे चीजें रेलवे द्वारा की जा सकती हैं। इन परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए रेलवे बोर्ड के छः अतिरिक्त सदस्यों (एडिशनल सदस्य) की समिति हैं। इन परियोजनाओं में बाधाओं को ध्यान में रखना है। 100 करोड़ रु. से अधिक की परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए सदस्य (इंजीनियरिंग) की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति भी है। इसलिए, ये दो समितियां हैं जो परियोजनाओं का मूल्यांकन कर रही हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि ये परियोजनाएं समुचित निगरानी और मूल्यांकन के तहत 2008 के अंत तक पूरी हो जाएंगी।

श्री टी. के. हमज़ा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि नेशनल रेल विकास योजना के अंतर्गत केरल में किसी परियोजना की पहचान की गई है? यदि हां, तो क्या यह पूरी हो चुकी है अथवा इसमें प्रगति हो रही है?

श्री आर. वेलु : केरल में, पत्तन से जोड़ने के संबंध में हमारी एक परियोजना है और वह है वल्लरपद्म–इदापल्ली कंटेनर परियोजना। आर वी एन एल ने इसका मूल्यांकन किया है जिससे यह पता चला कि प्रतिलाभ का दर 8.33% है। इसके परिणाम–स्वरूप आर वी एन एल पत्तन प्राधिकरण से स्वयं ही परियोजना शुरू करने का अनुरोध कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री महेश कनोडिया – उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने 70 परियोजनाओं में से 52 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं और 18

परियोजनाएं स्वीकृत किए जाने की बात कही है। इनमें से 10 परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत क्या *उत्तर प्रदेश में इनकी कोई कार्य योजना है? क्या मेरे संसदीय क्षेत्र बिल्लौर, कानपुर नगर में, कानपुर से फरुखाबाद जाने वाली लाईन* पर, मन्धना से बिठूर रोड़ के लिए कोई बड़ी लाईन बनाने की कार्य योजना है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है। कृपया दोहराएं नहीं।

श्री आर. वेलु : उत्तर प्रदेश में स्वर्णिम चतुर्भुज की तीन परियोजनाएं हैं अर्थात् अलीगढ़–गाज़ियाबाद तीसरी लाइन, कानपुर–चन्देरी लाइन का दोहरीकरण, कानपुर पनकी तीसरी लाइन है। माननीय सदस्य ने विशेष रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पूछा है। संभवतः वह मुझे अलग से लिखेंगे और मैं उन्हें इसके बारे में बताऊंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। प्रश्न काल अनिश्चित प्रश्नों के लिए नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं समझता हूं कि लगभग 20,200 करोड़ रु. लागत की कुल 70 परियोजनाओं की पहचान की गई है। स्थायी तौर पर एक शिकायत है कि कुछ दक्षिणी राज्य, विशेषरूप से तमिलनाडु और केरल की विकास के मामले में उपेक्षा की जा रही है। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह शिकायत परियोजनाएं पूरी होने के बाद दूर कर दी जाएंगी? मैं मंत्री जी से स्पष्टीकरण भी चाहता हूं। यह उल्लेख है कि स्वर्णिम चतुर्भुज और डायगनोल की 37 परियोजनों उसी पत्तन से जुड़ने वाली 29 परियोजनाओं की पहचान की गई है। क्या मंत्री जी विशेषरूप से दक्षिणी राज्यों के संदर्भ में स्वर्णिम चतुर्भुज से पत्तनों को जोड़ने और राज्य की राजधानियों को जोड़ने के बारे में स्पष्टीकरण देंगे।

अध्यक्ष महोदय : वे सभी विवरण अभी नहीं दिए जा सकते।

श्री आर. वेलु : नेशनल रेल विकास योजना, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, सभी स्थानों में रेल के विकास के लिए नहीं है। यह स्वर्णिम चतुर्भुज के विकास के लिए और जहां कहीं भी संभव है, जहां निर्यात और आयात है और जहां कंटेनरों का आवगमन इत्यादि है वहां इसे पत्तनों से जोड़ना है।

तीसरे बड़े–बड़े पुल जो गंगा, कोसी और ब्रह्मपुत्र पर स्थित हैं विशेष रूप से सृजित परियोजनाएं हैं। तदनुरूप संसाधन जुटाने के लिए विशेष प्रयोजन वाहन, बाजार में पूर्णतया जाने के लिए संगठनों के सृजन और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक साझीदारों को लेने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड का सृजन किया गया था।

केरल से मेरे मित्र द्वारा उठाए गए विशेष प्रश्न कि दक्षिणी राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु और केरल की उपेक्षा की गई है मुझे भी इसकी चिंता है यदि उनकी उपेक्षा की गई है तो मैं इसे देखूंगा। मैं नहीं समझता कि उनकी उपेक्षा की गई है।

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, तमिलनाडु में चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत चार छोटी परियोजनाएं उसी दो पत्तन से जोड़ने की परियोजनाएं हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा केरल राज्य के लिए एक है। उन्हें यह सुनकर प्रसन्न होना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह आम चर्चा नहीं है। मंत्री जी कृपया बैठ जाइये।

श्री एम. एस. वी. चित्तन : महोदय, मैं अपने साथी श्री राधाकृष्णन द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत हूं। मैं माननीय मंत्री जी को उनके उत्तर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

मेरा निश्चित प्रश्न यह है कि तमिलनाडु आमान परिवर्तन और नई परियोजनाओं के मामलों में सभी दक्षिणी राज्यों से पीछे है मैं यह जानना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत 70 परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं तमिलनाडु की हैं? क्या तमिलनाडु से संबंधित परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास किया गया?

अध्यक्ष महोदय : ये निश्चित प्रश्न नहीं है।

श्री आर. वेलु : मैं उनके निश्चित प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। महोदय, तमिलनाडु में चार चतुर्भुज परियोजनाएं हैं और दो परियोजनाएं पत्तन से जोड़ने से संबंधित हैं। यदि वह ब्यौरा चाहते हैं तो मैं अभी दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी नहीं।

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अभी जिन 70 परियोजनाओं के बारे में बताया गया और उत्तर प्रदेश के संबंध में हमारे माननीय सदस्य पाल साहब ने भी प्रश्न किया, उससे मेरे प्रश्न का आधा उत्तर तो आ गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में बुन्देलखंड क्षेत्र भी पड़ता है, जिसमें हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, झांसी,

जालौन और ललितपुर जनपद हैं, मैं जानना चाहता हूं कि वहां रेल विकास के संबंध में क्या कार्य हो रहा है? क्या वहां ऊपरिगामी पुलों और बड़े पुलों को बनाने की कोई योजना भविष्य में स्वीकृत करने की संभावना है? यदि हां, तो कब तक?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, नहीं इसकी अनुमति नहीं है। यह विशेष .परियोजनाओं के संबंध में विशेष प्रश्न है। आप इस तरह का प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

मंत्री जी, क्या आप इस योजना का विस्तार करने पर विचार कर रहे हैं?

श्री आर. वेलु : मैं सिर्फ इस प्रश्न पर विचार करूंगा और यह तथ्य बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के मामले में तीन चतुर्भुज परियोजनाएं हैं और तीन पत्तनों से जोड़ने वाली परियोजनाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आपको प्रश्नकाल का अधिक प्रभावी उपयोग करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन 37 परियोजनाओं को स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत लेने का प्रस्ताव है, जिनमें से कुछ ले ली गई हैं, इन 37 परियोजनाओं में से कौन–कौन सी बिहार की हैं? जो चार मैगा ब्रिज बनाये जा रहे हैं, क्या उनमें पटना का गंगा ब्रिज, मुंगेर का गंगा ब्रिज और कोसी–मानसी का कोसी ब्रिज सम्मिलित है या नहीं? यदि सम्मिलित है, तो इन्हें कब तक पूरा करने का लक्ष्य है?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु : महोदय, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत बिहार में कितनी परियोजनाएं हैं। पत्तन से जोड़ने की परियोजना के अंतर्गत बिहार में दो परियोजनाएं हैं अर्थात् बरौनी–तिलरात बाई पास और मानसी–सहरसा–पूर्णिया परियोजना।

बृहत् परियोजनाओं से संबंधित निश्चित प्रश्न के संबंध में, चार बृहत् परियोजनाओं में से, जिन पर विचार किया गया है. तीन बिहार से संबंधित है अर्थात् मुंगेर पुल, पटना–गंगा पुल और कोसी पुल। मुंगेर पुल की लागत लगभग 921 करोड़ रु.; पटना–गंगा पुल की लागत 624 करोड़ रु. और कोसी पुल की लागत 323 करोड़ रु. है। ये 2008 तक पूरी नहीं की जा सकती है। इसमें अधिक समय लगेगा। जब हमने विश्व बैंक से संपर्क किया तो इसमें कहा गया कि ये बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं जो रेल परियोजनाएं नहीं हो सकतीं किन्तु वे भारत सरकार परियोजनाएं हो सकती हैं तद्नुरूप, अब हम सामान्य बजट की निधियों से परियोजना को कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : पश्चिम बंगाल के बारे में किसी ने नहीं पूछा है।

श्री आर. वेलु : जैसा कि माननीय अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल के बारे में पूछा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की कतई उपेक्षा नहीं की गई है।

पत्तन से जोड़ने के लिए एक परियोजना है तथा स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत चार परियोजनाएं हैं। कुल मिलाकर पांच परियोजनाएं हैं। मैं पश्चिम बंगाल की परियोजनाओं का विवरण देता हूं। पहला तिकियापारा–सान्त्रागाची लाइन; (2) गुराप–शक्तिगढ़; (3) पंसकुरा–खड़गपुर और (4) चन्दनपुर–गुरप।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मैंने आपका काफी समय लिया।

श्री आर. वेलु : महोदय, एक और परियोजना है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा।

श्री किन्जरपु येरनन्नायडु : अध्यक्ष महोदय, नेशनल रेल विकास योजना अत्यंत ही उत्कृष्ट परियोजना है। यह स्वर्णिम चतुर्भुज, डायगनल पत्तन से जोड़ने और पत्तन बृहत् परियोजनाओं से संबंधित है। पिछली राजग सरकार ने यह परियोजना शुरू की थी और उन्होंने इस परियोजना को 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था। यह गैर बजटीय आवंटन है। क्या यह सरकार इसे 2010 तक पूरा कर सकेगी? यदि हां, तो वे इसके लिए किस तरह निधि जुटाएंगे? पिछले दो वर्षों में सिर्फ 1,370 करोड़ रु. खर्च किये गये हैं। इस दर पर आप इस परियोजना को 2010 तक किस तरह पूरा कर सकेंगे?

श्री आर. वेलु : जैसा कि माननीय सदस्य ने इसके बारे में बताया, हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि शुरूआत में संसाधनों को जुटाने में कठिनाई हुई थी। जैसा कि मैंने सभा को बताया है कि आर वी एन एल को 3000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें से 1500 करोड़ रुपए एडीबी से और अन्य 1500 करोड़ रुपए बजट से दिए गए हैं। पूरी परियोजना में स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए 8,000 करोड़ रुपए, पत्तन संपर्क मार्ग के लिए 3,000 करोड़ रुपए, और बृहद् पुल परियोजनाओं के लिए 3,500 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया है। कुल मिलाकर यह राशि 14,500 करोड़ रुपए बैठती है। जैसा कि मैंने कहा, हम बाजार से ऋण लेने के लिए विशेष प्रयोजन वाहनों का निर्माण कर रहे हैं। राज्य सरकारें, हितधारक और रेलवे भी इस निधि (कार्पस) का गठन करेंगे ताकि आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जा सके। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जैसा कि मैंने उल्लेख किया–पांच वर्षों के अंदर अर्थात् वर्ष 2008 के अंत तक ये सारी

परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। इसलिए, हमने आर वी एन एल बनाया है। यह माननीय सदस्य के सूचनार्थ है।

विमानपत्तनों की सुरक्षा पर व्यय

+

*562. **श्री एस. के. खारवेनथन :**
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे विमानपत्तनों की संख्या कितनी है जिनकी सुरक्षा हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को तैनात किया जाता है;

(ख) विमानपत्तनों की सुरक्षा हेतु तैनात किए गए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस पर हुआ वास्तविक व्यय कितना है;

(ग) क्या विमानपत्तनों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती राज्य पुलिस की तुलना में अधिक महंगी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या विमानपत्तनों की सुरक्षा पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु विमानपत्तन कर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अभी तक 47 विमानपत्तनों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को तैनात किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष विमानपत्तनों पर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों की संख्या तथा इससे होने वाले वास्तविक राजस्व तथा पूंजीगत व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

वर्ष	संख्या	राशि (लाख रुपए में)
2001–02	6158	62.76
2002–03	9683	236.80
2003–04	11737	289.14

(ग) और (घ) बढ़ते हुए खतरे के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को तैनात करने के संबंध में मानदण्डों को अन्तिम रूप प्रदान किया गया है। अतः, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तैनात कार्मिकों की संख्या राज्य पुलिस से भिन्न है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को चूंकि सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करानी होती हैं, इसलिए इस व्यय के और अधिक होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त आवास, सुरक्षा उपकरणों आदि सहित पूंजीगत क्षेत्र में भी व्यय किए जा रहे हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस. के. खारवेनथन : कितने दोषियों को गिरफ्तार किया गया है? पिछले वर्ष से अब तक सी आई एस एफ द्वारा विभिन्न हवाई अड्डों में हथियारों और गोला बारूद के कितने मामलों का पता लगाया गया है?

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, यह प्रश्न हवाई अड्डों में तैनात सी आई एस एफ कार्मिकों की संख्या के ब्योरे से संबंधित है। मैं मोटे तौर पर इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं और मैं उन्हें सही ब्योरे बाद में उपलब्ध करा दूंगा। वर्ष 2004–05 में सी आई एस एफ ने अनुमानतः 5 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां बरामद की और उन्हें उनके सही मालिक को वापस किया। जहां तक वहां के मामलों का संबंध है, सामान्यतः प्रक्रिया यह है कि सी आई एस एफ ऐसे मामलों को उचित कार्रवाई करने के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप देती है। मामलों की संख्या के बारे में, पूरा ब्योरा प्राप्त करने के बाद मैं माननीय सदस्य को अलग से सूचित कर दूंगा।

श्री एस. के. खारवेनथन : अभी हाल ही में, हमारी सरकार के एक सदस्य को तमिलनाडु में मदुरई हवाई अड्डे पर सी आई एस एफ के कार्मिकों द्वारा परेशान किया गया। माननीय मंत्री जी विमान पर बिना बैठे ही लौट गए। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय को इस पर कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है। भविष्य में सी आई एस एफ द्वारा यात्रियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने से रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, मुझे अत्यंत खेद है यदि संघ के किसी मंत्री के साथ ऐसी घटना घटी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने मंत्री कहा?

श्री प्रफुल पटेल : उन्होंने कहा, "केन्द्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया गया।" ...*(व्यवधान)*

श्री एस. के. खारवेनथन : हमारे एक माननीय मंत्री को सी

आई एस एफ कार्मिक द्वारा मदुरै हवाईअड्डे पर परेशान किया गया और उन्हें अपनी यात्रा निरस्त करनी पड़ी थी। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं। उन्होंने 'परेशान' शब्द कहा और मैंने इसे 'गिरफ्तार' सुना। महोदय, सी आई एस एफ के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। जिसके कारण सी आई एस एफ को तैनात किया गया उसमें से एक विभिन्न हवाई अड्डों के जरिए यात्रा करने वाले सभी वर्गों के लोगों और यात्रियों के लिए प्रचालन प्रक्रिया को मानकीकृत करना था। तथापि, यह घटना, जिसे मेरे ध्यान में अब लाया गया है और दुर्भाग्यवश जिसे मेरे ध्यान में अब तक नहीं लाया गया था और जिसके बारे में न ही मैंने सुना था – मैं इसके तथ्यों का पता अवश्य लगाऊंगा। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं, और मैं माननीय मंत्री जी से यह पता लगाने के लिए बात करूंगा कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि वहां यात्रियों को परेशान करना आम बात है।

श्री प्रफुल पटेल : इस मुद्दे पर, मैं आपको एक आश्वासन दे सकता हूं। असल में, ऐसे इक्का–दुक्का मामले होते रहते हैं जिनकी शिकायतें हमारे पास पहुंचती हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा इस सी आई एस एफ को लाने का उद्देश्य प्रचालन प्रक्रिया को मानकीकृत करना था। दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाईन्स के विमान के अपहरण के बाद सी आई एस एफ को विमानपत्तनों की सुरक्षा में लगाया गया। कैबिनेट द्वारा घरेलू हवाई अड्डों पर सी आई एस एफ कार्मिकों की तैनाती पर निर्णय लेने के लिए सचिवों की एक समिति का गठन किया गया था।

महोदय, मैं सी आई एस एफ के संपर्क में हूं। मैं महानिदेशक के साथ बैठक करता रहता हूं; मैं वरिष्ठ अधिकारियों से बात करता रहता हूं। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं की संख्या कम हो और उन्हें विशिष्ट प्रशिक्षण भी दिया जाए। सी आई एस एफ ने भी आश्वस्त किया है कि उनके पास उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कार्मिकों को – उनके बल के चुनिंदा लोगों को – हवाई अड्डों पर तैनात किया जाता है। इस मुद्दे की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि यहां बहुत से लोगों तथा यात्रियों का आना–जाना होता है या हमारे हवाई अड्डों से अन्य देशों के लोग या यात्री भी कई स्थानों की यात्रा करते हैं; इसलिए सर्वश्रेष्ठ व्यवहार वाले सर्वश्रेष्ठ कार्मिकों को तैनात यहां किया जाना चाहिए। हमारा यह प्रयास रहा है।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : महोदय, आई सी–184 के अपहरण और 9/11 की घटना के बाद हवाई अड्डों की सुरक्षा के आयामों में महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है। क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा पर किए गए लगभग 200 करोड़ रूपए के व्यय को ध्यान में रखते हुए क्या यात्री सेवा कर सुरक्षा उपायों के लिए पर्याप्त हैं? क्या वह नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक नागर विमानन सुरक्षा बल के गठन की संभावनाओं का पता लगाएंगे? यह न केवल प्रशासनिक नियंत्रण की दृष्टि से लाभदायक होगा अपितु इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। महोदय, भारत की केवल तीन प्रतिशत आबादी ही हवाई यात्रा करती है। अतः, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हवाई यात्रा परेशानी रहित हो क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे निम्नलिखित हैं – क्या नागर विमानन मंत्रालय में हवाई अड्डों पर सुरक्षा के लिए किसी अलग प्रभाग के गठन का कोई प्रस्ताव है। इसका उत्तर यह है कि यह आवश्यक नहीं है क्योंकि सी आई एस एफ भी एक विशिष्टता प्राप्त बल है। शायद वे उतना ही कार्य कर रहे हैं जितना कि किसी अन्य बल द्वारा किया जायेगा। तथापि, महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा – सी आई एस एफ अपने सर्वश्रेष्ठ कार्मिकों को हवाई अड्डों पर तैनात कर रहा है। यह सतत् जारी रहने वाली प्रक्रिया है। हम सीख रहे हैं और सेवाओं में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि यात्रियों की परेशानी कम हो और यात्री के साथ व्यवहार को सर्वोत्तम बनाया जाए।

यात्री सेवा शुल्क के संदर्भ में, जो राशि वसूल की जाती है, वह अभी कमोवेश पर्याप्त है। यह हवाई अड्डों की सुरक्षा पर किए जाने वाले खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी विमानपत्तनों पर फोटोग्राफी करना मना है, जबकि विदेशों में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैसे भी सैटेलाइट से हर विमानपत्तन की फोटो खींची जा सकती है। वे खुद खींच लेते हैं भले ही कोई जगह ज्यादा संवेदनशील है। मैं जानना चाहता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से हवाईपत्तन पर फोटोग्राफी करने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, क्या मंत्री जी उसे हटाने पर विचार करेंगे?

श्री प्रफुल पटेल : मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि पुराने जमाने से चला आ रहा जो नियम था कि फोटोग्राफी एरियल और एट दी एयरपोर्ट निषिद्ध थी, इस नियम को बदल दिया गया और अब हर सिविलियन एनक्लेव में फोटोग्राफी की मनाही नहीं है। मैं डिफैंस के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप भी समझते हैं कि वहां सुरक्षा की अलग जरूरत होती है। लेकिन सिविलियन एनक्लेव या हवाई जहाज से जो फोटोग्राफी

आज तक बंद थी, उस पुराने कानून को बिल्कुल रिलैक्स कर दिया गया है। मैं भी समझता हूं कि जब सैटेलाइट से, आकाश से तस्वीरें ली जा सकती हैं, तो फोटोग्राफी से हमारी सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं हो सकता। इसलिए इस नियम को आलरेडी बदल दिया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मोबाइल फोनों से भी गुपचुप तरीके से फोटो लिए जाते हैं।

श्री उमर अब्दुल्लाह : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से दो भागों में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला भाग यह है कि क्या नागर विमानन मंत्रालय के अधीन कोई नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो है; और यदि है, तो इस तथ्य के मद्देनजर कि हवाई अड्डों पर अब सी आई एस एफ तैनात है इस ब्यूरो की भूमिका क्या है? माननीय मंत्री से मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र और राज्य दोनों कठिन प्रयास कर रहे हैं। किसी भी यात्री जिसने श्रीनगर हवाई अड्डे से एक वी आई पी के रूप में नहीं अपितु एक आम आदमी के रूप में यात्रा की हो उसे पता होगा कि सुरक्षा के नाम पर औसत यात्रियों को किस परेशानी से गुजरना पड़ता है, जहां सामान की जांच की जाती है, एक्स-रे किया जाता है, और यात्रियों के विमान में पहुंचने से पहले सामान को 3-4 बार खोला जाता है। क्या माननीय मंत्री जी औसत यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना विद्यमान सुरक्षा मानदण्डों को सुचारू बनाने पर विचार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा प्रश्न है।

श्री प्रफुल पटेल : नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो एक पर्यवेक्षक और सुरक्षा तंत्र के विनियामक के समान है और सी आई एस एफ उसका प्रचालनात्मक अंग है। सी आई एस एफ अपने कार्मिकों की तैनाती करता है और हवाई अड्डों का ख्याल रखने के अन्य कार्य करता है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो एक विनियामक के समान है जो समग्र सुरक्षा पहलू का ध्यान रखता है। सी आई एस एफ विमानपत्तन प्राधिकरण को दिशानिर्देश देता है कि कार्य में कैसे करना है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की भूमिका केवल हवाई अड्डों तक सीमित नहीं है; इसके पास विमानन सुरक्षा संबंधी पूरे विनियामक कार्य हैं। यही अंतर है।

जहां तक श्रीनगर हवाई अड्डे का संबंध है, हम सभी को यह स्वीकार करना चाहिए कि ऐसे संवेदनशील हवाई अड्डे में हमेशा असाधारण सावधानियां बरती जाती हैं। तथापि, हम इस बारे में पता लगायेंगे क्योंकि सी आई एस एफ श्रीनगर हवाई अड्डे की सुरक्षा नहीं देख रही है। श्रीनगर हवाईअड्डा अभी भी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है; और यह एक रक्षा एन्क्लेव भी है। तथापि हम टर्मिनल और अन्य सुविधाओं के कारण इस तस्वीर में आ जाते हैं; इसलिए आपकी चिंताओं को मैं ध्यान में रखूंगा और मैं वैयक्तिक तौर पर, जिस किसी भी तरीके से जिसे हम कर सकते हैं, यात्रियों की कठिनाइयों को कम करने का प्रयास करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : डा. मनोज, क्या आपको प्रश्न पूछना है?

डा. के. एस. मनोज : जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि यात्रियों के प्रति सी आई एस एफ कार्मिकों का बर्ताव विनम्रतापूर्वक नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि वह इस पर ध्यान देंगे।

डा. के. एस. मनोज : ठीक है, मंत्री महोदय से मेरा एक सीधा प्रश्न है।

क्या मैं जान सकता हूं कि इन कार्मिकों को विधि, व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के प्रशिक्षण के अलावा क्या जन संपर्क संप्रेषण दक्षता के लिए भी किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्रियों और संसद सदस्यों को भारत में हवाई अड्डों पर सख्त सुरक्षा संबंधी जांच से छूट प्राप्त है?

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षों के मामले में वहां ऐसा प्रावधान नहीं है।

श्री प्रफुल पटेल : मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्वयं काफी प्रशिक्षण लेते हैं; मैं यह कह सकता हूं कि ये सी आई एस एफ को प्रयोक्ता-सहज बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं-हमें ऐसा कहना चाहिए। ये स्वयं की भी जांच कर रहे हैं; इनका अपना बाजार अनुसंधान है और फीड बैक रिपोर्ट भी प्राप्त कर रहे हैं ताकि इन्हें यह जानकारी मिल सके कि लोग सी आई एस एफ के बारे में क्या सोचते हैं?

मंत्री बनने से पहले मैंने भी अन्य लोगों की भांति बहुत यात्रा की है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी संसद सदस्य या किसी मंत्री को किसी प्रकार की छूट दी जाती है। परंतु उनके साथ कुछ अधिक शिष्टता बरती जाती है जैसे कि यह कोशिश की जाती है कि उन्हें लाइन में खड़ा होना न पड़े आदि। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि हम संसद सदस्यों को किसी प्रकार की विशेष छूट नहीं देते हैं। इसके लिए कुछ मानदण्ड हैं जो गृह मंत्रालय और बी. सी.ए.एस. द्वारा विनिर्धारित किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सुरक्षा

और केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के विषय में यहां अच्छा बयान दिय है। बोधगया बिहार का और साथ ही देश का एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक स्थान है और यहां हवाई अड्डा भी है। क्या केन्द्रीय सुरक्षा बल द्वारा बोधगया हवाई अड्डे की विशेष सुरक्षा व्यवस्था करते हुए गया, वाराणसी और पटना को एक सर्किट मानकर, इन हवाई अड्डों से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान की व्यवस्था की जाएगी?

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल : मुख्य प्रश्न से यह सवाल ही नहीं उठता है। परन्तु माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इतने अधिक उदार बनेंगे तो ऐसे प्रश्न उठेंगे ही। चूंकि आप इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े हो गए हैं तो आप उत्तर दे सकते हैं, यदि आप चाहते हैं।

श्री प्रफुल पटेल : पर्यटन के दृष्टिकोण से वाराणसी, बोधगया और पटना बहुत महत्वपूर्ण है और मैं यह आश्वासन आपको दे सकता हूं कि हम विशेष पैकेज के तौर पर इन तीनों हवाई अड्डों में निवेश करने के लिए किसी तरह लोगों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं; विशेष रूप से इसलिए क्योंकि ये बौद्धों का क्षेत्र है और अन्य कारणों से भी यह हमारे देश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

[हिन्दी]

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी कि इन्दिरा गांधी हवाई अड्डा, दिल्ली पर सुरक्षा के लिए किसी प्राइवेट एजेंसी से भी सहायता ली जा रही है और इस काम में काफी अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिससे सरकार को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या इन्दिरा गांधी हवाई अड्डे पर सुरक्षा का काम किसी प्राइवेट एजेंसी को दिया गया है, यदि हां, तो क्या मंत्री जी को यह पता है कि उस काम में अनियमितताएं हो रही हैं? अगर हां, तो सरकार की ओर से दोषी अधिकारियों और कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?

श्री प्रफुल पटेल : जहां तक मेरी जानकारी है, इन्दिरा गांधी हवाई अड्डे पर, पैसेंजर्स के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहां जो कार्गो काम्प्लेक्स है, कार्गो काम्प्लेक्स में सिक्योरिटी की व्यवस्था में कुछ बाहर की एजेंसियों के माध्यम से हो रही है लेकिन मैं आपको इतना निश्चित कहना चाहूंगा कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन द्वारा सिक्योरिटी क्लियरेंस पूरे क्षेत्र में करने के बाद ही यह व्यवस्था दी गयी है।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : मेरे आदरणीय साथी पहले ही सी आई एस एफ कर्मियों के व्यवहार और आचरण के बारे में बता चुके हैं। मेरा एक विशेष सुझाव यह है कि चूंकि हमारे देश में शिक्षित बेरोजगार युवक बहुत हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न से यह सवाल नहीं उठता है।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : कर्मियों के आचरण में बेहतरी के लिए आवश्यक योग्यता जरूरी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वहां बहुत ही विशेष सुरक्षा व्यवस्था होती है।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : चूंकि देश में बेरोजगार युवक बहुत हैं, क्या सरकार उच्चतर योग्यता विनिर्दिष्ट करने पर विचार कर सकती है ताकि उनके आचरण में कुछ सुधार हो सके।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि कार्य न करने वाले सदस्यों के प्रतिस्थापन पर भी चर्चा होगी।

मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देना चाहते हैं?

श्री प्रफुल पटेल : नहीं, महोदय।

विदेश स्थित परियोजनाओं में निवेश

+

***563. डा. चिन्ता मोहन :**
श्री उदय सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की अबाधित आपूर्ति की आवश्यकता के मद्देनजर विदेशों में कई मिलियन डालर निवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर पेट्रोलियम उत्पादों की अबाधित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के ऊर्जा सुरक्षा उद्देश्यों के अनुरूप सरकार ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), विदेश में अन्वेषण और उत्पादन कार्यों में लगी

ओएनजीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) को विदेश में इक्विटी तेल और गैस के अर्जन और अन्वेषण रकबों और उत्पादन संपत्तियों के अर्जन के लिए अवसरों की खोज करने का निदेश दिया है। इन कंपनियों के वियतनाम, सूडान, रूस, इराक, ईरान, म्यांमार, लीबिया, सीरिया, आस्ट्रेलिया, आइवरी कोस्ट, कतर और मिस्र में स्थित तेल और गैस परियोजनाओं में प्रतिभागिता हित है। वर्तमान में इन कंपनियों द्वारा विदेश में वचनबद्धित निवेश 5 बिलियन अमरीकी डालर है।

ओवीएल अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सहयोग से हाइड्रोकार्बन से समृद्ध माने जाने वाले देशों में सक्रिय रूप से अन्वेषण और उत्पादन अवसरों की खोज कर रही है।

(ग) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता स्वदेशी शोधन और सीमित वांछित सीमा तक आयातों के माध्यम से पूरी की जा रही है। जबकि देश पेट्रोलियम उत्पादों में वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर है और दरअसल 2004–05 में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया, यह अपने कच्चे तेल की आवश्यकताओं के लिए आयातों पर 70% से अधिक निर्भर है और यह आंकड़ा अगले 20 वर्षों में बढ़कर 85% हो जाने की संभावना है। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय क्रूड मूल्य घरेलू मूल्यों पर अत्याधिक प्रभाव डालते हैं और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और मिट्टी तेल जैसे संवेदनशील उत्पादों के लिए घरेलू मूल्य निर्धारण नीति का निर्धारण करते समय इन्हें घटकों में बांटना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को इन उत्पादों के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में पूर्ण वृद्धि अंतरित करने से रोका गया है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के मूल्य नवंबर 2004 में संशोधित नहीं किए गए हैं, मिट्टी तेल के मूल्य अप्रैल 2002 से स्थिर रहे हैं। सरकार भी घरेलू उपभोक्ताओं पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव कम करने के लिए जून 2004 से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में बार–बार वृद्धि करती रही है। इसके अलावा हालांकि 1 अगस्त 2004 से सरकार ने निर्धारित मूल्य श्रृंखला के भीतर पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में संशोधन करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को स्वतंत्रता देते हुए मूल्य श्रृंखला तंत्र प्राधिकृत कर दिया था, फिर भी कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में तीव्र और अत्याधिक वृद्धि से मूल्य श्रृंखला लागू होने के कुछ ही सप्ताहों में भंग हो गई। इसलिए इस तंत्र को आस्थगित रखा गया है।

डा. चिन्ता मोहन : महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और खरीद का उल्लेख किया है। मंत्री महोदय यह बताएंगे कि कच्चे तेल की खरीद में वास्तव में कौन शामिल होता है, वह इसे विनियमित कैसे करेंगे और वह यह निर्धारण कैसे करेंगे कि उनका कृत्य ठीक है?

अध्यक्ष महोदय : आपका पूरक प्रश्न क्या है? उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया है?

डा. चिन्ता मोहन : नहीं, महोदय। मेरा प्रश्न यह है कि तेल की खरीद में कौन शामिल होता है और मंत्री महोदय किस आधार पर कहते हैं कि उनका कृत्य ठीक है?

श्री मणि शंकर अय्यर : सर्व प्रथम यह कि कच्चे तेल की खरीद में मैं बिल्कुल शामिल नहीं होता हूं। दूसरी बात यह कि कच्चे तेल की खरीद अधिकांशतः भारत में होती है; जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का संबंध है, यह खरीद मैसर्स भारतीय तेल निगम लि. द्वारा की जाती है; परन्तु अन्य तेल शोधन कम्पनियों को भी कच्चे तेल की खरीद स्वयं करने की अनुमति दी गई है। उनके द्वारा थोड़ी–बहुत खरीद की जाती है, पूरी नहीं। निजी तेलशोधक कारखाने भी अपनी–अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कच्चा तेल खरीद सकते हैं। सामान्य नियम यह है कि लगभग 60 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात दीर्घकालिक करारों के माध्यम से होता है और ये करार आपूर्तिकर्त्ता देशों की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ किए जाते हैं। लेकिन हमें कार्गो, जो कि कुछ अधिक प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर मिल जाते हैं, का लाभ लेना होता हैं अतः हम अपनी तेल कम्पनियों को स्पॉट–कार्गो खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित करते रहे हैं और वर्तमान अनुपात 60:40 का है। जो भी खरीददारी की जाती है वह उस तंत्र से परामर्श करके की जाती है जो खरीददारी के पर्यवेक्षण और समीक्षा के उद्देश्य से सरकार में बहुत पहले से स्थापित है।

यदि माननीय सदस्य की नजर में भ्रष्टाचार संबंधी कोई विशेष मामला आया हो तो उसकी विशेष रूप से जांच करवाते हुए मुझे अपार प्रसन्नता होगी।

डा. चिन्ता मोहन : कच्चे तेल की खरीद के मामले में हमें और अधिक ईमानदार और पारदर्शी होने की आवश्यकता है। क्या इस संबंध में कोई नया विनियम लाने की मंत्री महोदय की कोई योजना है?

श्री मणि शंकर अय्यर : कच्चे तेल की हमारी खरीद की प्रक्रिया स्वस्थ एवं पारदर्शी है।

श्री उदय सिंह : उपस्थित नहीं।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, सरकार बार–बार इस देश की जनता को कहती रही है कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है जिसके कारण वह पेट्रोलियम उत्पादों के

मूल्यों में वृद्धि करने के लिए मजबूर है। वास्तविकता यह है कि हमारे पास अपना कच्चा तेल, अपना तेलशोधक कारखाना और आयातित कच्चे तेल को शोधन करने वाला तेलशोधक है। अतः सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के समतुल्य कीमत लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार सचमुच इस समस्या पर विचार करेगी और उस कच्चे तेल की कीमत कम करेगी जिसका उत्पादन और शोधन इसी देश में होता है? साथ ही, क्या उस आयातित कच्चे तेल की कीमत भी कम करेगी जिसका शोधन इसी देश में होता है और इस प्रकार पेट्रोलियम उत्पाद की कीमत कम करेगी? एक ऐसी सरकार जो जनता के लिए प्रतिबद्ध हो उसे इस पर विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न का भाग नहीं है।

श्री मणि शंकर अय्यर : जनता के प्रति प्रतिबद्ध सरकार के रूप में मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत को नियंत्रित करने के लिए हरेक प्रयास कर रहे हैं। लगभग छह महीने पहले नवम्बर, 2004 से पेट्रोल, डीज़ल और एल.पी.जी. की कीमतों को स्थिर रखने से तेल क्षेत्र में हमें बहुत ही गंभीर झटका लगा है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि होने के बावजूद मिट्टी तेल की कीमत आज भी वही है जो अप्रैल 2002 में थी। लेकिन यह युक्तिसंगत नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डाले।

श्री मणि शंकर अय्यर : यह सोचना युक्तिसंगत नहीं है कि जहां हम अपनी आवश्यकताओं का 70 प्रतिशत कच्चा तेल पहले से आयात कर रहे हैं और आयात पर यह निर्भरता अगले 20 वर्षों में बढ़कर 85 प्रतिशत हो जाने की संभावना है, हम कुछ सीमित समयावधि को छोड़कर अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत में हो रही वृद्धि के प्रभाव से बचा सकते हैं। हम लोग इस समय सर्वसम्मति बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं; जिसमें वह पार्टी भी शामिल है जिससे माननीय सदस्य संबंधित है, और हमें उम्मीद है कि हम मूल्य निर्धारण के बारे में कोई निर्णय ले लेंगे जिसके तहत उपभोक्ताओं, तेल विपणन कम्पनियों और सरकार पर न्यायोचित भार पड़ेगा।

मेरा मानना है कि माननीय सदस्य जानते होंगे कि सीमा और उत्पाद शुल्कों में गत कैलेण्डर वर्ष के दौरान हुए बदलाव के फलस्वरूप सरकारी राजस्व में कई हजार करोड़ रु.. की व्यापक कमी आई है जबकि हमारे समक्ष जो बजट प्रस्ताव हैं उसमें पूरे तेल क्षेत्र को जो बड़ी उपलब्धियां मिली हैं वह सर्वाधिक संवेदनशील उत्पाद मिट्टी तेल ओर एल.पी.जी. द्वारा अर्जित की गई है।

श्री मिलिन्द देवरा : महोदय, भारत में तेल मांग एक सर्वविदित सच्चाई है। यह केवल चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी मांग है। अतः अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र में कोई प्रयास बहुत ही स्वागत योग्य होगा और हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में काफी कारगर होगा। मुझे मंत्री महोदय से दो विशिष्ट प्रश्न पूछना है।

पहला यह, कि पाकिस्तान से होकर गुजरने वाली इन्डो–इरान पाइपलाईन, जिससे हम 7.5 मिलियन टन एल.एन.जी. का आयात कर सकेंगे, की क्या स्थिति है? इससे हम दो गैस क्षेत्र और एक तेल क्षेत्र को भी विकसित कर सकेंगे।

दूसरा, यह कि कुछ दिन पहले के समाचारपत्र की रिपोर्टों के अनुसार, क्या सरकार द्वारा एक ऐसी रूसी कंपनी, यूकोस, जिस पर रूसी सरकार की काफी देनदारियां बकाया है, में लगभग दो बिलियन डॉलर निवेश किए जाने की योजना है?

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं माननीय सदस्य द्वारा दो बहुत ही बुद्धिमतापूर्ण और अर्थपूर्ण प्रश्न पूछने हेतु, उनका धन्यवाद करता हूं। तथापि, पहले प्रश्न में थोड़ी अस्पष्टता है। हम इस समय इरान से 7.5 मिलियन टन एलएनजी के आयात पर चर्चा कर रहे हैं। यह परियोजना पाइपलाइन के द्वारा नहीं बल्कि क्रायोजेनिक जहाज से पूरी की जायेगी। पाइपलाइन परियोजना एलएनजी के लिए नहीं बल्कि प्राकृतिक गैस के लिए है।

जहां तक एलएनजी का प्रश्न है हमारी टीम इस समय इरान में है। वह बातचीत की प्रगति के संबंध में मुझे अवगत करा रही है। मुझे आशा है कि शर्तों की कई मदें उनके वापिस आने तक पूरी कर ली जाएंगी। लेकिन यह संकेत है कि इरान की अगले महीने की मेरी यात्रा में समझौते पर हस्ताक्षर हो जायेगा। लेकिन अभी पूरी तरह से क्या कहा जा सकता है। हमारे वार्ताकार योग्य हैं और शायद मेरी यात्रा से पूर्व ही संभव है कि समझौते पर करार कर लिया जाए।

प्रश्न का दूसरा भाग यूकोस से संबंधित है। हमने रूस की कंपनी रोजनेफ्ट जो यूकोस की पूरी परिसंपत्तियों की स्वामी हो गई है, को संकेत किया है कि हम अत्यधिक प्रसिद्ध और उच्च क्षमता वाली परिसंपत्ति की आंशिक अथवा पूर्ण स्वामित्व हेतु विचार करने के संबंध में इच्छुक हैं। रोजनेफ्ट ने मुझे प्रत्यक्ष रूप से कहा है कि जब मैं फरवरी में मास्को में था, कि हम भागीदार हैं संभवतः वरियता–प्राप्त भागीदार जो इसमें कुछ भागीदारी रखने के इच्छुक हैं।

साथ ही साथ, कानूनी अड़चनें थी और रूस की ओर से हमें आश्वस्त किया गया कि जब तक वे इस बात पर संतुष्ट नहीं होते

हैं कि हम किसी कानूनी अड़चनों के कारण कठिनाई में नहीं पड़ेंगे, वे नहीं चाहेंगे कि हम इस संबंध में आगे की कार्यवाही करें लेकिन हम अभी भी इसमें शामिल हैं। तथापि, हम उनके द्वारा अनुमति मिलने के पश्चात ही विस्तृत विचार विमर्श करेंगे और इस परियोजना पर आगे प्रगति की जा सकेगी।

[हिन्दी]

श्री छेवांग थुपस्तन : अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को कम्प्लीमेंट्स देना चाहता हूं क्योंकि बावजूद इस सच्चाई के कि इंटरनेशनली क्रूड–पेट्रोलियम के दामों में फ्लक्चुएशन रहा है, उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि अपने देश में कंज्यूमर को बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मुहैया कराए जाएं। मैं माननीय मंत्री जी के सामने एक सच्चाई लाना चाहता हूं, जिसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी को एक पत्र लिख चुका हूं और यूपीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी जिसका हम लोगों ने वायदा किया है कि हम देश के दूर–दराज इलाकों में पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स रिजनेबल प्राइसेज पर पहुंचाएंगे। लद्दाख माननीय मंत्री जी के नोटिस में है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रश्न से संबंधित है?

[हिन्दी]

श्री छेवांग थुपस्तन : जी हां। क्योंकि सैकिंड पार्ट इस प्रश्न का है कि दूर–दराज के कंज्यूमर तक पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है। दूर–दराज के इलाकों में पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स लोगों तक पहुंचाने के लिए, एक–एक सिलेंडर पर 300–400 रुपये तक ट्रांसपोर्ट खर्चा करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट खर्च को पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री सब्सिडाइज्ड करती थी लेकिन अब उसमें कुछ तब्दीली की गयी है, जिससे यह बोझ कंज्यूमर्स पर पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप पहले की तरह इस पर सब्सिडी कायम रखेंगे?

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : दूर–दराज क्षेत्रों में राजसहायता प्राप्त आपूर्ति की व्यवस्था नीति के रूप में कई वर्षों से चल रही है। राजसहायता की मात्रा में यदा–कदा परिवर्तन हो सकते हैं लेकिन नीति पूर्ववत ही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 564, श्री बृज किशोर त्रिपाठी– अनुपस्थित।

प्राकृतिक गैस के स्रोत

+

*564. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक गैस के पाए गए स्रोतों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनकी क्षमता का ब्यौरा क्या है और अब तक इनकी क्षमता का कितना दोहन किया गया है; और

(ग) देश में गैस स्रोतों का इष्टतम उपयोग करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 2001–02 से 2003–04 तक पिछले 3 वर्ष के दौरान ओएनजीसी, ओआईएल और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा गैस भंडार की राज्यवार स्थानिक अभिवृद्धि निम्नवत् है:–

राज्य	स्थानिक भंडार बिलियन घन मीटर (बीसीएम) में
आंध्र प्रदेश	11.369
अरुणाचल प्रदेश	3.690
असम	37.758
गुजरात	9.928
राजस्थान	0.762
तमिलनाडु	9.764
त्रिपुरा	6.339
योग	79.610

इसके अतिरिक्त 364.28 बीसीएम स्थानिक गैस भंडार की अभिवृद्धि इसी अवधि में अपतटीय क्षेत्रों में की गई।

अब तक जमीनी क्षेत्रों में 79.61 बीसीएम स्थानिक भंडारों में से 56.49 बीसीएम का प्रमाणन निकासी योग्य भंडारों के रूप में हो गया है।

(ग) ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा उत्पादित और निजी/संयुक्त उद्यम क्षेत्र से गेल द्वारा क्रय की गई प्रशासित मूल्य

व्यवस्था (एपीएम) गैस की आपूर्ति सरकार द्वारा किए गए आबंटनों के प्रति की जा रही है, प्राथमिकता विद्युत और उर्वरक क्षेत्रों में दी जा रही है। निजी/संयुक्त उद्यमों, जहां उन्हें गैस का विपणन करने की स्वतंत्रता है अथवा जिन्हें अपने अपने उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) के उपबंधों के अनुसार गैस का विपणन करने के लिए अपने स्वयं के प्रबंध करने की अनुमति दी गई है, इनका विनियम पीएससीज की शर्तों द्वारा होता है।

लगभग 120 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) के वर्तमान एपीएम आबंटन की तुलना में एपीएम गैस की उपलब्धता केवल लगभग 63 एमएमएससीएमडी है। इसके अतिरिक्त लगभग 12 एमएमएससीएमडी घरेलू गैस और लगभग 18 एमएमएससीएमडी आयातित पुनः गैसीकृत एलएनजी की बिक्री बाजार सापेक्ष मूल्यों पर विभिन्न ग्राहकों को की जा रही है।

देश के भीतर गैस की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:–

1. 1997 की नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के अनुक्रमिक दौर के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र निवेश और विदेशी सीधा निवेश आकर्षित करके और इच्छुक राष्ट्रीय और विदेशी कंपनियों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहन देकर तटीय और अपतटीय दोनों प्रकार की प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन में घातांकीय वृद्धि करने के लिए अनेक सुधार किए गए हैं और किए जा रहे हैं।

2. कोल बेड मीथेन ब्लाक का प्रदान करना जिनमें से प्रथम उत्पादन 2006–07 में आरंभ होने की आशा है।

3. स्कोथिंस्की इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग, मास्को और कनाडा की ईआरजीओ के साथ सहयोग से भूमिगत कोयला गैसीकरण।

4. कतर, ईरान और संभवतः आस्ट्रेलिया से एलएनजी और ईरान, म्यांमार और संभवतः तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस, उनके साथ वार्ताएं आरंभ कर दीं गई हैं।

5. गैस हाईड्रेट्स के लिए आर एंड डी।

वे इन पहलों का लक्ष्य देश में प्राकृतिक गैस की मांग–आपूर्ति के अंतर को पर्याप्ततः कम करना और अंततोगत्वा समाप्त करना है।

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि गुजरात के पीपावाव और मुंदड़ा क्षेत्र में गैस टर्मिनल चालू करने के लिए सरकार क्या करना चाहती है, इसे कब तक चालू करने का विचार है और इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है?

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पटेल, आपका प्रश्न क्या है। आप कृपया इसे पुनः दुहरायें।

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल : अध्यक्ष महोदय, देश में गैस की आपूर्ति के लिए गुजरात में पीपापाव और मुंदड़ा में गैस टर्मिनल चालू करने के लिए सरकार ने कितनी प्रोग्रेस की है और इस संबंध में क्या सरकार का विचार चल रहा है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय मंत्री महोदय को लिख सकते हैं और वे आपको लिखित उत्तर देंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं समझता हूं कि वे प्राकृतिक गैस भंडार की जगह पत्तनों का उल्लेख कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यहां दोनों के बीच किस प्रकार संबंध स्थापित किया गया है। लेकिन यह सच है कि गुजरात हमारे गैस उत्पादों में से एक महत्त्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। इस क्षेत्र में गैस की अत्यधिक खपत भी होती है। हम राष्ट्रीय गैस अर्थव्यवस्था में गुजरात की भूमिका को अत्यधिक महत्त्व देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उनके द्वारा उल्लिखित दो स्थानों को नोट कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल : अध्यक्ष महोदय, दसवीं योजना में प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लक्ष्य को सरकार पूरा नहीं कर पाई है। इसे पूरा करने के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है?

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : देश में तेल और गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन माननीय सदस्य यह मानेंगे कि यह एक उच्च लागत और जोखिम वाला कारोबार है। यह स्पष्ट रूप से कहना कठिन है कि हम तेल अथवा गैस कब प्राप्त करने जा रहे हैं। जब यह होगा, सरकार द्वारा एनईएलपी–V योजना के अंतर्गत कई उपाय और अन्य तकनीक

लागू किए जा रहे हैं ताकि देश में तेल और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को हमारी ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जा सके।

प्रो. बसुदेव बर्मन : महोदय, समुद्री क्षेत्रों में 364.25 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस भंडार में से कितना बिलियन क्यूबिक मीटर प्राप्त योग्य भंडार के रूप में निश्चित हुआ है। मंत्री जी द्वारा उत्तर में जमीन पर प्राप्त होने योग्य भंडार का उल्लेख किया गया है। आम व्यक्ति की समझ के लिए मैं जानना चाहता हूं कि इन गैस भंडार की तुलना में कच्चे तेल का कितना मिलियन टन उपलब्ध है।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि हमारा कुल भंडार जिसे हम अब तक प्राप्त कर पाये हैं 32 बिलियन मीट्रिक टन अथवा 32000 मिलियन मीट्रिक टन है। जब प्राप्त योग्य भंडार की बात आती है मैं स्पष्ट कर दूं कि हमें तीन चरणों में कच्चा तेल प्राप्त होता है। पहले अन्वेषण के कई चरण के पश्चात स्थलीय भंडार का पता लगाया जाता है फिर इन भंडार में से भूवैज्ञानिक स्थानिक भंडार में से अंतिम भंडार का पता लगाते हैं और अंततः जब यह प्राप्त होने लगती है तो शेष प्राप्त योग्य भंडार के रूप में माना जाता है। हम अपने भंडार का इन्हीं तीन आधार पर आकलन करते हैं।

महोदय, भारत में इस समय तेल और गैस भंडार 7.9 बिलियन टन तेल भंडार के बराबर है। स्थापित प्राप्त योग्य भंडार 2900 मिलियन टन अथवा 2.9 बिलियन टन और शेष प्राप्त योग्य भंडार 1600 मिलियन टन अथवा 1.6 बिलियन टन है।

श्रीमती एम. एस. के. भवानी राजेन्तीरन : महोदय, मेरे क्षेत्र में भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस उपलब्ध है। मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से अनुरोध करती हूं कि वहां गैस सिलिंडर भरने का एक उद्योग लगाया जाए जिससे बेरोजगारी की समस्या सुलझाने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी और मेरे क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि भी बढ़ेगी। क्या मंत्री महोदय मेरे अनुरोध पर ध्यान देंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर : महादेय, गैस का पता लगाना और इसकी आपूर्ति मेरे मंत्रालय की जिम्मेवारी है लेकिन इस गैस के लिए उद्योग लगाना किसी अन्य मंत्रालय की जिम्मेवारी है। तथापि मुझे खुशी है कि रामनाथपुरम क्षेत्र में हम न केवल गैस जिसका हम उत्पादन कर रहे हैं बल्कि अधिक उत्पादन वाले गैस के लिए भी ग्राहक प्राप्त करने में सफल रहे हैं और हमारा वर्तमान कार्य यह सुनिश्चित करने का है कि क्या हम रामनाथपुरम क्षेत्र के संभावित ग्राहकों को और अधिक गैस की आपूर्ति कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा असंगठित रूप से गोबर और मानव मल से उत्सर्जित गैस का दोहन करके उसे घरेलू उपयोग में लाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जानवरों के गोबर और मानव–मल से उत्सर्जित गैस का दोहन करके और उसे गैस स्रोतों के रूप में उपयोग करने संबंधी सरकार की कोई कारगर योजना है ताकि दूसरे स्रोतों पर दबाव घटाया जा सके?

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : वास्तव में सरकार कुल मिलाकर कई पारंपरिक और अपारंपरिक ऊर्जा के लिए कई योजनाएं चलाती हैं लेकिन मेरा संबंध केवल परम्परागत इंधन से है। हमें बायोगैस इंधनों के उपयोग को बढ़ावा देने में और अधिक प्रसन्नता होगी लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसकी जिम्मेवारी मेरे सहयोगी मंत्री की है।

[हिन्दी]

श्री वी. के. दुग्गर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्न के उत्तर में प्राकृतिक गैस स्रोतों के क्षेत्र में गुजरात को तीसरे स्थान पर बताया है। माननीय मंत्री जी की प्राथमिकतायें विद्युत और उर्वरक क्षेत्र में गैस देने की हैं। गुजरात में इतना गैस मिल रहा है तभी स्व. राजीव जी ने पीपापाव में गैस की आपूर्ति करने के लिए प्रोजैक्ट लगाने हेतु शिलान्यास किया था और गैस का उत्पादन करने के लिए आश्वासन भी दिया था। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या पीपावाव में अलग से गैस की आपूर्ति करने के लिए कोई प्रावधान रखा गया है या नहीं?

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मुझे लगता है कि गुजरात के गैस भंडार के उपयोग और 245 बिलियन क्यूबिक मीटर के उपयोग का प्रश्न महत्त्वपूर्ण है लेकिन इसका 'पिपव' के भविष्य से कोई संबंध नहीं है। मुझे लगता है कि इससे गुजरात के किसी स्थान पर गैस भंडार में बढ़ोत्तरी नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 565, श्री कैलाश मेघवाल– अनुपस्थित।

बेड़े की उपयोगिता

*566. **डा. एम जगन्नाथ** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइस के विमान बेड़ों की उपयोगिता इस उद्योग के औसत उपयोगिता से कम रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले कुछ वर्षों में सरकारी क्षेत्र के इन संगठनों के बेड़े की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निष्प्रभावी रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन एयरलाइंस के बेड़ों की उपयोगिता में सुधार करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं। वास्तव में एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़े की औसत उपयोगिता इस उद्योग की औसत उपयोगिता से उच्चतर है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

डा. एम. जगन्नाथ : महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर अस्पष्ट है और विश्वसीय नहीं है। इसमें विमानों की विद्यमान संख्या और इसके औसत उपयोग के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे नहीं पढ़ें। उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है। अब मैं केवल एक अनुपूरक प्रश्न की अनुमति दे सकता हूं।

डा. एम. जगन्नाथ : विमानों की औसत आवश्यकता क्या है और इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया के पास कितने विमान हैं?

श्री प्रफुल पटेल : भारत में समी प्रकार के विमानों के औसत उपयोग की स्थिति संभवतः उद्योग के औसत से अधिक है। इंडियन एयरलाइन्स के पास बोइंग 737 के 200 विमान हैं। कई आंकड़े हैं। मैं वर्षवार, विमानवार, श्रेणीवार और विश्व औसत से संबंधित आंकड़े माननीय सदस्य को लिखित रूप से उपलब्ध कराऊंगा। मैं आश्वासन देता हूं कि यह विश्व के स्तर से अधिक है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बारूदी सुरंगों के शिकार लोगों को क्षति-पूर्ति

*565. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बारूदी सुरंगों के ठीक ढंग से न हटाए जाने के कारण पाकिस्तानी सीमा से लगे भारतीय क्षेत्र में सैंकड़ों सामान्य नागरिक मारे जा रहे हैं अथवा अपंगता के शिकार हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बारूदी सुरंगों से होने वाले नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और बारूदी सुरंगों के शिकार लोगों को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी जा रही है;

(ङ) क्या बारूदी सुरंग बिछाये गये क्षेत्रों से हटाए गए लोगों को किसी पुनर्वास योजना के अभाव में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो उन्हें राहत और सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (च) सुरंगें बिछाने संबंधी कार्यकलाप सेना के संक्रियात्मक सिद्धांत के अंतर्भूत अंग हैं तथा ये कार्यकलाप प्रादेशिक अखंडता सुनिश्चित करने हेतु संक्रियात्मक विचारों के आधार पर किए जाते हैं। सुरंगे बिछाने तथा हटाने का कार्य सुस्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है। 'संक्रिया पराक्रम' के दौरान यह देखने में आया था कि कुछ संघातक तथा गैर-संघातक घटनाएं हुईं जिसके परिणामस्वरूप जीवन की हानि हुई अथवा लोग अशक्त हो गए। ऐसा कई कारणों से हो सकता है – जैसे गलती से किसी व्यक्ति अथवा पशु का सुरंग क्षेत्र में चला जाना, भूमि अथवा भू-भाग की प्रकृति या पर्यावरणिक परिस्थितियों के कारण सुरंगों का धंस जाना अथवा उनका अप्रवाह अथवा कृतंडों (रोडेंटों) द्वारा सुरंगों को खींच ले जाने की वजह से उनका मूल स्थान से हट जाना आदि।

पीड़ितों एवं उनके परिजनों को राहत मुहैया कराने के लिए, सरकार ने मार्च 2002 में तथा किसान, जिनकी भूमि का इस्तेमाल सुरंगें बिछाने के लिए किया गया था, को मुआवजा दिलाने तथा साथ ही सुरंगों के कारण हताहत हुए सिविलियनों को 'अनुग्रह' मुआवजा पैकेज देने के लिए जनवरी 2003 में विस्तृत नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए थे। सुरंग-प्रभावित पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

जिन किसानों की भूमि का इस्तेमाल सुरंगें बिछाने के लिए किया जाता है, उन्हें अलग से भी मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

विगत तीन वर्षों में 31 मार्च 2005 तक सुरंग–पीड़ितों को मुआवजे के रूप में तथा फसल एवं किराया–मुआवजे के लिए लगभग 294.87 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। सेना के प्रयासों से लगभग ऐसी समस्त भूमि को अब खाली कर दिया गया है, जिसे सुरंग बिछाने के लिए अधिकार में लिया गया था।

इसके अलावा, सुरंगों के विस्फोट से प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग मुहैया कराने के लिए भी सरकार ने जनवरी 2004 में मंजूरी प्रदान कर दी है ताकि उनका पुर्नवास हो सके।

[अनुवाद]

अमित मित्रा समिति

*567. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एफ.एम. रेडियो प्रसारण के दूसरे चरण हेतु सिफारिशें करने के लिए सरकार द्वारा गठित डा. अमित मित्रा समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा अब तक कौन–कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गयी हैं तथा इनके क्रियान्वयन हेतु क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) सरकार द्वारा किन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में कितने रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है तथा इन्हें किन–किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) डा. अमित मित्रा समिति ने लाइसेंसिंग प्रक्रिया, लाइसेंस शुल्क, नेटवर्किंग, सह–अवस्थिति, विदेशी निवेश और प्रवास सहित विभिन्न मुद्दों पर निजी एफ.एम. रेडियो प्रसारण के चरण–II हेतु सिफारिशें की थीं। इस समिति की विस्तृत सिफारिशें इस मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.mib.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) मित्रा समिति की सिफारिशें जांच करने और सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने हेतु भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के पास विचारार्थ भेजी गयी थीं। ट्राई की सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं। निजी एफ.एम. रेडियो के दूसरे चरण हेतु नीति विचाराधीन है।

(घ) निजी एफ.एम. रेडियो प्रसारण के चरण–II के अन्तर्गत देश भर में 90 स्थानों पर 300 से अधिक निजी एफ.एम. रेडियो स्टेशनों को स्थापित करने की परिकल्पना है।

समपारों के स्थान पर सड़क उपरिपुलों/ अधोगामी पुलों का निर्माण

*568. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराज सिंधिया :**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने केन्द्रीय राजस्व में रेलवे द्वारा देय कतिपय लेवी के मामले में कुछ रियायतें दिए जाने के बदले में रेल समपारों के स्थान पर सड़क उपरिपुल/सड़क अधोगामीपुल बनाने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो समपार के स्थान पर सड़क उपरिपुलों/सड़क अधोगामी पुलों के निर्माण में अनुमानतः कितनी लागत अंतर्ग्रस्त है और देश में रेल समपारों की जोनवार कुल संख्या कितनी है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) जी, नहीं। रेलवे राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरणों के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर उन व्यस्त समपारों जहां गाड़ी वाहन इकाई एक लाख से अधिक है, के बदले सड़क ऊपरी/निचले पुलों का निर्माण करती है।

(ख) बहरहाल, लागत में भागीदारी के आधार पर पहले ही स्वीकृत सड़क ऊपरी/निचले पुलों के कार्यों की संख्या 428 है जिनकी कुल अनुमानित लागत 5,000 करोड़ रुपए है। एक लाख से अधिक गाड़ी वाहन इकाई वाले और लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी/निचले सड़क पुल बदले जाने हैं और जहां ऐसे कार्यों को अभी स्वीकृति नहीं मिली है वहां ऐसे समपारों की संख्या अनुमानतः 1247 है जिनकी कुल अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपऐ है।

एक लाख से अधिक टी वी यू वाले समपारों जहां सड़क ऊपरी/निचले पुल के कार्य अभी स्वीकृत किए जाने हैं, की जोनवार संख्या इस प्रकार है:–

क्र.सं.	जोन	जोड़
1	2	3
1.	मध्य रेलवे	89
2.	पूर्व रेलवे	87

1	2	3
3.	पूर्व मध्य रेलवे	20
4.	पूर्व तट रेलवे	23
5.	उत्तर रेलवे	316
6.	उत्तर मध्य रेलवे	106
7.	पूर्वोत्तर रेलवे	42
8.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	27
9.	उत्तर पश्चिम रेलवे	62
10.	दक्षिण रेलवे	117
11.	दक्षिण मध्य रेलवे	88
12.	दक्षिण पूर्व रेलवे	26
13.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	34
14.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	20
15.	पश्चिम रेलवे	160
16.	पश्चिम मध्य रेलवे	30
	जोड़	1247

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कच्चे तेल के आयात के लिए जलपोतों को किराये पर लेना

*569. **श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :**
श्री राम कृपाल यादव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय तेल निगम को कच्चे तेल के आयात के लिए जलपोतों को सीधे किराये पर लेने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य आयातकों को भी इसी प्रकार की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने भारतीय तेल निगम को कच्चे तेल के आयात हेतु जलपोतों को सीधे किराये पर लेने से पहले पोत परिवहन और सड़क परिवहन मंत्रालय को विश्वास में लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पोत परिवहन और सड़क परिवहन मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) यह निर्णय तेल की कीमतों को स्थिर रखने में कितना सहायक सिद्ध होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी हां। पूरे विश्व में बड़ी तेल कंपनियों की अपनी स्वयं की नौवहन व्यवस्थाएं होती है। भारत में निजी क्षेत्र की तेल कंपनियां भी अपनी स्वय की नौवहन व्यवस्थाएं रखने के लिए स्वतंत्र हैं। नियंत्रणमुक्त परिदृश्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को एक मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी होती है और इसीलिए, कार्यों में अधिकतम किफायत और कुशलता लाने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के बीच एक समान कार्य अवसर वातावरण सुनिश्चित किया जाना है। इसे देखते हुए इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) को क्रूड के आयात के लिए अपने स्वयं के टैंकर किराए पर लेने की अनुमति दे दी गयी है।

(ग) और (घ) तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बीच केवल आईओसी को अपनी स्वयं की नौवहन व्यवस्थाएं करने की अनुमति दी गयी है क्योंकि केवल उन्होंने यह दायित्व लेने के लिए कौशल और संसाधनों का विकास किया है।

(ङ) और (च) प्रस्ताव पर विचार करते समय सरकार ने नौवहन मंत्रालय सहित सभी संबंधित मंत्रालयों के मतों पर विचार किया था।

(छ) यह व्यवस्था विदेशी लदान पत्तनों से भारत में उतराई पत्तनों तक तेल परिवहन के लिए जहाज किराए पर लेने के लिए है। इससे कार्यों में और अधिक किफायत और कुशलता आने की संभावना है।

भारतीय प्रेस परिषद

*570. **श्री हेमलाल मुर्मू** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों से उद्भूत विवादों और उसकी विश्वसनीयता की जांच करने के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद के अधिकार और कर्त्तव्य क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में अभी तक राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) भारतीय प्रेस परिषद ने उन पर क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना, भारत में समाचारपत्रों के मानकों को बरकरार रखने और उनमें सुधार लाने तथा प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने के उद्देश्य से की गयी है।

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14(1) के अंतर्गत शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा यदि परिषद के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी समाचारपत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता संहिता के मानकों का उल्लंघन किया है या लोकरूचि को ठेस पहुंचाई है अथवा यह भी कि यदि किसी संपादक या श्रमजीवी पत्रकार ने किसी प्रकार का व्यावसायिक कदाचार किया है, तो परिषद अपनी जांच समितियों के माध्यम से शिकायतों की सुनवाई का आयोजन करती है तथा पक्षकारों द्वारा लिखित और मौखिक बयान दर्ज कराए जाने के पश्चात् जाँच समितियाँ संबंधित मामलों में कार्रवाई हेतु पूर्ण परिषद के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं। यदि परिषद इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यथास्थिति अनुसार, समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकती है, डाँट-फटकार लगा सकती है अथवा निन्दा कर सकती है अथवा संपादक या पत्रकार के आचरण को नापसंद कर सकती है। अपने कार्यों को निष्पादित करने के प्रयोजन से परिषद के पास किसी को समन करने और उपस्थिति के लिए दबाव डालने, दस्तावेजों का निरीक्षण करने, शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करने, अधियाचन रिकॉर्डों को देखने, प्रासंगिक अध्ययन कराने तथा दायित्वों के निर्वहन में सहायक या आनुषंगिक किसी अन्य कार्य को करने की शक्तियाँ हैं।

(ख) **प्रेस के विरूद्ध शिकायतें**

वर्ष-वार दायर किए गए मामलों की संख्या-

2001-2002	–	860
2002-2003	–	801
2003-2004	–	660
2004-2005	–	660
योग	–	2981

(ग) **कुल निपटाए गए मामले:**

दिनांक 1.4.2001 से 31.3.2005 के बीच न्यायनिर्णीत मामलों की कुल संख्या	504
दिनांक 1.4.2001 से 31.3.2004 के बीच प्राथमिक चरण पर खारिज करने निपटाये गए मामलों की कुल संख्या	2047
	2551

अल्पसंख्यकों संबंधी मंत्रियों की समिति

*571. **श्री रामदास आठवले** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वक्फ अधिनियम, 1995 को सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों में उक्त अधिनियम के अंतर्गत राज्य वक्फ बोर्डों का गठन नहीं किया गया है;

(ग) क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति से संबंधित लंबित सिविल मामलों की अधिकरणों में स्थानान्तरित करने में कोई कठिनाई आ रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं;

(ङ) किन-किन राज्यों में वक्फ की संपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी एजेंसियों को उनके कब्जे वाली वक्फ की संपत्तियों को खाली करने या बाजार दर पर किराया देने के लिए कहने का निदेश दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) और (ख) वक्फ अधिनियम, 1995, 22.11.1995 को अधिसूचित किया गया था, तथापि अरूणाचल, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और दमन और दीव ने इन बोर्डों का गठन नहीं किया है। यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं है।

(ग) और (घ) असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा वक्फ बोर्डों ने सिविल न्यायालयों के समक्ष लम्बित मामलों को वक्फ अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत गठित अधिकरणों को अन्तरित

कराने में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी दी है। सुधारात्मक उपाय राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा किए जाने हैं क्योंकि वे विधि के अनुसार अपील दायर/संशोधन करने के लिए सक्षम हैं।

(ङ) हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल एवं दादर और नगर हवेली राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है।

(च) और (छ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अधिक्रमणित वक्फ सम्पत्तियों को वापस वक्फ बोर्डों को सौंपने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ यह मामला उठाता रहा है। तथापि, ये बोर्ड वक्फ अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधिक्रमणों की रोकथाम के लिए कार्यवाहियां शुरू करने हेतु सक्षम है।

[अनुवाद]

भारत और चीन के बीच करार

***572. श्री तथागत सत्पथी :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य सहयोग और विश्वास बढ़ाने वाले सैन्य उपायों के संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सैन्य सहयोग हेतु किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत और चीन ने, सैन्य सहयोग तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य विश्वासोत्पादक उपायों के संबंध में निम्नलिखित तीन करारों पर हस्ताक्षर किए हैं:-

(i) भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन और चैन बनाए रखने के लिए करार (7 सितम्बर, 1993)

(ii) भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य फील्ड में विश्वासोत्पादक उपायों पर करार (29 नवम्बर, 1996)

(iii) भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य फील्ड में विश्वासोत्पादक उपायों के कार्यान्वयन के लिए प्रोटोकॉल (11 अप्रैल, 2005)

उपर्युक्त करारों के माध्यम से सैन्य सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई है:-

(क) वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान तथा पालन करना।

(ख) वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास किए जाने वाले सैन्य अभ्यासों की पूर्व सूचना।

(ग) वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हवाई घुसपैठ रोकने के उपाय।

(घ) वास्तविक नियंत्रण रेखा की अवस्थिति की धारणा के संबंध में मतभेदों के कारण दोनों तरफ के सीमा कार्मिकों के आमने-सामने आ जाने की स्थिति में 'टकराव' की स्थिति को टालने की व्यवस्था करना।

(ङ) पारस्परिक विचार-विमर्श के माध्यम से सीमा कार्मिक बैठकों तथा ध्वज बैठकों का संचालन करना।

(च) दोनों सशस्त्र बलों की प्रशिक्षण संस्थाओं तथा दोनों सशस्त्र बलों के खेल-कूद तथा संस्कृति संस्थानों के बीच आदान-प्रदान का संचालन करना।

(छ) चीन के संबद्ध सैन्य क्षेत्रों तथा भारत की सेना कमानों के बीच आदान-प्रदान का संचालन।

(ज) वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर दो किलोमीटर क्षेत्र में फायरिंग शुरू करने, खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल करने तथा विस्फोट आपरेशन संचालित करने जैसी खतरनाक सैन्य कार्रवाईयों की रोकथाम करना।

(झ) प्राकृतिक आपदा जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण एक पक्ष के कार्मिकों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करके दूसरे पक्ष की सीमा में प्रवेश कर जाने की अवस्था में सहायता करना तथा उन्हें लौटाना।

(ञ) सीमा क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियों के एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर फैलाव को रोकने के लिए उपाय करना।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्वायत्तता

***573. श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता देने से संबंधित सेनगुप्ता पैनल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) जी, हां। डा. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता वाले तदर्थ विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में की गयी सिफारिशें स्वामित्व के मुद्दों और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को शक्तियों, सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा, सीपीएसई में सतर्कता प्रबंध से संबंधित हैं। समूह की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

कच्चे तेल के लिए सामरिक भंडार सुविधा

*574. **श्री रूपचन्द मुर्मू :**

श्रीमती मनोरमा माधवराज :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में कच्चे तेल के लिए सामरिक भंडार सुविधा की स्थापना करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) इसकी कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) के कार्यनीतिक कच्चे तेल के भंडारों के निर्माण के लिए अनुमोदन किया है जिसमें से मंगलौर में 1.5 एमएमटी, विजाग में 1.0 एमएमटी और मंगलौर अथवा आसपास के स्थान में 2.5 एमएमटी के भंडार शामिल हैं। अनुमान है कि मंगलौर (1.5 एमएमटीपीए) और विजाग (1 एमएमटीपीए) में कार्यनीतिक भंडारण के निर्माण के लिए पूंजी निवेश जून, 2004 के मूल्यों पर लगभग 1360 करोड़ रुपये होगा। इसके अतिरिक्त कार्यनीतिक कच्चे तेल भंडारण की भराई की लागत कच्चे तेल की प्रचालित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित होगी।

(ग) इंडियन स्ट्राटेजिक पेट्रोलियम रीजर्वस लिमिटेड (आरएसपीआरएल) के नाम से एक विशेष प्रयोजन व्यवस्था (एसपीवी) को एक करोड़ रुपये के आरंभिक निवेश से आईओसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 16 जून, 2004 को निगमित किया गया है।

(घ) निर्माण अवधि कार्य प्रदान किए जाने की तारीख से लगभग 48 महीने होने का अनुमान है।

विदेशी एयरलाइनों को भारतीय विमान कंपनियों में निवेश की अनुमति

*575. **श्रीमती मिनाती सेन :**

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने विदेशी एयरलाइनों को भारतीय विमान कंपनियों में निवेश करने की अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार का क्या निर्णय है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) के लिए मौजूदा नीति के अनुसार विदेशी एयरलाइनों द्वारा घरेलू एयरलाइनों में किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इक्विटी भागीदारी की अनुमति नहीं है। नई प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संबंधी विशेषज्ञता को आकर्षित करने की दृष्टि से दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस नीति की समीक्षा करने तथा विदेशी वाहकों के लिए घरेलू एयरलाइंस उद्योग के खोले जाने की सिफारिश की गई है। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है।

रेलमार्गों के विद्युतीकरण संबंधी खोसला समिति की रिपोर्ट

*576. **श्री सुग्रीव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेलमार्गों के विद्युतीकरण संबंधी खोसला समिति की रिपोर्ट की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन पर रेलवे ने अभी तक कार्यवाही की है; और

(ग) सरकार द्वारा इस समिति की शेष सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति द्वारा की गई कुल 11 सिफारिशों में से 7 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, 2 सिफारिशें आंशिक रूप से स्वीकार की गई हैं जबकि 2 सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जा सका जिनके विवरण निम्नलिखित हैं:-

स्वीकृत सिफारिशें:

(i) यातायात और प्रतिफल की आंतरिक दर इस प्रकार से हो कि यदि लाभ नहीं हो रहा हो तो हानि भी न हो।

(ii) प्रतिफल की आंतरिक दर की गणना के लिए सांख्यिकीय इनपुट की गुणवत्ता।

(iii) रेल विद्युतीकरण संबंधी कार्यों के लिए वित्तीय मूल्यांकन के उद्देश्य से उच्च अश्व शक्ति वाले रेल इंजनों का प्रतिफल।

(iv) रंगीन रोशनी वाले सिग्नल/ऑप्टिकल फाइबर केबल इत्यादि की लागत जो रेल विद्युतीकरण लागत का भाग होगा।

(v) सभी बिजली रेल इंजनों में ऊर्जा मीटरों की व्यवस्था।

(vi) मौजूदा मानकों के अनुसार कार्यान्वयनोत्तर मूल्यांकन।

(vii) रेल विद्युतीकरण प्रस्तावों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया।

आंशिक रूप से स्वीकार की गई सिफारिशें

(i) विद्युतीकृत खंडों में डीज़ल रेल इंजनों को चलाना।

(ii) एकीकृत कर्षण नीति।

अस्वीकृत सिफारिशें

(i) चालू परियोजना की समीक्षा।

(ii) विद्युतीकरण संबंधी कार्य को और अधिक विस्तारित करने से पहले मौजूदा अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण।

इंडियन एयरलाइन्स के रियायती किराये

*577. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ क्षेत्रों के लिए इंडियन एयरलाइन्स के विमान किराये अन्य काफी दूर स्थित क्षेत्रों से बहुत अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स अनेक क्षेत्रों के लिए बड़ी संख्या में रियायती किराये की पेशकश करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इंडियन एयरलाइन्स वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर इनकी समय-समय पर समीक्षा करता है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) अत्यधिक प्रतिस्पर्धा वाले बाजार परिदृश्य को देखते हुए इंडियन एयरलाइन्स ने मई, 2001 में **फ्लैक्सी फेयर पॉलिसी** आरम्भ करने का निर्णय लिया था, जिसके अन्तर्गत विभिन्न बाजार कारकों जैसे कि पर्यटन संबंधी मौसम, अन्य प्रतियोगियों की तुलना में इंडियन एयरलाइन्स की क्षमता, आपूर्ति-मांग का समीकरण आदि के मद्देनजर किराए में वृद्धि/कमी का स्तर सेक्टर से सेक्टर तथा सीजन से सीजन के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है। इस समय किराए क्षेत्रीय दूरी के बजाय इन बाजार शक्तियों से प्रभावित हो रहे हैं।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइन्स, सामान्य सेक्टर किरायों के अतिरिक्त, समय-समय पर विशिष्ट सेक्टरों में प्रमोशनल किराए उपलब्ध कराता है। अलग-अलग किस्म के ये किराये इस प्रकार हैं:-

(i) **लीन सेक्टर प्रोमोशनल किराए** :- लीन सेक्टर प्रोमोशनल किराए इकोनॉमी क्लास में विशिष्ट सेक्टरों पर उपलब्ध हैं। ये किराए एक ओर की यात्रा पर या वापसी यात्राओं के मामले में लागू हैं।

(ii) **भ्रमण किराए**:- भ्रमण किराए विशिष्ट क्षेत्रों में इकोनॉमी क्लास में उपलब्ध हैं। इन किरायों के अन्तर्गत केवल राऊंड ट्रिप यात्रा की अनुमति है।

(iii) **थ्रू किराए**:- थ्रू किराए वहां लागू होते हैं जहां यात्रियों को यात्रा करने हेतु सीधी उड़ानें उपलब्ध नहीं हैं। थ्रू किरायों के अन्तर्गत इंटरमीडिएट बिन्दुओं पर यात्रा की अनुमति दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। यात्रा की अनुमति इकोनॉमी क्लास में दी जाती है।

(iv) **राऊंड ट्रिप किराए**:- राऊंड ट्रिप किराए केवल विशिष्ट सेक्टरों में ही उपलब्ध हैं। इसके अन्तर्गत एक ओर की यात्रा की अनुमति नहीं है। यात्रा इकानॉमी क्लास में अनुमत है।

(v) **फ्लाई सलैक्ट किराए**:- फ्लाई सलैक्ट किराए चुनिंदा सेक्टरों/उड़ानों पर आरंभ किए गए हैं। इसमें सीटें पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होती है।

(vi) **एपक्स किराए**:- एपेक्स किराए, जो कि एक अग्रिम खरीद योजना के अंतर्गत है, अगस्त, 2002 से चुनिंदा

घरेलू सेक्टरों पर इकोनॉमी क्लास में आरम्भ किए गए थे।

(vii) **पोजिशनिंग फ्लाइट किराए:-** पोजिशनिंग फ्लाइट किराए दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से कतिपय चुनिंदा सेक्टरों में आरम्भ किए गए हैं, इन किरायों को लगभग वातानुकूलित चेयर के किरायों के स्तर तक ले आया गया है। ये किराये अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के घरेलू क्षेत्र में 24 सेक्टरों पर उपलब्ध हैं।

(viii) **इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पेश की गई स्थायी रियायतें:-** कपितय शर्तों को पूरा करने पर भारतीय सशक्त बलों के सदस्यों, सामान्य आरक्षित इंजीनियरिंग बल, युद्ध में अपंग हुए व्यक्तियों, युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं, सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त कार्मिकों, पैरा-मिलिटरी बलों, शोर्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त पुलिस कार्मिकों, शोर्य पदक प्राप्त नागरिकों, विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, नेत्रहीन व्यक्तियों, कैंसर के मरीजों, लोकोमोटर विकलांगों, स्ट्रैचर पर न जा सकने वाले व्यक्तियों, राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों तथा अर्जुन पुरस्कार के विजेताओं को भिन्न-भिन्न प्रतिशत की रियायतें प्रदान की जाती हैं।

(ङ) और (च) वर्तमान प्रतियोगी परिदृश्य में किराए, बाजार शक्तियों से प्रभावित हैं। इंडियन एयरलाइन्स किरायों की समीक्षा करती है तथा इन्हें बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करती है।

विमान सेवाओं में सुधार करना

*578. **श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या नागर विमानन मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमान सेवाओं में सुधार करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य क्या हैं;

(ग) समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की संभावना है; और

(घ) विमान यातायात को सुविधापूर्वक चलाने के लिए क्या कदम उठाये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) भीड़-भाड़ को कम करने तथा प्रति घंटा विमानों के आवागमन की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने हवाई यातायात सेवा प्रबंधन प्रणाली, हवाईअड्डों पर क्षमता संबंधी समस्या तथा हवाई यातायात प्रबंधन के संरक्षा संबंधी पक्ष का अध्ययन करने के लिए श्री के.रॉय पॉल, पूर्व नागर विमानन सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 29.3.2005 को एक समिति का गठन किया है। समिति को अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट तीन महीनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

रेलवे में प्रयुक्त इस्पात की कीमतों में वृद्धि

*579. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :** क्या रेल मंत्री रेलवे में प्रयुक्त इस्पात की कीमतों में वृद्धि के बारे में 26 अगस्त, 2004 के अतारांकित प्रश्न सं. 4291 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्पात की कीमतों में असामान्य वृद्धि के मामले का अध्ययन करने हेतु गठित समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों की जांच करने में विलंब के क्या कारण है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) से (ङ) स्टील के मूल्यों में असाधारण वृद्धि के अध्ययन के लिए गठित समिति ने सिफारिश की है कि निर्माण ठेके में, जहां स्टील कार्य का महत्वपूर्ण घटक है और जिसमें मूल्य कमी-बेशी उपबंध विद्यमान है, स्टील मूल्यों में भारी वृद्धि की ठेकेदार को क्षतिपूर्ति की जाए, ऐसे निर्माण कार्य ठेके जिनमें मूल्य कमी-बेशी उपबंध विद्यमान नहीं है, वहां कोई एक मत सिफारिश नहीं थी, समिति के चार सदस्यों ने क्षतिपूर्ति प्रदान करने की सिफारिश की जबकि अन्य दो सदस्य कोई राहत मुहैया कराने के लिए सहमत नहीं थे। भंडार आपूर्ति ठेकों के मामलों में समिति मूल्य कमी-बेशी उपबंध वाले ठेकों के लिए कोई क्षतिपूर्ति न देने और चालू निर्धारित मूल्य ठेकों जो निष्पादनाधीन हैं, में मूल्य कमी-बेशी उपबंध शामिल करने के लिए सहमति नहीं देने की

अपनी सिफारिश पर एकमत थी। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि भावी ठेकों में संबंधित उप समूहों के थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में स्टील और सीमेंट के मूल्यों में कमी–बेशी शामिल करने के लिए टेंडर शर्तों में मूल्य कमी–बेशी उपबंध को उपयुक्त रूप से आशोधित किया जाए। समिति की सिफारिशों की जांच की गई थी और यह विनिश्चय किया गया था कि यही सिद्धांत निर्माण ठेकों और स्टोर ठेकों के लिए भी लागू किया जाए और चूंकि स्टोर आपूर्ति ठेकों के मामले में कोई राहत नहीं दी जा रही है, अतः निर्माण ठेके में ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करने के लिए भिन्न प्रक्रिया अपनाने का कोई कारण नहीं है।

विदेशी विमानन कंपनियों के साथ मुक्त आकाश समझौते

*580. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री निखिल कुमार :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कई विदेशी विमानन कंपनियों के साथ मुक्त आकाश समझौता करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विदेशी विमानन कंपनियों के साथ मुक्त आकाश समझौतों से देशों के बीच यात्रा सुगम होगी और आऊटसोर्सिंग से संबंधित नौकरियां मिलेंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) द्विपक्षीय हवाई सेवा करार जिनमें अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के प्रचालन के लिए यातायात अधिकारों को विनिर्दिष्ट किया जाता है, सरकारों के बीच किए जाते हैं, न कि विमानन कंपनियों के साथ। इस समय, सरकार का विदेशी सरकारों के साथ कोई मुक्त आकाश करार करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, हाल ही में यू एस ए के साथ मुक्त आकाश सिद्धांतों पर आधारित एक उदारीकृत हवाई सेवा करार किया गया है।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय सेक्टरों पर क्षमता के विस्तार से देशों के बीच यात्रा सुगम होगी तथा इससे इन सेक्टरों में पर्यटन, व्यापार तथा वाणिज्य को पर्याप्त बढ़ावा मिलने तथा रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न होने की संभावना है।

एमुनिशन डिपो, पानागढ़ के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

5995. **श्री सुनील खां :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायुसेना केन्द्र, पानागढ़ के कर्मचारियों को उसी दर पर मकान किराया भत्ता मिलता है जितना कि दुर्गापुर शहर में मिलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या एमुनिशन डिपो, पानागढ़ के असैनिक कर्मचारियों को वायुसेना केन्द्र, पानागढ़ के कर्मचारियों के बराबर मकान किराया भत्ता नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार एमुनिशन डिपो, पानागढ़ के असैनिक कर्मचारियों को वायुसेना केन्द्र, पानागढ़ के बराबर मकान किराया भत्ता देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गोला–बारूद डिपो पानागढ़ के सिविलियन कर्मचारी वायुसेना स्टेशन, पानागढ़ के कर्मचारियों के बराबर मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि गोला–बारूद डिपो, पानागढ़ की अवस्थिति, सरकार द्वारा इस बारे में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करती है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मूर्तियों की तस्करी

5996. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :**
श्री महेश कनोडीया :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दुर्लभ मूर्तियों की तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन घटनाओं को रोकने हेतु कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) प्राप्त सूचना देश से दुर्लभ मूर्तियों की तस्करी में किसी उल्लेखनीय वृद्धि को नहीं दर्शाती।

(ख) तस्करी पर नियंत्रण रखने के लिए सीमा शुल्क विभाग कड़ी सर्तकता बरतता है। जिसके लिए किए गए उपायों में

निवारात्मक जांच, नाकाबदीं, आसूचना एकत्र करना तथा पुलिस और राजस्व आसूचना निदेशालय के सहयोग से रात्रि में गश्त लगाना शामिल हैं। मूर्तियों की तस्करी के संबंध में मुख्यालयों, राजस्व आसूचना निदेशालय तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त चेतावनी नोटिसों तथा अन्य संबंधित सूचना को कड़ी सर्तकता रखने के लिए सभी फील्ड एककों में परिचालित किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मूर्तियों की तस्करी के 11 मामलों में, सीमाशुल्क विभाग द्वारा 47 वस्तुएं जब्त की गई हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मामलों की संख्या तथा सीमा–शुल्क द्वारा जब्त की गई वस्तुओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	सीमा शुल्क कार्यालय का नाम	वर्ष 2002–03		वर्ष 2003–04		वर्ष 2004–05	
		मामलों की संख्या	जब्त की गई मूर्तियों की संख्या	मामलों की संख्या	जब्त की गई मूर्तियों की संख्या	मामलों की संख्या	जब्त की गई मूर्तियों की संख्या
1.	मुख्य आयुक्त, पटना	–	–	1	1	–	–
2.	मुख्य आयुक्त, कोलकाता	–	–	2	6	3	3
3.	मुख्य आयुक्त, हैदराबाद	–	–	–	–	1	5
4.	मुख्य आयुक्त, नई दिल्ली	–	–	–	–	1	1
5.	संयुक्त आयुक्त, मुंबई क्षेत्र	–	–	–	–	1	1
6.	मुख्य आयुक्त, निवारण, दिल्ली	1	28	1	2	–	–
	जोड़	1	28	4	9	6	10

गैस एजेंसियों के आबंटन हेतु मानदंड

5997. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री इलियास आजमी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गैस एजेंसियों के आबंटन हेतु स्थानों एवं डीलरों का चयन करने के संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) अब तक उत्तर प्रदेश में नई गैस एजेंसियों का आबंटन करने हेतु पहचाने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाने वाली संभावित गैस एजेंसियों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है और इनमें से कितनी एजेंसियों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को उनके वाणिज्यिक आकलन के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने की स्वतंत्रता दे दी है और स्थानों की पहचान, स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू रखे रहने के लिए उपलब्ध रीफिल बिक्री संभाव्यता के आधार पर उनके द्वारा की जाती है। ओएमसीज द्वारा समय समय पर विज्ञापन/चयन के समय, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन के मानदंड और प्रक्रिया, विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) स्थानों की पहचान एक सतत प्रक्रिया है और ओएमसीज अपनी आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण करतीं हैं। तथापि, सरकार ने ओएमसीज को अर्ध–शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने के लिए विपणन योजनाएं तैयार करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए पहचान किए गए स्थानों का ब्यौरा संबंधित ओएमसीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू किया जाना व्यवहार्य स्थानों की पहचान, विज्ञापन के जारी किए जाने, साक्षात्कारों के आयोजन और गोदाम, शोरूम इत्यादि के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार की योग्यता आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है। इन घटकों को ध्यान में रखते हुए किसी राज्य में वर्ष विशेष के दौरान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चालू किए जाने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

हॉल्ट स्टेशन

5998. श्री राम सिंह कस्वां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में हेमासर रतन गढ़ सरदार शहर रेल मार्ग पर रतन गढ़ और मौलीसर के बीच घुम्मंड और श्रीडुंगरगढ़ और बेनीसर में हॉल्ट स्टेशन बनाने हेतु संसद सदस्यों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) बीकानेर मंडल में घुम्मंड और आनंदवासी में हाल्ट स्टेशन खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की जांच की गई थी तथा वित्तीय रूप से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया था।

[अनुवाद]

रेवाड़ी-बीकानेर रेल मार्ग का आमान परिवर्तन

5999. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेवाड़ी–लुहारू–सीकर–बीकानेर मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने संबंधी सर्वेक्षण का कार्य काफी पहले पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कार्य आरंभ करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) आमान परिवर्तन का कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी हां। रेवाड़ी–लोहारू–सीकर–बीकानेर खंड के आमान परिवर्तन के लिए विगत में सर्वेक्षण किया गया था। रेवाड़ी–लोहारू–सादुलपुर–हिसार खंड के आमान परिवर्तन का कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। लोहारू–सीकर–चुरू–रींगस–जयपुर के आमान परिवर्तन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण प्रगति पर है तथा सादुलपुर–चुरू–बीकानेर के आमान परिवर्तन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण हाल ही में पूरा कर दिया गया है। सर्वेक्षण के परिणामों को अंतिम रूप दिए जाने तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आगे विचार किया जाएगा।

रेलगाड़ियों में कॉन्टीनेंटल व्यंजन उपलब्ध कराना

6000. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे उच्चवर्ग के यात्रियों की पसंद के अनुरूप रेलगाड़ियों में कॉन्टीनेंटल व्यंजन उपलब्ध कराने की योजना बन रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में व्यंजन सूची में क्या बदलाव किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) राजधानी/शताब्दी गाड़ियों के लिए कान्टीनेन्टल मेनू पहले ही मौजूद है। अन्य मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिए फिलहाल कान्टीनेन्टल व्यंजनों की शुरूआत करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तरांचल प्राथमिक शिक्षा परिषद के प्रमाण पत्रों को अस्वीकृत करना

6001. श्री बालेश्वर यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के दौरान युवकों द्वारा किए गए उत्तरांचल प्राथमिक शिक्षा परिषद के प्रमाणपत्रों को सेना द्वारा हाल ही में अस्वीकृत कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्तरांचल सरकार ने रक्षा मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सेना में सैनिक सामान्य ड्यूटी श्रेणी में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 45% अंकों सहित दसवीं कक्षा उत्तीर्ण रखी गई है। तथापि, पिथौरागढ़ की डिडीहाट, धारचूला और मुनसियारी तहसीलों के लिए 8वीं कक्षा उतीर्ण होने का प्रमाण–पत्र स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार पिथौरागढ़ की डिडीहाट, धारचूला और मुनसियारी तहसीलों से इतर जिलों का व्यक्ति, उत्तरांचल प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर सेना में भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हैदराबाद से उड़ानें

6002. श्री ए. साई प्रताप : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हैदराबाद से घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ानों की बारम्बारता बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) उपयुक्त विमान क्षमता की उपलब्धता तथा आर्थिक साध्यता के आधार पर इंडियन एयरलाइंस की (i) हैदराबाद से सऊदी अरेबिया में स्थानों को बड़े आकार वाले विमानों से उड़ानें; (ii) हैदराबाद और कुवैत के बीच प्रति सप्ताह एक और ए–320 सेवा; तथा (iii) हैदराबाद और दिल्ली के बीच प्रति सप्ताह 4 दैनिक उड़ानें आरंभ करने की योजनाएं हैं।

एअर इंडिया की इस समय अंतर्देशीय तथा अंतरराष्ट्रीय सैक्टरों, दोनों पर हैदराबाद से अन्य गंतव्य स्थानों के लिए अपनी उड़ानों की आवृत्ति में वृद्धि करने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

असम गैस क्रेकर परियोजना

6003. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम गैस क्रेकर परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) परियोजना की अब तक बढ़ी लागत कितनी है तथा इसकी वास्तविक अनुमानित लागत कितनी थी; और

(ग) सरकार द्वारा परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) असम गैस क्रेकर परियोजना के लिए प्रस्ताव सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी), वित्त मंत्रालय के विचारार्थ/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(ख) वर्ष 1994 में करीब 3600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर, परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत स्थिर मूल्य आधार पर लगभग 5300 करोड़ रुपए है।

(ग) परियोजना अनुमोदन के बाद परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अगले कदम उठाए जाएंगे।

[हिन्दी]

गैस एजेंसियों का बंद होना

6004. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन गैस एजेंसियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जो पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण बंद हो गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : पिछले 3 वर्ष के दौरान, अनियमितताएं करने के कारण, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा बंद की गई गैस एजेंसियों का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	गैस एजेंसी का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	मैसर्स अरूणा गैस एजेंसीज
2.	बिहार	मैसर्स संगीता इन्डेन
3.	दिल्ली	मैसर्स एलाइट एजेंसी
4.	दिल्ली	मैसर्स वी वी टेड्रर्स
5.	दिल्ली	मैसर्स हितेष एन्टरप्राइजेज
6.	गुजरात	मैसर्स त्रिशला गैस एजेंसी
7.	गुजरात	मैसर्स उमिया गैस सर्विस
8.	गुजरात	मैसर्स गैस बार एजेंसी
9.	हरियाणा	मैसर्स कुमार इन्डेन
10.	जम्मू–कश्मीर	मैसर्स आर के गैस एजेंसी
11.	महाराष्ट्र	मैसर्स गोदावरी गैस एजेंसी
12.	महाराष्ट्र	मैसर्स गोविन्द गैस सर्विसेज
13.	महाराष्ट्र	मैसर्स शिव गंगा इन्डेन
14.	महाराष्ट्र	मैसर्स बल्लारशाह इन्डेन
15.	पंजाब	मैसर्स सरहिंद गैस

1	2	3
16.	पंजाब	मैसर्स नेताजी गैस सर्विस
17.	पंजाब	मैसर्स स्टार गैस सर्विस
18.	पंजाब	मैसर्स गंगा गैस सर्विस
19.	पंजाब	मैसर्स गुलेरी गैस
20.	पंजाब	मैसर्स होम गैस सर्विस
21.	पंजाब	मैसर्स राजपुरा गैस सर्विस
22.	पंजाब	मैसर्स गुप्ता गैस सर्विस
23.	पंजाब	मैसर्स अरूण गैस एजेंसी
24.	तमिलनाडु	मैसर्स एस.एस. गैस कंपनी
25.	तमिलनाडु	मैसर्स उमा गैस एजेंसीज

दिशा विमानपत्तन

6005. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिशा विमानपत्तन को वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रयुक्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी एयरलाइन्स प्रचालक से नियमित उड़ानों का प्रचालन करने संबंधी वचनबद्धता प्राप्त होने पर ही हवाईअड्डे से उड़ानों का प्रचालन आरंभ किया जा सकेगा।

शटल ट्रेनें चलाना

6006. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शटल ट्रेनें चलाने के लिए सरकार की क्या नीति है;

(ख) देश में इस समय राज्य/जोनवार कितनी शटल ट्रेनें चल रही हैं;

(ग) क्या गढ़चन्दूर से बलारशाह तथा धुधुस से बलारशाह के बीच शटल ट्रेनें चलाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) शटल गाड़ियों सहित सभी गाड़ियां परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता तथा यातायात औचित्य के आधार पर चलाई जाती है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एन सी सी डाक्यूमैंट विजन 2010

6007. श्री जयप्रकाश (मोहनलाल गंज) : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल कैडेट कोर ने अपना डॉक्यूमेंट विजन 2010 जारी कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हाँ।

(ख) महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा जारी किए गए 'विजन–2010' शीर्षक से जारी दस्तावेज में छात्रों, विशेषकर लड़कियों की भर्ती को बढ़ाने; संस्थागत प्रशिक्षण को और अधिक यथार्थपरक बनाने; नए अत्याधुनिक उपस्कर शामिल करने; सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में अधिक भागीदारी करने और सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में वृद्धि करने पर विशेष बल देते हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर के क्रिया–कलापों का क्षेत्र बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

लेबर कांट्रेक्टर की नियुक्ति

6008. श्री अशोक अर्गल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन तेल कंपनियों के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं जो जुबली तथा कोको खुदरा विक्रय केन्द्रों पर एक निश्चित समय सीमा से अधिक लेबर कांट्रेक्टर की नियुक्ति की अवधि नहीं बढ़ाते हैं; और

(ख) इस प्रकार के जुबली तथा कोको खुदरा विक्रय केन्द्रों की संख्या कितनी है जहां कांट्रेक्टर क्रमशः 6 माह, 12 माह तथा 18 माह के लिए नियुक्त किए जाते हैं तथा इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी नहीं। सरकार ने हाल ही में, इस प्रकार के कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। कंपनियों के निर्णय उनके स्वयं के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्र (जेआरओ)/कंपनी–स्वामित्व–कंपनी–प्रचालित (सीओसीओ) खुदरा बिक्री केन्द्र को चलाने के लिए श्रमिक ठेकेदार की कार्य अवधि प्रारंभिक तौर पर निष्पादन आधार पर दूसरे वर्ष नवीनीकरण के विकल्प सहित एक वर्ष है। तथापि, कुछ तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) जेआरओ के मामले में दूसरे वर्ष नवीकरण कराने के विकल्प सहित श्रमिक ठेकेदार की प्रारंभिक कार्य अवधि 2 वर्ष की रखते हैं। ऐसे जेआरओज और सीओसीओ खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या और ब्यौरा, जहां श्रमिक ठेकेदारों की समयावधि भिन्न–भिन्न रही है, संबंधित कंपनियों के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध है।

ए टी एम के माध्यम से सीजनल टिकटें जारी करना

6009. श्री अतीक अहमद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीजनल टिकटें जारी करने के लिए कतिपय रेलवे स्टेशनों पर ए टी एम लगाने शुरू कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वे स्टेशन कौन–कौन से हैं जहां इस प्रकार की सुविधा इस समय उपलब्ध हैं; और

(ग) 2005–2006 के दौरान इस प्रकार की सुविधा के प्रावधान के लिए कौन–कौन से स्टेशनों का चयन किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) मध्य रेलवे के मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर ऑटोमैटिक टैलर मशीनों के माध्यम से सीजन टिकटें जारी करने की व्यवस्था की गई है। परीक्षण के परिणामों के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

गोधनी-कलमाना कोर्ड लाइन का निर्माण

6010. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोधनी–कलमाना कोर्ड/बाईपास लाइन के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव रेलवे के पास पिछले दो वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह कार्य पहले ही वर्ष 2004–05 में अनुमोदित कर दिया गया है। विस्तृत अनुमान तथा योजना अनुमोदित की जा रही है। इस कार्य में महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड की भूमि के इस्तेमाल के लिए महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड और रेलवे के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर शामिल है। समझौता ज्ञापन पर कार्रवाई की जा रही है।

नौपाड़ा-गुनापुर लाइन को बढ़ाकर आगे ले जाना

6011. श्री गिरिधर गमांग : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1997–98 के दौरान पूर्वी तटीय जोन के रायागढ़–टिटलागढ़ खंड पर नौपाड़ा–गुनापुर रेल लाइन को गुनापुर से थेरूवली तक आगे बढ़ाये जाने के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2005–06 के दौरान परियोजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(घ) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) 1997–98 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, गुनुपुर में आगे थेरूवली (76 किमी.) तक नौपाड़ा–गुनुपुर रेल लाइन के विस्तार की लागत उस समय प्रचलित मूल्य स्तर पर 124.16 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। संसाधनों की अत्यधिक तंगी तथा चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो–फारवर्ड के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ) इस विस्तार के लिए अद्यतन सर्वेक्षण 2005–06 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

औद्योगिक उत्पादों की ढुलाई हेतु रैक

6012. श्री महबूब जाहेदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वी भारत में औद्योगिक उत्पादों की ढुलाई के लिए रैकों का आबंटन कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के निर्णय से मुख्यतः कोयले तथा लोहे की ढुलाई बड़ी प्रभावित हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रैकों में कमी किये जाने के कारण सब्जी उगाने वाले किसानों को उत्तर भारत में विशेषकर बिहार तथा उत्तर प्रदेश में अपने उत्पादों की ढुलाई के संबंध में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में डिब्बे लगाने संबंधी मानदंड

6013. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में विभिन्न वर्गों/श्रेणियों के कितने डिब्बे लगे होते हैं तथा इस संबंध में प्रतिशततावार क्या मानदंड अपनाये जाते हैं;

(ख) क्या रेलगाड़ियों में डिब्बे लगाते समय यह मानदंड अपनाया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में सवारी डिब्बे यातायात पैटर्न, परिचालनिक व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रख कर लगाए जाते हैं।

सीएनजी की आपूर्ति हेतु गेल-बीपीसीएल का संयुक्त उद्यम

6014. श्री बापू हरी चौरे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड ने भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किया है जो कानपुर में सीएनजी की आपूर्ति करेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी हां। गेल (इंडिया) लिमिटेड ने कानपुर शहर को पाइपड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) तथा सीएनजी की आपूर्ति के लिए 25.2.2005 को मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ "सेन्ट्रल यू.पी. गैस लिमिटेड" के नाम से एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है।

दक्षिण पूर्व क्षेत्र हेतु वायु सेवा

6015. श्रीमती गीता पटैरिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण पूर्व भारत के लिए पर्याप्त वायु सेवा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने दक्षिण पूर्व क्षेत्र हेतु वायु सेवा उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पुम्पुहार में तट-दूर खुदाई योजना

6016. श्री के. सी. पलनिसामी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) का तमिलनाडु के चेन्नई के दक्षिण में 250 किमी. के आस-पास स्थित प्राचीन पौराणिक कस्बे पुम्पुहार में तट-दूर खुदाई करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस.

जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुम्पुहार (कावेरीपट्टिनम) में तट से दूर उत्खनन करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

लैंड लार्ड योजना के अंतर्गत खुदरा बिक्री केन्द्र

6017. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003 से आज तक लैंड लार्ड योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा देश में कितने खुदरा बिक्री केन्द्र शुरू किए गए; और

(ख) इनमें से बिना विज्ञापित किए कितनी बिक्री केन्द्र शुरू किए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों के चयन के लिए अपने-अपने दिशानिर्देशों के अनुसार तेल विपणन कंपनियों ने 2003 से मार्च, 2005 तक भू स्वामी श्रेणी के अंतर्गत देश में 3416 खुदरा बिक्री केन्द्र चालू किया है।

(ख) इनमें से तेल विपणन कंपनियों ने डीलरों के चयन के लिए विज्ञापनों का आश्रय लिए बिना 2,882 खुदरा बिक्री केन्द्र चालू किए हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती

6018. श्री सनत कुमार मंडल : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने प्रतिष्ठानों में गैर-कार्यकारी संवर्ग के पदों पर भर्ती बंद कर दी है और मात्र तकनीकी और उच्च स्तर के पदों की भर्ती पर अपना ध्यान केन्द्रित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गैर-सरकारी संवर्ग में कितने व्यक्ति भर्ती किए गए?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निदेशक मंडल से निम्न स्तरों के पदों पर नियुक्तियां केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के संबंधित उद्यमों द्वारा की जाती है। इस संबंध में कोई सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

अल्पसंख्यक आयोग/सलाहकार समितियों की स्थापना

6019. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एन.सी.एम.) ने राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग/सलाहकार समितियों का गठन करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त निर्णय का पालन किया और अपने संबंधित राज्यों में अल्पसंख्यक आयोगों/सलाहकार समितियों का गठन किया;

(ग) किन राज्यों ने अपने राज्यों में अल्पसंख्यक आयोगों/सलाहकार समितियों के गठन के उक्त सुझाव/प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने वाले हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) भारत सरकार ने, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वर्ष 1996-97 की वार्षिक रिपोर्ट में उसके द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक आयोग स्थापित करने के लिए 30 मई, 2003 को सलाह दी थी। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग स्थापित कर लिए है। शेष राज्यों ने राज्य आयोग गठित नहीं किए हैं।

(घ) राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित करने का मामला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इन मामले पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से लगातार आग्रह कर रहा है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अपीलीय न्यायाधिकरण

6020. श्रीमती किरण माहेश्वरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त न्यायाधिकरण की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या है; और

(घ) उक्त न्यायाधिकरण की कार्य–विधि क्या है और इसके सदस्य कौन–कौन से हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) प्रस्तावित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के आदेशों और निर्णयों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए, सरकार का, एक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अपीलीय अधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव विचाराधीन है और इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद संसद में लाए जाने वाले विधेयक में ब्यौरों को शामिल किया जाएगा।

[अनुवाद]

उड़ीसा में सोरो में आकाशवाणी केन्द्र खोला जाना

6021. श्री खारवेल स्वाईं : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में सोरो में आकाशवाणी केन्द्र खोलने हेतु भवन का निर्माण पहले ही कर लिया गया है और वह बेकार पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इस आकाशवाणी केन्द्र को शुरू करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) उड़ीसा में आकाशवाणी सोरो वर्ष 2001–2002 से चालू किए जाने के लिए तकनीकी रूप से तैयार है। देश के अन्य भागों में आकाशवाणी की अनेक परियोजनाएं हैं जिन्हें पर्याप्त जनशक्ति के अभाव में चालू नहीं किया जा सका। यद्यपि कुछ मामलों में अस्थायी पुनर्समायोजन के जरिए कमीशनिंग की गयी है तथापि इसे एक स्थायी उपाय के रूप में व्यवहार्य नहीं पाया गया है। पर्याप्त स्टाफ को शीघ्र स्वीकृत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय कोई सुनिश्चित समय–सीमा इंगित नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

लातूर-कुरूवड़ी रेल परियोजना

6022. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लातूर से कुरूवड़ी तक रेल परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) मिराज–लातूर आमान परिवर्तन परियोजना (374 किमी.) की संभावित लागत 515.57 करोड़ रुपए है।

(ख) 2005–06 के दौरान संपूर्ण परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई है।

(ग) कार्य चरणों में किया जा रहा है। कुर्डुवाडी से पंढरपुर (52 किमी.) तथा लातूर–लातूर रोड (33 किमी.) का कार्य पूरा कर दिया गया है। कुर्डुवाडी–लातूर खंड में मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस भाग में "रोजगार गारंटी योजना" के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गिट्टी मुहैया कराई जा रही है। मिरज–पंढरपुर के बीच भी कार्य शुरू कर दिया गया है।

(घ) परियोजना की संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति की जा रही है। परियोजना के पूरा होने की तारीख राज्य सरकार द्वारा गिट्टी की सप्लाई पूरी करने पर निर्भर करेगी।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की गई सहायता

6023. श्री इलियास आजमी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान से अब तक मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की कुल कितनी बैठकें हुई;

(ख) इतनी लंबी अवधि तक प्रतिष्ठान की बैठक न बुलाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा किन संस्थानों को सहायता प्रदान की गई और उक्त प्रदत्त सहायता की संस्थान–वार मात्रा कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) वित्त वर्ष 2004–05 में मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के साधारण निकाय की तीन बैठकें तथा शासी निकाय की एक बैठक आयोजित की गयी हैं।

(ग) वर्ष 2004–05 के दौरान मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा शिक्षा योजना के अंतर्गत जारी संस्थान–वार अनुदान दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2004–05 के दौरान मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा शिक्षा योजना के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों को निर्मुक्त अनुदान

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम	स्वीकृत राशि (रुपए में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	मुस्लिम एजुकेशनल एंड कल्चरल आर्गनाइजेशन, हैदराबाद	15,00,000/–
2.	रिजवान एजुकेशन सोसाइटी, हैदराबाद	2,50,000/–
3.	जमाइतुल मोमिंनथ, हैदराबाद	9,00,000/–
4.	सेंट सुलेमान एजुकेशनल सोसाइटी, हैदराबाद	10,80,000/–
5.	अल–मक्का एजुकेशनल सोसाइटी, महबूबनगर	23,25,000/–
6.	डैजलिंग एजुकेशनल सोसाइटी, हैदराबाद	20,00,000/–
बिहार		
7.	शाफी मुस्लिम हाई–स्कूल, दरभंगा	13,50,000/–
दिल्ली		
8.	हीरा एजुकेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली	3,00,000/–
गोवा		
9.	अंजुमन इस्लाहुल मुसलमीन, मारगोवा	26,00,000/–
10.	अंजुमन तैहीद मुसलमीन, चिम्बेल	2,00,000/–
गुजरात		
11.	हुशैनिया नगर केल्वानी मंडल, भरूच	10,00,000/–
12.	मम्बा–उल–उलूम, डोलका, अहमदाबाद	14,00,000/–
13.	अंजमन एजुकेशन ट्रस्ट, बालासिनोर, खेड़ा	15,00,000/–
14.	मदरसा जामीया रहमानिया अरबिया इस्लामिया, जिला गोधरा	9,00,000/–
15.	दि वालन एजुकेशनल एंड वेल्फेयर सोसाइटी, जिला बड़ोदरा	9,00,000/–
16.	अंकलेश्वर तालुका ब्रदरहुड ट्रस्ट, जिला भरूच	12,00,000/–
17.	अंजुमन फलहः दारेन, जिला बानसकंठा	5,00,000/–

1	2	3
हरियाणा		
18.	अलकासिम एजुकेशनल सोसाइटी, जिला गुड़गांव	3,60,000/–
19.	मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी, सकरास, गुड़गांव	10,00,000/–
जम्मू-कश्मीर		
20.	कह:–कहां पब्लिक स्कूल, हंदवाड़ा	10,00,000/–
21.	शम्स मेमोरियल इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बड़गाम	10,00,000/–
22.	हेल्प, श्रीनगर	10,00,000/–
23.	सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन, श्रीनगर	30,00,000/–
कर्नाटक		
24.	खिदमत–उल मुस्लिम, बेल्लारी	30,00,000/–
25.	अल्लमा इकबाल एजुकेशनल सोसाइटी, जिला बिदर	20,00,000/–
26.	अलसिराज एजुकेशनल सोसाइटी, जिला बिदर	12,00,000/–
केरल		
27.	मल्लिक बिन दीनार इस्लामिक कम्प्लेक्स कमेटी, जिला त्रिसूर	14,00,000/–
28.	अराफा चैरिटेबुल ट्रस्ट, एर्नाकुलम	22,75,000/–
29.	मसवालिहू सुन्नी ट्रस्ट, मोलूर जिला पलक्कड़	15,00,000/–
30.	अल्फा चैरिटेबुल ट्रस्ट, जिला पलक्कड़	7,95,000/–
मध्य प्रदेश		
31.	ब्राइट स्टार मुस्लिम एसोसिएशन, देवास	25,80,000/–
32.	मौलाना आजाद एजुकेशनल टेक्निकल एंड वोकेशनल सोसाइटी, इंदौर	15,00,000/–
33.	नेशनल मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, भोपाल	2,00,000/–
महाराष्ट्र		
34.	बज्म–ए–तालीम, महसाला, रायगढ़	7,95,000/–
35.	दौंदिचा एजुकेशन सोसाइटी, धूले	10,00,000/–
36.	डा. अल्लमा इकबाल एजुकेशनल सोसाइटी, जिला यावतमल	6,60,000/–
37.	अंजुमन–ए–वसील–उल–तालीम, रायगढ़	13,50,000/–
38.	महिला बहुद्देश्यीय शिक्षण संस्था, यावतमल	6,25,000/–
39.	अंजुमन–ए–इशात तालीम, धूले	8,00,000/–
40.	स्व. द्वारकाभाई सोमजी काम्बले प्रतिष्ठान, नांदेड़	1,25,000/–
41.	मौलाना आजाद एजुकेशनल सोसाइटी, अमरावती	6,75,000/–
42.	पनवेल एजुकेशन सोसाइटी, पनवेल	30,00,000/–

1	2	3
43.	अवामी वेल्फेयर एसोसिएशन, मुम्बई	5,00,000/–
44.	अल–हीरा एजुकेशनल एंड वेल्फेयर सोसाइटी, औरंगाबाद	10,00,000/–
45.	अरबी उर्दू मराठी एजुकेशन सोसाइटी, मिराज	21,00,000/–
46.	कोंकण उर्दू एजुकेशन सोसाइटी, जिला थाणे	18,90,000/–
47.	महबूब एजुकेशन ट्रस्ट, रायगढ़	10,25,000/–
48.	बज्म उर्दू अदाब, रत्नागिरि	15,00,000/–
49.	हजरत उमर फरूकी एजुकेशन सोसाइटी, जिला यावतमल	15,00,000/–
50.	महापोली एजुकेशन एंड चैरिटेबुल ट्रस्ट, जिला थाणे	12,50,000/–
51.	हल्का ए दावानिक एजुकेशन सोसाइटी, औरंगाबाद	10,00,000/–
52.	यतीमखाना मदरसा अंजुमन खैरुल इस्लाम ट्रस्ट, मुम्बई	30,00,000/–
53.	हबीब एजुकेशन एंड वेल्फेयर सोसाइटी, कौसा	1,785,000/–
54.	आइडियल एजुकेशन सोसाइटी, रत्नागिरि	20,00,000/–
55.	चिपलुन एजुकेशन सोसाइटी, रत्नागिरि	10,50,000/–
56.	आईशा एजुकेशन ट्रस्ट, मुम्बई	5,00,000/–
57.	सरोवर शिक्षण मंडल, सांगली	20,00,000/–
58.	टीचर्स एजुकेशन सोसाइटी, बुलदाना	16,20,000/–
59.	जुहू इरला एजुकेशन सोसाइटी, मुम्बई	3,53,000/–
60.	अंजुमन दर्दमन–ए–तालीम–ओ–तर्राकी, रायगढ़	5,00,000/–
उड़ीसा		
61.	इमरते शरिया एजुकेशनल एंड वेल्फेयर ट्रस्ट, फुलवारी शरीफ, पटना	12,30,000/–
62.	मदानी वेल्फेयर एसोसिएशन, भुवनेश्वर	10,00,000/–
63.	मदरसा अहरफुल उलूम अल बनात, जिला केन्द्रपाड़ा	5,00,000/–
राजस्थान		
64.	दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजाने, नागौर	9,50,000/–
65.	मोहमदिया वेल्फेयर सोसाइटी, टोंक	10,00,000/–
66.	ख्वाजा गरीब नवाज शिक्षा समिति, जयपुर	13,00,000/–
67.	इस्लामिक एजुकेशनल कल्चरल एंड वेल्फेयर सोसाइटी, सीकर	30,00,000/–
68.	अल–हुडा एजुकेशनल सोसाइटी, जिला कोटा	5,00,000/–
तमिलनाडु		
69.	मरियन सर्विसेज सोसाइटी, त्रिची	40,000/–
70.	मुस्लिम कल्वी संगम, पल्लपती	18,00,000/–
71.	पेट्टई मदुरै एम. धर्मा परिपालन संगम, मदुरै	4,50,000/–

1	2	3
72.	मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेल्फेयर सोसाइटी, कोयम्बटूर	10,00,000/–
उत्तर प्रदेश		
73.	मदरसा गुलशन–ए–बगदाद, बलरामपुर	6,00,000/–
74.	जाफरिया इस्लामिया एजुकेशनल एसोसिएशन, अम्बेडकर नगर	4,50,000/–
75.	जामिया इस्लामिया मारिफया कुरान, उझारी, जिला जे.पी. नगर	15,00,000/–
76.	स्व. फतेह मोहम्मद एजुकेशनल सोसाइटी, महराजगंज	7,50,000/–
77.	कांवेंट शिक्षा समिति, बदायूं	6,75,000/–
78.	राईन एजुकेशनल सोसाइटी, सीतापुर	12,00,000/–
79.	इस्लामिया फतमी एजुकेशनल सोसाइटी, सहारनपुर	7,50,000/–
80.	समता विकास समिति, जे.पी. नगर	9,00,000/–
81.	नेशनल एजुकेशनल वेल्फेयर सोसाइटी, रामपुर	9,00,000/–
82.	घयासिबन एजुकेशनल वेल्फेयर सोसाइटी, लखनऊ	10,00,000/–
83.	फैज–आम मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी, फैजाबाद	15,00,000/–
84.	दरगाह–ए–इस्लामी, फैजाबाद	19,50,000/–
85.	तमिल गाह–ए–निसवान, माऊ	5,00,000/–
86.	दि उजियार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी, बस्ती	4,10,000/–
87.	एम. अहमद हुसैन, अट्टा हुसैन एजुकेशन सोसाइटी, बलिया	7,00,000/–
88.	अंजुमन तलीम, लखनऊ	16,23,000/–
89.	दि पब्लिक एजुकेशन एंड वेल्फेयर सोसाइटी, मुरादाबाद	12,00,000/–
90.	शान मोंटेसरी एंड गर्ल्स जू. हाई–स्कूल समिति, मुरादाबाद	4,50,000/–
91.	तालीम–ओ–तरक्की हाई स्कूल सोसाइटी, गाजियाबाद	15,00,000/–
92.	अल्पसंख्यक तालीमी मरकाज एंड इम्दादी समिति, प्रतापगढ़	9,00,000/–
93.	फातिमा ग्लर्स जूनियर हाई स्कूल, जे.पी. नगर	15,00,000/–
94.	मौलाई एजुकेशनल सोसाइटी, मोरादाबाद	9,00,000/–
95.	फलाह एजुकेशन ट्रस्ट, जिला मऊ	10,00,000/–
96.	द मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी, आजमगढ़	17,00,000/–
97.	कौमी तालीम सोसाइटी, सुल्तानपुर	15,00,000/–
98.	आजाद मकताब पाठशाला, कन्नौज	5,00,000/–
99.	ब्राइट होम शिक्षा समिति, सहारनपुर	9,00,000/–
पश्चिम बंगाल		
100.	शेखडिगी हाई स्कूल, मुर्शीदाबाद	21,50,000.00
101.	प्रो, एस. नुरूल हसन कॉलेज, फरक्का, मुर्शीदाबाद	15,00,000/–
102.	साथी संघ, 24 परगना	7,50,000/–
	कुल	12,03,39,500/–

खान-पान और बेडरोल सुविधाओं में गिरावट

6024. श्री गणेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ट्रेनों में खान-पान और बेडरोल सुविधाओं में दिन-प्रतिदिन गिरावट आती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान ट्रेनों में गंदे बेडरोल की आपूर्ति के संबंध में विशेषकर दिल्ली-रीवा, हजरत-निजामुद्दीन-जबलपुर और रीवा-भोपाल के बीच की ट्रेनों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(घ) इस संबंध में कर्मचारियों और आपूर्तिकर्त्ताओं के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) ट्रेनों में इन सुविधाओं को सुधारने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने वाले हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। गाड़ियों में खानपान तथा बेडरोल सुविधाओं का स्तर संतोषजनक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) शिकायतों के गाड़ी-वार मार्ग-वार आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, गाड़ियों में बेडरोल की असंतोषजनक सप्लाई के कुछ मामले ध्यान में आते हैं। ऐसे मामलों में कमियों को दूर करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। यात्रियों को बेहतर किस्म के बेडरोल सप्लाई करने के उद्देश्य से नियमित जांचें की जाती है तथा जहां कहीं कमियों का पता चलता है, निवारक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों पर रेकों की मांग

6025. श्री जुएल ओराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न प्रमुख पत्तनों के लिए पत्तन-वार कितने रेकों की मांग और आपूर्ति की गई;

(ख) क्या कुछ पत्तनों को रेकों की आवश्यक संख्या में आपूर्ति नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेकों की कि गई मांग और किए गए सप्लाई का पत्तन-वार स्थिति नीचे दर्शाया गया है :-

	2002-03		2003-04		2004-05	
पत्तन	मांग	लदान	मांग	लदान	मांग	लदान
चेन्नै	1047	1047	1100	1100	1246	1246
कोचिंग	205	205	180	180	40	40
टुटीकोरीन	126	126	120	120	167	167
मंगलोर	27	27	54	54	84	84
हल्दिया	2544	2540	2352	2347	2487	2495
पारादीप	693	676	1028	1005	1065	1088
विजांग	3722	3716	3929	3919	4333	4329
मुर्मगांव	756	756	762	762	948	948
कांडला	161	154	124	124	177	167
मुद्रा	153.5	153.5	403	403	1251	1239
मुंबई	69	69	32	32	113	112
जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट	3736	3736	4092	4092	3984	3984
कोलकाता	6	6	34	34	81	81

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ओएनजीसी द्वारा कंसलटेंसी और रखरखाव ठेके

6026. श्री ई. पोन्नुस्वामी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओएनजीसी ने कंसलटेंसी ओर रखरखाव ठेकों के माध्यम से अपनी जानकारी और तकनीकी कुशलता बढ़ाने हेतु इकाई स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान समझौता किए गए ठेकों का ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं;

(ग) पूरे विश्व में ओएनजीसी की जानकारी के विस्तार हेतु क्या भावी योजना बनाई गई है; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) ओएनजीसी, हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और उत्पादन में अपनी विशद और समृद्ध तकनीकी संपन्नता में वृद्धि करते हुए, कई देशों को प्रशिक्षण, परामर्श तथा सेवाएं प्रदान कर रही है। ओएनजीसी ने रिग मरम्मत कार्य के लिए बांग्लादेश के मैसर्स बीएपीईएक्स, उन्नत वेधन प्रौद्योगिकी के लिए आबू धाबी की मैसर्स एडीसीओ, भू रासायनिक सर्वेक्षण, विश्लेषण तथा आंकड़ा निर्वचन व प्रशिक्षण के लिए सूडान की मैसर्स जीएनपीओसी, तथा अन्वेषण व वेधन कार्यों में कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए ईरान की मैसर्स एनआईओसी के साथ ठेकों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) और (घ) हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में उद्भूत होने वाले विदेशी कारोबारी अवसरों से लाभ पहुंचाने के लिए, ओएनजीसी पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण की संभावना तलाश रही है। इस संबंध में ओएनजीसी द्वारा निम्नलिखित कारोबारी अवसरों पर कार्रवाई की जा रही है :–

1. बांग्लादेश में कूप नियंत्रण प्रशिक्षण।
2. पीडीओ, ओमान के लिए जल बंदी कार्य तथा रूपरेखण सुधार।
3. एसक्यू विश्वविद्यालय, मस्कट, ओमान के साथ अनुसंधान व विकास (आर एंड डी) सहयोग करार।
4. सूरीनाम में भारी तेल निकासी के लिए आर एंड डी।

चूंकि अभी कार्य के विस्तृत फलक तथा सहयोग के निबंधनों और शर्तों पर बातचीत चल रही है, इसलिए इस स्तर पर इन उद्यमों से विदेशी मुद्रा अर्जन की मात्रा का पता लगाना संभव नहीं है।

रात में ताजमहल देखने के लिए प्रवेश शुल्क

6027. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रात में ताजमहल देखने जाने वाले दर्शकों की संख्या काफी घट गई है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रात में ताजमहल देखने हेतु प्रवेश शुल्क को कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) भारत का उच्चतम न्यायालय ने रात में ताजमहल देखने की अनुमति नवम्बर, 2004 में दी थी। तब से आए पर्यटकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी नहीं। रात में ताजमहल को देखने का प्रवेश शुल्क इस प्रकार है:–

भारतीय – रु. 510/– प्रति व्यक्ति

अन्य – रु. 750/– प्रति व्यक्ति

बच्चे – रु. 500/– प्रति व्यक्ति
(03 से 15 वर्ष तक)

विवरण

नवम्बर, 2004 से अप्रैल, 2005 तक ताजमहल को रात में देखने आए पर्यटकों की संख्या

मास तथा वर्ष	वयस्क		बच्चा (भारतीय+ विदेशी)	ताजमहल को रात में देखने आए पर्यटकों की कुल संख्या
	भारतीय	विदेशी		
नवम्बर, 2004	433	168	47	648
दिसम्बर, 2004	431	174	134	739
जनवरी, 2005	276	351	21	648
फरवरी, 2005	187	385	20	592
मार्च, 2005	324	211	57	592
अप्रैल, 2005	293	54	59	406

सी-बर्ड परियोजना

6028. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'सी–बर्ड' परियोजना के पहले चरण का हाल ही में उद्घाटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या इसके पूरा होने में विलंब के कारण लागत में वृद्धि हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) 31 मार्च, 2005 तक परियोजना पर कुल 1820.80 करोड़ रु. का व्यय हुआ है।

(ग) और (घ) सरकार ने सितंबर, 2003 में 2459.20 करोड़ रु. की संशोधित परियोजना लागत अनुमोदित की है। अनुमोदन में परियोजना को 2005 तक पूरा किए जाने की शर्त रखी गई है।

[हिन्दी]

ओएनजीसी द्वारा आदर्श गांव के रूप में पिछड़े गांवों का विकास

6029. श्री मित्रसेन यादव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) ने कुछ पिछड़े गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकास करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार कुल कितने गांवों को शामिल किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) ओएनजीसी ने विकास की संभावना वाले ग्रामीण समूहों की पहचान के बाद संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास करने के माध्यम से ग्रामीण–शहरी अंतराल को पाटने के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति के दर्शन के आधार पर, परियोजना–"ओएनजीसी–पुरा" (ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना) आरंभ की है।

(ख) ओएनजीसी ने त्रिपुरा राज्य के बेलोनिया जिले में माईचारा गांव में पहली ओएनजीसी–पुरा परियोजना आरंभ की है। इसकी सफल पूर्णता पर, उन राज्यों में ऐसी परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी जिनमें ओएनजीसी तेल और गैस का उत्पादन करती है।

[अनुवाद]

निजी भूमि को कब्जाना

6030. श्री कीरेन रिजीजू : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्य बलों ने देश के विभिन्न भागों में निजी भूमि को कब्जे में लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी भूमि को कब्जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे कब्जा को नियमित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। सशस्त्र सेनाओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ निजी भूमि पर कब्जा किया हुआ है।

(ख) सशस्त्र सेनाओं द्वारा कब्जा की गई निजी भूमि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सशस्त्र सेनाओं द्वारा न्यूनतम अपरिहार्य संक्रियात्मक आवश्यकता पूरी करने के लिए भूमि को कब्जे में लिया गया है जो उनका कार्य प्रभावी ढंग से करने के लिए अनिवार्य है।

(घ) ऐसे कब्जे को नियमित करने की कार्रवाई प्रभावित पक्षकारों के साथ परामर्श करके रक्षा प्राधिकारियों और राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है।

विवरण

राज्य का नाम	किराए पर ली गई निजी भूमि (एकड़ में)	कब्जा की गई निजी भूमि। कब्जे को अभी विनियमित किया जाना है (एकड़ में)	अधिगृहीत निजी भूमि (एकड़ में)
1	2	3	4
पंजाब	257.90	2.92	–
हरियाणा	0.32	शून्य	–
हिमाचल प्रदेश	58.12	शून्य	–

1	2	3	4
राजस्थान	909.02	शून्य	–
कर्नाटक	559.80	शून्य	–
तमिलनाडु	90.55	1.035	–
आंध्र प्रदेश	259.80	0.045	–
महाराष्ट्र	141.34	शून्य	–
गुजरात	शून्य	61.57	–
मध्य प्रदेश	48.90	शून्य	–
उत्तरांचल	110.28	88.34	–
बिहार	6.65	4.56	–
झारखण्ड	231.51	शून्य	–
सिक्किम	1118.70	23.28	–
असम	1073.88	0.41	–
अरूणाचल प्रदेश	409.96	982.80	–
नागालैंड	1022.06	शून्य	–
त्रिपुरा	15.13	शून्य	–
मिजोरम	211.03	शून्य	–
पश्चिम बंगाल	404.90	3.43	अधिग्रहण के अधीन 2532.06 एकड़
जम्मू–कश्मीर	2001.215	3679.11	किराए पर लेने/ अधिग्रहण की प्रक्रिया में 23925.87 एकड़

कार्यक्रम और विज्ञापन कोड

6031. श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टी.वी. चैनलों और रेडियो प्रसारण के लिए कोई कार्यक्रम और विज्ञापन कोड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कार्यक्रम और विज्ञापन कोडों के उल्लंघन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने "सेन्ट्रल मानीटरिंग सर्विसेस" को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन को अन्तरित करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम और विज्ञापन उनकी अपनी आन्तरिक प्रसारण संहिता और वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता द्वारा अभिशासित होते हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी अपनी संहिताओं का सख्ती से अनुपालन करते हैं।

जहां तक निजी टी.वी. चैनलों का संबंध है, केबल नेटवर्क के

जरिए प्रसारित/पुनः प्रसारित होने वाले सभी उपग्रह टी.वी. चैनलों के कार्यक्रमों व विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन (अधिनियम) 1995 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का अनुपालन करना होता है। इन संहिताओं के उल्लंघनों के संबंध में कार्रवाई किसी प्राधिकृत अधिकारी अर्थात् उपजिला अधिकारी, जिला अधिकारी या पुलिस आयुक्त अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जा सकती है। जहां तक निजी एफ.एम. प्रसारणों का संबंध है, उनको आकाशवाणी की संहिताओं का अनुपालन करना होता है। संहिताओं का उल्लंघन होने पर टी.वी. चैनलों के विरूद्ध समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार की विशिष्टीकृत मॉनीटरिंग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय अनुश्रवण सेवा को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एन.टी.आर.ओ.) को अन्तरित करने का निर्णय लिया गया था। यह अन्तरण पहले ही दिनांक 01.04.2005 से प्रभावी हो गया है।

[हिन्दी]

पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण

6032. श्री ब्रजेश पाठक : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 73 वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण अनिवार्य कर दिया है;

(ख) क्या संसद द्वारा 1996 में पारित पंचायती राज अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया और इस संबंध में राज्यों को अपेक्षित विधि एक वर्ष के भीतर बनाने को कहा था;

(ग) यदि हां, तो अपेक्षित विधेयक पारित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(घ) कौन-कौन से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने विधेयक तैयार नहीं किया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों जिन्होंने विधेयक तैयार नहीं किये हैं, को क्या दिशा-निर्देश जारी किये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी हाँ।

(ख) से (ङ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधान संसद द्वारा 1996 में पारित किए गऐ थे तथा 73 वें संशोधन के प्रावधानों का कुछ संशोधनों के साथ, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान राज्यों में अनुसूची V के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों तक विस्तार किया गया है।

उन सभी राज्यों ने, जहाँ 1996 से 'पेसा' लागू है, केन्द्रीय अधिनियम में दिए अनुसार अपने पंचायती राज विधान में संशोधन कर लिया है। तथापि, ऐसे बहुत से विधानों, जिनका 'पेसा' के क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ता है, को संशोधित नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच जैसे मुद्दे, उदाहरणार्थ परिभाषा तथा लघु वन उत्पादों पर अधिकार, अनसुलझे रह गए हैं। सामान्यतः 'पेसा' के उद्देश्य जनजातियों की भारी जनसंख्या वाले राज्यों में अब तक पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं। 23-24 सितम्बर, 2004 को रायपुर में हुए पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों के तीसरे गोलमेज सम्मेलन में 'पेसा' के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी। पंचायती राज के मंत्रियों ने बैठक के दौरान सहमत कार्यबिन्दुओं के संबंध में केन्द्र तथा राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकार किए जाने के लिए अपनी-अपनी सरकारों को सिफारिश करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। इस बैठक की सिफारिशों की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों की तीसरी गोल-मेज वार्ता - रायपुर, 23-24 सितम्बर, 2004

भारत के संविधान के भाग-IX और उससे सम्बद्ध प्रावधानों में यथा निर्धारित पंचायती राज के प्रभावी कार्यान्वयन की जानकारी देने की सहयोगी संघवाद की भावना को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज के प्रभारी मंत्री और उनके प्रतिनिधि अपनी-अपनी सरकारों को कार्यवाही के निम्नलिखित बिंदुओं पर केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकृति के लिए सिफारिश करने पर सहमत हुए:-

I. **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पी.ई.एस.ए.) के प्रावधान**

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि जातीय पहचान के आधार पर जनजातीय समुदायों को, यहां तक कि एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में भी, विभिन्न ग्राम सभाओं में गठित किया जाएगा, अनुसूची V के क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के गठन के लिए मानदण्ड विकसित करने में जनजातीय समुदायों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों से परामर्श करने की आवश्यकता।

(ii) अनुसूची V के क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के अधिकारों के संबंध में "पेसा" के प्रावधानों को समय–बद्ध रूप से कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता:

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए शुरू की गई योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लाभार्थियों का पता लगाना;
- स्थानीय विकास के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा बनाई गई योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का अनुमोदन करना;
- ग्राम पंचायतों द्वारा शुरू की गई योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करना।

(iii) अनुसूची V क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और पंचायतों को सशक्त बनाने की आवश्यकता:

- भूमि और इसके संसाधनों पर सामुदायिक स्वामित्व की रक्षा और इस तरह से यह सुनिश्चित करना कि जनजातीय भूमि का हस्तांतरण न हो;
- यह सुनिश्चित करना कि किसी भी प्रयोजन से भूमि से अधिग्रहण से पहले उनसे परामर्श अवश्य किया जाए।
- यह सुनिश्चित करना कि लघु वन्य उत्पाद के स्वामित्व का अधिकार सुरक्षित रहे; यह कि वे लघु जलाशयों के बारे में योजना बना सकें और उनका प्रबंध कर सकें; और लघु खनिजों के खनन उपयोग और विपणन के तरीकों पर नियंत्रण और विनियमन रख सकें।

(iv) अन्य सरकारी विभागों के साथ गहन विचार–विमर्श करना ताकि अन्य कानूनों के उन प्रावधानों, जो पी.ई.एस.ए. के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, को लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप बनाया जा सके।

II. महिलाओं के लिए आरक्षण

(i) यह सही है कि महिलाएं अपने प्रतिनिधित्व को संविधान में निर्धारित न्यूनतम 33 1/3 % से अधिक करने में सक्षम रही हैं। कर्नाटक में 45% निर्वाचित पद महिलाओं के पास हैं और उत्तर प्रदेश में 54% जिला पंचायतों की अध्यक्ष महिलाएं हैं। इसी प्रकार, तमिलनाडु में भी ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों की 36% सीटें महिलाओं के पास हैं।

(ii) पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में सामाजिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने में राज्यों को महिला सशक्तीकरण के मुद्दों के प्रति जागरूक किया जा सकता है ताकि ऐसी नीतियां अपनाने में आए परिणामों से पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका में कमी न आ जाए।

(iii) संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन का प्रावधान तो है परंतु इसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि रोटेशन से पहले सीट को कितने कार्यकाल तक आरक्षित रखा जाए। सीटों को एक कार्यकाल अथवा दो कार्यकाल अथवा राज्य विधायिका द्वारा राज्य निधि में किए गए प्रावधानों के आधार पर अधिक कार्यकाल के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। विभिन्न राज्यों में अलग–अलग रीतियां अपनाई जा रही हैं और अनेक राज्यों में अलग–अलग रीतियां विचाराधीन हैं। इस कारण से, सीटों को एक कार्यकाल से अधिक के लिए आरक्षित करने का विकल्प खुला है परंतु यह राज्य विधायिका को तय करना है कि सीटें कितने कार्यकाल तक आरक्षित रखी जाएं।

(iv) पंचायतों में आरक्षण के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण पहला आवश्यक कदम है परंतु इस हेतु अन्य कई उपाय किए जाने आवश्यक हैं। जैसे :–

(क) पंचायती राज संस्थाओं के बजट में महिला घटक योजनाओं का प्रावधान;

(ख) स्व–सहायता समूहों (एस.एच.जी.) के साथ सम्पर्क;

(ग) पर्याप्त प्रशिक्षण और क्षमता विकास;

(घ) राजनीतिक दलों को महिला उम्मीदवार खड़े करने के लिए प्रोत्साहित करना;

(ङ) जब महिलाएं पंचायती राज प्रणाली में पद पर निर्वाचित हो जाएं तो उनके लिए कार्यकाल पूरा करने का अवसर;

(च) ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं (अथवा समकक्ष उप–ग्राम सभा मंच) में उठाई जा रही महिलाओं की समस्याओं और प्राथमिकताओं पर विचार के लिए महिला सभाएं;

(छ) ग्राम सभा एवं उप–ग्राम सभा मंच पर महिला भागीदारी के लिए अलग कोरम।

(V) न्यायालय में प्रावधानों के उपयुक्त बचाव और सम्बद्ध मुद्दों पर विधि सम्मन स्पष्टीकरणों की मांग करते हुए पंचायती राज प्रणाली में अध्यक्ष का पद आरक्षित रखे जाने को न्यायालय में चुनौती दी गई है।

III. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

अनुच्छेद 243 घ में प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। सामान्यतः राज्य, अनुच्छेद 243 घ के प्रावधानों का भली–भांति पालन कर रहे थे, उन राज्यों में कठिनाई उत्पन्न हुई जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बहुत कम है। गोल–मेज सम्मेलन से यह सिद्ध हो गया है कि राज्यों के आपसी अनुभव, इस समस्या के समाधान की दिशा में काफी उपयोगी हैं। राज्यों के बीच ऐसे व्यवहारों और अनुभवों के आदान–प्रदान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

'प्रोविजन ऑफ अर्बन फैसिलिटिज टू रूरल एरियाज स्कीम' के अन्तर्गत परियोजनाएं

6033. श्री पी. करूणाकरन : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन पंचायतों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्होंने 'प्रोविजन ऑफ अर्बन फैसिलिटिज टू रूरल एरियाज योजना' के अन्तर्गत परियोजनाएं भेजी हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की उनकी योजना के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को निर्धारित समूहों के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत करने को कहा गया है, न कि पंचायतों को।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना आयोग के परामर्श से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान योजना के कार्यान्वयन के लिए आरंभ में एक प्रायोगिक चरण शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रायोगिक चरण के अंतर्गत चुनिंदा समूहों में सात सुविधाएं, अर्थात् विद्युत, सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति और विपणन सुविधा कराने की व्यवस्था की गई है। यह प्रायोगिक चरण 7 राज्यों में शुरू किया गया है। प्रत्येक राज्य में 10–15 गांवों को शामिल करके एक समूह बनाया गया है।

शराब नशा मुक्ति केन्द्रों के लिए योजना

6034. श्री प्रहलाद जोशी : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रव्यापी शराब नशामुक्ति केन्द्रों हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जो प्रशासनिक दृष्टि से विषय से संबद्ध है, ने बताया है कि उनके यहां ग्राम पंचायत स्तर पर राष्ट्रव्यापी शराब नशा मुक्ति केंद्रों के लिए कोई केंद्र प्रायोजित योजना बनाने अथवा कार्यान्वित करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दुर्लभ कलाकृतियों हेतु संग्रहालय

6035. श्री जी. वी. हर्षकुमार : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का विचार मसूरी में प्राचीन लाखमंडल मंदिर में आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए दुर्लभ कलाकृतियों हेतु एक संग्रहालय स्थापित करने का है जैसा कि 28 जनवरी, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संग्रहालय के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) मसूरी में संग्रहालय स्थापित करने का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाभारत काल के लाक्षागृह के अवशेष

6036. श्री सज्जन कुमार : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के बागपत क्षेत्र में महाभारत काल के प्रसिद्ध लाक्षागृह के सम्भावित अवशेषों का पता चलने की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) क्या इस क्षेत्र का तकनीकी परीक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को कोई अनुदेश/निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) महाभारत में प्रसिद्ध लाक्षागृह से संबंधित बार्णावा और बागपत के बीच पौराणिक सुरंग का सर्वेक्षण करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, बागपत (उत्तर प्रदेश) से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्ग संबंधी मंत्रियों की समिति

6037. श्री डी. पी. सरोज :
श्री रामकृपाल यादव :
श्री ई. पोन्नुस्वामी :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण हेतु मंत्रियों की एक समिति गठित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्यों, उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है और कौन-कौन इसके सदस्य होंगे;

(ग) क्या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत भारी धनराशि का आबंटन किए जाने के बावजूद अब तक इन योजनाओं के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या अन्य पिछड़े वर्ग को इन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार की जागरूकता अभियान शुरू करने की कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार अन्य पिछड़े वर्ग समुदाय के सशक्तीकरण हेतु सभी वर्तमान योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करती हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ज) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपबंधित बजट के वांछित परिणाम मिल रहे हैं। केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजने के वास्ते सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर सलाह दी जाती है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गों का कार्य देखने वाले सचिवों/आयुक्तों के सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं जिससे कि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लाभ के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम जागरूकता शिविर भी आयोजित करता है।

[हिन्दी]

गोचर में एयरोड्रम

6038. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तरांचल में पर्यटकों की भारी संख्या के मद्देनजर बद्रीनाथ-केदारनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए गोचर में एयरोड्रम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई व्यवहार्यता सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) गोचर में उत्तरांचल राज्य सरकार की एक हवाईपट्टी है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. पहले ही बद्रीनाथ तथा केदारनाथ तीर्थधामों के लिए नियमित हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रचालन कर रहा है। किसी भी एयरलाइन्स प्रचालक द्वारा गोचर के लिए/से नियमित उड़ानों का

प्रचालन करने के लिए वचनबद्धता प्राप्त नहीं होने के कारण मौजूदा हवाईपट्टी का नियमित एयरोड्राम में उन्नयन करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) तथापि, उत्तरांचल राज्य सरकार के अनुरोध पर जुलाई, 2004 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) द्वारा एक तकनीकी सहायता अध्ययन किया गया था तथा मौजूदा हवाईपट्टी को वाणिज्यिक विमान प्रचालन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उपचारी कार्रवाई सहित निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दी गई थी।

[अनुवाद]

प्रतिभाशाली अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के लिए डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय छात्रवृति योजना

6039. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अ.जा./अ.ज.जा. समुदायों के प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृति देने हेतु डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय छात्रवृति योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष छात्र और छात्राओं को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अलग-अलग कितनी छात्रवृत्ति दी गयी है;

(ग) क्या इस योजना में अ.पि.व. और गरीब विद्यार्थियों को भी शामिल किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान छात्र और छात्राओं को दी गई छात्रवृति का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा कार्यान्वित योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धन प्रतिभाशाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता देना है।

विवरण-I

योजना का ब्यौरा

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिभावान छात्रों के लिए डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में स्थापित डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिभावान छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए अभिज्ञात, प्रोत्साहित व सहायता करना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से पूर्व वित्त-वर्ष में एक लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। शिक्षा बोर्ड/परिषद द्वारा आयोजित नियमित कक्षा 10वीं स्तर की परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले तीन छात्रों को क्रमशः 60,000/-रुपए, 50,000/-रुपए और 40,000/-रुपए की छात्रवृति दी जाती है। ये छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए अलग-अलग होती हैं। यदि पृथक तीन पात्र छात्रों में कोई छात्रा नहीं होती है तो सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा 40,000 रुपए का विशेष पुरस्कार प्राप्त करेगी। इसके अतिरिक्त, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थिति के बाद, अगले उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को दस-दस हजार रुपए की 250 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति एकमुश्त अनुदान के रूप में की जाती है।

विवरण-II

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान छात्र और छात्राओं को दी गई छात्रवृत्ति का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02				2002-03				2003-04**			
		अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.जा.		अ.ज.जा.	
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	बिहार	14	03	02	01	13	02	01	01	–	–	–	–
2.	उत्तर प्रदेश	23	10	01	01	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	त्रिपुरा	01	03	03	03	04	01	03	02	03	01	04	01
4.	पंजाब	01	07	–	–	02	05	–	–	–	–	–	–
5.	तमिलनाडु	03	10	–	04	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	पांडिचेरी	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	कर्नाटक	07	08	02	03	03**	10**	02**	03**	01	11	03	03
8.	आंध्र प्रदेश	27	09	08	03	13**	06**	06**	01**	–	–	–	–
9.	मिजोरम	–	–	–	05	–	–	–	–	–	–	–	
10.	गोवा	01	03	–	–	03	01	01	02	–	–	–	–
11.	प. बंगाल	21	01	07	01	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	मध्य प्रदेश	06	04	06	06	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	मणिपुर	03	03	03	02	02	02	03	03	–	–	–	–
14.	केरल	01	05	–	04	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	गुजरात	06	–	05	04	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	हिमाचल प्रदेश	01	03	02	02	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	मेघालय	–	–	02	02	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	हरियाणा	04	02	02	01	05	02	–	–	03	03	02	02
19.	नागालैंड	–	02	02	03	02	01	03	02	–	01	02	03
20.	उड़ीसा	06*	–	05*	01*	04	05	06	04	–	–	–	–
21.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	05	03	06	02	–	–	–	–
22.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	01	–	–	01
23.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	–	–	–	–	–	–	–	–	01	–	–	–
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य क्षेत्र)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01
	कुल	126	73	50	46	56	38	33	20	09	16	11	11

* 2002-03 में दी गई छात्रवृत्ति

** वितरित किया जाना

[हिन्दी]

रेल इंजनों का जीवनकाल

6040. प्रो. चन्द्र कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न छोटी लाइन और बड़ी लाइन के रेलमार्गों विशेषत: कांगड़ा घाटी (हिमाचल प्रदेश) में चल रहे रेल इंजनों का औसत जीवनकाल कितना है; और

(ख) विभिन्न छोटी लाइन और बड़ी लाइन के रेल मार्गों विशेषत: हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा वैली एक्सप्रेस ट्रेन में इस्तेमाल में लाए जा रहे विभिन्न इंजनों को बदलने की दर क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) भारतीय रेलों पर चल रहे बड़ी तथा छोटी लाइन के रेल इंजनों की जीवन आयु 30 से 36 वर्ष के बीच होती है। बहरहाल, पठानकोट–जोगिन्दरनगर छोटी लाइन खंड पर परिचालित छोटी लाइन के डीजल रेल इंजनों का औसत जीवनकाल लगभग 30 वर्ष है।

(ख) रेल इंजनों को आयु एवं हालत के आधार पर बदला जाता है।

[अनुवाद]

धोलेरा पत्तन तक रेल संपर्क

6041. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिल्ड ओन लीज एण्ड ट्रांसफर योजना के अंतर्गत गुजरात में धोलेरा पत्तन तक रेल संपर्क स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तेल व गैस निकास किए जाने के बाद भूमि का उपयोग

6042. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री वी. के. दुग्मर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूमि से तेल व गैस निकास किए जाने के बाद सरकार उस भूमि का उपयोग कैसे करती है;

(ख) क्या सरकार तेल भंडारों को दोहन करने के पश्चात उस भूमि को उन भू स्वामियों को वापस करने पर विचार कर रही है जिनसे उक्त भूमि अधिगृहीत की गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) अन्वेषण कंपनियां अपनी अन्वेषण गतिविधियों के लिए भूमि का अधिग्रहण या तो स्थायी आधार पर करती है या अस्थायी आधार पर। अस्थायी आधार पर अधिग्रहीत सभी भूमि का सामान्य शर्त पर पुन:स्थापन किया जाता है और उसे भू स्वामी को लौटा दिया जाता है। स्थायी तौर पर अधिग्रहीत भूमि का तेल और गैस के उत्पादन से संबंधित कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाता है।

[अनुवाद]

जेट एयरवेज के बोर्ड सदस्यों को सुरक्षा अनुमति

6043. श्री टी. के. हमजा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जेट एयरवेज ने अपने निदेशक मंडल में कतिपय सदस्यों को शामिल करने के उपरान्त सुरक्षा अनुमति की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में जेट एयरवेज के विरूद्ध कोई जांच करायी गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच की स्थिति तथा जांच के आधार पर की गई कार्रवाई, यदि की गई हो, का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां। जेट एयरवेज ने अपने निदेशक मण्डल में कतिपय व्यक्तियों को शामिल करने के पश्चात् सुरक्षा क्लीयरेन्स की मांग की है।

(ख) जेट एयरवेज के वर्तमान निदेशक मण्डल में शामिल किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा तथा सुरक्षा क्लीयरेन्स (जो गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है) की स्थिति इस प्रकार है :–

क्रम	नाम	अनुरोध की तारीख	स्थिति
1.	श्री चार्ल्स ए. एडम्स	13.11.2003	सिक्योरिटी क्लीयर्ड
2.	श्री पी.आर.एस. ओबरॉय	20.05.2004	–वही–
3.	श्री अमन मेहता	01.10.2004	–वही–
4.	डॉ. विजय केलकर	27.11.2004	–वही–
5.	श्री एस.जी. पित्रोदा	20.12.2004	प्रतीक्षित

(ग) और (घ) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान जेट एयरवेज के विरूद्ध कोई जाँच नहीं की गई है।

[हिन्दी]

गैस लिंकेज कमेटी

6044. श्री सूरज सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैस लिंकेज कमेटी (जीएलसी) के कौन–कौन सदस्य है और इसके कार्यकरण संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गैस के आबंटन हेतु जीएलसी द्वारा कितने आवेदन प्राप्त किए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदकों को गैस आबंटित की गयी थी;

(घ) क्या वर्ष 2003 और 2004 के दौरान गेल ने कुछ आवेदकों को सीधे गैस की आपूर्ति की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वर्ष 1991 में सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) की अध्यक्षता में, अंतर्मंत्रालयी समिति के रूप में, गैस लिंकेज समिति (जीएलसी) का गठन किया गया था और इसमें योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय आदि के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में थे। जीएलसी की स्थापना प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) के तहत उपलब्ध प्राकृतिक गैस के आबंटन के बारे में सरकार को सिफारिश देने और प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए की गई। तत्पश्चात् सरकार ने एक नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) की घोषणा की जिसके तहत बोली प्रक्रिया के माध्यम से अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) ब्लाक प्रदान किए जा रहे हैं। इन ब्लाकों से उत्पादित गैस एपीएम के तहत नहीं आती है। पिछले 3–4 वर्षों में, एपीएम गैस केवल अलग–थलग/सीमान्त क्षेत्रों और कुछ मात्रा में के.जी. तथा कावेरी बेसिनों से उपलब्ध हैं। इस गैस के आबंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने और जीएलसी के विचारार्थ अपनी सिफारिश देने के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) को प्राधिकृत किया गया था। वर्ष 2002–03 और 2003–04 में 137 आवेदनों पर विचार किया गया जिनमें से 57 ग्राहकों को गैस आबंटित की गई। वर्ष 2004–05 में जीएलसी की कोई बैठक नहीं की गई।

(घ) और (ङ) जी नहीं। वर्ष 2003 और 2004 में के.जी. बेसिन और दक्षिण गुजरात में अलग–थलग क्षेत्रों से उपलब्ध गैस की कुछ मात्रा कुछेक ग्राहकों को आपूर्ति की गई। जीएलसी अनुमोदन का इंतजार करने के बगैर अलग–थलग क्षेत्रों से गैस के शीघ्र मौदीकरण के लिए सरकारी दिशानिर्देश के आधार पर ये आपूर्तियां की गईं।

[अनुवाद]

महिला अधिकारिता संबंधी 'कुदुंबश्री' परियोजना

6045. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य वाली केरल सरकार की 'कुदुंबश्री' परियोजना केन्द्र सरकार के ध्यान में आयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार उक्त परियोजना को पूरे देश में लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चूंकि उपर्युक्त योजना, राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है, इसलिए इसका कार्यान्वयन केरल राज्य तक सीमित है।

[हिन्दी]

मंगलोर रिफायनरी के खुदरा बिक्री केन्द्र

6046. श्री तूफानी सरोज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंगलोर रिफायनरी एंड पेट्रोकेमिकल कार्पोरेशन

लिमिटेड ने पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और ये कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे;

(घ) क्या इस कंपनी ने अशोक-लेलैंड प्रोजेक्ट सर्विसेज के साथ इस संबंध में कोई समझौता किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) सरकार ने मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) को परिवहन ईंधनों का विपणन करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 500 खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओज) खोलने के लिए प्राधिकार प्रदान किया है। परन्तु, इन आरओज को खोलने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है और इसलिए वर्तमान वर्ष के दौरान खोले जाने वाले आरओज के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) एमआरपीएल ने अशोक-लीलैण्ड-प्रोजेक्ट-सर्विसेज के साथ चुनिंदा आधार पर आरओज के विकास सहित विपणन संरचनाओं के संयुक्त रूप से प्रोन्नयन के लिए 25 मार्च 2005 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

स्मारकों के रखरखाव हेतु वित्तीय सहायता

6047. श्री देविदास पिंगले : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार स्मारकों के संरक्षण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार राज्य स्मारकों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने नासिक जिले की संरक्षित स्मारकों के रखरखाव एवं संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार को कोई कार्य योजना पेश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तटीय कर्नाटक दौरा योजना

6048. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने तटीय कर्नाटक दौरा योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इससे रेलवे को वार्षिक कितना लाभ अर्जित किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) यह मुंबई से प्रारंभ होकर पांच दिन-चार रात का टूर है। इस टूर में याना, जोग फॉल, गोकरना टेम्पल, मुरदेश्वर टेम्पल, उडुपी आदि जैसे पर्यटन की दृष्टि से लोकप्रिय स्थलों का भ्रमण करना शामिल होता है। प्रति व्यक्ति दर सूची 6000/-रु. है, जिसमें रेल यात्रा, पर्यटन स्थलों के सैर-सपाटा, भोजन, आवास आदि के लिए सभी प्रभार शामिल हैं।

(ग) इस टूर पैकेज को दिसंबर, 2004 में शुरू किया गया है और यह अपने शुरूआती दौर में है। अभी तक इस पैकेज में 50 पर्यटकों ने यात्रा की है। 6000/-रु. प्रति यात्री का कुल पैकेज लागत में से रेलवे को 2,375/-रुपए (जिसमें रेलवे टिकट भाड़ा शामिल है) प्राप्त होता है।

फाउण्ड्री को गोला-बारूद कारखाने में बदलना

6049. श्री राकेश सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ग्रे आयरन फाउण्ड्री, जबलपुर की क्षमता का पूरी तरह उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त फाउण्ड्री को गोला बारूद कारखाने में बदलने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस फाउण्ड्री को पर्याप्त काम उपलब्ध कराने की क्या योजनाएं हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) इस समय, ग्रे आयरन फाउन्ड्री, जबलपुर के पास स्थापित क्षमता का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कार्यभार है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गांधी स्मृति और दर्शन समिति

6050. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महात्मा गांधी के विचारों के प्रचार-प्रसार में गांधी स्मृति और दर्शन समिति का कितना योगदान रहा है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान गांधी स्मृति और दर्शन समिति द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कोई मूर्त कार्य किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस निकाय द्वारा महात्मा गांधी के विचारों और दर्शन के संबंध में किए गए अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, समाज के सभी वर्गों में महात्मा गांधी के विचारों के प्रचार के लिए अनेक नियमित कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा विशिष्ट लक्ष्य समूहों जैस- बच्चों, युवाओं, महिलाओं, जेल अंतःवासियों आदि के लिए गत तीन वर्षों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परियोजनाओं/कार्यक्रमों को पुनः तैयार किया गया:

- सृजन – बाल एवं युवा केन्द्र
- सन्मति – गांधी स्मृति साहित्य केन्द्र
- गांधी स्मृति सचल पुस्तकालय
- सुमना – गांधी स्मृति कला वीथि
- स्वराज – गांधी स्मृति ग्रामोद्योग केन्द्र
- सक्षम – गांधी स्मृति तिहाड़ आश्रम केन्द्र
- मणिपुर, असम, सिक्किम, त्रिपुरा आदि में कस्तूरबा गांधी केन्द्र।

(ख) और (ग) जी, हां। समाज में शांति, अहिंसा, साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भाव जैसे महत्वपूर्ण गांधीवादी मूल्यों के प्रसार तथा युवा नेतृत्व में इन मूल्यों के आत्मसात् करने के उद्देश्य से भारत और विदेश से बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी से अनेक समारोह आयोजित किए गए। इन समारोहों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(I) शांति और अहिंसा पर सार्वभौमिक महासम्मेलन;

(II) 'राष्ट्रीय आंदोलन : हिन्दी और गांधी' पर राष्ट्रीय सेमिनार;

(III) चम्पारन तथा पूर्वोत्तर राज्यों में विकास कार्यक्रम;

(IV) आई जी एन ओ यू (IGNOU) के सहयोग से गांधी और समकालीन विश्व पर तीन माह का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुरू करना;

(V) महात्मा गांधी पर मल्टी-मीडिया प्रदर्शनी।

(घ) समकालीन वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए गांधी जी के सिद्धान्तों और व्यवहार का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन निकालने के उद्देश्य से प्रकाशन के लिए 'गांधी : एक पुनर्खोज' शीर्षक के 20 खण्डों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। अनेक कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं और एक रूप-रेखा और सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए हैं। लेखकों तथा सामान्य सम्पादकों का भी पता लगाया गया है।

[हिन्दी]

व्हील ट्रॉली सिस्टम

6051. श्री संजय धोत्रे : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रेलवे आधुनिकीकरण योजनाओं के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर व्हील ट्रॉली सिस्टम शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल बाजार में पेशबन्दी व्यवस्था

6052. श्री के. जे. एस. पी. रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सहित एशिया के कई देशों के तेल बाजार में पेशबन्दी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एक पेशबन्दी व्यवस्था करने के बारे में अन्य एशियाई देशों के साथ चर्चा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) एशिया में सिंगापुर में एक ओवर द काउंटर (ओटीसी) बाजार है, जो तेल मूल्य हेजिंग के लिए विभिन्न प्रकार के अनुबंध प्रस्तुत करता है। विभिन्न एशियाई देशों की कंपनियां अपने देश के विनियमनों के तहत ओटीसी बाजार का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। सितम्बर, 2000 से भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी बाजार में हेजिंग संविदाओं का प्रस्ताव करते हुए अपने जोखिम को हेज करने के लिए तेज मूल्य जोखिम की अरक्षितता के तहत भारतीय तेल कंपनियों को अनुमति दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे का आधुनिकीकरण

6053. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) आधुनिकीकरण योजना को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) एकीकृत रेलवे आधुनिकीकरण योजना में बेहतर, प्रतियोगी तथा लागत प्रभावी परिवहन प्रणाली की व्यवस्था के लिए उन्नत समग्र निष्पादन, प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन तथा कार्यकुशलता शामिल है। इसके लिए चुनिंदा कॉरिडोर पर 150 किमी. प्रतिघंटा की गति पर पैसंजर गाड़ियां, पहचान किए गए उच्च घनत्व वाले मार्गों पर, 100 किमी. प्रतिघंटा की गति पर माल गाड़ियां चलाना, उच्चतर धुरा भार परिचालनों द्वारा थुपुट बढ़ाना, आधुनिक चल स्टाक की शुरूआत, पहचान किए गए मार्गों पर डबल स्टैक कंटेनर संचलन तथा रोल–आन–रोल–आफ डोर–टू–डोर सेवाओं का विकास आवश्यक है। पैसेंजर डिब्बों में पर्यावरण के अनुकूल शौचालयों की शुरूआत, रेलपथ, पुल, सिगनलिंग, यांत्रिक तथा बिजली प्रणाली के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया गया है। यह पंचवर्षीय योजना है, जो 2005–06 से 2009–01 तक है।

(ग) चूंकि आधुनिकीकरण योजना 2005–06 से कार्यान्वित की जानी है, पिछले तीन वर्षों के लिए धनराशि के आबंटन का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एकीकृत रेलवे आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयन के लिए नियत समय में कार्यों की पहचान करके बनाई गई है। आधुनिकीकरण योजना प्रत्येक वर्ष के लिए धनराशि के आबंटन सहित वर्ष–वार लक्ष्य बनाए गए हैं।

विमानपत्तनों पर दुकानों/काउन्टरों को खाली करना

6054. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को आबंटित दुकानों/काउन्टरों को खाली कराने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्यों को एकमुश्त अनुदान

6055. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गत कई वर्षों से

स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों को दी जा रही अनुदान सहायता की राशि को राज्य सरकारों को एकमुश्त प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ताकि स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों के प्रस्तावों को केन्द्र सरकार के पास भेजने की जरूरत न पड़े?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश की भर/राजभर जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

6056. श्री उमाकान्त यादव : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश की भर/राजभर जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का मुद्दा केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त जाति को अभी तक अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) भारत के महारजिस्ट्रार के परामर्श से अनुमोदित प्रक्रियाओं के मुताबिक, इस प्रस्ताव पर कार्रवाई की गयी है। महारजिस्ट्रार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है और इसलिए राज्य सरकार ने अपनी सिफारिश का औचित्य देने के लिए अनुरोध किया गया है। तथापि अंतिम निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई विभिन्न एजेंसियों के परामर्श से करनी होती है और अनुसूचित जातियों की सूची में कोई संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 341 (2) के मद्देनजर, संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

[अनुवाद]

आई.सी.टी.टी. प्रोजेक्ट के साथ रेलवे कनेक्टिविटी

6057. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को केरल सरकार से वेल्लारपदम, कोच्चि स्थित इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आई.सी.टी.टी.) से प्रमुख रेल नेटवर्क तक रेलवे कनेक्टिविटी के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। वेल्लारपदम में कंटेनर टर्मिनल हेतु रेल कनेक्शन की व्यवस्था करने के लिए केरल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) इडापल्ली से वेल्लारपदम तक लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। मैसर्स रेल विकास निगम लि. द्वारा बनाई गई व्यवहार्यता रिपोर्ट की जांच की गई है तथा प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खानपान का कार्य सौंपना

6058. श्री संतोष गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खानपान का कार्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे में कार्यरत वेंडरों को किस प्रकार समायोजित किया जाएगा/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कंपनियों के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। बहरहाल, भारत में संस्थापित बहुराष्ट्रीय कंपनियां खानपान इकाइयों के आबंटन के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अलग मानदंड निर्धारित करने के लिए मंत्रालय में कोई मार्गनिर्देश उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

पांडिचेरी स्थित विमानपत्तन का विकास

6059. प्रो. एम. रामदास : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पांडिचेरी स्थित विमानपत्तन का विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पांडिचेरी हवाईअड्डे से नियमित उड़ानों का प्रचालन करने के लिए किसी भी एयरलाइंस ने पक्की वचनबद्धता नहीं दी है।

मिदनापुर-खड़गपुर रेल लाइन का दोहरीकरण

6060. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल के अंतर्गत मिदनापुर और खड़गपुर बाया गिरमैदान के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) परियोजना के निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) खड़गपुर से मिदनापुर तक दोहरी लाइन खंड है सिवाए दो इकहरी लाइन भागों अर्थात् खड़गपुर–गोकुलपुर तथा कोशी नदी को छोड़कर गिर मैदान के रास्ते खड़गपुर और मिदनापुर के बीच इस भाग के दोहरीकरण के लिए अद्यतन सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया गया है। अद्यतन की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस दोहरीकरण (6 किमी.) की लागत 43.94 करोड़ रु. आकलित की गई है।

(ग) और (घ) परियोजना अभी अनुमोदित नहीं की गई है।

पर्यटन स्थलों के लिए विमान सेवा हेतु विशेष योजना

6061. श्री जी. करूणाकर रेड्डी :
श्री जसुभाई दानाभाई बारड :
श्री अनन्त नायक :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पर्यटन उद्योग के विकास हेतु पर्यटन स्थलों और तीर्थ स्थलों के लिए विमान सेवा हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत पर्यटकों/तीर्थयात्रियों को कितनी रियायत दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को मंत्रालय द्वारा विमान किरायों में भारी वृद्धि और निजी क्षेत्र से हो रही प्रतिस्पर्धा के कारण पर्यटन उद्योग पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) हवाई किरायों में तेजी से वृद्धि का पर्यटक आगमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तथापि, एयर कारपोरेशन एक्ट 1953 के रद्द होने के बाद, सरकार द्वारा घरेलू किरायों को विनियमित नहीं किया गया है। एयरलाइनें आर्थिक व्यवहार्यता तथा वाणिज्यिक विवेक के आधार पर हवाई किराए लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

खुदरा बिक्री केन्द्र/गैस एजेंसियां खोलना

6062. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :
श्री तापिर गाव :
श्री रनेन बर्मन :
श्री वी. के. दुग्गर :
श्री एम. अंजन कुमार यादव :
श्री काशीराम राणा :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005–06 के दौरान सरकारी क्षेत्र और गैर–सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा राज्यवार कितने खुदरा बिक्री केन्द्र और गैस एजेंसियां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) अर्थात इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) तथा आई बी पी कं. लिमिटेड (आई बी पी) का वर्ष 2005–06 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में करीब 4,667 खुदरा बिक्री केन्द्र (आर ओ) डीलरशिप तथा 907 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप (गैस एजेंसियों) को स्थापित करने की अनंतिम योजना है। ओ एम सी–वार स्थिति निम्न प्रकार से है –

वर्ष 2005–06 के दौरान स्थापित किए जाना प्रस्तावित

	आर ओ	एल पी जी
आई ओ सी एल	1,512	294
बी पी सी एल	1,735	178
एच पी सी एल	920	375
आई बी पी	500	60
योग	4,667	907

जहां तक निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों का संबंध है, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड तथा मैसर्स शेल इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को परिवहन ईंधन बेचने के लिए अधिकृत किया गया है और उनका क्रमशः 5849, 1700 तथा 2000 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि, इन खुदरा बिक्री केन्द्रों को स्थापित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। समानान्तर विपणन योजना के तहत निजी क्षेत्र की तेल कंपनियां आयातित एल पी जी को बेच सकती हैं और उन्हें एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए सरकार से किसी प्रकार का प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

पंचायतों के माध्यम से सामुदायिक विकास

6063. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों में पंचायतों के माध्यम से सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सामुदायिक केन्द्रों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है जो समाज के निर्धन वर्ग को पेयजल, स्वास्थ्य उपचर्या सेवा और निशुल्क शिक्षा प्रदान कर सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में दिए गए सभी 29 विषय, जो राज्यों द्वारा पंचायतों के सुपुर्द किए जा सकते हैं, समुदाय के सर्वांगीण विकास पर प्रभाव डालते हैं।

(ख) राज्यों द्वारा पंचायतों के सुपुर्द किए गए कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों के सात गोलमेज सम्मेलनों के पश्चात सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों के सार–संग्रह में सर्वांगीण सामुदायिक विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका से संबंधित मुद्दों पर भली–भांति चर्चा की गई है। केन्द्रीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के संसाधनों की कमी को पूरा करने में राज्यों की समेकित निधि बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में सिफारिश करता है। बारहवें वित्त आयोग, जिसने हाल में अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की है, ने सिफारिश की है कि 2005–2010 से राज्यों की समेकित निधियों में 20,000 करोड़ रु. की वृद्धि की जाए जिससे कि पंचायतों के संसाधनों की कमी की पूर्ति की जा सके ताकि वे जल आपूर्ति तथा स्वच्छता से संबंधित परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित हों और इन परिसम्पत्तियों की मरम्मत, नवीनीकरण तथा प्रचालन एवं रखरखाव के लिए निधियों का उपयोग कर सकें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो पंचायतों द्वारा जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर कार्यान्वित की जा रही है और इसका लक्ष्य भी सैद्धांतिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार तथा खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए स्थायी सामुदायिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवसंरचना का निर्माण करना है।

विवरण

पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कार्यों और कर्मियों की सुपुर्दगी की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्न के साथ पंचायतों को अंतरित विभागों/विषयों की संख्या			
		निधि	कार्य	कार्मिक	
1	2	3	4	5	
1.	कर्नाटक	29	29	29	
2.	केरल	26	26	26	
3.	सिक्किम	24	24	24	
4.	महाराष्ट्र	18	18	18	
5.	आंध्र प्रदेश	05	17	02	
6.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	हाल ही में चुनाव कराए गए। अभी निधियां, कार्य तथा कार्मिक सौंपे जाने हैं।
7.	असम	–	29	–	
8.	बिहार	8	25	केवल कार्यात्मक नियंत्रण	
9.	झारखण्ड	–	–	–	अब तक चुनाव नहीं हुए हैं।
10.	गोवा	6	6	–	
11.	गुजरात	15	15	15	
12.	हरियाणा	–	16	–	
13.	हिमाचल प्रदेश	02	26विषय	11	
14.	मध्य प्रदेश	10	23	09	
15.	छत्तीसगढ़	10	29	09	
16.	मणिपुर	–	22	04	
17.	उड़ीसा	09	25	21	
18.	पंजाब	–	07	–	
19.	राजस्थान	18	29	18	
20.	तमिलनाडु	–	29	–	
21.	त्रिपुरा	–	12	–	
22.	उत्तर प्रदेश	04	12	06	
23.	उत्तरांचल	–	11	11	
24.	प. बंगाल	12	29	12	
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	06	06	06	
26.	चंडीगढ़	–	–	–	

1	2	3	4	5	6
27.	दादर और नगर हवेली	–	03	03	
28.	दमन और द्वीव	05	09	03	
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	पंचायती राज प्रणाली को अभी सुधारा जाना है।			
30.	पांडिचेरी	–	–	–	अब तक चुनाव नहीं हुए हैं।
31.	लक्षद्वीप	–	06	–	

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रावधान जम्मू–कश्मीर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में लागू नहीं हैं।

ए-380 विमान को जगह देने वाले विमानपत्तन

6064. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई) ने देश में सुपर जम्बो ए–380 विमानों को जगह देने वाले कुछ विमानपत्तनों की पहचान कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय (सी एस आई) हवाईअड्डा, मुम्बई, इन्दिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (आई जी आई), दिल्ली, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय (एन एस सी बी आई) हवाईअड्डा, कोलकाता और चेन्नई हवाईअड्डे को सुपर जम्बो ए–380 विमान की हैंडलिंग के लिए चिन्हित किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली में दो स्टैण्ड; छत्रपति शिवाजी हवाईअड्डा, मुम्बई में तीन स्टैण्ड तथा कोलकाता व चेन्नई प्रत्येक में एक–एक स्टैण्ड रखे जाने की योजना है।

दिल्ली में रेल उपरी पुल

6065. श्री आलोक कुमार मेहता :
श्री सीता राम यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में यातायात अव्यवस्था को कम करने के लिए 31 नये रेल उपरी पुलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को शामिल करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य भागों में उपरी पुलों के निर्माण संबंधी कोई सर्वेक्षण करवाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, नहीं। राज्य सरकार से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, दिल्ली में 31 समपार है जहां यातायात घनत्व एक लाख अथवा इससे अधिक गाड़ी वाहन यूनिट है (गाड़ी वाहन यूनिट–समपार से 24 घंटे में गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या को सड़क वाहनों की संख्या से गुणा करके प्राप्त इकाई) अर्थात् जो लागत में भागीदार के आधार पर ऊपरी/निचले सड़क पुल द्वारा बदले जाने के लिए अर्हक हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। रेलवे द्वारा ऐसा कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। बहरहाल, समपार पर यातायात की गणना प्रत्येक 3 वर्ष के बाद की जाती है। उन समपारों, जहाँ यातायात घनत्व एक लाख अथवा अधिक गाड़ी वाहन यूनिट होता है, की सूची आवधिक रूप से इन अनुरोध के साथ संबंधित राज्य सरकार के ध्यान में लाई जाती है कि उन्हें लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों द्वारा बदलने के लिए प्रस्ताव प्रायोजित किया जाए।

राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति

6066. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई :
श्री बी. विनोद कुमार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित परिवर्तन को कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) दिनांक 3.10.2003 को सरकार द्वारा अनुमोदित आटो ईंधन नीति के अनुसार पहचान किए गए सभी 11 शहरों नामतः दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पूणे, सूरत, कानपुर और आगरा में 1.4.2005 से यूरो–3 समतुल्य श्रेणी वाले पेट्रोल/डीजल की शुरूआत की गई है।

दिनांक 1.4.2005 से संपूर्ण देश में भारत चरण–2 पेट्रोल की शुरूआत कर दी गई है।

दिनांक 1.4.2005 से संपूर्ण देश में भारत चरण–2 डीजल की भी शुरूआत कर दी गई है सिवाए छ राज्यों तथा एक राज्य के भाग नामतः राजस्थान, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग जहां रिफाइनरियों के स्तर पर उत्पादन की कठिनाई तथा आयात के लिए उत्पादों की अपेक्षित श्रेणियों की अनुपलब्धता के कारण, तेल कंपनियों ने भारत चरण–2 डीजल की शुरूआत करने में कठिनाई व्यक्त की है।

तदनुसार, सरकार ने इन राज्यों में भारत चरण–2 डीजल की शुरूआत करने के लिए निम्नलिखित संशोधित कार्यक्रम को अनुमोदित कर दिया है –

(i) 1.6.2005 से राजस्थान।

(ii) 1.7.2005 से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल।

(iii) 1.9.2005 से मध्य प्रदेश।

(iv) 1.10.2005 से पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर।

सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद संबंधी मानदंडों में छूट

6067. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रकार की सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद और फिटिंग के लिए विकलांग लोगों को सहायता प्रदान करने वाली योजना के मानदंडों में छूट देने का निर्णय लिया है जैसा कि दिनांक 9 अप्रैल, 2005 के 'हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद योजना के अंतर्गत किए गए संशोधनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) संशोधित योजना 1.4.2005 से ही लागू हो गई है।

विवरण

	विषय	संशोधन
	1	2
(i)	आय सीमा बढ़ाना	पात्रता हेतु आय सीमा को शतप्रतिशत रियायत के लिए बढ़ाकर 6,500 रुपए प्रति माह और 50% रियायत के लिए 10,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है।
(ii)	6000 रुपए से अधिक कीमत वाले सहायक उपकरणों का वितरण	चलन संबंधी विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए मोटर युक्त तिपहिया साइकिल और कंप्यूटर का प्रयोग करने वाले दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के लिए साफ्टवेयर जिसकी कीमत 6000 रुपए से अधिक हो सकती है, की अनुमति है। सब्सिडी की सीमा 6,000 रुपए ही रहेगी।
(iii)	मॉनीटरिंग और मूल्यांकन	मॉनीटरिंग और मूल्यांकन व्यय के लिए वार्षिक आबंटन का 2% निर्धारित किया गया है।

1		2
(iv)	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सहायता अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया	कार्यान्वयन एजेंसियों से मुख्य विशेषताओं के संबंध में नियम पुस्तिका और साहित्य रखने, उपकरणों के रखरखाव और अनुरक्षण के लिए अनुरोध किया जाएगा, सहायक उपकरणों के लिए उनके द्वारा एक वर्ष का निःशुल्क अनुरक्षण प्रदान किया जाएगा।
(v)	दृष्टि विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले सहायक यंत्र और उपकरण	12वीं कक्षा के बजाय 10वीं कक्षा से दृष्टिहीन छात्रों के लिए ब्रेलर्स, ब्रेल शार्टहैंड मशीन, टाइपराइटर सहित ब्रेल लेखन उपकरण।
(vi)	बालिकाओं/महिलाओं के कवरेज में वृद्धि	न्यनतम 25% लाभार्थी, बालिकांए/महिलांए होनी चाहिए।

पेट्रोल और डीजल के मूल्य

6068. श्री उदय सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम और डीजल के मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को अधिक स्वायत्तता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण संबंधी मानदण्डों का ठीक ढंग से पालन नहीं किया जाता; और

(घ) यदि हां, तो पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारित करने में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) हालांकि पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समाप्ति 1.4.2002 को घोषित की गई थी, फिर भी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल के अपने खुदरा बिक्री मूल्य भारत सरकार के पूर्व परामर्श से निर्धारित करती रही है। प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए 01 अगस्त, 2004 से एक मूल्य श्रृंखला प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई जिसमें तेल विपणन कंपनियों को निर्धारित मूल्य श्रृंखला के भीतर पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में संशोधन करने की स्वतंत्रता दी गई। तथापि कच्चे तेल के अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों में तीव्र और अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप मूल्य श्रृंखला की उच्चतम सीमा इसे लागू करने के कुछ सप्ताहों के भीतर भंग हो गई जिसके फलस्वरूप यह तंत्र आस्थागित रखा गया है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य नवम्बर, 2004 से अपरिवर्तित रहे हैं। सरकार विभिन्न पणधारकों नामतः उपभोक्ताओं, सरकार और तेल कंपनियों के हितों को समान रूप से संतुलित करने के लिए प्रयास करते वक्त मूल्य की स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है।

न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

6069. श्री जोवाकिम बखला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण और प्लेटफार्मों की संख्या बढ़ाने के लिए कार्य योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गयी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर प्लेटफार्मों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि वहां 6 प्लेटफार्म पहले से मौजूद हैं जिनपर 24 डिब्बों वाली गाड़ियों को समाहित करने की क्षमता है तथा ये परिचालनिक प्रयोजनों के लिए फिलहाल पर्याप्त हैं, बहरहाल, स्टेशनों के आधुनिकीकरण/सुधार के कुछ कार्य प्रगति पर हैं।

(ख) न्यूजलपाईगुड़ी स्टेशन पर 4.05 करोड़ रु. की लागत पर 9 कार्य प्रगति पर हैं। (i) 2 एस्केलेटरों की व्यवस्था (ii) प्लेटफार्म नं. 2 एवं 3 पर नैक टाइल्स/कंक्रीट पेवर ब्लाक (iii) मौजूदा यात्री आरक्षण प्रणाली को परिचलन क्षेत्र में शिफ्ट करने के लिए मौजूदा इमारत में सुधार कार्य (iv) असमर्थ व्यक्तियों के लिए चेकर्ड टाइल की व्यवस्था करके प्लेटफार्म सतह में सुधार (v) प्रतीक्षा कक्ष का निर्माण (vi) नये उपरी पुल को जोड़ने के लिए रेम्प की व्यवस्था (vii) मौजूदा स्टालों का मोड्यूलर स्टालों के लिए

सुधार (viii) मशीनीकृत उच्च दाब सफाई प्रणाली की व्यवस्था तथा (ix) आगमन एवं प्रस्थान इंडीकेटर आधारित लाइट एमीटिंग डायोड तथा कोच गाइडेन्स की व्यवस्था।

(ग) उपर्युक्त कार्यों के लिए 2005-06 के दौरान 66.96 लाख रु. आबंटित किए गए हैं।

[हिन्दी]

रेल नीर में संदूषित पानी

6070. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रेलवे स्टेशनों पर 'रेल नीर' की खाली बोतलों में संदूषित पानी भर कर बेचे जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या रेलवे स्टेशनों पर पानी की भरी हुई बोतलों की गुणवत्ता की जांच करने की कोई प्रणाली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां। समाचार चैनल इंडिया टी वी ने 6.1.2005 को रेल नीर की खाली बोतलों में बेचे जाने के लिए कुछ नटखट लड़कों को संदूषित पानी भरते हुए दिखाया था।

(ख) संदूषित पानी खरीदने तथा बेचने का कार्य कही भी नहीं दिखाया गया था। केवल कुछ नटखट लड़के रेल नीर की खाली बोतल भरते हुए दिखाए गए थे।

(ग) और (घ) रेलों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल उचित रूप से सील की गई पानी की बोतले ही बेची जाती है, रेलवे स्टेशनों पर नियमित जांच की जाती है। रेलवे स्टेशनों पर बिक्री के लिए पानी के बोतलों के पानी के ब्रांड के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानदंडों का कड़ाई से अनुसरण किया जाता है। केवल भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा अनुमोदित ब्रांड ही यात्रियों को बेचे जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नाम-ब्रांडेड पानी की कोई अप्राधिकृत बिक्री नहीं होती है, समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

पेरिशेबल कारगो सेंटर की स्थापना

6071. श्री बी. विनोद कुमार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महत्वपूर्ण विमानपत्तनों पर सब्जियों, फलों और समुद्री उत्पादों की हैंडलिंग हेतु पेरिशेबल कारगो हेतु और केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेरिशेबल कारगो सेंटर को हैदराबाद विमानपत्तन पर भी स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) कोलकाता में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हवाईअड्डे पर नए एकीकृत कार्गो टर्मिनल के साथ-साथ शीघ्र नष्ट होने वाले कार्गो के लिए एक अत्याधुनिक शीत भण्डारण सुविधा के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। हैदराबाद हवाईअड्डे पर पहले से ही शीघ्र नष्ट होने वाले कार्गो के लिए एक अत्याधुनिक केन्द्र है, जिसका निर्माण जून, 2001 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ए पी ई डी ए के सहयोग से किया गया था। इस सुविधा के प्रचालन, प्रबन्धन तथा अनुरक्षण के लिए मैसर्स आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम को लीज पर दिया गया है।

वैश्विक निविदाओं में इरकॉन की भागीदारी

6072. डा. के. धनराजू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल निर्माण कंपनी अंतर्राष्ट्रीय लिमिटेड, (इरकॉन) ने वैश्विक निविदाओं में भागीदारी की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वैश्विक निविदाओं के माध्यम से कंपनी को प्राप्त कार्य/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर अब तक कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वैश्विक निविदाओं के माध्यम से किए गए व्यवसाय/प्राप्त परियोजनाएं और इन परियोजनाओं की अभी तक की प्रगति का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	ग्राहक का नाम	संविदा का अधिमान	ठेका देने की तारीख	31.03.2005 तक की प्रगति %
1	2	3	4	5	6
		2002-03			
1.	राज्य राजमार्गों जी पी एस एच–7 के 4 लेनिंग का सुदृढ़ीकरण	गुजरात राज्य के – सड़क और भवन विभाग	1,528.40	17.12.2002	52.33%
2.	राज्य राजमार्ग संख्या 38 के बिलग्राम से मल्लावन के बीच के हिस्सों का महत्वपूर्ण अनुरक्षण सहित कतरा से बिलग्राम और मल्लावन से बिलहौर का उन्नयन (148.435 किमी. उन्नयन और महत्वपूर्ण अनुरक्षण पैकेज यू पी एस आर पी/01)	उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग	1,500.48	11.02.2003	6.13%
3.	भोगनीपुर–घाटमपुर–चौदघरा राज्य राजमार्ग सं. 46 का उन्नयन (82.296 किमी.) पैकेज यू पी एस आर पी/04	उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग	699.77	11.02.2003	10.05%
4.	त्रिनगर से रिठाला तक रेल कोरिडोर के लिए कर्षण विद्युतीकरण, बिजली की आपूर्ति और बिजली का वितरण	दिल्ली मेट्रो रेल निगम	303.10	21.12.2002	अगस्त 2004 में पूरा कर लिया गया
5.	11 अंतःखंडों का विकास (ढाका शहरी परिवहन परियोजना)	ढाका सिटी कारपोरेशन	175.50	01.08.2002	अप्रैल 2004 में पूरा कर लिया गया
6.	सीरिया में चल रहे बिजली के ठेके का विस्तार करना	लत्ताकिया, सीरिया	109.10	01.08.2002	मार्च 2004 में पूरा कर लिया गया
		जोड़	4,316.35		
		2003-04			
		कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
		2004-05			
1.	तमिलनाडु सड़क सेक्टर परियोजना–टी एन एस पी–02–नागापत्तनम से काटुमावड़ी तक और नागापत्तनम, टिटुथुरैपुंडी और मुटटूपेट में नए बाइपास का उन्नयन (मेसर्स एस एम जे इंडोनेशिया के साथ संयुक्त उद्यम से)	तमिलनाडु सड़क सेक्टर परियोजना, चेन्नै के राजमार्ग विभाग	1192.64	10.11.2004	प्रगति पर

1	2	3	4	5	6
2.	बी ओ टी के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का पिंपलगांव–घुले खंड के लाइनिंगों का विकास, परिचालन और अनुरक्षण	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	2405.52	07.03.2005	प्रक्रियाधीन
3.	सिकाम्पेक–पूर्वाकतरा–पदालरंग ताहाप–II पेंगुमुमन पेलेलंगम तेरबातास पेंमबनगुनन जालान से सिकामपेक पूर्वाकत्तरा का निर्माण (पादालरान ताहाप–II) IV.4 के लिए (एस एम जे, इंडोनेशिया के साथ संयुक्त उद्यम से)	पी टी जासा मरगा (परसेरो) (इंडोनेशिया राजमार्ग कारपोरेशन)	120.00	02.04.2004	70.00%
4.	डेरामेचरा सड़क का निर्माण, उन्नयन–निर्वाण 1 : डेरा–मंगा–आई सी बी सं. 02/2003	यूथोपिया सड़क प्राधिकरण	1412.83	20.07.2004	3.03%
5.	बैरा रेल कानसेशन परियोजना बेरा रेल क. (सी सी एफ बी) से आर आई सी आई एन तक पी एम सी (इरकान–राइट्स संयुक्त उद्यम)	मोजाम्बिया के सी एफ एम सरकार	6.02	30.08.2004	5.00%
6.	बेलबारी–चौरहवा फर्श सुदृढीकरण परियोजना	नेपाल सरकार के महामहिम	608.61	28.02.2005	संसाधन जुटाए जा रहे हैं।
7.	बंगलादेश रेलवे के सिलहट–अखौरा खंड पर 12 स्टेशनों का टर्की आधार पर सिगनलिंग कार्य का आधुनिकीकरण	बंगलादेश रेलवे	325.00	19.02.2005	संसाधन जुटाए जा रहे हैं।
8.	टर्की के आधार पर 66 उप–बिजलीघरों का विस्तार (लाट 2–9 अदद)	यूथोपियन इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन	311.40	05.03.2005	संसाधन जुटाए जा रहे हैं।
		जोड़	6382.02		

स्मारकों की निर्देशिका तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता

6073. श्री एम. शिवन्ना : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से राज्य के गैर–संरक्षित और अकीर्तित स्मारकों की व्यापक निर्देशिका तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हरिदासपुर से पारादीप तक फ्रेट रूट

6074. श्री अनन्त नायक :
श्री जुएल ओराम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में हरिदासपुर से पारादीप तक फ्रेट रूट विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रूट के लिए कितनी धनराशि का निवेश किए जाने का अनुमान है;

(ग) क्या इस रूट को बांसपानी से सीधे जोड़ा जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संपूर्ण रूट को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां। हरिदासपुर से पारादीप तक नई बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण पहले ही एक स्वीकृत परियोजना है। पोर्ट कनेक्टीविटी मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए इस परियोजना की राष्ट्रीय रेल विकास योजना के रूप में पहचान की गई है तथा रेल विकास लागत लि. द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) परियोजना की प्रत्याशित लागत 301.63 करोड़ रु. है।

(ग) जी हां। दैतारी–बांसपानी नई बड़ी लाइन परियोजना पूरी हो जाने के बाद वांछित कनेक्शन स्थापित हो जाएगा।

(घ) दैतारी–बांसपानी नई लाइन को 2006–07 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है, जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। हरिदासपुर–पारादीप नई लाइन 2008–09 के दौरान पूरी कर दिए जाने की संभावना है।

स्टेशनों पर केमिस्ट स्टॉलों का आबंटन

6075. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे स्टेशनों पर केमिस्ट स्टॉलों के आबंटन के लिए रेलवे बोर्ड की नीति क्या है;

(ख) क्या इन केमिस्ट स्टॉलों का आबंटन बेरोजगार स्नातकों को किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनिवासी भारतीयों को खुली निविदा के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये बिना केमिस्ट स्टॉल सीधे आबंटित किए जा सकते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) विशेषकर मुम्बई में कितने अनिवासी भारतीयों को केमिस्ट स्टॉल आबंटित किए गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) दवाई की दुकानों के लाइसेंस उन पात्र कोटियों को प्रेस अधिसूचना के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करके प्रतियोगी बोली के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं जो निम्नलिखित अर्हताओं को पूरा करती हों :–

(i) लाइसेंसधारी के पास अवसंरचना में निवेश के लिए पर्याप्त वित्तीय क्षमता होनी चाहिए।

(ii) उनके पास ड्राइ स्टोर चलाने के लिए राज्य सरकार के ड्रग कंट्रोलर का वैध लाइसेंस होना चाहिए तथा वह उसके लिए सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता हो।

(iii) उसका आचरण अच्छा होना चाहिए।

(iv) लाइसेंसधारी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा/डिग्रीधारी अर्हक फार्मासिस्ट नियुक्त करेगा। फार्मेसी में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(v) वह पूर्व निर्धारित परामर्श फीस पर यात्रियों के लिए चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए अर्हक डाक्टर नियुक्त करेगा। डाक्टर के चिकित्सा संबंधी भारतीय चिकित्सा परिषद संबंधित राज्य सरकार का लाइसेंस होगा।

दवाई की दुकानों के लिए लाइसेंस 5 वर्ष की अवधि के लिए ही प्रदान किए जाते हैं। लाइसेंस का पांच वर्ष के बाद नवीकरण किया जाएगा जो संतोषजनक निष्पादन पर निर्भर करेगा तथा लाइसेंस की कुल अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आवासीय भवनों की मरम्मत

6076. श्री रामसेवक सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सेना अभियांत्रिकी सेवा द्वारा ग्वालियर की सैन्य छावनी में आवासीय भवनों के मरम्मत कार्य में की जा रही अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में किसी जांच का आदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। ग्वालियर सैन्य छावनी में सैन्य इंजीनियर सेवा द्वारा किए गए आवास–गृहों के मरम्मत कार्य में किसी अनियमितता की सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टीपू सुल्तान से संबंधित कलाकृतियों की नीलामी

6077. श्री गुरूदास कामत : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टीपू सुल्तान से संबंधित शस्त्रों और कलाकृतियों की नीलामी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं। सरकार को टीपू सुल्तान के शस्त्रों तथा कलाकृतियों की नीलामी के किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य पुलिस की तैनाती के लिए बकाया राशि

6078. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य पुलिस बल को आंध्र प्रदेश में कुछ विमानपत्तनों पर तैनात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार की बडी धनराशि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) पर आंध्र प्रदेश में विमानपत्तनों पर पुलिस बल की तैनाती के लिए बकाया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और आज की स्थिति के अनुसार कुल कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) सरकार द्वारा बकाया धनराशि की आंध्र प्रदेश सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तरफ आंध्र प्रदेश सरकार के अभी तक 79.00 लाख रुपए बकाया हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, राज्य पुलिस को अदा की गई राशि निम्नानुसार है :–

वर्ष	राशि (रु. लाखों में)
2002–03	96.68
2003–04	कोई नहीं
2004–05	10.04

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बकाया बिल चुका दिए जाने का परामर्श दिया जा रहा है।

पुरानी सिगनल प्रणाली का प्रतिस्थापन

6079. श्री महबूब जाहेदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में वर्धमान–अजीमगंज–बारास्ता–बोलपुर रेल लाइन पर पुरानी सिगनल प्रणाली मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेल मार्ग पर पुरानी सिगनल प्रणाली के स्थान पर नवीनतम सिगनल प्रणाली स्थापित करने पर विचार करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पुरानी सिगनल प्रणाली कब तक बदली जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पश्चिम बंगाल की बोलपुर लाइन के रास्ते वर्धमान–अजीमगंज में रंगीन रोशनी वाली बहुसंकेती सिगनल प्रणाली के साथ बदलाव कार्य तथा सिगनलिंग गियरों का पुनः स्थापन कार्य लगभग 33 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2005–06 के लिए इन कार्यों के लिए परिव्यय लगभग 9.8 करोड़ रु. है।

(घ) नई सिगनलिंग प्रणाली की व्यवस्था मार्च 2007 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों हेतु बुक बैंक स्कीम

6080. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'बुक बैंक स्कीम' के अंतर्गत राज्यों में चलाए जा रहे विद्यालयों को अनुसूचित जातियों से संबंधित विद्यार्थियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या मानदंड हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज तक इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों के लिए बुक बैंक योजना के अंतर्गत, स्कूल स्तर पर पुस्तक बैंक बनाने हेतु वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है। परन्तु इस योजना के तहत चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि, पशु–चिकित्सा विज्ञान, पोलीटेक्नीक, विधि, चार्टर्ड एकाउंटेंसी, एम.बी.ए. और जीव विज्ञान में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे सुपात्र छात्रों को पुस्तकें प्रदान करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती रही है। यह योजना सन् 2002–03 तक एक स्वतंत्र योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही थी तथा 1.4. 2003 से अनुसूचित जाति के छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के साथ मिला दी गयी।

वर्ष 2002–03 के दौरान पुस्तक बैंक योजना के अंतर्गत निर्मुक्त की गयी राज्यवार वित्तीय सहायता का विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2002–03 के दौरान, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केन्द्र प्रायोजित पुस्तक बैंक योजना के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	76.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3.	असम	2.78
4.	बिहार	10.00
5.	छत्तीसगढ़	5.31
6.	गोवा	शून्य
7.	गुजरात	शून्य
8.	हरियाणा	8.47
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
10.	जम्मू–कश्मीर	5.99
11.	झारखंड	शून्य
12.	कर्नाटक	115.63
13.	केरल	16.79
14.	मध्य प्रदेश	24.99
15.	महाराष्ट्र	शून्य
16.	मणिपुर	शून्य
17.	मेघालय	शून्य
18.	मिजोरम	शून्य
19.	नागालैंड	शून्य
20.	उड़ीसा	शून्य
21.	पंजाब	14.51
22.	राजस्थान	शून्य
23.	सिक्किम	शून्य
24.	तमिलनाडु	61.86

1	2	3
25.	त्रिपुरा	1.18
26.	उत्तर प्रदेश	87.85
27.	उत्तरांचल	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	3.21
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य
2.	चंडीगढ़	शून्य
3.	दादरा और नागर हवेली	शून्य
4.	दमन और दीव	शून्य
5.	दिल्ली	12
6.	लक्षद्वीप	शून्य
7.	पांडिचेरी	शून्य
	कुल	447.00

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन

6081. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेट्रोलियम उत्पादों की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों के विपणन हेतु खर्च की गयी धनराशि का उपक्रमवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी भारी मांग के मद्देनजर सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन की आवश्यकता महसूस की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा विपणन लागत को निम्न स्तर पर रखने और इसे आवश्यकता आधारित बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) निम्नलिखित खपत आंकड़ों में दर्शाए अनुसार पिछले तीन वर्ष के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ रही है :

वर्ष	मात्रा (एमएमटी में)
2002–03	104.1
2003–04	107.8
2004–05 (अनंतिम)	111.7

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन करने के लिए किया गया व्यय निम्नानुसार है :

करोड़ रुपये

कंपनी का नाम	2002–03	2003–04	2004–05 (अनंतिम)
आईओसी	2350	2449	2284
एचपीसीएल	752	836	896
बीपीसीएल	1187	1216	1215
आईबीपी	306	383	410

(ग) और (घ) तेल क्षेत्र की नियंत्रणमुक्ति आरंभ होने के साथ निजी विपणनकर्ताओं ने भी पेट्रोलियम उत्पादों का खुदरा विपणन आरंभ कर दिया है जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा आई है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की तेल विपणन कंपनियों को प्रतिस्पर्धा बाजार में बढ़ोतरी बनाए रखने और अपनी उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक सेवा स्तरों में वृद्धि करने के लिए अपनी विपणन संभावना में सुधार करने की जरूरत है।

अपनी विपणन लागत युक्तियुक्त बनाने के लिए ओएमसीज ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं

(I) जनशक्ति और बुनियादी ढांचे का यौक्तिकरण क्रूड की खरीद से लेकर निम्नतम लागत आधार पर उत्पादों के वितरण तक प्रचालनों के इष्टतमीकरण के लिए एकीकृत आयोजना साफ्टवेयर का उपयोग।

(II) क्रूड की खरीद से लेकर निम्नतम लागत आधार पर उत्पादों के वितरण तक प्रचालनों के इष्टतमीकरण के लिए एकीकृत आयोजना साफ्टवेयर का उपयोग।

(III) जहां कहीं कड़ी स्पर्धा हो वहां उत्पादों और बाजारों के लिए आवश्यकता आधारित प्रोत्साहनात्मक व्यय।

(IV) देश भर में सामान सूची प्रबंधन।

कतर से तरलीकृत प्राकृतिक गैस

*6082. **श्री के. सी. पलनिसामी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और कतर एक नया समझौता करने हेतु सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं जिसके अंतर्गत भारत कतर से प्रतिवर्ष 20 मिलियन टन एल.एन.जी. (तरलीकृत प्रा कृतिक गैस) आयात कर सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) कतर के अमीर की यात्रा के दौरान भारतीय पक्ष ने अगले बीस वर्षों में कतर से एल एन जी की खरीद प्रगामी रूप से बढ़ाकर 20 मिलियन टन करने का प्रस्ताव किया। कतर इस लक्ष्य के संबंध में कार्य करने के लिए सिद्धांतरूप में सहमत हो गया है। वाणिज्यिक वार्ताएं शीघ्र ही आरम्भ होंगी।

भारतीय पुरातत्व सेवा

6083. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक अलग भारतीय पुरातत्व सेवा हेतु कोई प्रस्ताव/मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) सरकार ने 'अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा' आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में व्यावसायिकों को आकर्षित करने के लिए एक 'भारतीय पुरातत्व एवं विरासत सेवा' की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार किया था। तथापि, चूंकि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में तकनीकी संवर्ग एकल कार्यात्मक न होकर बहु–कार्यात्मक संवर्ग है और जिनकी संरचना अलग–अलग है, अत: केन्द्रीय सेवा में उनको एकीकृत करना व्यवहार्य नहीं पाया गया।

सरकार की विभिन्न एजेंसियों/स्कन्धों जैसे – यू.पी.एस.सी., डी.ओ.पी.टी. आदि ने विभिन्न तकनीकी और विशेषज्ञता प्राप्त व्यावसायिकों को शामिल करने और सामान्य संवर्ग में उनके अनुवर्ती एकीकरण में अत्यधिक व्यावहारिक समस्याएं बतलाई थी। इन सभी व्यावहारिक समस्याओं पर विचार करते हुए सरकार ने एक केन्द्रीय पुरातत्व सेवा की संरचना के प्रस्ताव को त्याग दिया है।

अल्पसंख्यकों संबंधी मंत्रियों की समिति

6084. **श्री दरोगा प्रसाद सरोज :**
श्री राम कृपाल यादव :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण हेतु मंत्रियों की एम समिति गठित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सदस्य कौन–कौन होंगे;

(ग) क्या अल्पसंख्यकों के लिए अनेक कार्यक्रमों के अंतर्गत भारी धनराशि का आबंटन किए जाने के बावजूद वांछित परिणाम हासिल नहीं हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें, जागरूकता अभियान शुरू करने की कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के सशक्तीकरण हेतु सभी वर्तमान योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित भी करती है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्याय और

---

* मंत्री द्वारा दिए गए मूल उत्तर को निम्नवत् पढ़ा जाए :

(क) और (ख) : कतर के अमीर की हाल की यात्रा के दौरान भारतीय पक्ष ने अगले दस वर्षों में कतर से एलएनजी की खरीद प्रगामी रूप से बढ़ाकर 20 एमएमटीपीए करने के लिए एक प्रस्ताव किया था।

ऊपर मुद्रित उत्तर मंत्री द्वारा शुद्धि करने वाले विवरण के रूप में दिनांक 25.8.2005 को सभा में मूल उत्तर के स्थान पर दिया गया तथा इस विवरण को एल.टी. संख्या 2822/2005 के अन्तर्गत ग्रंथालय में भी रखा गया।

अधिकारिता मंत्रालय के बजट के आबंटन का उपयोग कारगर ढंग से किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) मंत्रालय अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं और कार्यकमों के विषयक जानकारी का प्रसार करने के लिए इलेक्ट्रानिक, प्रिंट और बाह्य मीडिया के माध्यम से योजनाओं व कार्यक्रमों कां पहले से ही प्रचार करता रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम अपनी योजनाओं के बारे में लक्षित समूह के मध्य जागरूकता लाने के लिए अपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से जागरूकता शिविर आयोजित करता है। इन निगम ने 2004–05 के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर कुल 145 जागरूकता शिविर आयोजित किए।

(छ) और (ज) मंत्रालय राज्यों के सचिव स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठकों में मंत्रालय की योजनाओं व कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों से आग्रह करता रहा है। इसकें अतिरिक्त, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एंव वित्त निगम के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा भारतीय समुद्री क्षेत्र का अतिक्रमण

6085. श्री रामदास आठवले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पाकिस्तान अरब सागर में भारतीय समुद्री क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी भी देश के अचानक आक्रमण को रोकने के लिए, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक सीमा पर निरंतर मौजूदगी बनाए रखते हुए निगरानी की जा रही है।

[अनुवाद]

एयरो एम्बुलेंस

6086. डा. एम. जगन्नाथ : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार अन्य देशों में उपलब्ध प्रणाली की तर्ज पर नाजुक हालत वाले मरीजों को विमान द्वारा ले जाने हेतु ऐयरो एम्बुलेंस शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं। तथापि, कुछ निजी प्रचालक यह सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। राष्ट्रीय वाहक भी चिकित्सा आवश्यकता के मामले में स्ट्रैचर, व्हीलचेयर तथा सीटें हटाने की सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे कर्मचारियों के अदालती मुकदमे

6087. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :
श्री महेश कनोडीया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रेलवे कर्मचारियों से संबंधित कितने अदालती मुकदमे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित हैं;

(ख) अदालती मुकदमें लड़ने हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रेलवे के अधिवक्ताओं की वास्तविक संख्या कितनी है;

(ग) क्या रेलवे अधिवक्ताओं में अदालती मुकदमों के वितरण हेतु कोई प्रक्रिया विद्यमान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा अदालती मुकदमों की संख्या को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ने के लिए रेलवे एडवोकेटों के रूप में 40 एडवोकेट पैनल में रखे गए हैं।

(ग) और (घ) यदि उच्च न्यायालय उसी शहर में हो जिसमें क्षेत्रीय रेलों का मुख्यालय हो तो ऐसी स्थिति में, मामले प्राधिकृत रेलवे अधिकारियों द्वारा वितरित किए जाते हैं। अन्य उच्च

न्यायालयों के लिए मामले रेलों के स्थायी कांउसिल द्वारा वितरित किए जाते है तथा जिसे सुनिश्चित करना होता है कि रेलवे एडवोकेटों में कार्य का वितरण उचित है।

(ङ) रेलवे की कार्रवाई निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है ताकि विवादों से बचा जा सके। बहरहाल, यह देखा गया है कि जब कभी नियमों के अनुसार कार्य करने के बावजूद किसी कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्रवाई की जाती है तो कर्मचारी दुखी हो जाता है तथा प्रायः न्यायिक सुधार माँगता है।

निराश्रित व्यक्तियों हेतु रैन बसेरों का निर्माण

6088. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निराश्रित व्यक्तियों हेतु रैन बसेरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रसोई गैस का वाणिज्यिक उपयोग

6089. डा. चिन्ता मोहन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रसोई गैस का घरेलू उपयोग के अतिरिक्त इसका विभिन्न चैनलों के माध्यम से वाणिज्यिक उपयोग भी हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रसोई गैस के वाणिज्यिक उपयोग के वार्षिक औसत की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से वाणिज्यिक उपयोग हेतु रसोई गैस की बिक्री करने की कोई व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त व्यवस्था के माध्यम से रसोई गैस की अनुमानित वार्षिक औसत बिक्री कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां ताप, उद्योगों में ईंधन और आटो ईंधन जैसे गैर–घरेलू उद्देश्यों के लिए एल पी जी की आपूर्ति करती हैं। वर्ष 2004–05 के दौरान गैर–घरेलू उद्देश्यों के लिए एल पी जी की बिक्री 3,85,000 मीट्रिक टन (एम टी) होने का अनुमान था जो एल पी जी की कुल बिक्री का लगभग 3.9% है।

(ग) से (ङ) तेल विपणन कंपनियों अपने आटो एल पी जी वितरण केन्द्रों (ए एल डी एस) के माध्यम से वाहनों के लिए आटो एल पी जी की बिक्री कर रही हैं। वर्ष 2004–05 के दौरान आटो एल पी जी की बिक्री 31,000 एम टी थी।

ताज परिसर में भवनों की सुरक्षा

6090. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ताज परिसर के सभी भवनों की सुरक्षा के संबंध में कोई अध्ययन करवाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अध्ययन के संबंध में सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त अध्ययन करने हेतु केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान को किसी अग्रिम राशि का भुगतान किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अग्रिम भुगतान करने का औचित्य क्या है; और

(च) सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारतीय सर्वेक्षण से ताज महल की मीनारों की ऊर्ध्वता की जांच का तथा केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की से ताजमहल की व्यापक भू – तकनीकी तथा संरचनात्मक जांच करने का अनुरोध किया था।

(ग) सभी जांचें स्मारक की बनावट पर कोई दुष्प्रभाव डाले बिना तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए गैर–विध्वंसक होनी चाहिए।

(घ) जी, हां।

(ङ) उक्त अध्ययन के लिए केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान को 30.00 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के निबंधन तथा शर्तों के अनुसार अग्रिम भुगतान किया गया।

(च) केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ने बताया है कि अध्ययन को पूरा होने में 2 वर्ष लगेंगे। भारतीय सर्वेक्षण ने फील्ड कार्य पूरा कर दिया है तथा उनकी अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

महिला स्वतन्त्रता सेनानियों पर टी.वी. धारावाहिक

6091. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार महिला स्वतन्त्रता सेनानियों के ऊपर टी.वी. धारावाहिक बनाने और उसे प्रसारित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन टी.वी. धारावाहिकों को कब तक बनाए जाने और प्रसारित किए जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस विषय पर कोई विशेष श्रृंखला इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बौद्ध स्थलों का संरक्षण

6092. श्री विक्रम केशरी देव : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में पुरातात्विक बौद्ध स्थलों के संरक्षण और उन्नयन हेतु जापान सरकार से कोई अनुदान/सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितना अनुदान/सहायता प्राप्त हुई है तथा इसमें से अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं। अभी हाल में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उड़ीसा में पुरातत्वीय बौद्ध स्थलों के परिरक्षण तथा उन्नयन के लिए जापान सरकार से कोई अनुदान/सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की गयी धनराशि

6093. श्री सूरज सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विज्ञापन नीति और रेलवे द्वारा इसके क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रेलवे द्वारा विज्ञापनों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेलें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा बनाई गई भारत सरकार की विज्ञापन नीति का अनुसरण करती है। प्रचार आवश्यकताओं तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर रेलें डी ए वी पी दरों पर रोटेशन के आधार पर डी ए वी पी द्वारा अनुमोदित प्रकाशनों को अपने विज्ञापन रिलीज करती है।

(ख) रेलों द्वारा वर्ष 2002–03, 2003–04 तथा 2004–05 के दौरान विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि क्रमशः 51.40 करोड़ रु., 67.85 करोड़ रु. तथा 67.36 करोड़ रु. थी।

प्रसार भारती के कर्मचारियों हेतु भर्ती नियम

6094. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो में हजारों कर्मचारी सरकारी कर्मचारी के रूप में भर्ती किये गए जब प्रसार भारती, 1997 में अस्तित्व में आया;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल कितनी संख्या है और उनमें से कितने कर्मचारियों को प्रसार भारती में समायोजित किया गया तथा शेष कर्मचारियों को किस संस्थान/निकाय में समायोजित किया गया है;

(ग) क्या प्रसार भारती द्वारा कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों हेतु भर्ती नियम एवं सेवा शर्तों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के पास मिलाकर लगभग 47,000 स्वीकृत पद हैं। प्रसार भारती में कार्यरत आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारी, इस समय प्रसार भारती निगम में समवत् प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। प्रसार भारती के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भर्ती नियमों, सेवा–शर्तों आदि के निरूपण को अन्तिम रूप प्रदान किया जा रहा है। कर्मचारी संघों के साथ परामर्श करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में विभिन्न विकल्पों का अध्ययन करने के कारण इनको अन्तिम रूप देने में विलंब हुआ। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इस चरण पर कोई समय–सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

बम निरोधक दस्तों की तैनाती

6095. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री राजेश गोहेन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न रेलगाड़ियों में बम रखे जाने की अफवाहों के कारण रेलगाड़ियों के प्रचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है और इससे रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों में डर की भावना पैदा होती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान आज तक बम की अफवाह के कारण कुल कितनी बार रेलगाड़ियों के प्रचालन में बाधा उत्पन्न हुई और बम निरोधक दस्ते को बुलाना पड़ा;

(घ) ऐसी झूठी अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में बम निरोधक दस्ते और अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मी तैनात करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। अधिकांश मामलों में सूचना प्राप्त होते ही यात्रियों को गाड़ी से उतारने के बाद रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा गाड़ी की पूरी जांच की जाती है। गाड़ी की पूरी तरह जांच करने के लिए कुत्ता दस्ता और बम निरोधक दस्ता को भी बुलाया जाता है ताकि विस्फोटकों/बमों का पता लगाया जा सके उसे अलग/निष्क्रिय किया जा सके।

(ग) विगम एक वर्ष अर्थात् अप्रैल, 2004 से मार्च, 2005 तक गाड़ी में बम होने की अफवाहों के कारण गाड़ी को पूरी तरह जांच करने के लिए बम निरोधक दस्ते बुलाए गए थे जिसके कारण 63 अवसरों पर गाड़ी परिचालन बाधित हुआ था।

(घ) इस प्रकार की घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस, सिविल पुलिस और अन्य विभागों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा जाता है। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में पब्लिक कॉल कार्यालयों (पी सी ओ) में तैनात कर्मचारियों को इस प्रकार के सभी कॉलों पर निगरानी रखने के लिए नियमित रूप से निर्देश भी दिए जाते हैं। ऐसे टेलीफोन जहां से इस प्रकार की कॉल की जाती है की पहचान करने/पता लगाने के लिए कुछ चुनिंदा कार्यालयों में कॉलर पहचान प्रणाली की व्यवस्था की गई है ताकि इस प्रकार के कॉलरों की पहचान की जा सके।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बुलेट प्रूफ वाहन

6096. श्री राकेश सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वाहन फैक्ट्री जबलपुर द्वारा विनिर्मित बुलेट प्रूफ वाहनों के असफल होने के कारणों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त फैक्ट्री में किसी अन्य वाहन का विनिर्माण करने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इनाम्डिक) : (क) रक्षा उत्पादन विभाग को वाहन निर्माणी, जबलपुर द्वारा गोलीरोधी बनाए गए वाहनों के असफल होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वाहन निर्माणी, जबलपुर में किसी अन्य गोलीरोधी वाहन के विनिर्माण की कोई योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ईरान तेल क्षेत्र में हिस्सा

6097. श्री के. जे. एस. पी. रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ईरान में दो तेल उत्पादन क्षेत्रों में हिस्सेदारी का कोई आश्वासन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणिशंकर अय्यर) : (क) और (ख) भारत ईरान संयुक्त कार्य दल (जे डब्ल्यू जी) नई दिल्ली में 8–9 मई, 2003 को हुई पहली बैठक जो तेहरान में 11–12 मई, 2003 को जारी रही, में ईरानी पक्ष तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धात्मकता की शर्त पर सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय तेल कंपनियों को अन्वेषित और अर्ध अन्वेषित ईरान तेल क्षेत्र प्रदान करने के लिए बातचीत करने पर सहमत था। तत्पश्चात् ईरानी इस्लामी गणतंत्र के पेट्रोलियम मंत्री और सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान 23 मई, 2004 को एमस्टरडम में हुई बैठक में ईरानी मंत्री ने खुश्क और हुसैनी (संयुक्त रूप से यादवरन क्षेत्र) में ओ वी एल को 20 प्रतिशत हिस्सा देने का प्रस्ताव रखा था।

साथ ही, वियना में 16.9.2004 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, भारत सरकार और पेट्रोलियम मंत्री, ईरान इस्लामिक गणतंत्र की बैठक में ईरानी पक्ष ने, नेशनल इरानियन आयल कंपनी (एन आई ओ सी) और भारतीय परिसंघ के तीसरे पक्ष के बीच सेवा ठेके के अधिकार और दायित्वों का 20 प्रतिशत का प्रस्ताव रखा था जो यादवरन क्षेत्र में अधिकार और दायित्वों के आरक्षित भाग के अलावा था।

उपर्युक्त आपसी सहमति की पृष्ठभूमि में, एन आई ओ सी और ओ एन जी सी – विदेश लि. (ओ वी एल) के बीच 7.1.2005 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) एन आई ओ सी और प्रचालक ठेकेदार, के बीच सेवा ठेके के निष्पादन पर एन आई ओ सी/एन आई ओ सी की संबद्ध कंपनी ओ वी एल को यादवरन तेल क्षेत्र के विकास के लिए सेवा ठेके में 20 प्रतिशत अधिकार और दायित्व सौंपने का प्रस्ताव देंगे बशर्ते कि एन आई ओ सी के प्रस्ताव को ओ वी एल स्वीकार करे।

(ii) ओ वी एल के पास जुफेयर तेली क्षेत्र के विकास में प्रचालक के रूप में सेवा ठेके की नियम और शर्तों पर 100% अधिकार और दायित्व सहित नामांकन आधार पर भाग लेने का भी विकल्प रहेगा, बशर्ते कि उपर्युक्त क्षेत्र से उत्पादित एल एन जी का क्रय हो।

(iii) ओ वी एल के पास नामांकन आधार पर जुफेयर क्षेत्र की समान शर्तों पर ही, 75% अधिकार और दायित्व सहित उत्तरी अजरेगन क्षेत्र के विकास में भागीदार होने का भी विकल्प है। यह भागीदारी क्षेत्र के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पर आधारित है।

रीढ़ की हड्डी की चोट से ग्रस्त व्यक्तियों को सुविधाएं

6098. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री आनन्द विठोबा अडसूल :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रीढ़ की हड्डी की चोट से ग्रस्त रोगियों हेतु निशुल्क बिस्तरों के प्रायोजन की सहायता जारी रखने के अतिरिक्त पूंजी व्यय के लिए सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो रीढ़ की हड्डी उपचार केन्द्रों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और उक्त केन्द्रों में उक्त रोगियों को प्रदत्त/उपलब्ध सभी प्रकार की सहायता और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनसे केन्द्रवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में स्थित मेडिकल कालेजों में रीढ़ की हड्डी की चोट के उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इटली सरकार ने इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, नई दिल्ली को सहायता दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) देश में चल रहे स्पाइन इंजरी सेंटरों और क्षेत्रीय पुर्नवास केन्द्रों (आर आर सी) का ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार का विचार रीढ़ की हड्डी की चोट से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए और अधिक स्पाइनल इंजरी सेंटर अथवा आर आर सी स्थापित करने का है; और

(झ) यदि हां, तो उक्त सेंटर राज्यवार किन-किन स्थानों पर हैं तथा इन सेंटरों के कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (छ) देश में मेरुदंड क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के उपचार के लिए सुपर स्पेसियलिटी सेंटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि नई दिल्ली में भारत सरकार और इटली सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में एक भारतीय मेरुदंड क्षति केन्द्र स्थापित किया जाए। भारतीय मेरुदंडक्षति केन्द्र को निर्माण कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा 2.50 करोड़ रुपए का अनुदान दो किस्तों में दिया गया जबकि चिकित्सा देखभाल के लिए मशीनरी और उपकरण, विशेषज्ञों के दौरे तथा भारतीय कार्मिकों के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था इटली सरकार द्वारा की गई थी। इस केन्द्र ने 1997 से काम करना शुरू किया। भारत सरकार 25 निःशुल्क बिस्तरों की प्रतिपूर्ति करती है जबकि 5 निःशुल्क बिस्तरों की लागत उक्त केन्द्र द्वारा वहन की जाती है। भारतीय मेरुदंड क्षति केन्द्र द्वारा 31 मार्च, 2005 तक 1037 मरीजों का ईलाज किया गया।

नई दिल्ली स्थित भारती मेरुदंड क्षति केन्द्र के अलावा इसके 4 क्षेत्रीय केन्द्र भी कार्यरत हैं जो (1) उत्तर प्रदेश में बरेली, (2) उड़ीसा में कटक, (3) पंजाब में मोहाली, और (4) मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित हैं।

बरेली क्षेत्रीय केन्द्र को छोड़कर, ये क्षेत्रीय केन्द्र राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए अस्थायी भवनों में काम कर रहे हैं। संबंधित राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई भूमि पर नए भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। बरेली स्थित क्षेत्रीय केन्द्र ने अब अपने नए भवन में काम करना आरम्भ कर दिया है। इन चारों केन्द्रों से (फरवरी, 2005 तक) 91,926 मरीजों को फायदा हुआ है। भारत सरकार ने 31 मार्च, 2005 तक इन चारों क्षेत्रीय केन्द्रों को 11.60 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ज) जी, नहीं।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

एक्सल लोड सीमा को बढ़ाने की योजना

6099. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की योजना माल की ढुलाई हेतु वैगनों की एक्सल लोड सीमा को बढ़ाने की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां, भारतीय रेल पर अधिकतम अनुमेय धुरा भार 21.82 मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया गया है।

यह भी विचार है कि पहचान किए गए लौह अयस्क मार्गों पर कड़ी निगरानी करते हुए एक वर्ष की अवधि के लिए पॉयलट परियोजना के रूप में पहचान किए गए मालडिब्बों में 22.9 मीट्रिक टन तक धुरा भार का लदान किया जा सकता है।

पदों का समाप्त करना

6100. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कर्मचारियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पदों को समाप्त करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पदों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो कितने पदों को समाप्त करने के लिए पहचान की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) व्यय सुधार आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ फिल्म प्रभाग, फोटो प्रभाग, गीत एवं नाटक प्रभाग, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, प्रकाशन विभाग को समाप्त करने, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, फिल्म समारोह निदेशालय को फिल्म उद्योग को सौंपने तथा बाल चित्र समिति, भारत को गैर सरकारी संगठनों को सौंपने: राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड एवं ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया निगम का विनिवेश करने तथा अन्य एककों की भूमिका को घटाने/तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की है।

इन सिफारिशों पर कार्रवाही की जा रही है। अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

वाणिज्यिक भण्डारण सुविधाओं हेतु समझौता

6101. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन ने भारत और सउदी अरब में रिफाइनरी में क्रिस–क्रोस निवेश हेतु मैसर्स सऊदी अरामको के साथ मिलकर पहल की है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई. ओ. सी. ने भारत में वाणिज्यिक भंडारण सुविधाओं हेतु मेसर्स सउदी अरामको के साथ समझौता किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने आईओसी की पारादीप रिफाइनरी और एचपीसी की विशाखापत्तनम रिफाइनरी विस्तार परियोजना में संभावित सऊदी निवेश के लिए सऊदी अरामको के साथ चर्चा आरम्भ की है। प्रस्तावित सऊदी निवेश, सऊदी अरब में यानबु रिफाइनरी में एचपीसी और आईओसी द्वारा संभावित निवेश के साथ संबद्ध है।

(ग) और (घ) वाणिज्यिक भंडारण सुविधाओं की स्थापना में भारत–सऊदी सहयोग का मुद्दा सऊदी अरब के मंत्री की हाल की यात्रा के दौरान उठाया गया पर वाणिज्यिक वार्ताएं अभी आरंभ होनी हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विकलांग पुनर्वास केंद्रों की स्थापना

6102. **श्री कृष्ण मुरारी मोघे** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उन जिलों में विकलांग पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है जहां पर डी डी आर सी उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पुष्पलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शेष 24 जिलों, जहां कोई अन्य पुनर्वास केन्द्र नहीं है, में जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) और (घ) संपूर्ण देश में 10वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में 59 जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने की योजना है। इस उद्देश्य के लिए जिलों का चयन निम्नलिखित मापदंड के आधार पर किया जाएगा:

1. ऐसे जिले जहां सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा स्वयं सेवी एजेंसियों के माध्यम से, इस समय, विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई सेवा नहीं है;
2. राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ किराया रहित भली–भांति जुड़े भवन की व्यवस्था करती है;
3. विकलांगता की उच्चतर व्यापकता; और
4. मौजूदा जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र अथवा इसी प्रकार के सेवा केन्द्र से दूरी अधिक है।

बेटिकट यात्रियों के लिए जुर्माना राशि में कमी

6103. **श्री पुन्नुलाल मोहले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बेटिकट/अनियमित यात्रियों से वसूली जा रही 250 रु की जुर्माना राशि को कम करने का है;

(ख) क्या इस संबंध में केंद्र सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और जुर्माना राशि में कमी पर निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी नहीं, जुर्माने की 250 रु. की राशि को कम करने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन इस संबंध में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नया युद्ध सिद्धांत

6104. श्री सुग्रीव सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय थल सेना का विचार अपने नए युद्ध सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए राजस्थान और पंजाब में मंडल-स्तरीय अभ्यास करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेना आगामी महीनों में नियंत्रण रेखा की स्थिति पर नजर रखेगी तथा देश में नक्सलवादी गतिविधियों के फैलने की भी निगरानी करेगी जैसाकि दिनांक 8 अप्रैल, 2005 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार में बताया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सेना अपने वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वर्ष 2005 के दौरान राजस्थान और पंजाब में सैन्य टुकड़ियों के साथ डिवीजन स्तर के दो अभ्यास कर रही है, जिसमें कुछ विरचनाएं अपनी संक्रियात्मक तैयारियों के परीक्षण के लिए बारी-बारी से युद्धाभ्यास करती हैं।

(ग) और (घ) सेना को नियंत्रण रेखा पर तैनात किया गया है और वह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नियंत्रण रेखा पर स्थिति पर नजर रख रही है। तथापि, सेना को नक्सलरोधी संक्रियाओं में तैनात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे प्लेटफार्मों का विकास

6105. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान केरल सरकार द्वारा केरल में रेलवे प्लेटफार्मों के विकास हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 2005-06 के दौरान केरल में रेलवे प्लेटफार्मों के विकास के लिए सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है;

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ताज महल देखने आने वाले पर्यटक

6106. श्री कुलदीप सिंह बिश्नोई :
श्री अतीक अहमद :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताज महल पर अतिरिक्त दबाव से बचने के लिए ताज महल की प्रतिदिन की पर्यटकों की क्षमता ज्ञात करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ताज महल में भीड़-भाड़ कम करने के लिए विशिष्ट आगंतुक मार्ग विकसित करने तथा ताज महल परिसर में अन्य ढांचों जैसे संग्रहालय तथा मकबरे के दोनों तरफ अन्य इमारतों को देखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) ताज महल की परिदर्शक क्षमता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं करवाया गया है। तथापि, ताजमहल में टिकटों की बिक्री से प्राप्त किए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि नियमित आधार पर ताज महल को देखने औसतन 6000 पर्यटक प्रतिदिन आते हैं जिनमें से 15 वर्ष से कम आयु के पर्यटक शामिल नहीं हैं जिन्हें प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 6 के अनुसार प्रवेश शुल्क से छूट मिली हुई है।

क्योंकि अधिकतर पर्यटक मकबरा की तरफ जाने वाले मुख्य रास्ते पर जाते हैं, पर्यटकों के आवागमन को विनियमित करने के लिए पश्चिमी तथा पूर्वी तरफ के रास्तों को प्रयोग में लाने के लिए एक योजना तैयार की गई है जिससे परिदर्शक स्थल स्मारक सहित ताज महल के अन्य रूचिकर भागों को भी देख सकेंगे तथा इस प्रबंध से मुख्य रास्ते की भीड़भाड़ को भी कम किया जा सकेगा।

प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1967

6107. श्री सुबोध मोहिते : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 में संशोधनों के मुद्दे पर विचार करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो मंत्रियों के समूह द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) मंत्रिमण्डल ने दिनांक 29 सितम्बर, 2004 की अपनी बैठक में प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 में संशोधनों पर विचार करते समय यह निदेश दिया था कि इस मामले पर पहले मंत्री-समूह द्वारा विचार किया जाए। तद्नुसार, सरकार ने मंत्री-समूह का गठन कर दिया है।

(ग) निश्चित समय-सीमा निर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

गोलाबारूद निर्माणियां

6108. श्रीमती गीता पटौरिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार गोलाबारूद निर्माणियां रिहायशी क्षेत्रों से बाहर होनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सभी गोलाबारूद निर्माणियां शहर के बाहर है और पूर्ण सुरक्षित स्थान पर हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या रक्षा मंत्रालय इन निर्माणियों को शहरों के बाहर स्थानांतरित करने की वैकल्पिक योजना बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) निर्धारित संरक्षा विनियमों के अनुसार, गोलाबारूद निर्माणियां क्षेत्रों से सुरक्षित दूरी पर अवस्थित हैं।

(ख) जी, हां। मध्य प्रदेश में गोलाबारुद निर्माणियां, निर्धारित संरक्षा विनियमों के अनुसार, सुरक्षित दूरी पर अवस्थित हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रसारण अधिकार

6109. श्री जी. वी. हर्ष कुमार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती 146 देशों में 17 दूरदर्शन चैनलों को प्रसारण के अधिकार देने पर विचार कर रही है जैसा कि दिनांक 31 जनवरी, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रमों और समाचारों की गुणवत्ता में सुधार हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उन्होंने 13 टी वी चैनलों और 12 रेडियो चैनलों का विश्वव्यापी प्रसारण करने के लिए एक निविदा आमंत्रित की थी तथा अब वे इस निविदा के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई कर रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि अभिनव कार्यक्रम फॉर्मेट के जरिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करने वाले अपने कार्यक्रमों और समाचारों की गुणवत्ता को बढ़ाना दूरदर्शन का सतत प्रयास रहा है।

निःशक्त व्यक्तियों का पुनर्वास

6110. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि निःशक्त व्यक्ति विशेषकर गुजरात में सर्वाधिक उपेक्षित हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ने स्वीकृत धनराशि 7.44 करोड़ रुपये में से अब तक केवल 1.45 करोड़ रुपये ही खर्च किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) रोजगार सृजन योजनाओं के माध्यम से निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) जी, नहीं। निधियों का उपयोग संशोधित प्राक्कलनों और वास्तविक व्यय के आधार पर मापा जाता है। इस प्रकार 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निःशक्त व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त के कार्यालय को आबंटित 3.05 करोड़ रुपए की संशोधित अनुमानित निधियों में से, 1.49 करोड़ रुपए की राशि का ही उपयोग किया गया। निधियों के उपयोग न किए जाने का मुख्य कारण यह रहा कि निःशक्त व्यक्तियों का मुख्य आयुक्त का कार्यालय, अपेक्षित स्वीकृतियों/अनुमोदनों को प्राप्त करने में संबद्ध प्रशासनिक प्रक्रिया की वजह से 9वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य तक ही स्थापित हो सका।

(ङ) निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार संगठनों में अभिज्ञात पदों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था का उल्लेख है। सरकार ने सरकार में विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए अभिज्ञात पदों की सूची की समीक्षा करने हेतु एक समिति गठित की है। सरकार रोजगार के लिए विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों को सहायता देती रही है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम स्व-रोजगार और आय सृजनकारी कार्यकलापों के लिए विकलांग व्यक्तियों को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करता है। गैर-सरकारी संगठनों को सुग्राही करने हेतु तथा स्वरोजगार कामधंधे शुरू करने के वास्ते निशःक्त व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम तथा राज्य सरकारों के सहयोग से अनेक कार्यशाला आयोजित करने की योजना बनायी गई है। अब तक दो कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं।

विदेशी सहायता से रेलवे परियोजनाएं

6111. श्री जसुभाई दानाभाई बराड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चालू रेलवे परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए विदेशी सहायता मिल रही है तथा प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार को अब तक प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि प्राप्त हुई है तथा उसमें से कितनी धनराशि खर्च/व्यय की जा चुकी है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी सहायता के लिए कोई प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने कितनी धनराशि का भुगतान किया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) उन रेलवे परियोजनाओं जिनके लिए विदेशी सहायता ली जा रही है, उनकी अनुमानित लागत, प्राप्त बाहरी सहायता तथा उपयोग के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

(i) एशियाई विकास बैंक ने रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने तथा परिचालनिक कुशलता/संरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से रेलवे सुधार परियोजना के वित्तपोषण के लिए ऋण दिया है। इस ऋण से वित्तपोषित की जाने वाली उप परियोजनाएं मुख्य रूप से स्वर्णिम चतुर्भुज तथा इसके विकर्णों तथा पोर्ट कनेक्टीविटी परियोजनाएं हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 579.2 मिलियन अमरीकी डॉलर है। ऋण की राशि 313.6 मिलियन अमरीकी डॉलर है। यह ऋण अभी तक नहीं लिया गया है।

(ii) मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी), जिसमें सड़क तथा रेल दोनों के घटक हैं, आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित की जा रही है। रेल घटक की अनुमानित लागत 3125 करोड़ रुपए है। पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा 463 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण दिया गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा एसडीआर क्रेडिट 62.5 मिलियन तक दिया गया है। रेल घटक के लिए निर्धारित आईबीआर ऋण डी आई डीए क्रेडिट क्रमशः 305 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा लगभग 60 मिलियन अमरीकी डॉलर है। ऋण तथा क्रेडिट से अभी तक क्रमशः 177.72 करोड़ रुपए तथा 252.63 करोड़ रुपए की राशि इस्तेमाल की गई है।

(iii) गाजियाबाद और कानपुर के बीच सिगनलिंग के आधुनिकीकरण की परियोजना आंशिक रूप से क्रेडिटेनस्टाल्ड फर विएडेराबाऊ, जर्मनी द्वारा वित्त पोषित की जा रही है। परियोजना की अनुमानित लागत 425 करोड़ रुपए है। ऋण की राशि डीएम 185 मिलियन (यूरो 95 मिलियन) है। इस ऋण से अभी तक 5.57 करोड़ रुपए की राशि इस्तेमाल की गई है।

(ग) और (घ) जी, हां, सरकार द्वारा वचनबद्धता प्रभारों के रूप में कुल 23.19 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

[हिन्दी]

महान विभूतियों के जीवन पर फिल्म

6112. श्री ब्रजेश पाठक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अब तक सरकार को महान विभूतियों के जीवन पर निर्मित कोई फिल्म प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इस पर फिल्म–वार कितनी धनराशि खर्च हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हाँ।

(ख) फिल्म प्रभाग ने वर्ष 2002–2003 से अब तक, जीवनियों पर आधारित 22 फिल्मों और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने वर्ष 2002–2003 के दौरान महान विभूतियों पर 1 फिल्म (सह–निर्माण) का निर्माण किया है। जिनका ब्यौरा फिल्म–वार लागत के साथ संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

फिल्म प्रभाग

क्र.सं.	फिल्म का शीर्षक	विषय–संक्षेप	निर्माण लागत (लाख रु. में)
1	2	3	4
		वर्ष 2002-2003	
1.	एम.एन.रॉय (लघु संस्करण)	महान क्रांतिकारी एम. एन. रॉय पर फिल्म	1.83
2.	शहादत	चन्द्र शेखर आजाद पर फिल्म	4.27
3.	बलिदान	सरदार भगत सिंह पर फिल्म	4.26
4.	मदर टेरेसा (लघु संस्करण)	मदर टेरेसा पर फिल्म	1.25
5.	लोक नायक जय प्रकाश नारायण	जय प्रकाश नारायण पर फिल्म	8.52
6.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर फिल्म	0.43

1	2	3	4
7.	ललन	बॉल गायक ललन शाह फकीर पर फिल्म	12.00
8.	मदाम भीकाजी कामा	मदाम भीकाजी कामा पर फिल्म	11.26
9.	उमा	कथक नृत्यांगना उमा शर्मा पर फिल्म	15.88
10.	नो युअर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी	भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर फिल्म	685
11.	विजय लक्ष्मी पंडित	विजय लक्ष्मी पंडित पर फिल्म	8.44
		वर्ष 2003-2004	
1.	चक्रजी	प्रसिद्ध हिन्दी लेखक श्री सुदर्शन सिंह "चक्र" पर फिल्म	7.40
2.	संगीत मसीहा अनिल विस्वास (लघु संस्करण)	संगीत निर्देशक अनिल बिस्वास पर फिल्म	2.25
		वर्ष 2004-2005	
1.	राजीव गांधी (1944–1991)	भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी पर फिल्म	7.40
2.	बेनीपुरी–एक बहु आयामी व्यक्तित्व	श्री राम वृक्ष बेनीपुरी पर फिल्म	6.98
3.	डा. राममनोहर लोहिया	डा. राममनोहर लोहिया पर फिल्म	13.75
4.	बीजू पटनायक–ऐन ईगल इन द स्टोर्म	स्वर्गीय श्री बीजू पटनायक पर फिल्म	16.79
5.	रमा देवी	महान समाज सुधारक रमा देवी पर फिल्म	6.21
6.	अशोक कुमार	अनुभवी अभिनेता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता अशोक कुमार पर फिल्म	12.78
7.	महामहोपाध्याय सामंत चन्द्रशेखर	19वीं शताब्दी के खगोलशास्त्री महामहोपाध्याय सामंत चन्द्रशेखर पर फिल्म	8.52
		वर्ष 2005-2006 (अब तक)	
1.	अलारमेल वल्ली	अलारमेल वल्ली पर फिल्म	13.05
2.	राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर	राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर पर फिल्म	8.80
		राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	
1.	देवी अहिल्याबाई	देवी अहिल्याबाई पर फिल्म महाराष्ट्र सरकार के साथ राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और भारत सरकार का सह–निर्माण	138.00

राजस्व का घाटा

6113. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक ने वर्ष 2004 (सिविल) की अपनी रिपोर्ट संख्या 4 में टिप्पणी की है कि दूरदर्शन ने मनमाने ढंग से कार्यक्रम निर्माण/कमीशनिंग की अधिक लागत की स्वीकृति दी है तथा निर्माताओं/एजेंसियों द्वारा वाणिज्यिक समय के उपयोग का कम बिल लेने के कारण 1.50 करोड़ रुपए का घाटा उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष, 2004 (सिविल) की अपनी रिपोर्ट संख्या 4 में ये टिप्पणियां की हैं।

(ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पैरा इस मंत्रालय में जांचाधीन है।

विज्ञापन एजेंसियों से बकाया धनराशि की वसूली

6114. श्री सज्जन कुमार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को इसके द्वारा नियुक्त विज्ञापन एजेंसियों पर बकाया करोड़ों रुपये की धनराशि की वसूली नहीं होने के कारण भारी घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विज्ञापन एजेंटों से बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां। निगम, दूरदर्शन द्वारा विभिन्न विज्ञापनदाता एजेंसियों को आबंटित स्लॉटों पर निःशुल्क वाणिज्यिक समय का विपणन करता रहा है तथा कई एजेंसियों ने बकाया देय राशियों के भुगतान में चूक की है।

(ख) सितम्बर, 2003 से निगम द्वारा दूरदर्शन के निःशुल्क वाणिज्यिक समय का विपणन समाप्त करने की वजह से बकाया देय राशियों की वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि दूरदर्शन ने अपने वाणिज्यिक समय का स्वयं विपणन प्रारंभ कर दिया था। चूककर्ता एजेंसियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बकाया देय राशियों की वसूली के लिए निगम द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:–

(i) खातों के समाधान तथा भुगतान करने के लिए यथावश्यक स्पष्टीकरणों के संबंध में एजेंसियों के साथ विचार–विमर्श प्रगति पर है।

(ii) निगम के अधिकारी वसूली करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं।

(iii) बकाया देय राशियों और उनकी वसूली योग्यता संबंधी ब्यौरे की व्यापक रूप से जांच करने के लिए विशेष लेखा परीक्षा प्रारंभ कर दी गई है।

(iv) निपटान के लिए आगे न आने वाली एजेंसियों को कानूनी नोटिस भेज दिए गए हैं।

(v) बकाया देय राशियों की वसूली करने और कानूनी नोटिस जारी करने तथा चूककर्ता एजेंसियों के खिलाफ मुकदमें/आपराधिक मामले दर्ज कराकर उपयुक्त कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

विवरण

दिनांक 31.03.2005 तक की स्थिति के अनुसार बकाया देय राशि की स्थिति

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	राशि (लाख रुपये में)
1.	मैसर्स आदित्य इण्टरप्राइजेज, इन्दौर	35.58
2.	मैसर्स ए एंड ए फिल्म्स, दिल्ली	94.31
3.	मैसर्स बिसावा क्रिएशंस	183.44
4.	मैसर्स सिने पेंटा प्रा. लि.	493.10
5.	मैसर्स कण्ट्रैक्ट एडवरटाइजिंग प्रा. लि.	22.87
6.	मैसर्स क्रिएटिव चैनल	314.71
7.	मैसर्स हिन्दुस्तान थाम्पसंस एसोसिएट्स	873.86
8.	मैसर्स इन्द्रधनुष	104.42
9.	मैसर्स इप्सेम हेल्थकेयर लि.	95.86
10.	मैसर्स मुद्रा कम्युनिकेशंस प्रा. लि.	55.00
11.	मैसर्स ओगिल्व्य एंड माथेर एडवरटाईजिंग	37.14
12.	मैसर्स पापुलर इन्टर वर्क	60.60
13.	मैसर्स प्रचार कम्युनिकेशन लिमिटेड	228.51
14.	मैसर्स पूर्णिमा एडवरटाइजिंग एजेंसी	21.00
15.	मैसर्स आर. के. स्वामी/बी बी डी ओ एड प्रा. लि.	14.29
16.	मैसर्स रेडफ्यूजन	43.24
17.	मैसर्स सैनिटेक्स केमिकल्स लि. इन्दौर	43.24
18.	मैसर्स उल्का एड़	18.87
19.	मैसर्स डब्ल्यू पी पी मार्केटिंग (मुम्बई)	20.00
	योग	2741.46

[अनुवाद]

दूरदर्शन डी.टी.एच. सेवाओं का सैट-टॉप-बॉक्स

6115. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने पूरे देश में डी.टी.एच. सेवा प्रारम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरदर्शन की डी.टी.एच. सेवा के सैट–टॉप–बॉक्स सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने सैट–टॉप–बॉक्सों के लिए कोई मानक तथा तकनीकी मानदण्ड निर्धारित किये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों तथा तकनीकी–मानदण्डों का अनुपालन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हाँ।

(ख) दूरदर्शन अपनी के.यू.बैंड सेवा के अभिग्रहण के लिए सेट टॉप बॉक्सों का अभिग्रहण नहीं करता है। ये खुले बाजार में उपलब्ध हैं। तथापि, कवर न किए गए कतिपय गांवों में दूरदर्शन द्वारा प्रदत्त सेट टॉप बॉक्सों के संतोषजनक ढंग से कार्यशील होने की सूचना मिली है।

(ग) से (ङ) भारतीय मानक ब्यूरो ने सशुल्क डी टी एच सेवा के अभिग्रहण हेतु सेट टॉप बॉक्सों के लिए मानक निर्धारित किए हैं। तथापि, फ्री–टु–एयर डी टी एच सैट टॉप बॉक्सों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अलग से कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो से सेट टॉप बॉक्सों के प्रमाणन के लिए सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

प्रशीतित वाहन

6116. श्री बी. विनोद कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों जैसे सब्जियां, फल, प्रशीतित खाद्य पदार्थ आदि के परिवहन के लिए विशेष प्रशीतित वाहन शुरू किये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक शुरू किये गए ऐसे वाहनों की जोन–वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या केवल खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए अलग से इंडीग्रेटिड फ्रेट कॉम्पलैक्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। फलों, प्रशीतित खाद्य पदार्थों आदि सहित शीघ्र खराब होने वाले पण्यों के परिवहन के लिए भारतीय रेलों पर अभी तक कुल 10 रेफ्रीजिरेटिड वेन शुरू किए गए हैं। ये सभी रेफ्रीजिरेटिड वेनें भारतीय रेलों के पूल में है तथा मांग के अनुसार भारत में कहीं भी लगाए जा सकते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन तथा आकाशवाणी में आरक्षित पद

6117. श्री अनन्त नायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार दूरदर्शन तथा आकाशवाणी में विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पदों के बैक लॉग को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सी.एस.डी. वस्तुओं की चोरी छुपे बिक्री

6118. श्री संतोष गंगवार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी. एस. डी. वस्तुओं की बाजार में चोरी छुपे बिक्री के बारे में रिपोर्टें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश के किन स्थानों से ऐसी रिपोर्टें मिली हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) पिछले वर्ष जून–जुलाई के दौरान, कैंटीन स्टोर्स विभाग (सी.एस.डी.) की मदों की तथाकथित अवैध बिक्री के कुछ मामलों के बारे में उत्तर प्रदेश के बरेली, मेरठ और आगरा से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। बरेली में, सी. एस.डी. की कुछ मदें सिविल दुकानों से बेचे जाने का आरोप था। आगरा और मेरठ में, सी. एस. डी. की मदें कुछ ऐसे लोगों के पास पाई गई थी जो सी. एस. डी. से सामान खरीदने के हकदार नहीं थे।

(घ) सरकार ने सी.एस.डी. की मदों की बिक्री के लिए अपनी आर्थिक सीमा का कड़ाई से अनुपालन किए जाने, सी.एस.डी. की मदों की बिक्री खुले बाजार में करने में संलिप्त कार्मिकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने और सैन्य पुलिस/सैन्य आसूचना द्वारा चौकसी बरते जाने जैसे विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

एफ.एम. स्टेशनों की स्थापना के लिए बोली

6119. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री त्यागत सत्पथी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में 300 एफ.एम. स्टेशनों की स्थापना करने के लिए बोली लगवाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि बोली के लिए रखी गई 108 एफ. एम. फ्रीक्वेंसियों में से वर्तमान में केवल 21 ही कार्यशील हैं;

(घ) सभी एफ.एम. फ्रीक्वेंसियों को कार्यशील बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सभी एफ. एम. फ्रीक्वेंसियों के कार्यशील नहीं होने से सरकार को कितना घाटा हुआ है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) निजी एफ.एम. रेडियो प्रसारण के चरण–II में देश भर में 90 स्थानों पर 300 से अधिक निजी एफ. एम. रेडियो चैनलों को स्थापित करने की परिकल्पना है।

(ग) जी, हां।

(घ) चरण–I की अप्रयुक्त आवृत्तियों का निजी एफ.एम. रेडियो प्रसारण के चरण–II में उपयोग किया जाना परिकल्पित है।

(ङ) 25 स्टेशनों से लाइसेंस शुल्क के रूप में प्रथम वर्ष में वसूला गया राजस्व 11007.50 लाख रुपये था जोकि 108 स्टेशनों से 7540 लाख रुपये के प्रत्याशित राजस्व से अधिक था।

दिल्ली विमानपत्तन का नवीकरण

6120. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विमानपत्तन के नवीकरण प्रस्ताव को सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है जैसा कि दिनांक 13 अप्रैल, 2005 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) सरकार द्वारा सितंबर, 2003 में लिए गए निर्णय के आधार पर दिल्ली/मुंबई में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों की पुनः संरचना तथा आधुनिकीकरण का कार्य सार्वजनिक निजी भागीदारी से संयुक्त उद्यम मार्ग द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों की इक्विटी 26% होगी तथा शेष 74% इक्विटी निजी क्षेत्र के पास रहेगी। दिल्ली तथा मुंबई हवाईअड्डों की पुनः संरचना तथा आधुनिकीकरण के लिए ग्लोबल टेंडर के माध्यम से रूचि अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई थी। दस (कंसोर्टिया) ने ई ओ आई प्रस्तुत की थी, जिनमें से 9 को प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर एफ पी) की स्टेज के लिए योग्य पाया गया। पूर्व–योग्यता प्राप्त बोलीकर्त्ताओं को दिनांक 01.04.2005 को आर एफ पी दस्तावेज जारी किए गए, ताकि वे अपनी तकनीकी तथा वित्तीय बोली प्रस्तुत कर सकें।

(ग) कार्य संपादन दस्तावेजों में प्रथम पाँच वर्षों में जे वी सी द्वारा अधिदेशात्मक सुविधाएं पूरी करने तथा निष्पादन के मानकों की प्राप्ति के साथ–साथ आगामी वर्षों में विकास करने एवं समय पर कार्य पूरा न करने पर दंड दिए जाने के संबंध में उचित प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि परियोजना को समय पर पूरा करने के कार्य को सुनिश्चित किया जा सके।

निजी एयरलाइनों द्वारा कम किराया

6121. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि देश में घरेलू एयरलाइन्स साधारण श्रेणी के रेलवे किराये के बराबर ही कम किराये पर यात्रा का प्रस्ताव कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के स्वामित्व वाली इंडियन एयरलाइन्स भी ऐसे प्रस्ताव प्रदान करने का विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास ऐसे प्रस्ताव देने वाली निजी घरेलू एयरलाइनों को मॉनिटर करने के लिए कोई तंत्र है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) वर्तमान में एयर डेक्कन नाम की केवल एक एयरलाइन ही लोकॉस्ट–नो–फ्रिल हवाई सेवाएं प्रचालित कर रही है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) एयर कारपोरेशन एक्ट, 1953 के रद्द होने के बाद, सरकार द्वारा घरेलू किरायों को विनियमित नहीं किया गया है।

एअर इंडिया के लिए वायुयानों की खरीद

6122. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने अमेरिकी विनिर्माता कंपनी से विभिन्न प्रकार के 50 वायुयान खरीदने का अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन वायुयानों की खरीद पर कुल कितनी लागत आएगी;

(घ) क्या इनकी आपूर्ति के लिए कोई समय सारणी निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। एअर इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने, लगभग 30,700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, बोइंग कंपनी से 8 बी–777–200 एलआर, 15 बी–777–300 ईआर तथा 27 बी–787 विमान की खरीद का अनुमोदन कर दिया है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा एअर इंडिया के खरीद प्रस्ताव के अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, वास्तविक डिलीवरी अनुसूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

नए प्रकार के पेट्रोल पम्प

6123. श्री कैलाश मेघवाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय तेल कंपनियों का विचार नए प्रकार के पेट्रोल पम्प खोलने का है जहां यूरिया, बीज, ऋण तथा मुफ्त परामर्श प्रदान किया जाएगा जैसा कि दिनांक 17 अप्रैल, 2005 के दैनिक जागरण में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित योजना के अंतर्गत शामिल किये जाने हेतु प्रारम्भिक रूप से पहचाने गए राज्यों के क्या नाम हैं; और

(घ) ऐसे कितने पेट्रोल पंप खोले जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) को कृषि क्षेत्र की मांग पूरी करने और ग्रामीण क्षेत्रों की पेट्रोल/डीजल मांग पूरी करने के लिए एक व्यवसाय माडल विकसित करने हेतु अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए सर्वेक्षण का आयोजन करने और इस संबंध में एक प्रारूप पत्र तैयार करने को कहा है कि देश भर में बैरल बिन्दुओं/अनधिकृत पम्पों को प्रतिस्थापित करते हुए कम लागत के खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल पम्प) कैसे स्थापित किए जाएं। इस बीच, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने अपनी नीति के अनुसार 'किसान सेवा केन्द्र' के नाम से ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए उपाय आरम्भ कर दिए है। उनकी योजना ऐसे लगभग 1000 बिक्री केन्द्र स्थापित करने की है और ऐसे बिक्री केन्द्रों का राज्यवार आबंटन उपयुक्त स्थलों की उपलब्धता वाले ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहार्य संभाव्यतापूर्ण स्थानों का पता लगाने के लिए सभी राज्यों में विस्तार से सर्वेक्षण पर निर्भर करेगा। डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करने के अलावा इन बिक्री केन्द्रों द्वारा उर्वरकों, बीजों, कीटनाशकों, आटा, साबुन आदि जैसी दैनिक आवश्यकता की मदों की बिक्री जैसी गैर–तेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।

अन्य ओ एम सीज की भी योजना पेट्रोलियम उत्पाद और किसानों/कृषि उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित अन्य गैर–तेल मदें/सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य की हैं। इसके अलावा ऐसे बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए किसी राज्य विशेष की पहचान नहीं की गई है और इस चरण में सभी ओ एम सीज द्वारा खोले जा सकने वाले ऐसे बिक्री केन्द्रों की संख्या बताना भी संभव नहीं है। ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना करना, उपयुक्त स्थलों की उपलब्धता वाले ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहार्य और संभाव्यतापूर्ण स्थानों की पहचान करने सहित अनेक घटकों पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

संवर्ग पुनर्संरचना समिति

6124. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने जनवरी, 2004 में कोई संवर्ग पुनर्संरचना समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों की विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या अनुपालनात्मक की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के लिए अपनाई जाने वाली केन्द्रीय सचिवालय सेवा की पुनर्संरचना के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के औचित्य के आकलन तथा विश्लेषण के लिए फरवरी, 2004 में समिति गठित की गई थी।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 2004 में प्रस्तुत की थी।

(ग) समिति की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

(i) विभिन्न ग्रेडों में रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा की संवर्ग संख्या निम्नानुसार है:

पदनाम	मौजूदा	संशोधित संख्या
वरिष्ठ सेलेक्शन ग्रेड/निदेशक	5	15
सेलेक्शन ग्रेड/संयुक्त निदेशक/उप सचिव	26	45
ग्रेड 1 (अवर सचिव/उपनिदेशक)	68	124
अनुभाग अधिकारी	195	248
सहायक	386	450

(ii) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से अनुभाग अधिकारियों की भर्ती बंद करना। अनुभाग अधिकारियों की भर्ती 50% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से तथा 50% वरीयता द्वारा करके भर्ती का तरीका बदलना।

(iii) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों को 8000–272–13500 रुपए का गैर कार्यात्मक वेतनमान प्रदान करना।

(iv) अवर श्रेणी लिपिकों की सीधी भर्ती तत्काल प्रभाव से रोकना तथा अवर श्रेणी लिपिकों के सभी पद जब कभी खाली हों, समाप्त करना। अवर श्रेणी लिपिकों की संख्या में कमी के फलस्वरूप, उच्च श्रेणी लिपिकों के 90% पद जब कभी खाली हों, समाप्त किए जाएं।

(v) तकनीकी सहायकों के संवर्ग बाह्य पद सहायकों के मौजूदा संवर्ग में मिलाए जाएं तथा तकनीकी सहायकों के नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

(घ) संवर्ग संख्या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से निम्नानुसार संशोधित की गई है:–

पदनाम	पदों की संख्या
वरिष्ठ सेलेक्शन ग्रेड/निदेशक	12
सेलेक्शन ग्रेड/संयुक्त निदेशक/उप सचिव	38
उपनिदेशक/अवर सचिव	118
अनुभाग अधिकारी/डेस्क अधिकारी	276
सहायक	450

समिति की अन्य सिफारिशें भी मार्च, 2005 में जारी किए गए आदेश द्वारा लागू कर दी गई हैं।

डिंडीगुल और कोयम्बटूर के बीच रेल लाइन का आमान परिवर्तन

6125. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास डिंडीगुल पलानी पालघाट कोयम्बटूर के बीच की रेल लाइन को ब्राड गेज में परिवर्तित करने की मांग लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) डिंडीगुल पोल्लाची–कोयम्बतूर तथा पोल्लाची–पालाघाट के आमान परिवर्तन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण जनवरी 2005 में पूरा कर लिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 225 किमी. लंबी इस मीटर लाइन के बड़ी लाइन के आमान परिवर्तन की लागत 289.39 करोड़ रु. निर्धारित की गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट को

अंतिम रूप दे दिए जाने पर उसके परिणामों के आधार पर प्रस्तावों पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्पादों का निर्यात

6126. डा. चिन्ता मोहन :
श्री नीतीश कुमार :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम उत्पादों और सेवाओं का निर्यात करते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन उपक्रमों के कुल व्यापार का केवल कुछ प्रतिशत ही निर्यात किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन उपक्रमों द्वारा किए गए कुल व्यापार में औसत वार्षिक निर्यात का प्रतिशत कितना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) वर्ष 2003–04 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 89 उद्यमों का कुल निर्यात 33602 करोड़ रुपए था तथा इन उद्यमों का कुल व्यापार दर्शाने वाला कुल कारोबार 433478 करोड़ रुपए था। कुल व्यापार की तुलना में निर्यात का प्रतिशत 7.75% बैठता है। विगत 3 वर्षों अर्थात 2001–02, 2002–03 तथा 2003–04 के दौरान कुल औसत व्यापार में निर्यात का औसत प्रतिशत 6.63% था।

[अनुवाद]

एयरलाइनों से बकाया धनराशि की वसूली

6127. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी और निजी एयरलाइनों पर विभिन्न सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की भारी धनराशि वसूली हेतु बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एयरलाइन्स–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेल कंपनियों द्वारा एयर लाइनों से बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी हां। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा विमानन टरबाइन ईंधन की आपूर्ति के लिए सरकारी और निजी एयरलाइनों पर वर्तमान बकाया राशियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जहां तक एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की देय राशियों का संबंध है, ओएमसीज ने अलग–अलग से तथा संयुक्त रूप से मामला नागर विमानन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय तथा एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स के साथ उठाया है ताकि उनकी देय राशियों का निपटान हो सके जो उत्पाद शुल्क दावों के रिफंड के कारण विवादित हैं। जहां तक वायुदूत की देय राशियों का संबंध है, 31.10.2004 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा आरोपित ऋण स्थगन की समाप्ति तथा इंडियन एयरलाइन्स में उसके विलय के बाद, ओएमसीज ने वार्षिक किस्तों के स्थान पर एकमुश्त में अपनी बकाया देय राशियों के भुगतान का अनुरोध किया है। निजी घरेलू/अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के संबंध में ओएमसीज ने चूक करने वाली एयरलाइनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्होंने भारत में अपना कार्य बंद कर दिया है और जिनकी राशियों का भुगतान नहीं हुआ है।

विवरण

सरकारी तेल विपणन कंपनियों द्वार विमानन टरबाइन ईंधन आपूर्ति के लिए सरकारी और निजी एयरलाइनों पर बकाया देर राशियां निम्नवत् हैं–

क्रम सं.	एयरलाइन्स का नाम	बकाया राशि (रु. लाख में)	कुल (रु. लाख में)
1.	**सरकारी क्षेत्र की एयरलाइन्स**		
i.	एयर इंडिया*	648.99	
ii.	इंडियन एयरलाइन्स*	481.00	
iii.	वायुदूत	800.43	1930.42
2.	**निजी घरेलू/अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन्स**		
i.	ईस्ट वैस्ट एयरलाइन्स	263.00	
ii.	एनईपीसी/स्काई लाइन एनईपीसी	1843.00	
iii.	सिंटी सिंक	51.14	
iv.	राज एयर	37.58	
v.	वीआईएफ एयरवेज	1.23	
vi.	कांटीनेंटल एयरलाइन्स	12.89	
vii.	एयर कजाखिस्तान	12.55	
viii.	ताजाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स	50.98	2272.37
	समग्र योग		4202.79

* एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स पर बकाया राशि जो उत्पाद शुल्क दावों के रिफंड के कारण विवादित है

इंडियन एयरलाइंस द्वारा अंडमान और निकोबार के लिए विशेष पर्यटन पैकेज

6128. डा. एम. जगन्नाथ : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए कोई विशेष पर्यटन पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) द्वीप समूह पर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए अंडमान फ्लाइअवेज नामक विशेष पर्यटन पैकेज तैयार किया है। 3 रात/4 दिनों के इस पैकेज में इकोनॉमी क्लास में रिटर्न एयरफेयर, एयरपोर्ट–होटल–एयरपोर्ट ट्रांसफर, आवास, खाने तथा विभिन्न पर्यटन स्थलों की सैर का विकल्प शामिल है। इसके अतिरिक्त इंडियन एयरलाइंस द्वारा पोर्ट ब्लेयर के लिए/से यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष किराए यथा फ्लाई सलैक्ट फेयर एपेक्स किराए, जो कि मौजूदा सामान्य सेक्टर किरायों से कम हैं, भी उपलब्ध कराए गए हैं। अंडमान फ्लाइअवेज इंडियन एयरलाइंस नेटवर्क के अधिकांश विदेशी बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

अनुकंपा के आधार पर रिक्तियों को भरना

6129. श्री राकेश सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान नीति के अनुसार आयुध निर्माणियों में केवल 5 प्रतिशत रिक्तियों को अनुकंपा के आधार पर भरने का उपबंध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित लोगों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर इस प्रतिशत को बढ़ाने का है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या मृतक के आश्रितों को आजीविका अर्जित करने हेतु समर्थ बनाने संबंधी कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) ड्यूटी आदि के दौरान मरने वाले कर्मचारी के आश्रित परिवारजन को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किए जाने की योजना, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9.10.1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/6/94–स्था. (घ) के तहत अधिसूचित की गयी थी। ये अनुदेश आयुध निर्माणियों में भी लागू होते हैं। उपर्युक्त योजना के अनुसार समूह 'ग' और 'घ' पदों पर सीधी भर्ती कोटे के तहत आने वाली रिक्तियों के अधिकतम 5 प्रतिशत तक नियुक्तियां अनुकंपा के आधार पर की जा सकती हैं।

(ख) जहां तक आयुध निर्माणियों का संबंध है, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किए जाने के लिए प्रतिशतता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ऐसी कोई योजना रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैस पाइपलाइन परियोजना

6130. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने नेपाल तेल निगम के साथ 35 किलोमीटर गैस पाइपलाइन की स्थापना हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, बिहार में रक्सौल में आमलेखगंज, नेपाल तक उत्पाद पाइपलाइन बिछाने के लिए 9.9.2004 को इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड और नेपाल आयल कारपोरेशन (एनओसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पाइपलाइन की अनुमानित लागत लगभग 33 करोड़ रुपए होगी। परियोजना के लिए निर्माण का निर्धारित कार्यक्रम सभी अनुमोदनों की प्राप्ति के बाद 24 महीने है।

[अनुवाद]

चित्रगुप्त मन्दिर के लिए वित्तीय सहायता

6131. श्री के. जी. एस. पी. रेड्डी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 मार्च, 2005 के "डेक्कन क्रानिकल" में "सोल टेम्पल फॉर चित्रदुर्ग इन नेगलेक्टेड स्टेट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता के लिए संपर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ङ) चित्रगुप्त मन्दिर की संरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हाँ।

(ख) मन्दिर उपेक्षित अवस्था में नहीं है। मन्दिर का पुनरूद्धार 1992 में किया गया था और एक 5 सदस्यीय समिति मन्दिर के कार्यों की देखभाल करती है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस मन्दिर को वित्तीय सहायता देने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस मन्दिर को केन्द्रीय संरक्षित स्मारक घोषित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

कलाकारों को पेंशन

6132. श्री किसनभाई वी. पटेल :

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कला के क्षेत्र के व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी पेंशन देने के लिए क्या मानदंड बनाए गए हैं; और

(ग) इस समय "मैन ऑफ आर्ट्स" के लिए राज्यवार कितने लोग केन्द्रीय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हाँ।

(ख) साहित्य, कला और जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों में उन विशिष्ट व्यक्तियों और उनके आश्रितों, जो दीनहीन परिस्थितियों में रह रहे हैं, को वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय कोटे से 2000/– रु. प्रतिमाह और केन्द्र–राज्य कोटे से 1500/– रु. प्रतिमाह की दर से सहायता दी जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य वयोवृद्ध निर्धन कलाकारों की सहायता और संपोषण करना है। 58 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के कलाकार और विद्वान, जो दीनहीन परिस्थितियों में हैं, उक्त सहायता के लिए पात्र होते हैं। इस उद्देश्य के लिए बनाई गई एक विशेषज्ञ समिति द्वारा उक्त कलाकारों को सहायता के लिए सिफारिश की जाती है।

(ग) राज्यवार लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय कोटा	राज्य कोटा	योग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	68	14	82
2.	असम	7	6	13
3.	बिहार	12		12
4.	चंडीगढ़	2		2
5.	दिल्ली	39		39
6.	गोवा	7	15	22
7.	गुजरात	3		3
8.	हरियाणा	3	1	4
9.	हिमाचल प्रदेश	2		2
10.	कर्नाटक	34	40	74
11.	केरल	36	77	113
12.	मध्य प्रदेश	14		14
13.	मणिपुर	50	7	57
14.	मिज़ोरम	1	2	3
15.	महाराष्ट्र	39	11	50
16.	उड़ीसा	63	105	168

1	2	3	4	5
17.	पांडिचेरी		1	1
18.	पंजाब		2	2
19.	राजस्थान	2	4	6
20.	तमिलनाडु	6		6
21.	उत्तर प्रदेश	86	68	154
22.	पश्चिम बंगाल	11	5	16
	योग	485	358	843,

रोजगार सृजन करने वाली योजनाएं

6133. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे, रेलवे में कतिपय सेवाओं के निजीकरण के एक भाग के रूप में रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं को आरम्भ करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार छोटे स्टेशनों के आस-पास रहने वाले बेरोजगार युवाओं को टिकट जारी करने का कार्य देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समानुपातिक आधार पर गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान देना

6134. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनों को उनकी संख्या, राज्य की जनसंख्या और राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के अनुपात में अनुदान प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार राज्यों के निराश्रित और असहाय लोगों के कल्याण के लिए उक्त अनुदान को सभी राज्यों और वहां के गैर-सरकारी संगठनों को समानुपातिक आधार पर प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए एक नीति तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं। गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान, प्राप्त प्रस्तावों, निधियों की उपलब्धता के आधार पर और योजना की अन्य शर्तों के अनुसार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त किए जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे परियोजनाओं के लिए ठेके

6135. श्री सुग्रीव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राइट्स लिमिटेड को अंगोला में रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ठेके प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राइट्स और अंगोला के बीच हस्ताक्षरित करारों की निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) अंगोला को रेलवे पुनर्वास परियोजना के लिए निर्यात किए जाने वाली विभिन्न वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों के परामर्श के संबंध में कितने प्रस्ताव विचाराधीन है और विदेश में राइट्स का कुल परामर्शदात्री व्यवसाय कितना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। अंगोला में रेलवे परियोजनाएं चालू करने के लिए मोकामेड्स, (सीएफएम रेलवे) अंगोला रेलवे से राईट्स को पांच ठेके प्राप्त हुए हैं। ये ठेके निम्नलिखित से संबंधित हैं:-

* तकनीकी सहायता देना और उपस्करों की आपूर्ति
* सवारी डिब्बों और दुर्घटना राहत गाड़ी की आपूर्ति

* रेल इंजनों और डीजल मल्टीपल यूनिटों की आपूर्ति
* गैंग यान, निरीक्षण यान और रेल सह सड़क वाहन आदि की आपूर्ति
* बसों और पिकअप वैनों की आपूर्ति।

(ग) अंगोलियन प्राधिकारियों और राइट्स लि. के बीच हस्ताक्षरित समझौते की नियम व शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

* वारंटी अवधि के दौरान उपस्करों की आपूर्ति एवं उनका अनुरक्षण
* सी एफ एम रेल कर्मियों का भारत में प्रशिक्षण
* सप्लाई किए गए उपस्करों के लिए अनुरक्षण कलपुर्जों की आपूर्ति
* 18 महीनों की अवधि के लिए परिचालन सिविल, यांत्रिक, सिंगनल और दूरसंचार और कार्मिक प्रबंधन की तकनीकी सहायता।

(घ) अंगोला को निर्यात की जाने वाली विभिन्न मदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

* मशीनरी और संयंत्र, टेस्ट बैंचेज के रूप में वर्कशाप उपस्कर
* प्रथम श्रेणी के 15 सवारी डिब्बे, द्वितीय श्रेणी के 21 सवारी डिब्बे, रेस्टोरैंट यान, 2 सामान यान, 1 दुर्घटना राहत गाड़ी
* डीजल रेल इंजन कारखाना में निर्मित 3 रेल इंजन
* डीजल मल्टीपल यूनिट के 2 सेट सवारी डिब्बा कारखाना में निर्मित
* 4 गैंग यान, 4 निरीक्षण यान, 2 रेल सह सड़क वाहन और 2 रासायनिक डिवीडिंग वाहन
* 10 मोहिन्द्रा बेल्रो पिकअप वाहन, 2 मोहिन्द्रा एल एक्स जीप।
* 12 टाटा टेलकोलाइन क्रू कैब, 66 सीट वाली 3 टाटा बस
* अनुरक्षण संबंधी कलपुर्जे।

(ङ) इस परियोजना की अवधि 33 महीने की है।

(च) इस समय पाकिस्तान, सूडान, म्यांमार, सेनेगल, सऊदी अरब, तंजानिया और नाईजेरिया में परामर्शदात्री परियोजनाएं चल रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश परामर्शदात्री से 137.8 करोड़ रुपए अर्जित किए गए।

[अनुवाद]

रेलवे अवसंरचना निगम

6136. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के राज्य सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में रेलवे अवसंरचना निगम की स्थापना के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) केरल के लिए रेलवे अवसंरचना निगम बनाना केरल के मुख्यमंत्री जी द्वारा रेलवे बजट 2005–06 के लिए प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में दिए गए सुझावों में से एक था। बहरहाल, इस संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिक्री कर को माफ करना

6137. श्री सुबोध मोहिते : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एयरलाइंस ने अलाभकारी मार्गों पर राज्य बिक्री कर को माफ करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) भारत में विमान टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) की लागत, एयरलाइनों की प्रचालन लागत का लगभग 30% है जबकि शेष विश्व में इस उद्योग में यह लागत औसतन 10 से 15% है। विमान टर्बाइन ईंधन की उच्च लागत होने के प्रमुख कारकों में से एक, इस पर उच्च बिक्री कर लगाया जाना है जो औसतन लगभग 25% है। विमान टर्बाइन ईंधन की उच्च लागत को कम करने के लिए केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत ए.टी.एफ/एवी गैस को घोषित वस्तु के रूप में अधिसूचित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ताकि बिक्री कर की अधिकतम दर को 4% तक सीमित किया जा सके। यह प्रस्ताव, टर्बो प्रोप विमानों, जो सामान्यतः छोटे सेक्टर मार्गों पर प्रचालित होते हैं, के संबंध में स्वीकार कर लिया गया है। बहरहाल, राज्य सरकारों पर भारी राजस्व प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत इस सुविधा को अन्य प्रकार के विमानों के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है।

रेलवे अस्पताल

6138. श्री जी. वी. हर्ष कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि देश में रेलवे अस्पतालों द्वारा दी गई सेवाएं भी उपभोक्ता न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हाँ।

(ख) यद्यपि रेल अस्पतालों में रेल मेडिकल लाभार्थियों को चिकित्सा इलाज निःशुल्क मुहैया कराया जाता है तथापि रेल अस्पतालों में चिकित्सा देखभाल की लागत रेल प्रशासन सेवा शर्तों के भाग के रूप में वहन की जाती हैं। अतः रेल अस्पतालों/स्वास्थ्य इकाइयों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं वी. पी. शांता के मामले मे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 56(12) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार हैं और इसकी अभिपुष्टि 2004 के एसएलपी (सी) संख्या 4994 में भी हुई हैं। इसलिए रेल अस्पतालों/स्वास्थ्य इकाइयों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शामिल किया जाता है।

(ग) भारतीय रेलें माननीय न्यायालयों के निर्णय का अनुपालन करती हैं।

[हिन्दी]

रेल ऊपरि पुल/सड़क अधोगामी पुल (आरयूबी)

6139. श्री ब्रजेश पाठक :
श्री रनेन बर्मन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न हिस्सों में निर्माणाधीन रेल ऊपरि पुल/सड़क अधोगामी पुल (आरयूबी) और ऊपरि मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा रेलवे समपार पर ऊपरि पुल/अधोगामी पुल के निर्माण हेतु भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे पुलों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) इन ऊपरि पुलों/अधोगामी पुलों को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यों के लिए आबंटित धनराशि

2002–03	–	325 करोड़ रुपए
2003–04	–	313 करोड़ रुपए
2004–05	–	251 करोड रुपए

(ङ) रेलें केवल पुल खास (रेलपथ के आर–पार) का ही निर्माण करती हैं और पहुंच मार्ग से संबंधित कार्य संबंधित सड़क प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। पुल के निर्माण कार्य का पूरा होना पहुंच मार्गों का कार्य पूरा होने पर निर्भर करता है। रेलें संबंधित राज्य सरकार द्वारा निष्पादित किए जाने वाले पहुंच मार्ग के निष्पादन के कार्य के साथ–साथ ही अपने हिस्से का कार्य पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करती है।

विवरण

(क) इस समय देश के विभिन्न भागों में 405 उपरी/निचले सड़क पुल निर्माणाधीन हैं। रेलवे जोन–वार उपरी/निचले पुलों की संख्या निम्नानुसार है:–

मध्य	–	13
पूर्व	–	37
उत्तर	–	42
पूर्वोत्तर	–	11
पूर्वोत्तर सीमा	–	6
दक्षिण	–	93
दक्षिण मध्य	–	42
दक्षिण पूर्व	–	23
पश्चिम	–	16
पूर्व मध्य	–	46
पूर्व तट	–	14
उत्तर मध्य	–	6
उत्तर पश्चिम	–	7
दक्षिण पूर्व मध्य	–	6
दक्षिण पश्चिम	–	38
पश्चिम मध्य	–	05

इसके अतिरिक्त, विभिन्न जोनों में आने वाले 23 नए कार्यों को भी 2005–06 के रेलवे बजट में शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) उपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण का प्रस्ताव मोजूदा नियमों के तहत कतिपय प्रारंभिक पूर्व अपेक्षाओं को विधिवत् पूरा करते हुए राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित किया जाता है। प्रस्ताव को प्रस्तुत करने, चर्चा करने और उसकी जांच करने संबंधी विभिन्न चरण होते हैं, जिनमें से विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त कुछ प्रस्ताव अनंतिम हैं। ये मंडल स्तर पर, क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय स्तर पर और मंत्रालय स्तर पर हैं। अतः विभिन्न स्तरों पर प्राप्त प्रस्तावों की सही संख्या में हमेशा कमी-वेशी होती रहती है और इसका आकलन करना कठिन है। सभी पहलुओं से पूर्ण रूप से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है और संवीक्षा के पश्चात् व्यावहारिक पाए गए प्रस्तावों का निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अनुमोदित कर दिया जाता है। जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है। क्षेत्रीय रेलवे द्वारा विधिवत् अनुशंसित केवल एक प्रस्ताव मंत्रालय को प्राप्त हुआ है जो कि पूर्ण और व्यावहारिक है और जिसे 2005-06 के निर्माण कार्यक्रम तैयार करते समय और अंतिम रूप देते समय शामिल करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था।

बस सेवा की सुरक्षा

6140. श्री सज्जन कुमार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा में व्यवधान डालने की आतंकवादियों की धमकी को देखते हुए बस सेवा को नियमित बनाने तथा यात्रियों की सुरक्षा हेतु सेना द्वारा की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार बस सेवा को नियमित बनाने तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम से संतुष्ट है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) बस सेवा तथा सवारियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की समग्र जिम्मेवारी जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार की है। सेना, प्रति विद्रोही आपरेशनों के लिए सैनिकों की तैनाती की वजह से, राज्य सरकार की सहायता करती है। सेना, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ए तथा नियंत्रण रेखा के पास बस को सुरक्षा मुहैया करा रही है। सेना द्वारा सुरक्षा प्रबंधों का समन्वय, एकीकृत मुख्यालय के तत्वावधान में किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विदेशी विमान कंपनियों को अतिरिक्त उड़ानों की अनुमति

6141. श्री जी. कल्याणकर रेड्डी :
श्री पी. एस. गढ़वी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा निजी विमान कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय रूटों पर संचालन की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी विमान कंपनियों को भारत में अतिरिक्त उड़ान भरने की अनुमति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय विमानपत्तन अतिरिक्त विमान यातायात के लिए तैयार तथा पूर्णतः सुसज्जित है; और

(ङ) यदि नहीं, तो भारतीय विमानपत्तनों का उन्नयन किए बिना अतिरिक्त उड़ानों के संचालन के लिए विदेशी विमान कंपनियों को अनुमति देने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां। भारत की उन निजी अनुसूचित एयरलाइनों को, जिन्हें अन्तर्देशीय सेक्टर में लगातार प्रचालनों का 5 वर्ष का अनुभव हो तथा कम से कम 20 विमान का न्यूनतम विमान बेड़ा हो, उन्हें यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत और सऊदी अरेबिया को छोड़कर सभी अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन करने की अनुमति दी गई है।

(ख) और (ग) भारत के लिए/से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए यातायात अधिकारों को, हमारी विमान कंपनियों के लाभ, यातायात मांग, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के समग्र लाभ, राजनीतिक/राजनयिक विचार इत्यादि आधार पर, निरंतर चल रही एक प्रक्रिया के भाग के रूप में, समय-समय पर संवीक्षा की जाती है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, विभिन्न देशों के साथ हाल ही में द्विपक्षीय वार्ताओं के दौर चल रहे हैं तथा उनकी विमान कंपनियों को अतिरिक्त हकदारी स्वीकृत की गई है। तथापि, वास्तविक प्रचालन वास्तव में एयरलाइनों के वाणिज्यिक विवेक द्वारा मार्गदर्शित होते हैं तथा यातायात मांग पर निर्भर करते हैं।

(घ) और (ङ) हवाईअड्डों का स्तरोन्नयन/विस्तार/विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा यह कार्य यातायात मात्रा तथा एयरलाइन ऑपरेटरों की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने/भीड़-भाड़ को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं।

उड़ीसा में स्मारकों का नवीकरण

6142. श्री अनन्त नायक : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-2006 के दौरान उड़ीसा में नवीकरण हेतु प्रस्तावित मंदिरों/स्मारकों का स्मारक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन स्मारकों के नवीकरण के लिए स्मारक–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) वर्ष 2005–06 के लिए उड़ीसा के मन्दिरों/स्मारकों के लिए आबंटित धनराशि और उनके संरक्षण कार्यक्रम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	स्मारक का नाम, स्थान एवं जिला	2005–06 के लिए प्रस्तावित प्रावधान (लगभग)
1	2	3
1.	भगवान, जगन्नाथ मन्दिर, पुरी	66.00
2.	महाकाल मन्दिर, जाजपुर, रत्नागिरि जिला	3.68
3.	सूर्य मन्दिर कोणार्क, जिला पुरी	74.73
4.	मेघेश्वर मन्दिर, भुवनेश्वर	8.46
5.	चुरानगडफोर्ट दधि पाटन, कटक	9.70
6.	हाथीगुंफा गुफाएं, उदयगिरि, भुवनेश्वर	2.50
7.	अशोक शिलालेख, धौली, भुवनेश्वर	2.00
8.	मन्दिर समूह, कोट्टाकोला, जिला गंजाम	5.30
9.	चुरानगढ़फोर्ट, दधिपाटन, सीटी	1.00
10.	केदारेश्वर मन्दिर, चौदयार, कटक	14.00
11.	रैसलक्रे मन्दिर, हरिपुरगढ़, बारीपाड़ा जिला	1.10
12.	बाराबटी किला, कटक	12.00
13.	त्रिलोचनेश्वर मन्दिर, जाजपुर	6.00
14.	पांच पांडव मन्दिर, गणेश्वरपुर, कटक	5.00
15.	मन्दिर समूह के उप–मन्दिर, बौध	5.00
16.	नीलमढा एवं सिद्धेश्वर मन्दिर, गांधारदी, बौध	7.00
17.	भगवान लिंगराज मन्दिर, भुवनेश्वर	10.00
18.	पापनाशिनी हौज, भुवनेश्वर	10.00
19.	चन्द्रशेखर जीव मन्दिर, धेनकनाल	10.00
20.	उत्खनित स्थल, ललितगिरि, जाजपुर	15.10
21.	64 योगिनी, हीरापुर, भुवनेश्वर	2.60
22.	उत्खनित स्थल, ललितगिरि, जाजपुर	26.00
23.	बौध उड़ीसा	5.20
24.	वराही मन्दिर, चौरासी	6.00
25.	उत्खनित स्थल, रत्नागिरि	5.00
26.	अशोक शिला लेख, जौगढ़, जिला गंजाम	10.00
27.	खंडगिरि एवं उदयगिरि, भुवनेश्वर	3.00
28.	मेघानंद प्राचीर, भुवनेश्वर	5.00
29.	चित्रकर्णी मन्दिर, भुवनेश्वर	3.00
30.	राजरानी मन्दिर, भुवनेश्वर	3.00
31.	जम्बेश्वर मन्दिर, भुवनेश्वर	3.00
32.	केदारेश्वर मन्दिर, चौदवार	5.00
33.	जगन्नाथ मन्दिर, जाजपुर	5.00
34.	कनकेश्वर मन्दिर, कुआल धेनकनाल	10.00
35.	वराहनाथ मन्दिर, जाजपुर	5.00
36.	बृंगेश्वर मन्दिर स्थल, बाजराकोट, जिला अंगुल	6.00
37.	पांचपांडव मन्दिर, गणेश्वरपुर, जिला जाजपुर	6.00
38.	अशोक अभिलेख, धौली, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा	2.00
39.	रामेश्वर मन्दिर उद्यान, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा	2.00
40.	राजरानी मन्दिर उद्यान, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा	4.00
41.	मुक्तेश्वर मन्दिर उद्यान, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा	4.00
42.	राम सीता, शिवकाली, विश्वनाथ, चन्द्रेश्वर, विश्वकर्मा, रामलिंगेश्वर, लडुकेश्वर, मंदिर, राल एल टी, भुवनेश्वर	0.95
43.	नीलमढा एवं सिद्धेश्वर के जुड़वा मन्दिर, गंधार्दी, बौध	5.00
44.	भगवान लिंगराज मन्दिर का जगमोहन, भोगमण्डप एवं नटमण्डप, भुवनेश्वर	9.60
45.	भगवान लिंगराज मन्दिर परिसर में एकादशी महादेव मन्दिर, सिद्धेश्वर मन्दिर, अग्नेश्वर मन्दिर, एसनेस्वर मन्दिर एवं भैरों मण्डप, भुवनेश्वर	2.00
46.	बराही मन्दिर, चौरासी	3.00

नागालैण्ड नगरपालिकाओं तथा पंचायतों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण

6143. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243–न में नगरपालिकाओं तथा पंचायतों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या नागालैण्ड सरकार नगरपालिकाओं तथा पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करने के भारतीय संविधान के प्रावधान का अनुपालन करने में असफल रही है;

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा नागालैण्ड सरकार को क्या अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) संविधान के अनुच्छेद 243 न में प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है और एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए होंगी जिन्हें नगरपालिका में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बारी–बारी से आबंटित किया जाएगा। यह अनुच्छेद पंचायतों के लिए लागू नहीं है।

(ख) पंचायतों से संबंधित संविधान का अनुच्छेद 243ड (2), भाग IX नागालैंड में लागू नहीं है। नगरपालिकाओं के संबंध में शहरी विकास मंत्रालय ने बताया है कि नागालैंड सरकार ने उक्त मंत्रालय को जानकारी दी है कि राज्य नगरपालिका अधिनियम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान नहीं है क्योंकि राज्य की अधिकांश आबादी अनुसचित जनजातियों की है और राज्य में किसी अनुसूचित जाति को अधिसूचित नहीं किया गया है। राज्य नगरपालिका अधिनियम में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भी कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ) शहरी विकास मंत्रालय ने बताया है कि चूँकि संविधान के अनुच्छेद 243 न के प्रावधान अनिवार्य हैं, इसलिए राज्य सरकार को 25 अप्रैल, 2005 के मंत्रालय के पत्र द्वारा कहा गया है कि वे इस प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

6144. श्री कैलाश मेघवाल : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टूवार्ड्स बिल्डिंग एण्ड इक्युपमेंट ग्रांट' के अंतर्गत स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठन को वित्तीय सहायता देने के लिए क्या मानदण्ड बनाए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राजस्थान में स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) संस्कृति मंत्रालय, 'स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को भवन और उपस्कर अनुदान की स्कीम' नामक एक स्कीम चलाता है। इस स्कीम के तहत मुख्यतः नृत्य, नाटक, संगीत, ललित कला, भारत विद्याशास्त्र तथा साहित्य के क्षेत्रों में कार्यरत स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठन भवन निर्माण और/या उपस्कर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता के पात्र हैं।

ये संगठन अनिवार्यतः कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत होने चाहिएं और सदृश अधिनियमों के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (गगप), 1860 के तहत कम से कम दो वर्षों से पंजीकृत होने चाहिएं। संगठन का स्वरूप क्षेत्रीय या अखिल भारतीय स्तर का होना चाहिए। इसका कार्य अनिवार्यतः ऐसे कार्यक्रमों के प्रति समर्पित होना चाहिए जिनके तहत भारतीय संस्कृति का परिरक्षण, प्रचार तथा संवर्धन किया जाता है।

किसी संगठन को भवन निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता की अधिकतम राशि संबंधित व्यय का 50% होगी और अधिकतम 15 लाख रुपए की सहायता दी जा सकती है। सहायता की राशि परियोजना की अनुमानित लागत का 50% से अधिक नहीं होती। उपस्करों के लिए सहायता की राशि अधिकतम 2.5 लाख रुपए है।

इन स्कीमों के तहत आवेदन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से भेजे जाने होते हैं और इन पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में स्वैच्छिक संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

वर्ष	संगठनों की संख्या	स्वीकृत राशि
2002–03	4	23,50,000/– रु.
2003–04	2	14,00,000/– रु.
2004–05	8	34,00,000/– रु.

[अनुवाद]

बाल दत्तक ग्रहण गृहों के लिए दिशानिर्देश

6145. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल दत्तक ग्रहण गृहों के लिए राज्य सरकारों को क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं अथवा इसके लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं,

(ख) क्या देश में विशेष दक्षिणी राज्यों में भारी संख्या में गैर कानूनी बाल दत्तक ग्रहण गृह हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार की जानकारी में आए ऐसे गृहों की संख्या कितनी है जो नवजात शिशुओं की गैर कानूनी रूप से खरीद–फरोख्त में लगे हैं;

(घ) क्या सरकार ने यूनिसेफ की मदद से बच्चों के अधिकारों के संबंध में कोई संहिता बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या बाल अधिकारों पर इस संहिता को सभी राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त से सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा और क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) देश के अंदर दत्तक ग्रहण, 2004 के दिशा–निर्देशों के अनुबंध–4 में न्यूनतम मानक नियत किए गए हैं कि प्रत्येक दत्तक ग्रहण एजेंसी को अपने गृहों में विशेष बाल देखभाल को बरकरार रखना होगा। इन दिशा–निर्देशों को प्रभावी कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग के लिए राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है।

(ख) भारत सरकार को आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य सरकारों से कुछ मामलों पर रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ग) दो।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) यद्यपि यूनिसेफ की सहायता से कोई कोड नहीं बनाया गया। किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को देश में पहले कार्यान्वित किया जा रहा था। अब उसके स्थान पर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 बनाया गया है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। इस अधिनियम में देखभाल और संरक्षण के जरुरतमंद बच्चों की उचित देखभाल एवं संरक्षण और व्यवहार के प्रावधान का उल्लेख है। इन बच्चों में वे बच्चे भी हैं जिनके दुरुपयोग से अवैध व्यापार की संभावना है। इसके अतिरिक्त, समय–समय पर राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे धन–प्राप्ति के उद्देश्य से बच्चों को खरीद–फरोख्त सहित दत्तक ग्रहण में अनाचार एवं अनियमितताओं को समाप्त करना सुनिश्चित करें।

निजी कम्पनियों को डी.टी.एच. प्रसारण के लाइसेंस

6146. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन के डायरेक्ट–टू–होम प्रसारण को निजी कम्पनियों के लिए खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) उन निजी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने दूरदर्शन के डी.टी.एच. प्रसारण के लाइसेंसों के लिए आवेदन किया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या निर्णय लिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दूरदर्शन के डी टी एच प्रसारण हेतु लाइसेंस का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, सरकार ने भारत में डायरेक्ट–टु–होम (डी टी एच) प्रसारण सेवा को उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दिशा–निर्देश जारी किए हैं।

महानदी में अन्वेषणात्मक कुएं

6147. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानदी पठार में तटीय तथा अपतटीय अन्वेषणात्मक कुएं विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों को सौंपे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अपतटीय तथा तटीय ब्लाकों में अब तक खोदे गए अन्वेषणात्मक कुओं की संख्या कितनी है;

(घ) क्या उड़ीसा के सभी क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक बातों के दृष्टिगत कोई अन्वेषणात्मक प्रयास किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) महानदी बेसिन में भारत सरकार ने एक जमीनी ब्लाक अर्थात एमएन–ओएनएन–2000/1 जो आयल इंडिया लिमिटेड परिसंघ, द्वारा प्रचालित अपतटीय ब्लाकों नामतः एमएन–ओएसएन–97/3, एमएन–डीडब्ल्यूएन–98/3, एमएन–ओएसएन–2000/1, एमएन–ओएसएन–2000/2, एमएन–डीडब्ल्यूएन–2002/1, एमएन–डीडब्ल्यूएन 2002/2 और एनईसी–डीडब्ल्यूएन–2002/2 के लिए नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के 4 दौरों में उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा 3 अन्वेषण ब्लाक नामतः एमएन–डीडब्ल्यूएन–98/2, एनइसी–ओएसएन/92/2 और एनईसी–डीडब्ल्यूएन–2002/1 रिलायंस इंडस्ट्रीज परिसंघ को प्रदान किए गए और एक अन्वेषण ब्लाक एनईसी–ओएसएन 92/1 ओएओ गेजप्राम परिसंघ को प्रदान किया गया। एनईएलपी के पांचवें दौर में भी एक गहन जल ब्लाक एमएन–डीडब्ल्यूएन–2003/1 भी प्रतिस्पर्धात्मक अंतरराष्ट्रीय बोली के लिए प्रस्तावित किया गया है। बोली प्राप्ति की अंतिम तारीख 31 मई, 2005 है।

ओआईएल ने महानदी अपतट में 11 अन्वेषी कूपों और जमीनी क्षेत्र में 4 कूपों का वेधन किया था जिनमें हाइड्रोकार्बन की कोई खास खोज नहीं हुई। एनईएलपी के अंतर्गत 18,877 लाइन किलोमीटर (एलकेएम) द्वियामी भूकम्पीय और 7242 वर्ग किलोमीटर त्रिआयामी भूकम्पीय आंकड़े अर्जित किए गए हैं। ब्लाक एनईसी–ओएसएन–97/2 में आरआईएल द्वारा छह अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप छह गैस खोजें हुई हैं।

रेलगाड़ियों में विक्रेताओं/फेरीवालों/ भिखारियों की समस्या

6148. डा. एम. जगन्नाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चलती रेलगाड़ियों में विक्रेताओं/फेरीवालों की गतिविधियों के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) गाड़ियों में वेंडरों/फेरीवालों तथा भिखारियों की गतिविधियों के कारण यात्रियों द्वारा समस्याओं का सामना करने के कुछ मामले ध्यान में आते हैं। सदाशयी यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गाड़ियों में अप्राधिकृत वेंडरों/फेरीवालों तथा भिखारियों के विरुद्ध पुलिस के सहयोग से नियमित अभियान चलाए जाते हैं तथा पकड़े गए व्यक्तियों के विरूद्ध कानून के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

नागर विमानन सुरक्षा अकादमी

6149. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में नागर विमानन के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु एक विशेषीकृत नागर विमानन सुरक्षा अकादमी स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के सभी विमानपत्तनों पर सुरक्षा में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हवाईअड्डों पर सुरक्षा प्रबंधों में सुधार करने की सतत् प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

(i) देश के सभी प्रचालनात्मक हवाईअड्डों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की समयबद्ध तैनाती।

(ii) बड़े हवाईअड्डों पर त्वरित प्रतिक्रिया बलों की तैनाती।

(iii) उड़ानों में स्काई मार्शलों की तैनाती।

(iv) निरीक्षणों तथा डम्मी जांच के माध्यम से सुरक्षा प्रबंधों की नियमित निगरानी।

(v) महत्त्वपूर्ण हवाईअड्डों पर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजनों की स्थापना।

(vi) सुरक्षा कर्मिकों के प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण। एक राष्ट्रीय नागर विमानन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बनाया गया है।

सवारी डिब्बों का आयात

6150. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा अल्सटोम, एल एच बी से सवारी डिब्बों का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इन सवारी डिब्बों की खरीद से पहले भारतीय रेलपथों पर इनका परीक्षण किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भविष्य में इन खामियों की पुनावृत्ति रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्स अल्स्टोम–एलएचबी, जर्मनी से आल मेटल लाइट वेट के उच्च गति के 24 अदद सवारी डिब्बे आयात किए गए हैं। इन 24 सवारी डिब्बों के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा 52,663,000 डयूट्स मार्क (लगभग 106 करोड़ रु.) है।

(ग) और (घ) जी नहीं। भारतीय रेलपथों पर सवारी डिब्बों की खरीद से पहले परीक्षण भारत में उनकी वास्तविक प्राप्ति के बिना संभव नहीं था। बहरहाल, आदेश देने से पहले मैसर्स अल्स्टोम, एलएचबी के प्रस्ताव की तकनीकी रूप से संवीक्षा की गई थी तथा यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तथा भारतीय रेलों की निर्धारित कमी की विशिष्टियों के भी अनुरूप पाए गए थे।

(ङ) कोई चूक नहीं बरती गई है।

[हिन्दी]

रेल स्लीपर निर्माण डिपो

6151. श्री ब्रजेश पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कठुआ और मनवाल में क्रमशः एक रेल स्लीपर निर्माण डिपो तथा बालास्ट निर्माण डिपो खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 के लिए बड़ी लाइन मोनों ब्लॉक कंक्रीट स्लीपरों की खरीद के लिए निविदा 14.3.2005 को खोली गई है। निविदा में 6 क्षेत्रीय रेलों यथा पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, दक्षिण रेलवे तथा दक्षिण पश्चिम रेलवे में 10 नये कंक्रीट स्लीपर संयंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है। उत्तर रेलवे के अंतर्गत कथुआ उपर्युक्त 10 निर्धारित स्थानों में से एक है। निविदा पर विचार किया जा रहा है।

जहां तक मनवाल में गिट्टी निर्माण डिपो का संबंध है नये खोले गए मनवाल स्टेशन पर इंजीनियरी साइडिंग बनाई गई है। इस साइडिंग का विभिन्न इंजीनियरी सामग्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें खंड में सामग्री की आवश्यकता के लिए मेगा गिट्टी डिपो शामिल है।

[अनुवाद]

कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस

6152. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृष्णा–गोदावरी बेसिन में पूर्वी अपतटी में मिली गैस के विकास हेतु कोई निवेश योजना स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृष्णा–गोदावरी बेसिन में अब तक वाणिज्यिक घोषित किए गए क्षेत्रों की संख्या कितनी है; और

(घ) इनमें उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने कृष्णा–गोदावरी बेसिन में जी–1 और जी एस–15 निकासियों के लिए एक विकास योजना अनुमोदित की है। 1262.93 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत की इस योजना का पूर्णता कार्यक्रम अप्रैल, 2006 है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) ने 2.47 बिलियन अमेरिकी डालर के निवेश के साथ धीरू भाई–1 और 3 नामक दो खोजों के लिए विकास योजना प्रस्तुत की थी। यह विकास प्रस्ताव योजना हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा भी अनुमानित, आर आई एल द्वारा गैस का उत्पादन अगस्त, 2008 से शुरू होने की संभावना है। निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा की गई 14 खोजों में से 2 खोजों को अनुमोदित किया गया है और उन्हें वाणिज्यिक घोषित किया गया है। शेष खोजें मूल्यांकनाधीन हैं।

कृष्णा गोदावरी तट और अपतट बेसिन में 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार 24 क्षेत्र (7 तेल और 17 गैस) वाणिज्यिक उत्पादन हैं। इन उत्पादन क्षेत्रों के तहत दो क्षेत्र अपतट क्षेत्र में हैं। उपर्युक्त 24 उत्पादनरत क्षेत्रों के अतिरिक्त, जी एस–15 के साथ समेकित विकास के पश्चात वर्ष 2006–07 के दौरान जी–1 क्षेत्र से उत्पादन किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल की मांग

6153. श्री कैलाश मेघवाल :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वदेशी उत्पादन के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे मिट्टी के तेल की मांग को पूरा करने में असमर्थ रही है जिसके कारण भारतीय तेल निगम द्वारा अप्रैल के महीने में एक लाख पैंतीस हजार टन मिट्टी के तेल के आयात हेतु निविदाएं जारी की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा मिट्टी के तेल से मिलते-जुलते जेट कारों तथा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ए टी एफ) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मांगे जाने वाले मिट्टी के तेल की कमी को पूरा किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, नहीं, चालू वर्ष में नहीं। स्वदेशी उत्पादन की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से अप्रैल, 2005 में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) ने लगभग 2,15,000 मीट्रिक टन (एम टी) मिट्टी तेल के आयात के लिए तीन निविदाओं को अंतिम रूप दिया था।

(ग) से (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए पी डी एस के लिए मिट्टी के तेल की देश की आवश्यकता की पूर्ति स्वदेशी उत्पादन से हो, आई ओ सी ने जेट-केरो और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने हेतु अनुरोध किया है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

निःशुल्क हवाई यात्रा के पात्र व्यक्तियों की श्रेणी

6154. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को अपनी उड़ानों में निःशुल्क यात्रा के पात्र व्यक्तियों को श्रेणी पर भारी खर्च करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो दोनों एयरलाइनों में निःशुल्क यात्रा करने के पात्र व्यक्तियों की श्रेणियों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान दोनों एयरलाइनों ने कुल कितना खर्च वहन किया/हानि उठाई;

(ग) क्या सरकार का विचार विमानन क्षेत्र के बदलते परिदृश्य को देखते हुए निःशुल्क यात्रा करने के पात्र व्यक्तियों की श्रेणियों की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में राजस्व हानि में कटौती करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपने पात्र कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को अपनी सेवाओं की शर्तों के अनुसरण में उनके द्वारा प्रचालित सेक्टरों के लिए निःशुल्क/रियायती हवाई यात्रा पैसेज जारी किए जाते हैं। उद्योग की प्रथा के अनुसार, एयरलाइनों द्वारा निःशुल्क/मानार्थ टिकटें सामान्यतः अपने वाणिज्यिक हित के लिए टूर प्रमोटरों, यात्रा लेखकों, मीडिया कर्मियों, महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संपर्कों तथा विशिष्ट व्यक्तियों को अपनी उड़ानों में यात्रा को प्रोत्साहित करने एवं बढ़ाने के लिए तथा कंपनी की छवि बनाने में सहायता देने के लिए जारी की जाती है। तथापि, दोनों एयरलाइनों द्वारा निःशुल्क पैसेज प्रदान करने पर कोई व्यय नहीं होता है क्योंकि ये पैसेज लोड उपलब्ध होने के आधार पर जारी किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

नेशनल इंस्टिटयूट फार इम्पावरमेंट ऑफ़ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसएबिलिटिज़

6155. श्री एस. के खारवेनथन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेशनल इंस्टिटयूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद् मल्टीपल डिसएबिलिट्रिज की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक होने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने मानव संसाधन प्रबंधन का विकास, प्रशिक्षण, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक विकास करने और बहु विकलांगता से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने एवं अनुसंधान करने तथा लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सामाजिक पुनर्वास हेतु इतर-विषयक मॉडल्स और कार्यनीतियां बनाने के लिए चेन्नै में राष्ट्रीय बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्ति सशक्तीकरण संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2004-05 में इस संस्थान की स्थापना करने के उद्देश्य के लिए प्रारंभ में एक करोड़ रुपए की राशि जारी की है।

(ग) बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों को सेवा और डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र पाठयक्रम इस वर्ष आरम्भ किए जाएंगे।

[हिन्दी]

ऑटोमेटिक सिस्टम स्कीम

6156. श्री राकेश सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध निर्माणी, खमरिया और तोपगाड़ी निर्माणी, जबलपुर में बारूद भरते समय और निर्माण कार्य हेतु ऑटोमेटिक सिस्टम स्कीम अपनाने की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को कबतक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार हाथ से यह काम करने वाले कर्मचारियों को होने वाले जोखिम से बचाने का है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, हां। आयुध निर्माणी, खमरिया में बारूद भरने के लिए स्वचालित प्रणाली अपनाने की एक योजना है। तोपगाड़ी निर्माणी, जबलपुर, बारूद भरने संबंधी कार्यों में अन्तर्ग्रस्त नहीं है। तोपगाड़ी निर्माणी में किया जाने वाला संरचनात्मक कार्य जोखिमपूर्ण नहीं है और इस कारण तोपगाड़ी निर्माणी, जबलपुर में स्वचालित संरचना संयंत्र शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) आयुध निर्माणी, खमरिया में एक स्वचालित संयंत्र पहले से ही कार्य कर रहा है तथा एक और संयंत्र 2007–08 में संस्थापित किए जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल परियोजनाओं के लिए वित्तीय आवश्यकताएं

6157. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेल परियोजनाओं के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का अध्ययन करने हेतु एक विशेषज्ञ ग्रुप गठित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो विशेषज्ञ ग्रुप ने कौन–कौन सी सिफारिशें की हैं; और

(घ) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सुपरसोनिक लड़ाकू विमान का विनिर्माण

6158. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

श्री तथागत सत्पथी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि चीन और पाकिस्तान संयुक्त रूप से एफ. सी.–एक इंजन वाले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान का विनिर्माण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत द्वारा निर्मित एक इंजन वाले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान की गति चीन और पाकिस्तान द्वारा निर्मित ऐसे विमानों की तुलना में बहुत धीमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने सुपरसोनिक लड़ाकू विमान के विनिर्माण की गति को बढाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) चीनी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, चीन तथा पाकिस्तान संयुक्त रूप से चीन की नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान जियाओलोंग/एफ सी–। (अथवा फियर्स ड्रेगन) का विकास कर रहे हैं।

(ख) भारत द्वारा अत्याधुनिक उन्नत प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके एक सुपरसोनिक एकल इंजन लड़ाकू विमान का विकास किया जा रहा है। इन प्रौद्योगिकियों/विमान का विकास एक जटिल प्रक्रिया है तथा इसमें काफी समय लगता है। यह कार्यक्रम संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आफिसर्स क्लब परिसरों के उपयोग हेतु अनुमति

6159. श्री सुनील खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2004 के अपनी रिपोर्ट संख्या 8 (रेल) में टिप्पणी की है कि 'रेलवे आफिसर्स' के उपयोग हेतु क्लब हाउस के लिए निर्धारित 7.06 करोड़ रुपए की

लागत वाली रेल भूमि का निगमों का सरासर उल्लंघन करते हुए क्लब के प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त ठेकेदार को निःशुल्क उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(ग) ऐसे मामलों के पुनः होने से रोकने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) यह सही है कि रेलवे क्लब की प्रबंध समिति द्वारा 20 वर्ष के लिए प्राइवेट व्यक्ति के साथ ठेका किया गया था लेकिन यह सही नहीं है कि इसका उपयोग निशुल्क था।

(ख) ठेके में ठेकेदार को गैर-सदस्यों के लिए प्राइवेट समारोह हेतु उनके द्वारा प्रभारित की जाने वाली दरों के बारे में स्वयं निर्णय लेने की अनुमति थी जब कि क्लब को विश्राम गृह में क्लब के सदस्यों तथा अधिकारियों के लिए रियायती दर पर खाने की सुविधा सहित किराए के रूप में केवल नगण्य राशि मिलती थी। चूंकि ठेका ठेकेदार के पक्ष में था, मामले में जांच-पड़ताल की गई थी।

(ग) जांच-पड़ताल के परिणामों के अनुसार,

(i) ठेकेदार को ठेका समाप्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया था।

(ii) प्रशासन ने रेलवे बंगले को आफिसर्स क्लब के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति रद्द कर दी।

(iii) रेलवे संपदा अधिकारी ने बंगला नं. 19 का कब्जा ले लिया जिसका क्लब के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था।

(iv) मामले में चूक के लिए दो अधिकारियों को बड़े दंड का आरोप पत्र जारी किया गया था तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के एक अधिकारी को छोटे दंड का आरोप पत्र जारी किया गया था।

हाइड्रोजन चालित वाहन

6160. श्री प्रहलाद जोशी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हाइड्रोजन चालित वाहन के प्रोटोटाइप पर निकट भविष्य में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ईंधन की खपत प्रणाली पर इस प्रोटोटाइप वाहन का क्या प्रभाव पड़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के तहत इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) ने आटोमोटिव वाहनों में हाईड्रोजन-सम्मिश्रित संपीडित प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हुए प्रदर्शन परियोजनाएं चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया है। शुरू की जाने वाली प्रदर्शन परियोजनाओं में फरीदाबाद में इंडियन आयल कारपोरेशन के अनुसंधान और विकास केन्द्र में (जुलाई 2005 के लिए योजित) और बाद में दिल्ली में एक ऐसी ही प्रदर्शन परियोजना में संपीडित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) में 10% हाइड्रोजन का उपयोग शामिल है। अपरंपरागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय ने कहा है कि उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एक आर एण्ड डी परियोजना को सहायता दी थी जिसके परिणामस्वरूप हाईड्रोजन पावर्ड मोटर साइकल (100 सी सी 4-स्ट्रोक इंजिनों) का विकास और प्रदर्शन हुआ है। उस मंत्रालय ने एक और आर एण्ड डी परियोजना को भी सहायता दी थी जिसमें घरेलू तौर पर विकसित 10 कि.वा. पालीमर इलैक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का उपयोग करने वाली एक फ्यूल सेल आधारित वैन का प्रदर्शन एस पी आई सी साईंस फाउंडेशन, चेन्नई द्वारा किया गया है।

(ग) अनुसंधान और विकास परियोजनों के लिए परंपरागत वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय सड़क परिस्थितियों में भविष्य में ईंधन की खपत पर हाईड्रोजन पावर्ड वाहनों के प्रभाव का आकलन पर्याप्त आंकड़ों के सृजन के बाद ही किया जा सकता है।

[हिन्दी]

चीन द्वारा सीमा के निकट इमारतों का निर्माण

6161. श्री मोहन सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दो मंजिला इमारतों का निर्माण किया गया है, जहां से वह तवांग तथा लोहित जिलों पर नजर रख सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय चौकियों पर तैनात सैनिकों को मीरा दर्रा से नाथुला दर्रा तक मीरा दर्रा के प्वाइंट 4545 के माध्यम से भेजा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट तवांग सेक्टर के सामने चीन की कुछ दो मंजिला इमारतें हैं। चीन ने इन इमारतों का निर्माण पूर्वी सीमा पर तैनात अपनी सैन्य टुकड़ियों को रखने के लिए किया होगा। वे ऊपर से सीमा को नहीं देखते हैं।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय डाक का आदान-प्रदान केवल नाथुला दर्रे में ही किया जा रहा है।

रानी दमयंती किला

6162. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रानी दमयंती किला और नरसिंह गढ़ किला केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन स्मारकों के अनुरक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन स्मारकों को संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित करने और इन्हें पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने पर विचार करेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, नरसिंह गढ़ दुर्ग को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने संबंधी प्रारंभिक अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ.सं. 273 (ई) दिनांक 1.3.2005 के तहत प्रकाशित की गई है। जहाँ तक रानी दमयंती दुर्ग का संबंध है, उसे फिलहाल संरक्षित स्मारक घोषित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 2057/05)

(2) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 2058/05)

(3) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 2059/05)

(4) भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 2060/05)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : मैं महोदय, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) निगम का वार्षिक प्रतिवेदन नियम, 2004, जो 22 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 173 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 2061/05)

(3) भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 2062/05)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 2063/05)

(2) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 2064/05)

(3) भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 2065/05)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 2066/05)

(ख) (एक) नेशनल इंस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इंस्ट्रूमेन्टस लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 2067/05)

(3) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंन्ट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल. टी. 2068/05)

(4) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2005 का संख्यांक 4)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-चुनिंदा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कतिपय कार्यकलापों की समीक्षा के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल. टी. 2069/05)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेलवे दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2005, जो 16 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 173 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल. टी. 2070/05)

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(1) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 2071/05)

(2) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-06 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 2072/05)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : महोदय, श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन की ओर से मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

(ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 2073/05)

अपराह्न 12.01 बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

161वें प्रतिवेदन से 171वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल (बलसाड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूँ?

(1) चुनिंदा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में समझौता ज्ञापन निष्पादन के बारे में समिति के 132वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 161वां प्रतिवेदन।

(2) महाराष्ट्र में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण प्रवाह के बारे में समिति के 146वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 162वां प्रतिवेदन।

(3) बुलंदशहर क्षेत्र के लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण प्रवाह के बारे में समिति के 147वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 163वां प्रतिवेदन।

(4) लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में समिति के 150वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा-की-गई कार्यवाही संबंधी 164वां प्रतिवेदन।

(5) भारी उद्योग विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004–2005) के बारे में समिति के 151वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 165वां प्रतिवेदन।

(6) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004–2005) के बारे में समिति के 152वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 166वां प्रतिवेदन।

(7) लघु उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004–2005) के बारे में समिति के 153वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 167वां प्रतिवेदन।

(8) लोक उद्यम विभाग की अनुदानों की मांगों (2005–2006) के बारे में 168वां प्रतिवेदन।

(9) भारी उद्योग विभाग की अनुदानों की मांगों (2005–2006) के बारे में 169वां प्रतिवेदन।

(10) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005–2006) के बारे में 170 वां प्रतिवेदन।

(11) लघु उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005–2006) के बारे में 171 वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैं यह वक्तव्य दिनांक 01 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन–भाग–II के तहत लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश 73 क के अनुसरण में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की पहली रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में दे रहा हूं।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की पहली रिपोर्ट लोक सभा में 19.8.2004 को प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ष 2004–2005 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है।

समिति की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाईयों का विवरण रक्षा संबंधी स्थायी समिति को 17.1.2005 को भेजा गया था।

उक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा 28 सिफारिशें की गई हैं, जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। ये सिफारिशें मुख्यतः बजटीय संसाधनों को बढ़ाने, अव्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण कोष की स्थापना करने, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, प्रशिक्षण, पेंशन संबंधी विषयों को व्यवस्थित करने, हमारी रक्षा जरूरतों के लिए दीर्घकालिक सामरिक योजना बनाने, रक्षा सेनाओं के लिए उत्तम उपलब्ध मशीनों और उपस्करों का अर्जन करने, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणियों का आधुनिकीकरण, उन्नत वैमानिकी और प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का विकास करने, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना करने, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण आदि जैसे विषयों से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शाई गई है जो सदन के पटल पर प्रस्तुत है। मैं इस अनुबंध के सभी तथ्यों को पढ़कर सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अनुबंध

*रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) द्वारा अपनी पहली रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण***

क्रम सं.	सिफारिश	पैरा सं.	कार्यान्वयन की स्थिति
1	2	3	4
1.	नई योजनाओं और जारी अर्जन प्रस्तावों पर घटे हुए आवंटनों के संभावित प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में मंत्रालय स्थिति का आकलन करे और यथाशीघ्र पूरक आबंटनों के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आधुनिकीकरण योजनाएं और अनिवार्य उपस्करों की अधिप्राप्ति प्रभावित न हो या धनराशि घटाने के कारण मात्र से विलंबित न हो।	33	रक्षा के लिए आबंटन बजट प्राक्कलन 2003–04 में 65,300 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़ाकर 77,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जिसमें बजट प्राक्कलन 2003–04 में 20,953 करोड़ की तुलना में 33,483 करोड रुपए के पूंजीगत व्यय के लिए आबंटन शामिल है।

*मंत्रालय में रखा गया, वेखिए संख्या एल. टी. 2074/05

**सभापटल पर रखा गया।

1	2	3	4
2.	पांच वर्षों की अवधि के लिए वचनबद्ध आबंटन के साथ रक्षा आधुनिकीकरण कोष स्थापित किया जाए।	43	धनराशि की सुनिश्चित उपलब्धता के विषय के समाधान में रक्षा आधुनिकीकरण कोष की उपयोगिता अपेक्षाकृत सीमित होगी इसलिए इस प्रस्ताव पर आगे जोर नहीं दिया जा रहा है।
3.	दसवीं रक्षा योजना को अंतिम रूप देने के बारे में मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाए।	51	मंत्रालय ने दसवीं योजना में रक्षा के लिए धनराशि के आबंटन को वित्त मंत्रालय के साथ जोर-शोर से उठाया है। वित्त मंत्रालय अब 418101 करोड़ रुपए के रक्षा मंत्रालय के नवीनतम प्रस्ताव से सिद्धांततः सहमत हो गया है। तथापि, 10वीं योजना के शेष दो वर्षों के लिए वार्षिक परिव्यय का पक्का संकेत अभी वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं दिया गया है।
4.	दीर्घकालिक सामरिक दृष्टिकोण से 15 वर्षीय सड़क मानचित्र तैयार किया जाए तथा इस संबंध में हुई कार्य की प्रगति से समिति को तीन महीने के भीतर अवगत कराया जाए।	52	दसवीं योजना से 12वीं योजना (2002-2017) तक की 15 वर्ष की अवधि को शामिल करते हुए दीर्घकालिक एकीकृत संदर्शी योजना का एक प्रारूप जून 2004 में बनाया गया था। एकीकृत रक्षा स्टाफ द्वारा 2005 की अंतिम तिमाही तक एक संशोधित योजना को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।
5.	रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया और संरचना की जांच के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया जाए।	57	रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए इस समय मंत्रालय में इसकी समीक्षा की जा रही है।
6.	रक्षा स्टाफ प्रमुख के गठन के लिए मंत्रालय द्वारा मंत्री	62	रक्षा स्टाफ प्रमुख के गठन में निहित जटिलताओं और समूह की सिफारिशों पर तत्काल विचार किया जाए। संवेदनशीलता को देखते हुए अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, रक्षा स्टाफ प्रमुख के पद के सृजन पर निर्णय लंबित रहते हुए सैन्याध्यक्ष समिति के एकीकृत स्टाफ प्रमुख के तहत एक एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के पद का सृजन किया गया है।
7.	राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तथा राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय का निर्माण	67	मंत्रिमंडल सचिवालय से अनुरोध किया जा रहा है कि वह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तथा राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और उसके आबंटन के लिए एक अंतरमंत्रालयीन उच्च स्तरीय समिति का गठन करें।
8.	एक भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना।	72-74	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय संबंधी समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों की सरकार जांच कर रही है तथा इस आशय की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है।
9.	सेना में अफसर कैडर में गिरावट को रोकना	82	इस मुद्दे की जांच करने के लिए रक्षा मंत्रालय में एक समिति का गठन किया गया था। अचयनित रैंकों में समय-आधारित पदोन्नतियों से संबंधित सिफारिशों का कार्यान्वयन पूरा किया जा चुका है। शेष सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।
10.	अल्पकालिक सेवा कमीशन की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष की जानी चाहिए, अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों	83	सेना में अल्पकालिक कमीशन-प्राप्त अफसरों का कार्यकाल 31 मार्च, 2004 से 10 वर्ष से बढ़ाकर

1	2	3	4
	को उनके कैडर में पदोन्नति को और अधिक अवसरों के लिए उपाय, आरक्षण और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सी पी एम एफ, रेलवेज आदि में पार्श्विक अंतरण तथा अफसरों को यथानुपात पेंशन।		14 वर्ष कर दिया गया है। सरकार द्वारा गठित की गई एक समिति द्वारा अल्पकालिक कमीशन–प्राप्त अफसरों के लिए सिविल सेवा परीक्षाओं में रियायतें, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों, सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों आदि में पार्श्विक भर्ती जैसे विशिष्ट उपायों की सिफारिशें की हैं, जिनकी जांच की जा रही है।
11.	एन सी सी कैडेटों को विशेषीकृत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे सेना चयन बोर्ड का अधिक आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकें।	84	सेना चयन बोर्ड प्रशिक्षण पाठयक्रम, राष्ट्रीय कैडेट कोर अफसर प्रशिक्षण अकादमी, कामठी और राष्ट्रीय कैडेट कोर अफसर प्रशिक्षण अकादमी, ग्वालियर में सेना चयन बोर्ड शिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए जाने के लिए सरकार की संस्वीकृत सूचित कर दी गई है।
	आधुनिक शिक्षण कार्यप्रणाली और बेहतर आधारभूत ढांचे के लिए आवश्यक सहायता मुहैया कराना।		सैनिक स्कूल में प्रवेश लेते समय प्रत्येक छात्र को राष्ट्रीय कैडेट कोर में अनिवार्य रूप से प्रवेश लेना होता है।
	एकरूप पाठयक्रम की शुरूआत के साथ ही क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी और अंग्रेजी के अध्ययन को बढ़ावा दें।		सैनिक स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ाई जा रही है।
12.	"सामान रैंक समान पेंशन" का कार्यान्वयन	88	सरकार ने समान रैंक समान पेंशन से संबंधित मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए मंत्री–समूह का गठन किया है।
13.	गृह मंत्रालय और आसूचना एजेंसियों से निकट से समन्वय करते समय सूचना निदेशालय को त्रि–सेवा निकाय होना चाहिए।	92	त्रि–सेवा स्तर पर सूचना युद्ध पद्धति संबंधी मामलों को हाथ में लेने के लिए आई डी एस मुख्यालय में सूचना युद्ध–पद्धति एवं सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय का गठन किया गया है।
14.	इलेक्ट्रानिक युद्ध–पद्धति और इलेक्ट्रानिक रोधी–रोधी उपाय के अर्जन और तैनाती को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और स्वदेश में उनकी तैनाती के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।	94	इलेक्ट्रानिक युद्ध–पद्धति और इलेक्ट्रानिक रोधी–रोधी उपायों के अर्जन के लिए उच्च प्राथमिकता की स्वीकृति दी गई है।
15.	हमारे सैनिकों को विश्व में उपलब्ध सर्वोत्तम उपस्कर अवश्य उपलबध कराए जाने चाहिए।	101	इस समिति की सिफारिशों को भावी योजनाओं में क्रियान्वित करने के लिए सहमति दी गई है।
16.	सुरंग फ्यूजों के पुराने और दोषपूर्ण स्टाक को आधुनिक अत्याधुनिक सुरंगों तथा प्रभावी संक्रियाओं में इस्तेमाल करने के लिए सुरंग हटाने हेतु खुदाई उपस्करों को अत्याधुनिक खुदाई उपस्करों से प्रतिस्थापित किया जाए।	103	1975 की अवधि तक के माइनों के पुराने भण्डारण को "अप्रयोज्य" घोषित कर दिया गया है तथा इनका निपटान किया जा रहा है जबकि 1976 – 1989 की अवधि के माइनों का गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा प्रूफ परीक्षण किया जा रहा है। भावी संक्रियाओं के लिए सेना मुख्यालय नई श्रेणी की अत्याधुनिक माइनों और सुरंग हटाने वाले उपस्करों की अधिप्राप्ति करने पर विचार कर रहा है।
17.	यह सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालीन योजना बनाना जिससे भारत डायनामिक्स लिमिटेड को नियमित रूप से आर्डर मिल सकें तथा इन उत्कृष्ट केन्द्रों में विकसित विशेषज्ञता तथा स्थापित की गई अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभप्रद इस्तेमाल हो सके।	109	सशस्त्र बलों की संदर्शी योजना को शीघ्र अंतिम रूप देने से भारत डायनामिक्स लिमिटेड अपना उत्पादन कार्यक्रम नियोजित करने तथा स्थापित क्षमता को बेहतर इस्तेमाल करने को सुनिश्चित करने में सक्षम होगा। कंपनी अपने उत्पादों का अन्य देशों को निर्यात किए जाने की संभावनाओं का भी पता लगा रही है।

1	2	3	4
18.	आयुध निर्माणियों के समयबद्ध आधुनिकीकरण के कार्यक्रम का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए तथा उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर प्रतियोगी बनाने हेतु उनके लिए अलग से पर्याप्त वित्तीय आबंटन निर्धारित किया जाना चाहिए।	115 और 123	अभिमतों को अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया है। नयी पूंजी तथा नवीकरण तथा प्रतिस्थापन के तहत १०वीं योजनावधि के दौरान १८०४ करोड़ रुपए की अनुमानित राशि के प्रस्तावित की गई है जिस पर सरकार विचार कर रही है।
19.	(क) आयुध निर्माणी बोर्ड की घरेलू बाजार में अपना बाजार शेयर बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण के जरिए नये उत्पादों को शामिल करके व्यापक योजना बनानी चाहिए।	116	समिति द्वारा की गई इन सिफारिशों को अनुपालन करने के लिए नोट कर दिया गया है।
	(ख) आयुध निर्माणी बोर्ड को भी अपना निर्यात और बढ़ाने के लिए एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। विशेषज्ञों को शामिल करके आयुध निर्माणी बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ताकि इसे सच्चे अर्थों में एक व्यावसायिक निकाय बनाया जा सके।		इस संबंध में विभिन्न विशेषज्ञ समूहों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का पुनर्गठन किए जाने संबंधी समिति की सिफारिशों को लागू किए जाने पर विचार किया जाएगा। तथापि, आयुध निर्माणी बोर्ड के पास प्रयोक्ताओं, अभिकल्पन और निरीक्षण एजेंसियों तथा उत्पादनों के प्रतिनिधि हैं जो अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं।
20.	आयुध निर्माणी बोर्ड की गोलाबारूदों के विनिर्माण और भंडारण में और सावधानी बरतनी चाहिए ताकि महत्वपूर्ण गोलाबारूद बर्बाद न हो पाए।	123	समिति की सिफारिशों का अनुपालन करने के लिए नोट कर लिया गया है।
21.	नौसेना की 15वर्षीय पोत निर्माण योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि का आबंटन।	134	यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सभी उपाय किए जाएंगे कि नौसेना को पर्याप्त धनराशि का आबंटन किया जाए ताकि वह अपना बलस्तर बनाए रख सकें।
22.	तटरक्षक बल को नवीनतम अत्याधुनिक उपस्करों और प्रणालियों से पूरी तरह से सुसज्जित करने के लिए इसे पर्याप्त बजटीय सहायता मुहैया कराई जानी चाहिए।	142	तटरक्षक बल को समय समय पर नये प्रकार के यानों/विमानों से सुसज्जित किया गया है ताकि यह विशिष्ट कार्यात्मक आवश्यकता पूरी कर सके। तटरक्षक बल के यानों/विमानों का आधुनिकीकरण तथा उनमें उपयुक्त बढ़ोत्तरी सतत आधार पर की जाती है।
23.	यह सुनिश्चित करना कि उन्नत लड़ाकू विमान को शामिल करने की योजना में और विलंब नहीं हो तथा मिराज–2000 का लाइसेंसशुदा उत्पादन सुनिश्चित करना।	153	मार्च, 2007 में प्रारंभिक प्रचालन मंजूरी तथा मार्च, 2009 में अंतिम प्रचालन मंजूरी के साथ उन्नत लड़ाकू विमान के प्रथम उत्पादन रूपांतर को शामिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रथम स्क्वाड्रन को 2010–11 तक वायुसेना में शामिल किए जाने की संभावना है।
24.	मंत्रालय के जनसंपर्क प्रभाग को वास्तविक स्थिति सही संदर्भ में प्रस्तुत करने के लिए और अधिक अग्रसक्रिय बनाने के लिए पर्याप्त रूप से सुदृढ़ तथा सुग्राही बनाया जाना चाहिए।	154	जनसंपर्क निदेशालय के मीडिया कार्यकलापों को सुदृढ़ तथा आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।
25.	ऐरोस्पेस कमान के विकास की वायुसेना मुख्यालय द्वारा से जांच की जानी चाहिए तथा कमान को शीघ्रातिशीघ्र स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।	158	सरकार एरोस्पेस कमान से संबंधित सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

1	2	3	4
26.	देश की समूची अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पर्याप्त संख्या में सेंसरों/रेडारों की स्थापना की जाए।	161 तथा 162	पश्चिमी तथा उत्तरी सीमाओं पर पर्याप्त मध्यम स्तर की कवरेज पहले ही मौजूद है। मध्य तथा प्रायद्वीपीय भारत में एयरस्पेस कवरेज पर्याप्त रूप से अभी की जानी है।
	सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रक्षा बलों को उच्च विभेदन कैमरों सहित सैन्य सेटलाइटों से सज्जित करें।		भारतीय एयरस्पेस की निगरानी में बढ़ोत्तरी करने के लिए उपग्रह आधारित निगरानी कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।
27.	उन्नत वैमानिकी प्रणालियों का स्वदेशी रूप से विकास करें।	170	सरकार ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा उन्नत वैमानिकी प्रणालियों के लिए आवश्यक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के स्वदेशी विकास तथा विनिर्माण के लिए विशेज्ञता प्राप्त करने हेतु कई कदम उठाए हैं।
28.	ब्रह्मोस तथा नाग के विकास में तेजी लाई जाए।	175	भारत–रूस संयुक्त उद्यम ने ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र के पोत–रोधी रूपांतर का विकास पूरा कर लिया है। भूमि से भूमि रूपांतर विकास के चरण में हैं। सुखाई विमान (एस यू–30 एम के–1) से हवा से दागे जाने वाले प्रक्षेपास्त्र के लिए अभिकल्पन प्रयास शुरू हो गए हैं।
			सेना विमानन के लिए उन्नत हल्का हेलिकाप्टर में लगाए जाने वाले नाग प्रक्षेपास्त्र का विकास किया जा रहा है तथा परियोजना में तेजी लाई जाएगी। ए एल एच–नाग कैरिज ट्रायल 2005 की दूसरी तिमाही में किए जाने की योजना है।

अपराह्न 12.04 बजे

अविलम्बीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से पांच क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाएं समाप्त करने के हाल के निर्णय से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

श्री सर्बानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ़) : महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:–

> "पांच क्षेत्रीय भाषाओं में दिल्ली से सेवाएं समाप्त करने के आकाशवाणी के हाल ही के निर्णय से उत्पन्न होने वाली स्थिति और उस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : महोदय, प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दिल्ली से कुछ क्षेत्रीय भाषा समाचार एककों स्टाफ सहित आकाशवाणी के संबंधित क्षेत्रीय केन्द्रों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में क्या हो रहा है? सब लोग एक ही साथ कैसे बोल सकते हैं?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में दो प्रकार के समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है। इन बुलेटिनों का संकलन और संपादन नई दिल्ली में सामान्य समाचार कक्ष द्वारा किया जाता है। इनको केवल उसी राज्य में, श्रोताओं द्वारा सुना जाता है जहाँ मुख्यतः उनकी क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। ये बुलेटिन राष्ट्रीय समाचार और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय और व्यापार संबंधी समाचार श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। ऐसी 17 भाषाएँ हैं।

अब मैं राज्य स्तर के क्षेत्रीय भाषा बुलेटिनों पर आता हूं। इनका संकलन राज्य की राजधानी स्थित आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकक द्वारा किया जाता है लेकिन कुछेक बड़े राज्यों में ऐसे क्षेत्रीय समाचार एकक एक से अधिक हैं। ये बुलेटिन राज्य स्तर के विकासात्मक समाचारों और अन्य मुख्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर केंन्द्रित होते हैं।

ये दोनों बुलेटिन विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय भाषाई लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इन दोनों प्रकार के बुलेटिनों की प्रसारण कवरेज में कोई अंतर नहीं है। तथापि, सिंधी एक ऐसी क्षेत्रीय भाषा है जो किसी भी राज्य की सरकारी भाषा नहीं है। इस भाषा में केवल राष्ट्रीय भाषा के बुलेटिन प्रसारित किए जा रहे हैं।

इस समय, दिल्ली से 17 राष्ट्रीय स्तर के क्षेत्रीय भाषाई बुलेटिनों को तैयार, संपादित अनूदित किया जा रहा है और पढ़ा जा रहा है। विभिन्न समस्याएँ उभर कर सामने आई हैं जैस कि–

(i) उपयुक्त ज्ञान और क्षेत्रीय भाषा में कौशल रखने वाले, अनुवाद कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु क्षेत्रीय भाषा के पर्याप्त समाचार संपादकों की कमी। इससे समाचारों के प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है

(ii) अनुवाद का अधिकांश कार्य स्थायी कर्मचारियों की कमी के कारण अस्थायी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है जिसकी वजह से शब्द चयन और लहजे आदि में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।

यह महसूस किया गया था कि राष्ट्रीय स्तर के बुलेटिनों से संबंधित क्षेत्रीय भाषा समाचार एककों का राज्यों की राजधानियों में स्थानांतरण करने से इन परिचालनात्मक कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा। प्रत्येक राज्य की राजधानी में क्षेत्रीय समाचार एकक के पास प्रशिक्षित समाचार संपादक होते हैं जो दिल्ली की स्थिति के विपरीत क्षेत्रीय भाषा में भी धारा प्रवाही होते हैं। इसके अतिरिक्त, यह एक सार्वभौमिक तथ्य है कि राज्य की राजधानियों में उपलब्ध समाचार वाचक/समाचार वाचक–सह–अनुवादक दिल्ली के समाचार वाचकों की तुलना में आवाज की गुणवत्ता तथा भाषा–ज्ञान एवं शब्दों का चयन दोनों के संबंध में उच्चतर मानक रखते हैं।

राष्ट्रीय स्तर के बुलेटिन नई दिल्ली स्थित सामान्य समाचार कक्ष द्वारा तैयार किए गए अनुमोदित मूल आलेख पर आधारित होंगे और श्रोताओं को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समाचार दोनों यथावत् प्राप्त होते रहेंगे लेकिन अनुवाद का लहजा एवं गुणवत्ता बेहतर होगी। आकाशवाणी के ठीक उतनी ही संख्या में क्षेत्रीय केन्द्र समाचार बुलेटिनों का प्रसारण करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में श्रोताओं पर इस परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

तीन इकाइयों को निम्नानुसार स्थानांतरित किया गया है:–

(i) दिनांक 1.4.2005 से तेलुगू को हैदराबाद।

(ii) दिनांक 27.4.2005 से कन्नड़ को बंगलौर/धारवाड़।

(iii) दिनांक 27.4.2005 से सिंधी को अहमदाबाद।

महोदय, इस मुद्दे पर इस मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के संसद सदस्यों की बैठक में भी चर्चा की गयी और तत्पश्चात् इस संबंध में सभी संबंधित संसद सदस्यों की सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ एक अलग बैठक में भी चर्चा की गयी।

बुलेटिनों को स्थानांतरित करने का यह निर्णय संपूर्ण राष्ट्र को एकीकृत करने की आकाशवाणी की भूमिका के विरूद्ध नहीं होगा। इस निर्णय से भाषाई बुलेटिनों के राष्ट्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए संपादकीय मार्गदर्शन ऑनलाइन संचार का प्रयोग करके दिल्ली से उपलब्ध कराया जा सकता है।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : माननीय मंत्री जी ने जो कुछ भी कहा है वह मैं समझता हूँ कि पूरी तरह देश हित के विरूद्ध है। इसका कारण यह है कि आकाशवाणी ने देश, विशेषकर पूरे देश को एक सूत्र में बांधने में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने तीव्र और विविधतापूर्ण नेटवर्क के माध्यम से इसने विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को एक सूत्र में बांधा है। इसने देश में एकता स्थापित करने की भूमिका निभाई है।

यह सही दिशा में उठाया गया कदम नहीं है और यह राष्ट्रीय अखंडता के विरूद्ध है। यह संबंधित राज्यों विशेषकर असम ओर उत्तर पूर्व में बड़ी संख्या में लोगों की भावनाओं को भी आहत करता है। हम राष्ट्रीय राजधानी से काफी दूर हैं। यदि हम राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े हैं तो यह भाषा के माध्यम से है। भाषा अत्यन्त ही संवदेनशील मुद्दा है। अब, वे राष्ट्रीय राजधानी से असमिया भाषा को अलग करना चाहते हैं। यह राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया के हित के विरूद्ध में जाएगा। इसलिए, हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। यही कारण है कि यह निर्णय लेने से पहले विशेष रूप से माननीय मंत्री को देश के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों के बारे में सोचना चाहिए था। हम एक साथ रहना चाहते हैं। भारत को एक साथ रहना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी में प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्थान होना चाहिए। अपनेपन की भावना को मजबूत बनाया जाना चाहिए। इस सभा में माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पर्याप्त क्षेत्रीय भाषा के समाचारों के संपादकों की कमी है। इस "पर्याप्त" का अर्थ क्या है? आपका इस अंतर को पाटने के लिए साधन संपन्न व्यक्तियों को भर्ती करने का कोई इरादा ही नहीं है। आप कह रहे हैं इसका

समाचार प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि यदि आपके पास साधन संपन्न व्यक्ति नहीं हैं तो इसका प्रभाव पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइये। उन्होंने सिर्फ तीन एककों को उल्लेख किया है।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होने वाला समाचार अपनी विषय वस्तु और अपनी गहराई में क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा प्रसारित समाचारों से भिन्न होते हैं। इसका कारण यह है कि यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को कवर करता है। जैसा कि आप कह रहे थे कि समाचार दिल्ली क्षेत्रीय केन्द्रों से फैक्स किए जा सकते हैं। मैं हैदराबाद से संबंधित विषय का उल्लेख करना चाहता हूँ और यह किस तरह से पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। तेलुगू एकक को हैदराबाद स्थानान्तरित करने के बाद यह पता चला है कि विषय और समाचार दिल्ली से हैदराबाद फैक्स किए जा रहे हैं यहां समाचार के अनुवाद और प्रसारण के लिए पहले से ही उपलब्ध नियमित स्टाफ के अलावा नैमित्तिकों को नियुक्त किया जा रहा है। इसने स्थानान्तर के पहले से पालन की जा रही विद्यमान सुस्थापित प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। इससे न तो गुणवत्ता में सुधार हुआ न ही प्रशासन द्वारा जैसा कि दावा किया गया कोई प्रशासनिक सुविधा नहीं हुई। अब मैं अपना वाद–विवाद और लम्बा नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं असम और उत्तर–पूर्व अत्यन्त ही संकट के दौर से गुजर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि देश का वह भाग राष्ट्रीय राजधानी से अलग–थलग रहे।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इन सभी घटनाओं पर विचार करने के पश्चात् क्या माननीय मंत्री जी इन सब चीजों की पुनः जांच करेंगे और नई दिल्ली से भाषा समाचार बुलेटिन को जारी रखेंगे? मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट, मंत्री जी। यद्यपि अन्य कोई सूचना समय पर नहीं दी गई है, मैं कुछ माननीय सदस्यों का नाम पुकारूँगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : ठीक है, महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको आपत्ति होती भी तो मैं इसे अस्वीकार कर देता। आपकी बात को अस्वीकार करना कठिन है। मेरे पास लम्बी सूची है और मैं सबको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं शुरू में श्री मोहन सिंह का नाम पुकारता हूँ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली भारत की राजधानी है और हम ऐसा मानते हैं कि भारत की सभी भाषाओं और सभी राज्यों का समावेश दिल्ली के जरिये है। श्री एस. जयपाल रेड्डी साहब जैसे विद्वान और सक्षम मंत्री के रहते हुए यह बहाना बनाना कि क्षेत्रीय भाषाओं के बुलेटिन राजधानी से केवल इसलिए जारी नहीं किए जा रहे हैं कि यहां उनकी जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो उनके उद्घोषक हैं, उनका उन भाषाओं का जो उच्चारण हैं, उसके बारे में उनकी जो समझ है, वह उचित नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस तरह की बात करना रेड्डी साहब जैसे योग्य मंत्री के लिए उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हम भारत की पहचान दिल्ली को समझते हैं और हिन्दुस्तान के सभी राज्यों के लोग भारत की राजधानी होने के नाते दिल्ली शहर में रहते हैं। उन लोगों को जब देश की राजधानी दिल्ली में उनकी क्षेत्रीय भाषा में, उनके राज्य की भाषा में खबरें नहीं मिलती हैं, तो उनमें असंतोष पैदा होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि वे भारत के नहीं, बल्कि एक सीमित राज्य और प्रदेश के हैं जहां की भाषा वे बोलना जानते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि भारत के वृहत्तर स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए, इन सभी क्षेत्रीय भाषाओं में, भारत की राजधानी से, उसके सेंटर से प्रसारण होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी इस बारे में क्या कार्रवाई कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त ही संवेदनशील मामला है। मैं निश्चित रूप से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अविश्लेश्य कारणों और विचारों–जो प्रासंगिक नहीं है–से निर्देशित नहीं हों। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह प्रसार भारती के अधिकारियों द्वारा दिग्भ्रमित नहीं हो जो व्यापक अवधारणा और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वे वित्तीय और तकनीकी कारणों से राष्ट्रीय एकता का त्याग कर रहे हैं।

मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस मुद्दे का उठाया। मैं समझता हूँ कि उनकी इस भावना को समझना होगा कि आकाशवाणी का दिल्ली केन्द्र एक संस्था है और यह राष्ट्रीय विरासत का लगभग एक केन्द्र बन संस्था है। किसी भी

परिस्थिति में हमें अलगाव नहीं होने देना चाहिए और यह संकेत नहीं देना चाहिए कि भारत एक विकेन्द्रित केन्द्र बन गया है और आकाशवाणी जो कि पूरे राष्ट्र की एक इकाई के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। जैसे संस्थानों की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : डा. बाबू राव मिडियम।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : तेलुगू भाषा प्रभावित हुई है तेलुगू भाषा का समाचार बुलेटिन स्थानांतरित कर दिया गया है यही कारण है मैंने उनका नाम पुकारा है।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, इस मुद्दे को सबसे पहले मैंने ही उठाया है।

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

तेलुगू, कन्नड़ और सिन्धी भाषा के समाचार बुलेटिन एकक संबंधित राज्य की राजधानियों में स्थानान्तरित कर दिए गए हैं। मैं महसूस करता हूँ कि तेलुगू भारत में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। मेरे और मंत्री जी दोनों की यह मातृभाषा है। इतना ही नहीं तेलुगु को 'इटालियन ऑफ ईस्ट' कहा जाता है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा, मैं महसूस करता हूँ कि यह राष्ट्रीय अखंडता की भावना को कमजोर करना है क्योंकि समाचार के अनुवाद, संकलन और एकत्र करने की प्रक्रिया में उस भाषा के मौलिक शब्द और क्षेत्रीय भावना और भी कमजोर हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

डा. बाबू राव मिडियम : मेरा प्रश्न यह है कि इस पूरी समस्या की जड़ दिल्ली रेडियो स्टेशन में कर्मचारियों की कमी है क्योंकि समाचार वाचक की नियुक्ति पर वर्षों से प्रतिबंध लगा हुआ है। अतः समाचार वाचकों की संख्या कम होने के कारण अपनी मातृभाषा के अलावा और अधिक भाषाओं के जानकार व्यक्ति को उस ड्यूटी भाषा से संबंधित कार्य भी दे दिया जाता है। जिसकी उसे जानकारी होती है। परिणामस्वरूप विभिन्न भाषाओं के समाचार एककों में कार्य करने वाले लोगों में दिन–प्रतिदिन कटौती की जा रही है।

अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय नियुक्ति पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त करके दिल्ली रेडियो स्टेशन के क्षेत्रीय भाषा समाचार एकक में और अधिक लोगों की नियुक्ति करने पर विचार करेंगे ताकि हम दिल्ली से क्षेत्रीय भाषा में प्रसारित होने वाले समाचार की प्रसारण अवधि में वृद्धि कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपने अपना प्रश्न पूछ लिया। श्री रामदास आठवले।

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर अपनी सहमति व्यक्त करना चाहती हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। जब आपको पुकारा जाए तब आप ऐसा कर सकती हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, डा बाबू राव मिडियम द्वारा व्यक्त किए विचारों पर मैं भी अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप सहमति व्यक्त कर सकते हैं लेकिन भाषण नहीं दे सकते हैं। इस मुद्दे पर किसी सदस्य ने नोटिस भी नहीं दिया है। केवल एक सदस्य ने नोटिस दिया और मैंने उनको मौका दिया। लेनिक अब सदस्यों की नामावली मेरे पास है जो प्रश्न पूछना चाहता है। मैं उनमें से सभी को मौका नहीं दे सकता हूँ।

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, मैं भी आन्ध्र प्रदेश की हूँ। लेकिन मेरी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है।

अध्यक्ष महोदय : हाँ, आप उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश दोनों के लिए अपनी सहमति व्यक्त करती हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, इस पर मैं भी अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, व्यक्त कीजिए। यह अपवाद है। भाषा से जुड़े सवाल बहुत ही संवेदनशील होते हैं और यही कारण है कि इस मामले में मैं रियायत दे रहा हूँ।

श्री रामदास आठवले, यदि आपका हस्तक्षेप प्रासंगिक है तो, कृपया प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : जी हां, रिलेवेंट है, सर। 50 से भी ज्यादा साल हो रहे हैं। हमारी 17 इंडियन लैंग्वेज है। इनका बुलेटिन ऑल इंडिया रेडियो, दिल्ली से निकलता है और इस न्यूज को इंडिया में रहने वाले मराठी भाषी लोग भी सुनते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ प्रश्न पूछिए।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से इतना ही सवाल है कि दिल्ली से जो इंडियन लैंग्वेज़ का बुलेटिल चल रहा है, यह चालू रहना चाहिए। अगर आपको इस

लैंग्वेज के लोग नहीं मिलते तो हम देने के लिए तैयार हैं। मतलब, आपको जिस लैंग्वेज के लोग चाहिए, वे हम देने को तैयार हैं। इसलिए आप इस बुलेटिन को बंद मत करिए, यह दिल्ली से चालू रहना चाहिए, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय की पसंद होने के कारण मैं अपवाद स्वरूप श्री हन्नान मोल्लाह को आमंत्रित करता हूँ। लेकिन भविष्य में इसे परम्परा नहीं बनाया जाना चाहिए।

श्री हन्नान मोल्लाह : धन्यवाद, महोदय, इसे परम्परा नहीं समझा जाएगा।

महोदय, क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार एककों को स्थानांतरित करने का यह तीसरा प्रयास है। पहला प्रयास श्रीमती सुषमा स्वराज के समय किया गया था। उस समय मैंने इसका विरोध किया और रोक लगवायी थी। दूसरा प्रयास अरूण जेटली के समय में किया गया था और उस समय भी मैंने इसका विरोध किया और ओर रोक लगवायी।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री हन्नान मोल्लाह : अब यह तीसरी बार किया जा रहा है जब मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया। मंत्री जी के साथ मेरी लम्बी बातचीत हुई थी और वह भी इस मामले के प्रति नरम रूख रखते हैं। इस मामले में मर्ज की सटिक पहचान तो कर ली गई लेकिन उसका इलाज गलत किया जा रहा है। टायफॉयड को ठीक करने के लिए आप मधुमेह और डायरिया की दवा नहीं दे सकते हैं।

दो समस्याएं हैं। पहली, क्षेत्रीय भाषा का समाचार दिल्ली से पढ़ा जाता है, कभी – कभी भाषा गलत होती है क्योंकि समाचार वाचक बहुत दिनों तक दिल्ली में रहते हैं और फलतः अपनी ही भाषा भूल जाते हैं। समस्या तो यह है।

दूसरी, संपादन की समस्या है। इसे दूर करने के लिए सरकार को नए लोगों की नियुक्ति करनी चाहिए। यह कार्य करने की बजाय वे एककों को बंद कर रहे हैं। इस प्रकार मर्ज की सही पहचान कर लेने के बाद गलत इलाज किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है, भाषा से संबंधित प्रश्न, इससे राष्ट्र की एकता जुड़ी हुई है अतः नौकरशाही सोच से कोई लाभ नहीं होगा।

प्रश्न यह है कि वहां 61 कर्मचारी कार्यरत है। वे पुराने है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनकी नौकरी खतरे में पड़ेगी या नई नियुक्ति की जाएगी। मैं सदन के नेता से जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय एकता के हित में कम से कम आकाशवाणी के मामले में प्रतिबंध में छूट देगी।

अध्यक्ष महोदय : हमें संवेदनशील मंत्री मिला है। मुझे विश्वास है कि वे इस पर ध्यान देंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं आशा करता हू कि इस ओर ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस बारे में बोलने के लिए नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नोटिस तो सभी ने दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लगभग 15 माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, मुझे खेद है। मैं आपका बहुत अनुग्राही हूँ। अब कुछ भी रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया उनके प्रश्न का उत्तर न दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं सभा में अनुशासनहीनता की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि देश में एकता बनाए रखने में आकाशवाणी की ऐतिहासिक भूमिका रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आकाशवाणी एकता बनाए रखने में सतत भूमिका निभाती रहेगी।

दूसरा यह कि मैं यही सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता समझता हूं कि भारत में विभिन्न भाषाओं को अनुरक्षित ही नहीं बल्कि प्रोत्साहित भी किया जाता है। हमारा देश धार्मिक विविधता के लिए ही नहीं बल्कि भाषायी विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है।

अतः मैं भाषा के प्रति संवेदनशील रहता हूँ। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को मैं भलीभांति समझता हूं; मुझे आशंका है कि उन्हें ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

उपग्रह प्रौद्योगिकी के आविर्भाव से पहले यह होता था कि इन समाचार प्रसारणों का वाचन दिल्ली से किया जाता था। लेकिन वे संबंधित भाषा के राज्यों में ही सुने जा रहे थे। इसका कारण यह था कि प्रसारण का अनुवाद, वाचन दिल्ली से होता था। इसका मतलब यह नहीं है कि वे पूरे देश में सुने जाते थे। इस बदलाव के साथ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं उनकी बात अंत में सुनूंगा। मैं सुन रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि वे तथ्य को नोट कर लें।

श्री किन्जरपु येरननायडु : उन्हें बोलने दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : तेलुगू भाषा के प्रति मुझे प्रेम है और मैं किसी की नहीं मानूंगा चाहें वह येरननायडु हों या उत्तर प्रदेश की संसद सदस्य, जयाप्रदा। यह कृपया याद रखें कि प्रसारण का वाचन दिल्ली से हो या संबंधित राज्य से इसके प्रसारण के कवरेज में .001 प्रतिशत का भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

समस्या यह है कि मूल प्रति या तो अंग्रेजी में या हिन्दी में दिल्ली में तैयार की जाती है। अनुवाद की गुणवत्ता, उच्चारण की गुणवत्ता, शैली की गुणवत्ता और प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक भी संपादन कर्मचारी नहीं हैं। ये व्यवहारिक समस्याएं हैं। हमें लोगों से, जो कि श्रोता हैं, गुणवत्ता संबंधी शिकायतें मिलती हैं। हो यह रहा है कि दिल्ली में तैयार मूल प्रति त्वरित अनुवाद और उत्तर पूर्वी वाचन के लिए संबंधित राज्य की राजधानी में भेज दी जाती है। हालांकि इसका वाचन वहीं से होता है, यह नहीं कहा जाता कि हैदराबाद से समाचार सुनिए। यह राष्ट्रीय प्रसारण है। इसकी विषय–वस्तु राष्ट्रीय स्तर की होती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समाचार होता है। इसमें व्यापारिक समाचार होता है। अतः मैं नहीं मानता कि इसकी गुणवत्ता पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। परंतु, मैंने अभी तक इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है क्योंकि मैं अभी भी परामर्शदात्री समिति के साथ परामर्श की प्रक्रिया में लगा हुआ है। हम लोगों ने महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। अंत में मैं आपके सुझावों के आधार पर ही निर्णय करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इस अफवाह का शिकार बने कि किसी न किसी तरह भाषा का अपमान किया जा रहा है। यह सच है कि कोई छटनी नहीं की जाएगी।

इससे वे ही लोग प्रभावित होते हैं जिन्हें दिल्ली में बार–बार अनियत समाचार वाचक के रूप में नियुक्त किया जाता है। मूल प्रति का तेलुगु में अनुवाद और वाचन करने वाले लोग हैदराबाद के अनुवादकों और वाचकों जितने दक्ष नहीं होते हैं। जब प्रसारण का कवरेज प्रभावित ही नहीं होता तब हम वाचन के स्थान को लेकर परेशान क्यों हों?

अतः माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे परेशान न हों। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी हम सुनने को तैयार हैं। प्रसार भारती ने 2000 में अपनी बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया उसके बाद से सभी सोपानों का अनुसरण किया जा रहा है। लेकिन मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इससे हमारी राष्ट्रीय एकता पर कोई प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है। मैं यह भी आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय एकता इतनी मजबूत है कि इन छोटी–मोटी चीजों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करेंगे। श्री रामजी लाल सुमन।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आज देश के कोने–कोने से हजारों की संख्या में असंगठित मजदूर जंतर–मंतर पर एकत्रित हुए हैं और उनकी जो वेदना और समस्या है उसका इज़हार करने के लिए वे संभवतः आपसे भी मिलेंगे। हमारे देश में 92 प्रतिशत असंगठित मजदूर हैं और उनका कोई भविष्य नहीं है। उनको नियमित रूप से काम नहीं मिलता है चाहे खेती, हथकरघा, खुदरा व्यापार, घरेलू नौकरी या विनिर्माण का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में इनकी सेवाएं नियमित नहीं हैं। पिछली राजग सरकार के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 में लालकिले के मैदान से यह कहा था कि हम एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इसके पश्चात श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया कमेटी, श्री एस. पी. गुप्ता कमेटी और द्वितीय श्रम आयोग ओर न जाने क्या–क्या किया गया, लेकिन देश के बेरोजगारों को काम देने की दिशा में वह कोई सार्थक पहल नहीं कर पाई। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर उन्होंने कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन वे सब चीजें उन्हीं के साथ चली गईं।

अब जो यूपीए की सरकार है, इसने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह प्रतिबद्धता जताई थी कि ग्रामीण अंचलों के बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाएगा, रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इन लोगों ने इस सदन में ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल भी पेश किया था उसमें यह भरोसा दिलाया गया था कि देश के हर बेरोजगार आदमी को हम काम देंगे। लेकिन हुआ यह कि 365 दिन काम देने की जो उनकी प्रतिबद्धता थी, वह सौ दिन के काम में परिवर्तित कर दी गई। हमारे देश में 593 जिलों में से सिर्फ 150 जिलों में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। हर बेरोजगार को काम देने की जगह यह सुनिश्चित किया गया कि ग्रामीण अंचलों में गरीबी

रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के लोगों में से केवल एक आदमी को रोजगार देने का काम किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह देश की बहुत गंभीर समस्या है। मैं यह मानता हूं कि हमारे समाज में जो तनाव है, उसका प्रमुख कारण बेरोजगारी है। आज वही लोग अपनी वेदना कहने आए हैं। मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि पिछली सरकार की तरह यह सरकार भी मजदूरों को काम देने की दिशा में गंभीर नहीं है। गांधी, लोहिया और जय प्रकाश के देश में मैं हिंसा की वकालत नहीं कर सकता लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि आज देश के विभिन्न प्रांतों में जो तनाव है, जिसे हम नक्सलवाद कहते हैं, उसके मूल में बेरोजगारी की भावना है। आज मैं आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह करूंगा कि जो हजारों की संख्या में देश के कोने-कोने से लोग अपनी वेदना कहने आए हैं, अपने गुस्से का इज़हार करने आए हैं उनकी बात पर गंभीरता के साथ ध्यान दे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजी लाल सुमन, मैंने आपको इस मामले को उठाने की अनुमति दी है। यह पर्याप्त है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से एसोसिएट नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे या नहीं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर मुझे चार अन्य माननीय सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं अब उनके नाम लेने जा रहा हूं। उनके नाम इस मामले से सहबद्ध होना माने जाएंगे। ये नाम इस प्रकार है:-

1. श्री हन्नान मोल्लाह
2. श्री मोहन सिंह
3. श्री विजय कृष्ण, और
4. श्री रामदास आठवले

अन्य माननीय सदस्यों ने सूचना देने का कष्ट तक नहीं उठाया। अब खड़े होने से कुछ नहीं होगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं इसके महत्व को कम नहीं कर रहा हूँ। मैंने इस मामले को पहले मामले के रूप में उठाए जाने की अनुमति दी है। मैं यह निदेश दे रहा हूँ कि इन चार माननीय सदस्यों का नाम इससे सहबद्ध होने के रूप में नोट किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता यहाँ बैठे हुए हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। मैं यह कह चुका हूँ।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन जी, आप एक वरिष्ठ और जिम्मेदार सदस्य हैं। श्री मोहन सिंह जी, अध्यक्ष किसी भी माननीय मंत्री पर तत्काल उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। या, मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता हूँ। परन्तु यहां मंत्री जी बैठे हुए हैं। उन्होंने आपकी बात सुन ली है। यह पूरी तरह से उन पर निर्भर है कि वे उत्तर देते हैं या न दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। अतः मैंने इसे उठाने की अनुमति दी है। श्रीमती जयाप्रदा।

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर) : महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान महिला वर्ग की सुरक्षा पर आए संकट की तरफ दिलाना चाहती हूं। किताबों में लिखा है और हम बड़े लोगों से भी सुनते हैं-

कार्याशुदासी, कर्णेशु मंत्री
रूपेशु रम्भा गृहणेशु लक्ष्मी।

महिलाओं की इज्जत सिर्फ किताबों तक सीमित है। मैं आज इस सदन में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कहना चाहती हूं कि यह बहुत चिन्ता की बात है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बताया जाता है, खास तौर पर दिल्ली जैसे महानगर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यह बहुत ही दुख की बात है। आज लोग महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और उनके लिए कानून बनाते हैं। महिलाओं को पुरुषों के बराबर माना जाता है, लेकिन आज भी महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। इसमें कानून की भूमिका बहुत अहम है। जो सरकार बनती है, उस सरकार का प्रथम कर्तव्य महिलाओं को सुरक्षा दिलाने का बनता है।

मैं यह भी याद दिलाना चाहती हूं कि–

[अनुवाद]

एक संवैधानिक उपबंध है। संवैधानिक शपथ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समानता, सुरक्षा, न्याय और अवसर प्रदान किया जाएगा।

[हिन्दी]

अगर आज महिलाओं की स्थिति देखें, तो हम महिलाओं को रोजगार देने के बारे में सोच रहे हैं, उनको शिक्षा देने के बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। पिछली बार मैनपुरी में जो घटना हुई, अगर आप रिटायर्ड जज श्री उपेन्द्र की रिपोर्ट देखेंगे, तो उसमें भी पैरा–मिलिट्री फोर्सेज को क्रिटिसाइज किया गया है। हमने उस बारे में सदन में भी डिस्कशन किया था। अगर आप डाटा देखें, दिल्ली की जो पुलिस व्यवस्था है, जितनी ज्यादा सरकारी तंत्र की सुरक्षा व्यवस्था है, उसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए उतनी ही कम व्यवस्था है। अगर आप पिछला रिकार्ड देखें, तो दिल्ली में 561 बलात्कार हुए थे, जिनमें सिर्फ 80 लोगों को ही दोषी साबित किया गया। सन् 2002 में दिल्ली में 422, मुम्बई में 150 कोलकाता में 70 और चेन्नई में 40 बलात्कार हुए। इस प्रकार महिलाओं के बलात्कार के डाटा के बारे में जिक्र करना बहुत ही गंभीर स्थिति है।

अभी शांति मुकुंद अस्पताल में जो लड़की नर्स की हैसियत से काम कर रही थी, उसके साथ बलात्कार हुआ। वह जब राजी नहीं हुई तो उसकी आंख फोड़ दी गयी। उसे वह बाथरूम तक खींचकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया, उस पर अत्याचार किया। जब उसे सजा होने लगी तो वह शादी के लिए राजी हो गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उसे सजा मिली है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा : यह ठीक है कि उसे पनिशमैंट मिली है, लेकिन इतने वर्षों से इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, अगर सरकार और प्रशासन इससे ज्यादा सख्त कदम उठाये तो कोई भी व्यक्ति महिलाओं को बुरी नजर से देखने की जुर्रत नहीं करेगा। मैं कहना चाहती हूं कि दिल्ली भारत की राजधानी है। इस देश को सुचारू रुप से चलाने की हम काफी कोशिश करते हैं।

अगर आप 'हिन्दुस्तान टाइम्स' अखबार पर ध्यान देंगे तो उसमें एक कैपशन दिया गया है कि लोगों ने दिल्ली को बलात्कारी राजधानी कहना शुरू कर दिया है। दिल्ली की मुख्य मंत्री एक महिला है। महिला होने के नाते वे महिलाओं के दुख–दर्द को समझती हैं। इसके अलावा यूपीए सरकार की अध्यक्षा भी महिला हैं। जब महिलाओं के राज्य में ही उनकी स्थिति इतनी गंभीर है तो वे कहां जायेंगी? मैं सरकार और मंत्री जी से अपील करना चाहती हूं कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में विचार करके आप कोई आश्वासन दें। महिलाओं को ज्यूडिशियल रिफार्म करके सुरक्षा दिलाई जाये। इसके साथ–साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लैवल में भी रिफार्म होना बहुत जरूरी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को उठाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको बधाई देता हूँ। श्रीमती परनीत कौर।

श्रीमती परनीत कौर (पटियाला) : महोदय, जबकि वित्त विधेयक, 2005 ने करों और शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है जिसके लिए वित्त मंत्री प्रशंसा के पात्र हैं, परन्तु दवाओं पर उत्पाद शुल्क ढांचे में कुछ परिवर्तन के पहलू और इसका लघु दवा इकाईयों विशेषकर पंजाब और हरियाणा में अवस्थित लघु दवा इकाइयों पर पड़ने वाला बुरा प्रभाव उनके ध्यान में नहीं आया है।

वर्ष 2005 से पहले, दवाओं पर उत्पाद शुल्क पहले बिल वाले मूल्य पर लगाया जाता था। तथापि, 7/1/2005 की अधिसूचना के जरिए, उत्पाद शुल्क अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर प्रभारित किया जा रहा है। इसमें लघु उद्योगों पर कर भार को काफी बढ़ा देता है और उन ईकाइयों के बीच भारी असमानता पैदा कर देता है जो कर छूट प्राप्त राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर और उत्तरांचल में स्थित हैं और जो देश में अन्यत्र स्थित हैं। यह असमानता तब और बढ़ जाती है जब उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त इन राज्यों को आयकर से भी छूट दी जाती है। पंजाब और हरियाणा में अवस्थित लघु उद्योग ईकाइयों पर कर बोझ 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। जिसने उन्हें पूरी तरह अस्पर्धी बना दिया है, और वे अपनी ईकाइयों को बंद करने या उन्हें कर से छूट प्राप्त राज्यों में पुनः अवस्थित करने के लिए बाध्य हो रहे है। इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, और जिन राज्यों को छूट प्राप्त नहीं है उन्हें हो रही राजस्व की हानि से पंजाब विशेषकर पटियाला संसदीय क्षेत्र में जिसका मैं प्रतिनिधित्व करती हूं में चिन्ता की स्थिति पैदा हो गई है। इस एक विधान सभा क्षेत्र में ही कुल लगभग 20 ईकाईयां अवस्थित हैं; और पूरे पंजाब में करीब 300 इकाइयां हैं। इन लघु उद्योग ईकाइयों का बड़े पैमाने पर पंजाब से हिमाचल प्रदेश की ओर पलायन जारी है, जो शुल्क ढांचे में इस परिवर्तन के कारण हो रहा है और इससे पंजाब में गंभीर असंतोष पैदा होगा। प्रेस में पहले से ही इससे संबंधित कई खबरें छप चुकी हैं। जो एक राजनीतिक विवाद का भी रूप ले सकता है।

अतः, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस असमानता की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी, और आपके माध्यम से और इस सभा के माध्यम से उनसे शुल्क ढांचे की समीक्षा करने और समान अवसर उपलब्ध कराने का अनुरोध करती हूँ।

श्रीमती सी. एस. सुजाता (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी। श्रम बल का पलायन हमारी अर्थव्यवस्था के असमान विकास का परिणाम है। हमारा विकासात्मक ढांचा कुछ क्षेत्रों को महत्व देता है जबकि कई क्षेत्र उपेक्षित रह जाते हैं या उन्हें पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी जाती है। परिणाम स्वरूप अविकसित क्षेत्रों से श्रम बल अपने जीवन यापन के लिए रोजगार की तलाश में विकसित क्षेत्रों की ओर जाने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग औद्योगिक रूप से विकसित शहरों की ओर पलायन करते हैं। यह कई दशकों से होता आ रहा है।

सुधारों के बाद की अवधि ने राज्यों के अंदर और अन्तर–राज्य दोनों ओर ग्रामीण श्रम बल के पलायन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। यह मूलतः कृषि क्षेत्र में संकट के कारण था। कृषि क्षेत्र को लोक निवेश नहीं किया गया। इस अवधि में कृषि, ग्रामीण अवसंरचना विकास, और संबद्ध क्षेत्रों में सरकार द्वारा निवेश की दर न्यूनतम रही है। इसके साथ ही, कृषि उत्पादों के आयात पर लगी रोक हटाने की सरकार की नीति ने आयात का मार्ग बड़े पैमाने पर मार्ग खोल दिया जिससे स्वदेशी उत्पादों में भारी गिरावट आई। उर्वरकों और अन्य घटकों से राजसहायता वापस लेने के कारण कृषि पर समग्र व्यय बढ़ गया।

कुल मिलाकर, इन सभी कारकों ने देश के बहुत से छोटे और मझोले किसानों के लिए कृषि को अवहनीय बना दिया। इसके अलावा बाद के वर्षों में उत्पन्न सूखे की स्थिति से भी इस क्षेत्र का काफी नुकसान पहुंचाया। इस परिस्थिति ने कई मझोले और छोटे किसानों को कृषि श्रमिकों के स्तर पर ला खड़ा किया क्योंकि उनके पास कोई अन्य कौशल नहीं था। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रमिकों की संख्या बहुत बढ़ गई जबकि अवसर लगातार घटते रहे। विद्यमान कृषि अवसंरचना इस बड़ी संख्या को अवशोषित करने में सक्षम नहीं थी जिसने श्रमिक बल को कार्य की तलाश में अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर किया।

प्रवासी श्रमिक की अवस्था दयनीय है। उनका क्रूर ढंग से शोषण होता है। उन्हें लंबे समय तक कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है और मजदूरी सामान्य से कम दी जाती है। उन्हें कोई सुरक्षा, कोई लाभ नहीं मिलता है। वे इस भीषण अत्याचार को शांतिपूर्वक सहते हैं। महिला प्रवासी कामगारों की अवस्था तो इससे भी बदतर है। प्रवासी श्रमिक जो अत्यंत खतरनाक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं जैसे ईंट भठ्ठों और पत्थर तोड़ने के कार्य कर रहे हैं वे महज 20 से 30 रुपये प्रतिदिन पर कार्य करते हैं। आंध्र प्रदेश में ईंट भठ्ठों में ज्यादातर उड़ीसा से आए प्रवासी कामगार है। कृषि क्षेत्रों में भी, कई महिला कामगार कम मजदूरी पर कार्य करती हैं। उनके पास राशन कार्ड नहीं है। वे वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उनमें से ज्यादातर के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। विडंबना यह है कि सरकार के पास भी देश में प्रवासी श्रमिकों की संख्या का कोई आंकड़ा नहीं है और उन्होंने उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाना तो दूर की बात है। अतः, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस समस्या की विकरालता का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराया जाय। सरकार को इस स्थिति को सुधारने के लिए उपाय करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें उचित मजदूरी दी जा रही है। और उन पर हो रहे क्रूर अत्याचार को बंद किए जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : डा. शांडिल्य, आपके मामले पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है और सी एस डी कैंटीनों से खरीद पर वैट के संबंध में उत्तर दिया जा चुका है। आप इसके बारे में जानते हैं। अतः, इसे पुनः नहीं उठाया जाए। मुझे विश्वास है, कि एक सजग सदस्य होने के नाते आपको उत्तर मिल चुका होगा।

श्री गुरजीत सिंह राणा (जालंधर) : अध्यक्ष महोदय, कृषक समुदाय की इस ज्वलंत समस्या पर मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। यह सही कहा गया है कि ज्यादातर भारतीय ग्रामों में रहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। भारत की 100 करोड़ जनसंख्या में से 12 करोड़ किसान हैं। वे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। पूरा राष्ट्र खाद्य के लिए उन पर निर्भर रहता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंह, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जा चुकी है। आप किसानों की स्थिति पर एक सामान्य टिप्पणी देना चाहते हैं। परन्तु यहां कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर एक पूरी चर्चा हुई थी। फिर भी, आप पूरे मामले पर जाने के बजाए मुख्य मुद्दों को ही उठाएं।

श्री गुरजीत सिंह राणा : हमारे स्वर्गीय साहसी प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, 'जय जवान, जय किसान'। यदि किसान सुखी है तो सारा राष्ट्र सुखी है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। कृपया संक्षेप में मुख्य मुद्दों का उल्लेख करें। पिछले दिनों कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर एक पूरी चर्चा हो चुकी है।

श्री गुरजीत सिंह राणा : मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप तो लंबा भाषण दे रहे हैं।

श्री गुरजीत सिंह राणा : कृषि आदानों की लागत कई गुणा बढ़ी है। हमारे किसानों को नए और अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार से सहायता मिलनी चाहिए। हमारे कृषि विश्वविद्यालयों को ऐसे बीजों का विकास करना चाहिए जिनकी उपज अधिक हो। यदि किसानों की उपज अधिक होती है और वे अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद पैदा करते हैं। तो वे विश्व के बाकी देशों के किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केन्द्रों को अधिक अनुदान दिया जाना चाहिए ताकि बीजों की नई किस्में और कृषि के नए तरीकों का विकास किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री गुरजीत सिंह राणा : किसानों के हालात पर ध्यान दिए जाने की भी आवश्यकता है। देश के विभिन्न भागों के किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है।

श्री गुरजीत सिंह राणा : इस देश के किसान जिन पर सारा देश निर्भर है। आत्महत्या कर रहे हैं। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार को किसानों की सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए। इसमें राजसहायता प्राप्त दरों पर बीज मुहैया कराना, विद्युत बिल में रियायत देना कृषि उत्पाद की त्वरित खरीद और किसानों को समय पर भुगतान शामिल है। उन्हें ट्रैक्टरों, कृषि संबंधित उपकरणों और आदानों की खरीद हेतु कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री गुरजीत सिंह राणा : मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव देना है। विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की गई फसलों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित होना चाहिए। मैं जानता हूं कि पंजाब में विविधीकरण की दिशा में काफी कार्य हो रहा है। अतः न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। उत्पादों के लिए अधिक मूल्य और कृषि विश्वविद्यालयों को अनुसंधान और विकास हेतु पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है मैंने इस मामले पर पहले ही अनुमति दे दी है।

...(व्यवधान)

श्री गुरजीत सिंह राणा : इस पर हमारी सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर सदन में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो चुकी है। माननीय मंत्री महोदय ने विस्तृत उत्तर दिया है। अब इसे दुहराने का कोई फायदा नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुंवर मानवेन्द्र सिंह, आप मुझसे सहयोग नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामसेवक सिंह (ग्वालियर) : महोदय, मैं मध्य प्रदेश में बीटी कपास पैदा करने वाले किसानों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राज्य सरकार द्वारा बीटी कपास पैदा करने किसानों को बीज और कीटनाशक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन इस बार अभी तक उन्हें ये उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि बीटी कपास के बीज बोने का समय अप्रैल तक था। इस कारण वहां के किसान काफी परेशान हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह शीघ्र ही मध्य प्रदेश में बीटी कपास पैदा करने वाले किसानों को बीज और कीटनाशक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार से कहे।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने हेतु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

मैं जानता हूँ कि मैं एक अत्यंत ही संवेदनशील मामला उठा रहा हूँ। लेकिन यह शिकायत नहीं है। बल्कि क्षोभ है। हो सकता है कि मेरे इस क्षोभ पर सदन में अधिकांश अथवा सभी सदस्यों की सहमति होगी। यह मेरा क्षोभ है और इसीलिए मैं इसे सदन में उठा रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि मीडिया में सदन की कार्यवाही का जिस स्तर पर आज किया जा रहा है। उससे अधिक उल्लेख किया जाए।

किसी लोकतंत्र से मीडिया राज्य का एक सशक्त अंग है और यह समाज के लिए भी है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद–ये तीनों महत्वपूर्ण घटक लोकतंत्र को अधिक सफल बनाने के लिए होते हैं। साथ ही साथ यह भी सच है कि मीडिया एक सशक्त भूमिका अदा करती है। देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि सांसद क्या कर रहे हैं। क्या चर्चा हो रही है, सरकार की क्या नीति है, इस नीति का देश के लोगों अथवा अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है। यह एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आपको देशभर में देखा और सुना जा रहा है।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : इसका श्रेय आपको जाता है ...*(व्यवधान)*

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : इसका श्रेय माननीय अध्यक्ष महोदय को जाता है... *(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : लेकिन इसका क्षेत्र विस्तृत नहीं है। 110 मिलियन के इस देश में मैं नहीं समझता हूं कि सभी को कवर किया जा सकता है। लेकिन प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया मिलकर काफी हद तक इसे कवर कर सकते हैं। मेरा क्षोभ यह है कि सदन में जो कुछ भी हो रहा है वह सही रूप से दिखाया नहीं जा रहा है। यदि सदन में कोई बात हो जाती है, बहिष्कार अथवा काम–काज ठप्प होता है तो इसे पूर्ण रूप से प्रसारित किया जाता है। ...*(व्यवधान)* मीडिया को अपनी इच्छा के अनुसार रिपोर्ट करने की स्वतंत्रता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त है।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं भी प्रेस की आजादी में पूर्णतया विश्वास करता हूँ। किसी खुले समाज में प्रेस की स्वतंत्रता न केवल इसके खुलेपन की रक्षा करने बल्कि समाज की रक्षा करने के लिए भी आवश्यकता हथियार है। लेकिन प्रेस की अपनी भी जिम्मेवारी होती है। मेरा क्षोभ इसलिए है कि समाचार को सनसनी खेज रूप में प्रकाशित करने की प्रवृत्ति हमेशा से रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री गुरूदास दासगुप्त, हम उन्हें सलाह नहीं देंगे। इसका निर्णय उन्हें ही करना है।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं यहाँ किसी को सलाह देने के लिए नहीं हूँ। मैं अपना क्षोभ प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हूँ... *(व्यवधान)* मेरा क्षोभ उनके प्रति है जो इसे सनसनी खेज बनाना चाहते हैं। मेरा कहना है कि महत्वपूर्ण वाद–विवाद, वक्तव्य और विचार विमर्श होते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि वे इस पर विचार करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं मीडिया में विशेषकर प्रिंट मीडिया में शायद ही ऐसी स्थिति पाता हूँ।

महोदय, मुझे एक उदाहरण देने की अनुमति दें। मैं किसी प्रेस का नाम नहीं ले रहा हूँ। मुझे लेना भी नहीं चाहिए मैं केवल एक उदाहरण दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जैसे हमारे कुछ अधिकार है ठीक वैसे ही प्रेस के भी कुछ अधिकार हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मुझे मालूम है।

अध्यक्ष महोदय : अतः वे अपने निर्णय को अपनी बुद्धि के अनुसार लागू करेंगे।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं प्रेस की स्वतंत्रता में पूर्ण विश्वास करता हूँ...*(व्यवधान)* लेकिन महोदय यह भी सच है कि हमारी सामाजिक जिम्मेवारी भी होता है। हम लोगों के प्रति जिम्मेवार हैं। आप भी लोगों के प्रति जिम्मेवार हैं और लोगों को यह जानने का हक है कि यहाँ क्या हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि हम सभी उसे याद रखेंगे।

श्री गुरूदास दासगुप्त : यह तभी हो सकता है जब मीडिया योग्य हो। महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। परसों आपकी अनुमति से हमने प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण की समस्या जैसे मानवीय मुद्दे पर कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होना और महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा की थी। यह एक अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दा है। मैंने देखा कि प्रेस में एक समाचार पत्र में बलात्कार से संबंधित समाचार प्रथम पृष्ठ में छपा था जिसमें यह कहा गया था कि बलात्कारी ने पीड़िता के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ था। लेकिन संसद में आपकी अनुमति से महिलाओं की स्थिति के बारे में जो चर्चा की गई वह प्रकाशित नहीं हुई...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि प्रेस ने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका अदा की है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ। यह आत्मा की आवाज का प्रश्न है। मैं मीडिया से इसी प्रकार की अपील कर सकता हूँ, लोगों से भी इसी प्रकार की अपील कर सकता हूँ, उद्योग से भी इसी प्रकार की अपील कर सकता हूँ। मेरा विश्वास है कि इसका विश्वसनीय चयन करना उनकी इच्छा पर निर्भर है।

अध्यक्ष महोदय : सही बात है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : उन्हें चयन करने का अधिकार है। चयन उनका विकल्प है। स्वतंत्रता उनका विकल्प है। संसद की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि संसद की बातें मीडिया में आये ताकि लोग सूचना प्राप्त कर सकें। महोदय, ऐसा नहीं हो रहा है। आपके माध्यम से मैं पूरे देश के प्रेस का आहवान करता हूं कि इस तरह ...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, मैं यह बात कहकर अपने को श्री दासगुप्त जी के साथ सम्बद्ध करता हूं कि प्रेस को संसद की आलोचना करने का अधिकार है और संसद को भी यह व्यक्त करने का अधिकार है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : मीडिया वाले टीवी पर जब न्यूज पढ़ते हैं तब सोनिया, अटल, मनमोहन कहते हैं। वे इन नामों के आगे जी नहीं लगाते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुँवर मानवेन्द्र सिंह, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं? मैंने आपसे कई बार अनुरोध किया है कि कृपया इस आदत को छोड़ दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। संसद लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। स्पष्ट है कि यहां महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जाती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात में व्यवधान डाल रहे हैं। यह नियमों का खुला उल्लंघन है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष जी, मैं माननीय दासगुप्त जी की भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप अपने को सम्बद्ध कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। यह अत्यंत संवेदनशील मामला है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, प्रेस की आजादी के हम लोग प्रबल समर्थक हैं। कल चुनाव सुधारों पर संसद में बहस हुई। इस बारे में केवल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, और अखबारों में तो बिल्कुल ब्लैक–आउट किया है। प्रेस की आजादी के लिए सन् 1988 में जब बिहार में काला बिल आया था तो 36 संगठनों ने लाठियां खाई थीं। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है।...*(व्यवधान)* लेकिन प्रेस में हमारी पार्लियामेंट की प्रोसिडिंग को सही स्थान मिलना चाहिए। हमारी प्रेस से यही अपील है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अन्य किसी को अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए। मैं किसी भी बात को कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम सभी को आत्मविश्लेषण करना है कृपया बैठिए। श्री राव कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री दीक्षित, किसी मुद्दे को उठाने का यह तरीका नहीं है। इसे उठाने के तरीके हैं।

...(व्यवधान)

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : मैं भी अपने को सम्बद्ध करना और यह कहना चाहता हूं कि अनेक क्षेत्रों में लोग अपने केबल आपरेटरों के पास संसदीय कार्यवाही का प्रसारण करने हेतु पहुंच रहे हैं लेकिन केबल आपरेटर इसका सीधा प्रसारण नहीं कर रहे हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसा करने का यह तरीका नहीं है। आप कहते हैं कि यह कानून का उल्लंघन है लेकिन कुछ लोगों के लिए यह मूल आवश्यकता है।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप स्पष्टवादी वाले सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, आप सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री के. एस. राव (एलूरू) : नहीं महोदय, मैं सीमा का अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे इस अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर एक मिनट बोलने की अनुमति देने का अनुरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, आप बैठ नहीं रहे हैं। मैं आपसे बैठने का अनुरोध कर रहा हूं।

श्री के. एस. राव : महोदय, आप जो कह रहे हैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन मीडिया के माध्यम से संसद की एक अलग तस्वीर उभर रही है।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप बोलते रहिए। इसीलिए यह समाचार मीडिया में नहीं छप रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

यह अत्यंत संवेदनशील मामला है। संसद एक महत्वपूर्ण संस्था है। निःसन्देह, मीडिया के माननीय सदस्य संसद के महत्व को जानते हैं; जहां हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस देश में प्रेस की स्वतंत्रता अत्यंत मूल्यवान स्वतंत्रता है और हम इस देश में मीडिया की शानदार भूमिका से भी अवगत हैं।

माननीय सदस्यों ने कुछ भावनायें व्यक्त की हैं और मैंने उन्हें ये बातें यहां उठाने की अनुमति दी है। लेकिन यह उचित बात नहीं है कि सभा का उपयोग एक-दूसरे की आलोचना के लिए किया जाए। इसलिए माननीय सदस्यों से मेरा यही अनुरोध है। आपने इस मुद्दे पर अपनी बातें रखी हैं। अब यह स्वतंत्र प्रेस को तय करना है कि वह कैसे आचरण करे जिसके बारे में मैं आदेश नहीं देता हूं। हम कुछ सुझाव दे सकते है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों को सुझाव मात्र मानता हूं। इस प्रकार की किसी आलोचना की यहां अनुमति नहीं है। मैं इसे आलोचना नहीं मानता हूं।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रेस की आलोचना कर रहा हूं।

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, यह आलोचना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, यह पूर्ण रूप से उन्हीं को तय करना है। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए वे उतने ही प्रासंगिक अंग है जितने की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.06 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री पवन कुमार बंसल *पीठासीन हुए*)

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, सभा नियम 377 के अधीन मामले लेगी।

(एक) उत्तर प्रदेश के हापुड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सिम्भावली चीनी मिल द्वारा गंगा नदी को प्रदूषित करने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र हापुड़, उ. प्र. में स्थित सिंभावली शुगर मिल का गंदा पानी ऐतिहासिक गंगा में डाला जा रहा है।

सभापति महोदय : गोयल जी, आपने अपने अप्रूव्ड टैक्स्ट ही पढ़ना है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : एक तरफ भारत सरकार गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत अरबों रुपयों प्रदूषण को दूर करने के लिए खर्च कर रही है और दूसरी तरफ शुगर मिल अपनी फैक्ट्री का तमाम गंदा जल उसमें भेजने का काम कर रही है, जिससे संभावली के क्षेत्र का वातावरण प्रदूषित हो रहा है व किसानों को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शुगर मिल से उत्पन्न प्रदूषण को दूर करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाए।

(घ) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की आवश्यकता

श्री वी. के दुम्मर (अमरेली) : महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र अमरेली आजादी के 57 साल के बाद भी अभी तक देश के किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा नहीं गया है जबकि अमरेली में पिपावाव बन्दरगाह पर कई करोड़ों का माल भेजा जाता है। माल ढोने वाले वाहन अमरेली से होकर जाते हैं लेकिन राज्य सरकार से सड़क निर्माण में कोई मदद नहीं मिल पा रही है। इन सब कारणों से अमरेली का औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है जबकि यहां पर कई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खोले जाने की अपार संभावना है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अभाव में पिपावाव बन्दरगाह पर जाने वाले वाहनों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गुजरात के अमरेली जिले को देश के राष्ट्रीय राजमार्गों से तत्काल जोड़ा जाए, जिससे अमरेली के औद्योगिक विकास में मदद मिल सके। धन्यवाद।

(ङ) तमिलनाडु के पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हाथियों द्वारा की गई तबाही को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जे. एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम) : महोदय, कम्बम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के पुडुपट्टी और अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों में किसानों को निकट के जंगलों से आने वाले हाथियों के उत्पात के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और वे आतंक में जी रहे हैं। अब तक तीन व्यक्ति हाथियों द्वारा कुचल कर मारे गए हैं और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। उन्होंने गन्ना, मक्का, धान, मूंगफली की फसलों और बागानों को भारी क्षति पहुंचाई है। नारियल की पौध की कोमल पत्तियों के बीच का भाग (कुलम्बु) जिससे पेड़ बढ़ते हैं जंगली हाथियों ने बर्बाद कर दिए हैं और खा लिए है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि निर्दोष लोगों के जीवन और छोटे किसानों की आजीविका की रक्षा करने हेतु जंगल पर लोहे की चार दीवारी बनाने के लिए राज्य सरकार या भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को उपयुक्त दिशानिर्देश दिया जाए। सरकार को पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुम्बम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की जान-माल की हानि के लिए क्षतिपूर्ति भी देनी चाहिए।

सभापति महोदय : मैंने कल बताया था और आज भी मैं बताता हूं कि नियम 377 के अधीन मामले में हमें अपनी बात केवल उस पाठ तक सीमित रखनी है। जो कि अनुमोदित है। अतः अनुमोदित पाठ ही पढ़े।

[हिन्दी]

मैं सभी माननीय सदस्यों को यह बात फिर बताना चाहूंगा कि नियम 377 के अधीन जो मामले सदस्यों द्वारा दिए जाते हैं, उनके अनुमोदित पाठ ही सदन में पढ़े, संशोधन न करें। माननीय सदस्यों से दर्खवास्त है कि वे कृपया इस बात का ध्यान रखें।

(च) उड़ीसा के परलाखेमुण्डी में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चंदशेखर साहु (बरहामपुर-उड़ीसा) : महोदय, ज़िला मुख्यालय पारालाखेमुंडी में केंद्रीय विद्यालय खोलने की तत्काल आवश्यकता है। गजपति ज़िला के मुख्यालय पारालाखेमुंडी में केन्द्र सरकार के अनेक कार्यालय हैं। देश के अन्य भागों से आने वाले कर्मचारी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अधिक कठिनाई का सामना करते हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन का पारालाखेमुंडी में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। तदनुसार एक विशेषज्ञ दल ने सर्वेक्षण हेतु पारालाखेमुंडी का दौरा किया है और मेरी जानकारी में उसने पारालाखेमुंडी में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए अनुकूल रिपोर्ट दी है। अत, महोदय, आपके माध्यम से मैं इस कार्य को शीघ्रताशीघ्र करवाने और इस सत्र के दौरान तत्काल केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए भारतीय मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूँ क्योंकि जिला प्रशासन स्कूल शुरू करने के लिए निशुल्क अस्थायी स्थान की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया है।

(छ) छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक कैप्टिव बिजली संयंत्र लगाने के लिए स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कथित रूप से वनों की कटाई की जांच किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : सभापति महोदय, वन एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाना केवल भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व के अन्य

देशों में भी गैर–कानूनी और दंडनीय माना जाता है। मेरा तात्पर्य बाल्को कंपनी से है, जिसका 51 प्रतिशत शेयर और प्रबंधन प्रभार स्टार लाईट इंडस्ट्रीज के पास है। अपनी विस्तार परियोजना में एक 675 मैगावाट कैप्टिव पावर प्लांट का निर्माण करते समय कंपनी द्वारा हजारों की संख्या में हरे–हरे पेड़ काटे गए हैं। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि कोरबा जो कि एक छोटा कस्बा है, यहां पर चार थर्मल पावर प्लांट स्थित हैं, जिसमें बाल्को कंपनी का पहले से ही 275 मैगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट था। निजीकरण के बाद उसका ही आधुनिकीकरण होना चाहिए था जिससे इस वन भूमि के दुरूपयोग को रोका जा सकता था, फिर भी स्टार लाईट इंडस्ट्रीज को अपना नया थर्मल पावर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई। केन्द्र सरकार की ओर से ऐसे कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कोरबा निवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकेगी, जो अब लगभग 24 हजार मीट्रिक टन फ्लाई ऐश और ज्यादा के शिकार होने वाले हैं?

मेरा केन्द्र सरकार से कहना है कि इस संयंत्र को लगाने में स्टार लाईट इंडस्ट्रीज ने वन एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ–साथ एक उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय के फरवरी 1997 के वन संरक्षण के निर्देशों का सख्ती से पालन हो सके और हरे–भरे पेड़ों को समाप्त होने से रोका जा सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. करणसिंह यादव–अनुपस्थित
श्री वाई. जी. महाजन–अनुपस्थित
श्री गणेशसिंह–अनुपस्थित
श्री सुकदेव पासवान–अनुपस्थित
श्री सुरेश चन्देल–अनुपस्थित
श्रीमती मनोरमा माधव राज–अनुपस्थित
श्री खगेनदास

(छह) त्रिपुरा में विद्रोह को रोकने के लिए राज्य में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे जाने की आवश्यकता

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, त्रिपुरा गत तीन दशकों से आतंकवाद की महाविपत्ति से जूझ रहा है। भूमि से घिरा पहाड़ी राज्य होने के कारण इसकी 856 कि.मी. लम्बी अन्तर राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। अत्यधिक खुली सीमा में अनेक भागों में अप्रीतिकर क्षेत्र बना हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप तस्करी, सीमा पर अपराध, घुसपैठ, सीमा पार से आतंकवादियों का उन्मुक्त आवागमन होता है। त्रिपुरा में तीन प्रमुख आतंकवादी गुट काम कर रहे हैं। वे बांग्लादेश का उपयोग सुरक्षित अभयारण्य के रूप में करते हैं और वहां उनके लगभग पचास शिविर हैं। राज्य सरकार ने इस स्थिति का समाधान करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। मैं भारत सरकार से राज्य में आतंकवाद के प्रभावी समाधान के लिए निम्नलिखित मांगें तत्काल पूरी करने का अनुरोध करता हूं:–

(1) के.आ. पुलिस बल की दो बटालियन, जिन्हें राज्य से वापस बुला लिया गया था, को प्रति विद्रोह को प्रभावी रूप से दबाने के लिए शीघ्रतिशीघ्र पुनः बहाल किया जाए।

(2) त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की तीन और इंडियन रिजर्व बटालियन बनाने की मंजूरी दी जाए। निर्माण और कंपनी मुख्यालय पर पूंजीगत लागत और प्रथम पांच वर्षों के लिए आवर्ती व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

(3) त्रिपुरा में भारत–बांग्लादेश सीमा की रक्षा करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की 23 बटालियन की जरूरत है। इस समय सीमा सुरक्षा बल की 12 बटालियन तैनात हैं। सीमा की प्रभावी निगरानी के लिए सीमा सुरक्षा बल को पर्याप्त संख्या में शीघ्रातिशीघ्र लगाया जाना चाहिए।

(4) अपनी दूरदराज की सीमावर्ती चौकियों की देखभाल करने के लिए त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल के लिए विशिष्ट रूप से एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाए।

(सात) केरल के अलपुझा और पटनमतित्ता जिलों में अत्यधिक वर्षा के कारण जिन किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं, उन्हें मुआवजा मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सी. एस. सुजाता (मवेलीकारा) : केरल के अलापुज्जा जिले में कट्टानाड, अपर कट्टानाड और ओमाटुकारा अरि पटनमतित्ता जिले में निरनाम में भी किसान भारी वर्षा से प्रभावित हुए है।

इन क्षेत्रों के धान के कृषकों को भारी वर्षा के कारण अप्रत्याशित संकट का सामना करना पड़ा जबकि उनकी फसलें कटने के लिए तैयार थीं। 40,000 हैक्टेयर क्षेत्र में फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। अनुमानित नुकसान लगभग दस करोड़ रुपए का है इन क्षेत्रों में किसान अपने कृषि कार्यों के लिए सहकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए ऋण पर निर्भर है। फसल की तबाही ने किसानों को अपने ऋण का भुगतान करने योग्य नहीं छोड़ा है।

इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आप इसमें हस्तक्षेप करें और सम्बन्धित प्राधिकारियों को अनुदेश जारी करें कि वे इन क्षेत्रों में प्रभावित किसानों तक राहत पहुंचाएं।

(आठ) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली और हरिद्वार के बीच सड़क को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार (हरिद्वार) : महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र हरिद्वार देश का एक पावन तीर्थ स्थल हैं, जहां तीर्थ यात्री प्रतिदिन सैंकड़ों, हजारों की संख्या में आते हैं और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश, देहरादून जैसे पर्यटन स्थलों पर भी जाते हैं। हरिद्वार जाने वाले प्रत्येक तीर्थ यात्री और देशी/विदेशी पर्यटक इन स्थलों पर अधिकतर दिल्ली होते हुए जाते हैं। साथ ही कावड़ ले कर चलने वाले सैंकड़ों श्रद्धालु दूर-दूर से आते हैं; किंतु महोदय, मैं आपका ध्यान केवल दिल्ली से हरिद्वार तक की मुख्य सड़क की ओर दिलाना चाहता हूं जो कहीं-कहीं बहुत ही ज्यादा जीर्ण-शीर्ण हालत में है। वह भी एक लेन वाली सड़क है। सड़क के बीच में कहीं भी डिवाइडर नहीं होने से गाड़ियां आमने-सामने आ जाती हैं जिससे दुर्घटना की संभावना यथावत बनी रहती है।

अतः मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि हरिद्वार और अन्य पर्यटन स्थलों की महत्ता को देखते हुए दिल्ली से हरिद्वार तक की एक लेन वाली सड़क को परिवर्तन करके दोहरी अथवा चार लेन में बनवाए जाने का कष्ट करें।

(नौ) देश की नदियों में बढ़ते प्रदूषण स्तर को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद) : देश की नदियों के साथ हमारे देश की संस्कृति जुड़ी है। नदियों में घोर प्रदूषण होने के बावजूद भी हम उसके जल को पवित्र मानते हैं। लगभग 20 वर्ष पूर्व नदियों की सफाई की मुहिम आरम्भ की गई थी। काफी धनराशि खर्च करने के बावजूद कुल मिलाकर हम वापस उसी जगह पहुंच गए हैं जहां से हमने आरंभ किया था।

गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत कुल मिला कर अनुमानित 10 हजार करोड़ रुपए खर्च किया गया। यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत 872 करोड़ रुपए खर्च किए गए, किंतु प्रदूषण अभी यथावत है।

मेरा मानना है कि हमारी योजनाओं में कहीं न कहीं कुछ कमी है। जनसंख्या के दबाव के कारण शहरों की बनावट, भवन निर्माण तथा उसके फलस्वरूप घरों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी की मात्रा में परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के चलते यह आवश्यक है कि नदियों संबंधी हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार हो ताकि जिन आंकड़ों को आधार मान कर योजनाएं बनाई गई थीं। उसी के अनुसार पूरी हों या फिर जिन परिवर्तनों का मैंने जिक्र किया है, उन परिवर्तनों के स्वरूप को भी कार्यक्रमों में समावेश किया जाए।

अपने साधनों से केवल फैक्ट्रियों तथा घरों के गंदे पानी को ही नदियों में जाने से रोक पाएं तो मैं समझता हूं कि इन नदियों को काफी सीमा तक साफ रखा जा सकता है। पर्यावरण मंत्री कृपया इस ओर ध्यान दें।

(दस) बिहार में दरभंगा में इलाहाबाद बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को बनाए रखने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, उत्तर बिहार में व्यापारिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टिकोण से दरभंगा शहर मिथिलांचल का प्रमुख केन्द्र है। यह प्रमंडल मुख्यालय भी है। इस शहर में पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया तथा इलाहाबाद बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं और यहां पर भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का भी अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। लेकिन अचानक इलाहाबाद बैंक ने दरभंगा स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय को बंद कर मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय कार्यालय में विलय करने का निर्णय ले लिया है, जिसके कारण बैंक के ग्राहकों में निराशा छा गई है। लगभग 750 कि.मी. दूर स्थित मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्वी बिहार के किसनगंज, पूर्णिया आदि दूरस्थ जिलों के बैंक ग्राहकों की शिकायतों एवं सुझावों का त्वरित निष्पादन किया जाना कठिन और विलम्बपूर्ण होगा।

अतः भौगोलिक एवं व्यापारिक दोनों दृष्टिकोणों से मैं चाहूंगा कि दरभंगा स्थित इलाहाबाद बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को लोकहित में यथावत रखने पर सरकार शीघ्र पहल करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री ब्रजेश पाठक–अनुपस्थित
श्रीमती वी. राधिका सेल्वी–अनुपस्थित

(ग्यारह) महाराष्ट्र के कोल्हापुर के शिवाजी विश्वविद्यालय में एक कृषि-जैव प्रौद्योगिकी विभाग खोलने और इसकी स्थापना के लिए आवश्यक निधि मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : महोदय, नियम 377 के अधीन मुझे मामला उठाने की अनुमति देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना कोल्हापुर में 1962 में हुई थी। इसके क्षेत्राधिकार में चार जिले अर्थात कोल्हापुर सांगली, सतारा और शोलापुर आते हैं। इन जिलों में किसानों की संख्या बहुत अधिक है। और वे नवीन कृषि उपाय अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।

यद्यपि हमारा देश खाद्य उत्पादन में आत्म निर्भर है, फिर भी यह उत्पादन क्षमता के मामले में स्थिर स्थिति में आ गया है। इसे देखते हुए खाद्य उत्पाद के नए और बेहतर उपाय आवश्यक हैं। कृषि जैव प्रौद्योगिकी रोग नियंत्रण और भविष्य की आनुवांशिकी के साथ–साथ डीएनए प्रौद्योगिकी में दक्षता भी समय की जरूरत है।

शिवाजी विश्वविद्यालय कृषि कार्यकलापों के केन्द्र में स्थित है और नए कृषि उपायों के लिए राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु सर्वोत्तम है। इसके पास पर्याप्त भूमि है और इसमें कृषि कालेज है। जो विश्वविद्यालय के परिसर के पास स्थित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के पास अपने विज्ञान संकाय में उच्च योग्यता के अत्याधिक अर्हता प्राप्त, अनुभवी वैज्ञानिक हैं।

महोदय, अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिवाजी विश्वविद्यालय में कृषि जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की जाए और इस प्रयोजनार्थ आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

(बारह) देश में सम्बद्ध प्रजनक प्रौद्योगिकी (ए आर टी) क्लीनिकों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए विधान लाए जाने की आवश्यकता

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : महोदय, मैं ए आर टी क्लीनिकों के बारे में एक महत्वपूर्ण मामला सभा के ध्यान में लाना चाहता हूँ।

महोदय, एसोसिएटिड रिप्रोडक्टिव टेक्नालाजी क्लीनिक जिन्हें संक्षेप में ए आर टी कहा जाता है, देश भर में फैल गए हैं। उनके कार्यकरण को विनियमित करने के लिए किसी कानून के न होने से ये क्लीनिक संबंधित पक्ष की सहमति के बिना दाता बीजाणु/दाता शुक्राणु अथवा दाता भ्रूण का उपयोग करके रोगियों का उपचार करने के लिए अवैध, अनैतिक और संवेदनाहीन तरीके अपना रहे हैं जो पति/पत्नी और सन्तान के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटी दी गई है न केवल कानूनी पहलू दाता जीवाणु/दाता शुक्राणु का उपयोग सामाजिक व्यवस्था और समाज के नैतिक ढांचे को भी प्रभावित करता है, इसके कारण पितृत्व में अनिश्चितता उत्तराधिकार के मामले में भ्रांति पैदा होती है और कुल मिलाकर समाज के लिए हानिकर है। बांझपन हेतु क्लीनिकों को दाता बीजाणु/दाता शुक्राणु अथवा दाता भ्रूण के उत्पादन, भंडारण, विक्रय अथवा अविवेकी उपयोग के अनैतिक कृत्यों में संलिप्त होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अतः मैं इन मुद्दों पर विचार करने और सभा के समक्ष तत्काल विधान लाने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 2.24 बजे

तटवर्ती जल कृषि प्राधिकरण विधेयक, 2005

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद सं. 12, तटीय जलकृषि प्राधिकरण विधेयक को लेंगे।

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, आज प्रातः ही लीडर्स मीटिंग में माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह निश्चित किया था कि श्री देवेन्द्र यादव जी द्वारा सदन में प्रस्तुत चुनाव सुधारों वाले जिस विषय पर बहस चल रही है, पहले उस पर चर्चा की जाएगी और उस पर चर्चा पूरी होने के बाद तटीय जलकृषि प्राधिकरण विधेयक, 2005 को लिया जाएगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नियम 377 के तुरन्त बाद, सबसे पहले लैजिस्लेटिव बिजनैस लिया जाना जरूरी होता है। वह विषय भी लिस्टेड है। इसके बाद उसे ही लिया जाएगा। कृपया प्रस्ताव प्रस्तुत होने दीजिए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री कांतिलाल भूरिया : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

> "कि तटीय क्षेत्रों में तटीय जलकृषि से संबंधित क्रियाकलापों का विनियमन करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि मात्स्यिकी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जो अधिक उत्पादन द्वारा पर्याप्त विकास हासिल करने में सक्षम है। इससे हमें रोजगार बढ़ाने, किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने, लोगों के पोषणिक स्तर को सुधारने और अपने निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके लिए विशाल क्षमता वाला, जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वह है तटवर्ती जलकृषि, जिसमें मुख्यतः झींगा उत्पादन किया जाता है। खारा जल जलकृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसका लगभग 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से अभी तक केवल लगभग 14 प्रतिशत भूमि का ही उपयोग किया जा सका है। इसके बावजूद इनमें जो झींगा उत्पादन किया जाता है, वह लगभग 6000 करोड़ रुपए के हमारे वार्षिक निर्यात में प्रमुख योगदान देता है। इसलिए यदि हम तटवर्ती जलकृषि

[श्री कांतिलाल भूरिया]

के तहत आने वाली भूमि को उचित रूप से बढ़ा सकें तो हम यह कल्पना कर सकते हैं कि इसके परिणामस्वरूप निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी तथा हमें अन्य लाभ भी मिलेंगे। यहां इस बात पर गौर करना महत्वपूर्ण होगा कि यदि इस भूमि का जलकृषि के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है तो यह बेकार पड़ी रहेगी, क्योंकि यह भूमि खेती अथवा किसी अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं है।

सभापति महोदय, वर्तमान में हम सिर्फ 14 प्रतिशत के ऊपर ही अभी जलकृषि कर रहे हैं, अगर उसे 30 या 40 प्रतिशत कर दें तो हमारी आमदनी काफी बढ़ जाती है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचे और पारम्परिक मछुआरों, कृषिविदों आदि जैसे तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसी संदर्भ में मौजूदा विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

महोदय, मैं यह विधेयक सम्मानीय सदन के समक्ष लाने की पृष्ठभूमि को संक्षेप में स्पष्ट करना चाहूंगा। तटवर्ती क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वी तट पर झींगा उत्पादन के लिए बड़ी संख्या में जलकृषि फार्म स्थापित किए गए थे। उच्चतम न्यायालय में 1994 में दायर एक रिट याचिका में इन फार्मों पर इस आधार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी कि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने दिसम्बर, 1996 को दिए अपने निर्णय में कहा था कि जलकृषि एक उद्योग है और इसलिए इस पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत फरवरी, 1991 में जारी सीआरजेड अधिसूचना के तहत उद्योगों पर लागू प्रतिबंध लागू होगा। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि तटवर्ती क्षेत्रों में झींगा फार्मों को विनियमित करने के लिए एक प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने निर्देश दिया था कि तटवर्ती क्षेत्रों में उस समय मौजूद झींगा फार्मों को हटा दिया जाए। यद्यपि, कृषि मंत्रालय तथा अन्य द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं के आधार पर झींगा फार्मों को हटाने के विरुद्ध स्थगन प्रदान किया गया था, किन्तु समीक्षा याचिकाओं पर अंतिम निर्णय की अभी भी प्रतीक्षा है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के तहत जलकृषि प्राधिकरण स्थापित कर दिया गया है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है।

महोदय, इस मामले में सरकार का यह मत रहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तटवर्ती क्षेत्रों में जलकृषि को विनियमित करने की आवश्यकता है, किन्तु इसे इस उद्योग नहीं माना जाना चाहिए और इसलिए सीआरजेड अधिसूचना के तहत यह एक प्रतिबंधित गतिविधि नहीं होनी चाहिए। सरकार चाहती थी कि जलकृषि प्राधिकरण तटवर्ती को विनयमित करता रहे। वास्तव में, राज्य सभा ने इसी तर्ज पर जलकृषि प्राधिकरण विधेयक, 1997 पारित किया था। लेकिन लोक सभा के विघटन से पहले इसे लोक सभा में पारित नहीं किया जा सका था। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 13 संसद सदस्यों के एक दल ने जून–जुलाई, 1997 में आठ तटवर्ती राज्यों का दौरा किया था। अधिकारियों, मछुआरा संगठनों और स्थानीय लोगों से विचार–विमर्श करने के बाद इस दल ने वास्तविक स्थिति का जायजा लिया था। यह दल इस पक्ष में था कि झींगा पालन को जारी रखा जाए और कानून द्वारा इसको विनियमित किया जाए। तदनुसार, जलकृषि प्राधिकरण विधेयक को फरवरी, 2000 में राज्य सभा में पुनः प्रस्तुत किया गया था। इसे कृषि सम्बन्धी स्थायी समिति को भेजा गया था, ताकि वह इसकी जांच कर सके और इस पर अपनी रिपोर्ट दे सके। स्थायी समिति ने विधेयक में संशोधन करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझावों के साथ दिसम्बर, 2000 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस बीच विधेयक के कुछ प्रावधानों के सम्बन्ध में विभिन्न मछुआरों संगठनों तथा अलग–अलग झींगा किसानों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। संसदीय स्थायी समिति के सुझावों और इस सम्बन्ध में प्राप्त अन्य अभ्यावेदनों के कारण बहुत सारे संशोधन करने पड़ते। इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि एक नया तटीय जलकृषि प्राधिकरण विधेयक प्रस्तुत किया जाए। तदनुसार, जलकृषि प्राधिकरण विधेयक, 2000 को वापस ले लिया गया और यह नया तटीय जलकृषि प्राधिकरण विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

इस विधेयक में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले दिशा–निर्देशों की व्यवस्था की गई है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि तटवर्ती जलकृषि से पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे और इसे इस तरह चलाया जाए, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों की जीविका को संरक्षित किया जा सके। इस प्रकार हम यह सुनिश्चित करेंगे कि तटवर्ती जलकृषि पर्यावरण के लिए प्रतिकूल न हो, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है। साथ ही, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि जलकृषि को एक उद्योग नही माना जा सकता और इसलिए इसे सीआरजेड अधिसूचना के तहत एक प्रतिबंधित गतिविधि नहीं समझा जाना चाहिए। इसलिए विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि जलकृषि सीआरजेड अधिसूचना के अर्थ के भीतर कभी भी प्रतिबंधित गतिविधि नहीं थी। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत गठित जलकृषि प्राधिकरण इस बात को बराबर सुनिश्चित करता रहेगा कि जलकृषि गतिविधियां अधिनियम के प्रावधानों और अधिनियम के तहत जारी किए जाने वाले दिशा–निर्देशों के अनुसार ही चलाई जायें ताकि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। वास्तव में, इस कानून से जलकृषि प्राधिकरण को एक स्वायत्त आधार मिलेगा और इसलिए वह अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी तरीके से कर सकेगा। पर्यावरण के संरक्षण

का सुनिश्चय करने की हमारी इच्छा के अनुरूप विधेयक में हाई टाइड लाइन के 200 मीटर के भीतर तटवर्ती जलकृषि गतिविधि को प्रतिबंधित किया गया है, तथापि मौजूदा फार्मों को संरक्षित किया जाएगा।

तटवर्ती जलकृषि फार्मों का विनियमन जलकृषि प्राधिकरण के पास इन फार्मों के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से करने का प्रस्ताव है। जलकृषि में कार्यरत अधिकांश लोग छोटे–छोटे किसान हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए दो हेक्टेयर अथवा उससे कम क्षेत्र वाले फार्मों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया गया है।

अन्त में, मैं यह बताना चाहूंगा कि इस कानून के बनने से, जिसे राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित कर दिया गया है, इस क्षेत्र में आठ वर्ष से भी अधिक समय से चली आ रही अनिश्चितता दूर होगी और इससे तटवर्ती जलकृषि को व्यवस्थित ढंग से बढ़ावा देने तथा पर्यावरण को संरक्षित करने के दोनों उद्देश्य हासिल हो सकेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि तटीय क्षेत्रों में तटीय जलकृषि से संबंधित क्रियाकलापों का विनियमन करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री के. एस. राव (एलूरू) : महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री, श्री शरद पवार को इस विधेयक को संसद में लाने हेतु बधाई देता हूं हालांकि यह विधेयक दस वर्ष बाद लाया गया।

दुर्भाग्य से वर्ष 1996 में जब यह मुद्दा कतिपय निहित स्वार्थों के कारण उच्चतम न्यायालय में लाया गया तो उच्चतम न्यायालय ने 11 दिसम्बर 1996 को एक निर्णय दिया कि झींगा पालन तालाबों में मत्स्य पालन आदि सहित संपूर्ण जल कृषि उद्योग जो तटीय विनियमन क्षेत्र जैसा कि सी आर जेड़ अधिसूचना के अंतर्गत परिभाषित है, में चल रहे या स्थापित हैं को 31 मार्च से पहले उक्त क्षेत्र से नष्ट कर दिया जाए और हटा दिया जाए।

यह तटीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिस का किसी व्यक्ति ने उपयोग नहीं दिया है। जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है, 12 लाख हेक्टअर क्षेत्र में फैला यह तटीय क्षेत्र जो खारा है जिसका पहले कई पीढ़ियों से उपयोग नहीं हुआ है। जहां इस तटीय क्षेत्र में रह रहे मछुआरों के अलावा कोई एक वृक्ष या मानव प्राणी भी नहीं है। जब इस भूमि का उपयोग स्थानीय मछुआरों और कुछ कृषक समुदाय द्वारा उपयोग किया गया तो अचानक कुछ लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी के नाम पर आगे आ गए। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अभ्यावेदन दिया जिस पर यह निर्णय दिया गया। यह अत्यंत आश्चर्यजनक बात है। मेरी इच्छा है कि यहां बैठे मेरे प्रत्येक मित्र को यह बात सुननी चाहिए। जिनके हित समान होते हैं वे एक साथ ही रहते हैं।

माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि मछुआरों के अनेक संघों ने मेरे पास अभ्यावेदन दिया है कि उनकी अजीविका छिन गई है और यह विधेयक उनके जीवन बचाने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने हेतु भी अविलम्ब लाया जाना चाहिए। इस संबंध में राजग सरकार ने कहा था कि मछुआरों के अनेक संघ आकर उनके पास अभ्यावेदन दिये हैं कि उस क्षेत्र का पूरा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी बर्बाद हो रहे है। अतः यह विधेयक पुरस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें यहां तक आश्वासन दिया कि वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए किया गया था कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने जलकृषि प्राधिकरण विधेयक को राज्य सभा में 20 मार्च 1979 को पारित कराने का प्रयास किया। उस समय प्रसिद्ध गांधीवादी, श्री जगन्नाथन जो विधेयक के विरूद्ध अनशन पर बैठने की योजना बना रहे थे। श्री सुन्दरलाल के साथ, श्री वाजपेयी और उसके बाद प्रतिपक्ष के नेता से मिले। श्री वाजपेयी ने श्री जगन्नाथन से अनशन पर न बैठने का अनुरोध किया और उन्हें आश्वासन दिया था कि भाजपा विधेयक का कड़ा विरोध करेगी। इस संबंध में श्री जार्ज फर्नान्डीज और श्री मुरली मनोहर जोशी ने तटीय क्षेत्र के समुदायों को जो दिल्ली में है को भी इसी प्रकार का आश्वासन दिया था। दुर्भाग्य से जो कि तटीय क्षेत्रों में रह रहे गरीब मछुआरों के पास दिल्ली तक यात्रा करने की भी क्षमता नहीं है। मैंने यह अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि मैंने मछलीपट्नम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का तीन बार प्रतिनिधित्व किया है जहां केवल तटीय सीमा है। कभी भी गरीब मछुआरे को तन ढकने का अवसर नहीं मिला।

मैं एक घटना आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। 1990 में जब मचीलीपटनम में जलकृषि की शुरूआत हुई तो एक दिन एक मछुआरा बस में यात्रा कर रहा था। उसके पास कमीज नहीं थी। उसने सिटी बस में टिकट मांगा और 100 रुपये का नोट दिया। बस के परिचालक ने तुरन्त उससे पूछा कि उसके पास 100 रुपये कहां से आए। उसने बताया कि यह उसका पैसा है। बस परिचालक ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि उसे पता था कि किसी मछुआरे के पास 100 रुपये का नोट नहीं हो सकता है। इसलिए उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि इस आदमी ने या तो किसी को धोखा दिया है या कहीं किसी की जेब काटी है। उस समय जल कृषि का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था और गरीब मछुआरों को कुछ धन कमाने का अवसर मिल रहा था।

जिन लोगों ने दस रुपये का नोट भी नहीं देखा था उनके

[श्री के. एस. राव]

पास सौ–सौ रुपये के नोट थे। जब यह जमीनी हकीकत थी तो दिल्ली में रहने वाले लोग जिन्हें केवल धनी लोगों को देखने की आदत है और जो तटीय क्षेत्र में कभी नहीं गए हैं और जिन्हें तटीय क्षेत्र में विद्यमान पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दशाओं के बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं है और जो यह नहीं जानते थे कि क्या इसका किसी बसावट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर भाषण दिए और संवाददाता सम्मेलन संबोधित किए। लेकिन केवल वे लोग जो जमीनी हकीकत समझते हैं वे समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय और सरकार की निष्क्रियता से गत दस वर्षों में कितना अधिक नुकसान हुआ है। उस क्षेत्र के कतिपय अति उत्साही अधिकारिओं ने तो तालाबों को भी भरवा दिया है। उन्होंने उन टैंकों जहां झींगा पैदा किए जाते थे, को भरने के लिए बुलडोजरों का प्रयोग किया। उन दिनों झींगा का मूल्य 20 डालर प्रति कि.ग्रा. था। लेकिन प्रभावित लोगों को अभ्यावेदन देने का कोई अवसर नहीं दिया गया। उस क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त था। प्रभावित लोग यह नहीं जानते थे कि क्या करें, किसे अभ्यावेदन दें और परेशानी में उनकी सहायता एवं सुरक्षा कौन कर सकता है। उन्होंने कानून के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। उन्होंने खुद वे तालाब नहीं बनाए थे। सरकार ने उन्हें प्रोत्साहित किया था, समाज ने उन्हें उस भूमि का उपयोग करने और अपनी आजीविका अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित किया जो इन वर्षों में बेकार पड़ी थी। उन्होंने बैंकों से ऋण लिया। उन्होंने झींगा पालन के लिए बहुत अधिक धनराशि लगाई। उस समय कुछ अति उत्साही अधिकारियों ने इस पर आंखमूंद कर कार्यवाही केवल इसलिए की यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय था उन्होंने उसका सविस्तार अवलोकन नहीं किया कि क्या यह निर्णय किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। या उनकी भलाई करेगा, और उन्होंने उन्हें टैंक बंद करने का आदेश दिया और उन्हें टैंक बंद करने की धमकी दी। टैंक को भरने के लिए भारी मशीनों का उपयोग किया गया। उस समय किसी ने भी इन गरीब किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। उस समय जब ऐसी स्थिति थी तो महान नेताओं ने यहां आश्वासन दिया कि वे यह देखेंगे कि यह विधेयक पारित न हो।

महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री मछुआरा समुदायों की समस्याओं को समझकर ही इस विधेयक को इस सभा में लाए हैं। माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि तटीय जलकृषि से 6800 करोड़ रुपये की आय हुई जो मात्र उस 14 प्रतिशत भूमि के उपयोग से अर्जित की गई जिसका उपयोग किया जा सका था। यदि शत–प्रतिशत भूमि का उपयोग इस उद्देश्य के लिए हुआ होता तो हम कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते थे? सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई होती? सकल घरेलू उत्पाद में 0.1 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए वित्त मंत्री को कठिन प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन मात्र तटीय जलकृषि को प्रोत्साहन देकर किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आसानी से सकल घरेलू उत्पाद में आधे से एक प्रतिशत वृद्धि हो सकती थी।

महोदय, कोई प्रोफेसर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर अद्भुत व्याख्यान दे सकता है। यदि इस प्रकार के क्रियाकलाप का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होता तो मैं आसानी से इसके गुणागुणों को समझ सकता था। वहां रह रहे लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन मामले को सविस्तार से देखे बिना, इस मुद्दे पर केवल उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर, कतिपय अति उत्साही अधिकारियों ने इस पर कार्यवाही की और कतिपय राजनीतिज्ञों ने इससे प्रभावित होकर व्याख्यान में सुनी बातों के आधार पर उन्होंने आश्वासन दिया।

महोदय, इस संदर्भ में मैं कुछ बातें माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि सरकार जलकृषि क्रियाकलाप पर रोक लगाने पर विचार नहीं कर रही है। अपितु वह इसे विनियमित करना चाहती है। हम तटीय जलकृषि क्रियाकलापों को विनियमित करने का समर्थन करते हैं। इसे विनियमित किया जाना चाहिए। उन क्षेत्रों में किसान बहुत प्रगतिशील है, मेरा कहना है कि कुछ मामलों में वे वैज्ञानिकों से भी बेहतर हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन क्षेत्रों में उचित अवसंरचना नहीं है।

सभापति महोदय : श्री राव, कृपया अपनी बातें संक्षेप में रखें। जो बातें आपको कहनी हैं कृपया उनकी संक्षिप्त रूपरेखा बनाइए।

श्री के. एस. राव : महोदय, मुझे कितना समय मिला है?

सभापति महोदय : आपने दस मिनट पहले ही ले लिए हैं। आप के पास पांच मिनट और है।

श्री के. एस. राव : महोदय, उस क्षेत्र में किसानों की समस्या घटिया बीज और घटिया चारे की है। अतः, सरकार को बीज और चारे की गुणवत्ता के नियंत्रण के लिए कुछ विनियम बनाने चाहिए। वास्तव में जो विषाणु आया है उसे रोका नहीं जा सका और इससे वहां बहुत नुकसान हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विषाणु से कृषक समुदाय की रक्षा के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार नहीं किया गया, इसका प्रचार–प्रचार नहीं किया जा रहा है और इस दिशा में पर्याप्त अनुसंधान नहीं किया गया। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह मल व्ययन सुविधाएं प्रदान करने और उपयोग हो चुके जल या प्रदूषित जल को समुद्र में प्रवाहित करने जैसी अवसंरचना लाने के ब्योरों पर विचार करें ताकि कोई भी इससे प्रभावित न हो।

इसी प्रकार, इन सब समस्याओं से बचने हेतु किसानों के लिए कुछ खेती योग्य तरीकों को जानने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र होने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उन देशों के उदाहरणों का अनुसरण किया जाना

चाहिए जिन्होंने पहले बहुत अच्छा कार्य किया है, जैसे वियतनाम, हवाई, थाइलैंड और ताइवान। उन्होंने सही मायने में बहुत ज्यादा उपज प्राप्त की क्योंकि उन्होंने विस्तृत प्रचार कार्यक्रम चलाया। परन्तु यह प्रचार कार्यक्रम सरकर द्वारा चलाया जाना है और इसकी उम्मीद गरीब किसानों से नहीं की जा सकती। अतः, मैं चाहता हूँ कि सरकार इसकी पहल करेगी और विस्तृत प्रचार–प्रसार करेगी।

बाजार भावों में बहुत ज्यादा उतार–चढ़ाव हैं। अमरीका जैसे देश वैश्वीकरण की बात करते हैं परन्तु जब उन्हें लगा कि उनका राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहा था तो उन्होंने एक नया शब्द गढ़ लिया जिसे उन्होंने पाटन रोधी शुल्क का नाम दिया। जब हमारे लोग अमेरिका को झींगा मछली का निर्यात कर रहे हैं तो वे 14.1 प्रतिशत की दर से पाटन रोधी शुल्क लगा रहे है जिस वजह से एक बार पुनः हमारे उद्योग समस्या और असुविधा से घिर गए हैं। इसके बाद, जब भाव गिरेंगे तो एक बार पुनः किसानों को समस्या का करना पड़ेगा। आज, इस समस्या के कारण 14 प्रतिशत भी खेती के अंतर्गत नहीं है।

महोदय, इन चीजों के बारे में आपको बताते हुए, मैं उन कुछ उपबंधों का उल्लेख करना चाहता हूँ जिन्हें इस विधेयक में किया गया है। आपने कहा कि पंजीकरण आवश्यक है। हम इससे सहमत है कि पंजीकरण आवश्यक है। हम इससे इनकार नहीं करते हैं। परन्तु आपने कहा कि जब किसान पंजीकरण के लिए आवेदन करता है तो यह इस प्राधिकारी पर निर्भर है कि वह पंजीकरण को स्वीकार या अस्वीकार करे। किस आधार पर वह पंजीकरण नहीं देगा? क्या आपने कोई दिशानिर्देश यह बताते हुए उपलब्ध कराया है कि उसे इन दिशानिर्देशों का पालन करना है केवल तभी वह पंजीकरण को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है? जब कोई किसान, झींगा पालन तालाबों में लाखों रुपए निवेश करने के बाद जो बहुत महंगी है, अचानक वह पाता है कि उसका पंजीकरण अधिकारी की मर्जी से अस्वीकृत हो गया है तो उसके जीवन का क्या होगा? तब वह आत्महत्या भी कर सकता है। अतः, आप कृपया देखें कि दिशानिर्देश उपलब्ध कराया गया है और पंजीकरण देने के बाद भी, कुछ कारण से, एक किसान एक वर्ष तक खेती नहीं करता है। ऐसा मूल्यों का उत्साहवर्धक न होने के कारण हो सकता है। वह सोचता है कि इस वर्ष वह खेती नहीं कर पाएगा क्योंकि मूल्य अलाभकारी हैं या कि नदी का पर्याप्त मीठा जल इसे नमकीन जल के साथ मिलाने के लिए नहीं आएगा। उस स्थिति में, वह खेती नहीं कर सकता है। वह कह सकता है कि एक वर्ष खेती न करने के अंतराल के बाद उसका पंजीकरण निरस्त हो जाएगा। उस मामले में, किसानों के साथ क्या होता है?

इसी प्रकार, आपने कहा कि बिना पंजीकरण के, यदि कुछ किसान खेती करते हैं तो शास्ति 1 लाख रुपए या तीन वर्ष कैद होगी। महोदय, यह कैद किसके लिए है? एक किसान के लिए! क्या करने के लिए है? खेती करने के लिए! ठीक है पंजीकरण आवश्यक है। परन्तु क्या यह उस किसान के लिए है जिसके पास आधी एकड़ या दो एकड़ या 2000 एकड़ जमीन है? एक निगम जिसके पास हजारों एकड़ जमीन है उसके लिए 1 लाख या 2 लाख रुपए शास्ति के रूप में देना या अपने किसी आदमी को कैद में भेज देना कोई बड़ी बात नहीं है और उसके बाद वे अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं। अतः कृपया विनिर्दिष्ट करें कि यह शास्ति निगम क्षेत्र के लिए है या छोटे किसानों के लिए है। आपको छोटे किसानों को इस क्षेत्र से मुक्त रखना चाहिए। आप छोटे किसानों को जेल में नहीं डाल सकते हैं और उन्हें भुगतने के लिए नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।

आपने यह भी कहा है कि जब तक प्राधिकारी न्यायालय में प्रतिनिधित्व नहीं करता तब तक कोई भी न्यायालय इस अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप अभी भी प्राधिकारी को अपनी शक्ति का दुरूपयोग करने का हक दे रहे हैं क्योंकि कोई भी अपीलीय प्राधिकरण नहीं है। आप कृपया कुछ अपीलीय प्राधिकरण बनायें। यदि कोई अधिकारी या तो अपने स्व–हित या भ्रष्ट तरीकों या अपनी पसंद नापसंद एवं मर्जी से काम करता है तो वहां कोई अपीलीय प्राधिकरण होना चाहिए ताकि न्याय किया जा सके। मैं यह नहीं कहता कि आप ऐसा अभी तत्काल करिए क्योंकि मैं इस विधेयक के पारित होने में और ज्यादा विलंब नहीं चाहता हूँ। परन्तु कृपया इन संशोधनों को शीघ्राशीघ्र लाएं ताकि कोई भी किसान सजा न पा सके।

इस संबंध में मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कृपया इस 12 लाख हैक्टेयर खाली पड़ी जमीन, जिसका उपयोग इन कई वर्षों में नहीं किया गया, को स्थानीय लोगों में वितरित कर दें चाहे वह मछुआरे, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या छोटे किसान हों जो भूमिहीन हैं। उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और वे कठिन परिश्रम करेंगे। आपको उन्हें बाद में राजसहायता देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल उन्हें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। हम कई सारे प्रस्ताव और योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जैस मुफ्त खाना, नौकरी इत्यादि। इन सब चीजों के बजाए, आप उन लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं जो अपना पसीना बहाने के लिए और लाखों डॉलर और करोड़ों रुपए का अनाज पैदा करने के लिए तैयार हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन लोगों को प्रोत्साहित करें।

अतः मैं सत्यनिष्ठा से, ईमानदारी पूर्वक और दिल से माननीय कृषि मंत्री को इस विधेयक को संसद में लाने के लिए, और इसे राज्य सभा में पास करवाने के लिए बधाई देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सभा भी इस विधेयक को पारित करेगी। इससे उन्हें बड़ी

[श्री के. एस. राव]

राहत मिलेगी और यह तटीय क्षेत्रों में रह रहे गरीब मछुआरों में विश्वास का संचार करेगा। यह छोटे किसानों को बड़े पैमाने पर कार्य करने और इसका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऐसा आपके दिशानिर्देशों के अनुसार होगा और न कि आपके दिशानिर्देशों के विरूद्ध। यह ढांचे के अंतर्गत ही किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा का दस या बीस गुना कमाया जा सकता है। और आपके समर्थन से एक दिन 7,000 करोड़ रुपया 1,00,000 करोड़ रुपया बन सकता है। पूर्ववर्ती सरकारों या विपक्ष द्वारा व्यक्त विचारों या पर्यावरणविदों और अर्थशास्त्रीयों द्वारा दिए गए बड़े भाषणों के शब्द जाल में न फंसिये।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (घाटल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे तटीय जल–कृषि बिल पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आभारी हूँ। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूँ और जैसा अभी राव साहब ने तमाम तर्क–वितर्क सहित स्पष्टीकरण के साथ कहा है, जल सीमा में मछली पकड़ने हेतु एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता है। तभी हमारे मछुआरों की भलाई हो सकती है। वर्ष 2004 में हमने 6500 करोड़ रुपए की मछली का निर्यात किया है। समुद्री सीमा के अलावा अन्य स्थानों पर भी मछली पालन का बहुत अच्छा स्कोप है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि इससे हमें कई स्त्रोतों से निर्यात करने में सुविधा होगी और विदेशी मुद्रा का भी लाभ मिलेगा।

महोदय, पर्यावरणविद् मछली पकड़ने के तरीकों से बहुत चिन्तित हैं, क्योंकि मछली पकड़ने के साथ ही लगभग 2 करोड़ टन अन्य जीव–जन्तुओं को भी पकड़ा जाता है जिससे समुद्र में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाने का खतरा भी है। इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए।

अपराह्न 2.54 बजे

(श्री बरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*)

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार हमारे मछुआरे समुद्री तटस्थल से लेकर 50 किलोमीटर दूरी तक ही मछली पकड़ सकते हैं। उससे बाहर जाने पर उन्हें अन्य देशों से खतरा बराबर बना रहता है। जहाँ तक मछली उत्पादन की बात है, विश्व में हमारा स्थान आठवां है। मछली उत्पादन में चीन, पेरू, जापान, चिली, इण्डोनेशिया, रूसी संघ के राज्यों आदि देशों के अलावा भारत का आठवां स्थान है। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। पर्यावरण से जिस प्रकार से हमारे मछुआरे भाईयों को खतरा है, उससे गरीब मछुआरों की दुनियां भी बेदखल हुई है। आज उनकी तरफ भी सोचना होगा। जहाँ तक भारत के जम्बूद्वीप के वनों की रक्षा, पर्यावरण और पर्यटन को देखते हुए करीबी 20 हजार मछुआरों को विस्थापित किया गया है।

आज उनके सामने रोजी–रोटी का सवाल है। इस ओर भी मंत्री जी को विशेष ध्यान देना होगा कि जम्बू द्वीप से जो 20,000 मछुआरे विस्थापित किए गए हैं, उन्हें भी कम से कम रोजी–रोटी से जोड़ा जाए। समुद्रीय सुरक्षा के नाम पर श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, वहां हमारे कई मछुआरों को जेलों में रखा गया है। श्रीलंका में 120 भारतीय मछुआरे जेलों में बंद थे। जिन्हें तमिलनाडू की मुख्य मंत्री जयललिता जी ने पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से हस्तक्षेप कराकर छुड़ाने का काम किया था।

इसी तरह से कच्छ द्वीप है, जो मूल रूप से भारत का ही हिस्सा है। लेकिन समझौते के अंतर्गत वह हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। वहां झींगा मछली का बड़ा स्कोप है। मैं चाहूंगा मंत्री जी इस पर भी ध्यान दें, ताकि झींगा मछली का हम निर्यात कर सकें, क्योंकि उसकी विदेशों में भी बहुत मांग है।

जहां तक समुद्र तटीय क्षेत्र में मछली पकड़ने की बात है, यह काम कम होता जा रहा है। वहां पर मछलियों के जीवन को खतरा पैदा हो गया है। 35,000 बड़े औद्योगिक और जहरीले कारखानों का कचरा वहां आता है। खासकर समुद्री मार्ग से तेल लेकर जो बड़े–बड़े जहाज आते हैं, उनमें जब रिसाव होता है, तो उससे पर्यावरण को बड़ा खतरा पैदा होता है। इस कारण तमाम मछलियां भी उससे मर रही हैं। इस पर भी मंत्री जी को विशेष ध्यान देना होगा। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ेगी, जिससे बड़े–बड़े पोत जो इधर–उधर आते–जाते हैं, उनमें मछलियों का जीवन हम बचा सकें।

मेरा संसदीय क्षेत्र 120 किलोमीटर लम्बा है, चूंकि वह तटवर्ती समुद्री जल कृषि से अलग है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वहां गंगा–यमुना में भी मछली पकड़ने का काफी बड़ा स्कोप है। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मेरे क्षेत्र में पांच हजार एकड़ की झील है। वहां वर्षा का पानी इतना इकट्ठा हो जाता है कि यदि उसे सही तरीके से विकसित किया जाए तो हमें काफी मछलियां मिल सकती हैं और वहां के बेरोजगार युवकों को भी काम मिल सकता है।

मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं आपके सम्मुख भेजी हैं। वे योजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं। मैं चाहूंगा उनमें शीघ्र ही धन आवंटित किया जाए, तो लाभ होगा। जैसे मत्स्य पालक विकास अभिकरण है। उसमें 384.281 लाख रुपए प्राप्त होने थे, लेकिन

अभी तक केवल 200 लाख रुपए ही केंद्रांश के रूप में अवमुक्त हुए हैं। शेष 184.281 लाख रुपए बकाया है। मत्स्य प्रशिक्षण एवम् प्रसार योजना में भी आठ लाख रुपए प्राप्त होने हैं, लेकिन वे अभी तक नहीं दिए गए हैं। इसी तरह से मछुआ आवास योजना में 446.00 लाख रुपए का प्रावधान है, लेकिन 438.80 लाख रुपए का अनुमोदन करते हुए केन्द्रांश के रूप में 219.40 लाख रुपए की प्रथम किस्त प्राप्त हुई है। अभी 100 लाख रुपए अवमुक्त होने हैं, इसलिए तुरंत इसे देने का काम करें तो हमारे यहां मछुआरों की आवासीय समस्या हल हो सकती है।

डाटा बेस इंफार्मेशन एवम् नेटवर्किंग के सुदृढ़ीकरण की योजना है। इस चालू वित्त वर्ष में 35.82 लाख रुपए के अंश की आवश्यकता थी, जिसमें से आपने 25 लाख रुपए केंद्रांश के रूप में अवमुक्त किए हैं और 3.31 लाख रुपए की धनराशि भारत सरकार के पास विचाराधीन है। मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी 7.01 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता भारत सरकार राज्य सरकार को दे दे, तो इस पर अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. सिबैस्टियन पॉल (एर्णाकुलम) : महोदय, मैं तटीय जलकृषि प्राधिकरण विधेयक का समर्थन कर रहा हूँ। विधेयक के महत्व का विश्लेषण देश की स्थिति के संदर्भ में किया जाता है। भारत अन्तर्देशीय मछली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अतः जल कृषि के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। लगभग 30000 वर्ग किमी क्षेत्र जल कृषि के अन्तर्गत है और यह उद्योग तीन लाख कामगारों को रोजगार प्रदान कर रहा है।

अपराह्न 3.00 बजे

अतः उत्पादन को सतत आधार पर बढ़ाने के लिए उत्तर–दायित्वपूर्ण ढंग से कदम उठाए जाने चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और इसमें सुधर करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। वर्ष 1992 में रियोडीजिनेरियो सम्मेलन में कार्यसूची–21– इक्कीसवीं सदी के लिए प्राथमिकता वाले मुद्दों की रूपरेखा तैयार करते हुए एक वैश्विक कार्य योजना (एजेंडा – 21–ए ग्लोबल एक्शन प्लान आऊट लाइनिंग प्रायरिटी इंश्यूज फार ट्वटीफर्स्ट सेंचुरी) स्वीकार की गई थी। इसमें समुद्र और तटीय क्षेत्र के एकीकृत प्रबंधन और सतत विकास की वैश्विक जीवन सहायक प्रणाली के एक आवश्यक घटक के रूप में पहचान की गई। समुद्र और तटीय क्षेत्र दोनों भूमि और समुद्र के बीच अन्तरा फलक का कार्य करते हैं। इस संदर्भ में वर्ष 1996 में उच्चतम न्यायालय ने तटीय विनियमन क्षेत्र में चल रही सभी जल कृषि इकाईयों और सींगापालन वाले तालाबों को हटाने का आदेश दिया था। न्यायालय ने केवल परम्परागत और उन्नत परम्परागत जलकृषि की अनुमति दी थी।

तटीय जल कृषि प्राधिकरण विधेयक जैसा कि इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, का अभिप्राय उच्चतम न्यायालय के आदेश को अस्वीकार करना नहीं है। रोजगार और निवेश को बचाने के इरादे से लम्बे विचार विमर्श के बाद प्रस्तुत विधेयक तटीय जलकृषि के सतत विकास को सुनिश्चित करेगा। परम्परागत मछुआरा समुदाय, गैर सरकारी संगठनों और तटीय कृषकों की आशंकाओं को काफी हद तक दूर कर दिया गया है। भारत समेत विकासशील देशों में जलकृषि का तेजी से विकास हुआ है। आज जलकृषि विश्व के कुल मत्स्य उत्पादन का तीस प्रतिशत से अधिक है।

तथापि, समुद्र तटीय क्षेत्रों में सींगाजल कृषि फार्मों की अत्यधिक वृद्धि से इतना अधिक समुद्री और भू जल इतना अधिक प्रदूषित हो रहा है कि उच्च ज्वार रेखा के पांच सौ मीटर के भीतर सभी जलकृषि फार्मों को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप की जरूरत हुई। तथापि, प्रस्तावित विधान में निषिद्ध सीमा कम कर उच्च ज्वार रेखा से दो सौ मीटर कर दी गई है और मौजूदा फार्मों को दूरी की सीमा से पूर्णतया मुक्त रखा गया है। ऐसी रियासत और छूट पूर्णतया अनावश्यक है। यदि परिस्थितिवश अपवर्जन की जरूरत पड़ी है तो विधान की भावना के प्रवर्तन के लिए कठोर दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। पीने, बागवानी, कृषि और मत्स्यपालन प्रयोजनों के लिए 200–500 मीटर क्षेत्र में भू–जल निकालने की अनुमति तभी दी जा सकती है जब यह कार्य साधारण कुओं से शारिरिक श्रम द्वारा किया जाए। भू आधारित कार्यकलापों से समुद्री प्रदूषण नियंत्रित करने के उपायों के एक भाग के रूप में समुद्र में जाने वाले जल कृषि अपशिष्ट पदार्थ को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। भारत विश्व में कुछ सर्वोत्तम गणनों (मैनग्रोव) हैं और ये पूरी तटरेखा के साथ–साथ है। वे तटरेखा को स्थिर करते हैं और समुद्र द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध आड़ के तप में काम करते हैं। तटीय जलकृषि कार्यकिलापों से बहुमूल्य गणनों (मैनग्रोव) का विनाश नहीं होना चाहिए। प्रस्तावित जलकृषि प्राधिकरण के पास तटीय क्षेत्रों में जल कृषि फार्मों के निर्माण और प्रचालन को विनियमित करने; अपने पर्यावरणीय प्रभाव को निश्चित करने और यदि उनसे प्रदूषण होता है तो उन्हें हटाने अथवा नष्ट करने का आदेश देने यदि उनसे प्रदूषण होता है तो उन्हें की शक्ति है। यह उस सीमा तक ठीक है। हम यह आशा करें कि प्राधिकरण को दी गई शक्तियां प्रभावी होंगी। इस आशा के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं–जिन्होंने तटीय जलकृषि प्राधिकरण विधेयक, 2005, जो लंबित पड़ा हुआ था, उसे लेकर आपने बड़ा उपकार किया है। खास तौर से जो मछली पालन करने वाले लोग हैं, जो समुद्र के किनारे बड़े पैमाने पर बसी हुई आबादी है, उनके रोजगार के लिए, उनकी उन्नति के लिए और देश की आर्थिक मजूबती के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, यह बिल बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से, जो बाधा उत्पन्न हुई थी और जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उस गाईडलाइन को पूरा करने के लिए बिल लाने की आवश्यकता पड़ी है। इस बिल से देश का, समाज का बहुत बड़ा वर्ग जो बेरोजगार है और गरीबी की हालत में है, उसे मदद मिल पाएगी। खास तैर से देश के समुद्री इलाके में जो बसा हुआ भू–भाग, जो आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में पड़ता है, लगभग 12 लाख हेक्टेयर का कोस्टल इलाका है। इसके माध्यम से वे मछली पालन करके अपनी जीविका का उपार्जन कर रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में जो आकलन किया गया है, उसके अनुसार 6,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया गया है। यही चिंता का विषय है कि हमारे देश में उत्पादन हो रहा है लेकिन वियतनाम जैसा छोटा–सा देश भी हमारे कम्पीटिशन में आ रहा है। चीन भी इसी काम में लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि इस संबंध में और कार्यक्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है और उन लोगों की मदद करने की जरूरत है, इसके बगैर हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे।

महोदय, हमारे देश को किसानों का देश कहा जाता है, ऐसे इलाकों में, जहां हम एकमात्र फसल का उत्पादन कर पाते हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है कि हम दूसरी फसल का उत्पादन कर सकें। इस संबंध में जरूरत इस बात की है कि जो बहुत बड़ा सागर का भू–भाग है, इसकी चर्चा भी की गई है कि यह 12 लाख हेक्टेयर का इलाका है, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, वे बहुत गरीब तबके के हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए आवश्यक है कि हम उनकी अधिक से अधिक मदद करें, उनके उत्पादन को बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहित करें ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जो किसानों पर निर्भर करती है, उसमें मजबूती आ सके।

पिछले दिनों भी चर्चा हुई थी कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत हो रही है। यह हमारे देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। अगर खेत–खलिहानों और किसानों की तरफ ध्यान देने का काम नहीं होगा तो आने वाले दिनों में हमें और भी संकट का सामना करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि एक मात्र उपाय यही है और यदि हमें देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है तो किसानों की तरफ देखना होगा, चाहे वह किसान खेत के माध्यम से उत्पादन कर रहा है या जल के माध्यम से उत्पादन कर रहा है। हम ऐसे किसानों की मदद करने का काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हमारी बेरोजगारी और आबादी दिनों–दिन बढ़ती जा रही है और रोजगार के अवसर घट रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। हम बेरोजगारों को रोज़गार दे सकें, अपनी अर्थ–व्यवस्था निश्चित तौर पर मजबूत कर सकें, इसके लिये हमें ऐसे उपाय करने चाहिये। माननीय मंत्री जी हमें इस बिल के माध्यम से एन्श्योर करने जा रहे हैं कि इससे पौल्यूशन दूर करेंगे। लेकिन इस गारंटी को पूरा करने के लिये सरकार को उपाय करने होंगे। कोस्टल ऐरिया में रहने वाले जो लोग हैं, उनके उत्थान के लिये, उसे विकसित करने के लिये, उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये और किसानों को उपाय सुझाने का काम करेंगे। ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आपका राज्य तटीय राज्य नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : सभापति जी, मैं बिहार से आता हूं वहां नदियां बहती हैं। हर साल...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपके कहने का तात्पर्य यह है कि नदी तट क्षेत्र भी समुद्रतटीय क्षेत्र है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : वहां भी झींगा मछली का पालन किया जाता है। आधे से ज्यादा बिहार में पानी ही पानी रहता है। इसलिये मछली पालन का बहुत बड़ा स्कोप है। गंगा तो हम लोगों से दूर जा रही है लेकिन कोसी, कमला बालान और बागमती नदियों का पानी हम लोगों पर कुप्रभाव डालता है। माननीय कृषि मंत्री जी किसानों के दर्द को समझते हैं। मेरा निवेदन है कि केवल सागरीय इलाकों की तरफ ध्यान न देकर हमारे क्षेत्र की तरफ भी किसानों के हितों के लिये कार्य, किया जाये। इससे हमारे देश की अर्थ–व्यवस्था को मज़बूती प्रदान होगी।

सभापति महोदय, हमारी यू.पी.ए. सरकार इस बिल के माध्यम से संकल्प लाई है जो पिछली सरकार नहीं ला सकी थी। वह खेत–खलिहानों की बात नहीं करती थी। उसे इस बिल से कोई मतलब नहीं था। अगर उनकी सकारात्मक भूमिका होती तो इस तरह

विरोधी दल सदन का बहिष्कार नहीं करते। वे बहस में भाग लेकर सरकार के इरादों को मजबूती प्रदान करते। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स के अनुसार यह सरकार बिल लाई है। इस बिल के माध्यम से सागरीय इलाकों में रहने वाले बेरोज़गार नौजवानों के लिये सरकार ने रोजगार का स्कोप बढ़ाने का काम किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबलाइजेशन का समय आ गया है और विदेशी लोग हमारे कम्पीटीशन में आ गये हैं, इसलिये सरकार को उनका मुकाबला करने के लिये ठोस उपाय निकालने होंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि हम 6000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं, उसे और बढ़ाना होगा। इससे किसानों का उत्साहवर्द्धन होगा।

सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करते हुये माननीय मंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिये यह बिल सदन में लाये हैं।

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : सभापति महोदय, यह बात सही है कि मेरा चुनाव क्षेत्र कोस्टल एरिया से बहुत ज्यादा दूर है लेकिन मछली से भी पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है, यह मैं जिन्दगी में पहली बार सुन रहा हूं और वह भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुन रहा हूँ। मैं शरद पवार जी को मुबारकबाद देता हूं कि इस ज़माने में जब कुछ हमारी गलतियों से और ब्यूरोक्रेसी की बहुत ज्यादा गलतियों से ज्यूडीशियरी हर उस मामले में दखल दे रही है जिसमें अभी दस–बीस साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था कि ज्यूडीशियरी इसमें भी दखल दे सकती है। उन्होंने इस जमाने में हिम्मत की कि एक ऐसा कानून लाए जिससे जो बेजा मुदाखलत हो रही है, जो तरक्की के रास्ते में बाधा बन रही है, उसको दूर किया जा सके।

पूरी दुनिया में गेहूं के बाद इंसान की खुराक में मछली का नंबर आता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मछली की पैदावार हमारी राष्ट्रीय जरूरत है। मछली कोस्टल एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर हो सकती है, लेकिन जैसे मेरा क्षेत्र कोस्ट से बहुत दूर है, अगर वहां भी भारत सरकार और कृषि मंत्री जी तवज्जह दें तो वहां भी बड़ी–बड़ी झीलें हैं जिन पर कुछ पैसा खर्च करके बड़े पैमाने पर समुद्री मछली से ज्यादा अच्छी मछली पैदा की जा सकती है। अब कल कोई कह दे कि गेहूं की खेती से भी पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है तो क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट गेंहू की खेती को भी इंडस्ट्री करार देगी? यह एक सोचने का विषय है, इस पर मुझे कोई लंबी–चौड़ी तकरीर नहीं करनी है। मैं कृषि मंत्री जी से सिर्फ इतना कहूंगा कि आप थोड़ा उन इलाकों पर भी तवज्जह दें जो समुद्र से दूर हैं, लेकिन जहां बहुत अच्छी किस्म की मछलियां बड़ी तादाद में पैदा हो सकती है। आज भी उत्तर प्रदेश में अच्छी किस्म की मछली बड़ी तादाद में खुद–ब–खुद पैदा होती है और अगर हम कोशिश करें तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को हम बढ़ा सकते हैं।

ज्यादा न कहकर मैं शरद पवार जी को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं कि वे यह बिल लाएं मैं चाहूंगा कि ऐसे हर फैसले को जो देश की तरक्की और देश के उत्पादन में बाधा बन रहे हों, उन सारे मामलों में कानूनसाज़ी करके बेजा गलत हस्तक्षेप को आगे भी रोकने का यह प्रयास करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उप सभापति महोदय : विधेयक में यह प्रावधान है कि तटीय राज्यों को प्रतिनिधित्व चक्रानुक्रम द्वारा ही दिया गया है। इस विधेयक के उपबंधों के अनुसार प्रस्तावित तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण जिसका गठन किया गया में तटवर्ती राज्य ही चक्रानुक्रम द्वारा प्राधिकरण के प्रतिनिधि होंगे। आंतरिक राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। क्योंकि वे इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं आते। क्या मैं सही हूँ।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : जी हां, यह विधेयक तटीय क्षेत्र तक सीमित है।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और मैं इस विधेयक को लाने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार और विशेषकर माननीय मंत्री श्री शरद पवार को मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि यह विधेयक गत आठ वर्ष से लंबित पड़ा हुआ है।

यह कुछ अहिल्या मोक्ष के समान है जैसा कि हमारे पुराणों में वर्जित है। जी हां, इसके कारण स्पष्ट है। अतः मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आप इस विधेयक को अब लाए हैं जो हमारे मछलीपालन के तेजी से विकास करने के लिए स्थितियां पैदा करेगा। यद्यपि मत्स्यन से हमारा निर्यात अर्जन 6000 करोड़ रुपए से अधिक है, तथापि मैं कह सकता हूँ कि एक उद्योग के रूप यह क्षेत्र तथा विकसित किए जाने वाले फार्मिंग क्षेत्र के मामले में अभी शैशवावस्था में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आंकड़ों के अनुसार और अनेक एजेंसियों के कथनानुसार तटीय क्षेत्र में 12–14 लाख हेक्टेअर भूमि का विकास किया जा सकता है। हमने मोटे तौर पर उसमें से चौदह प्रतिशत भूमि का विकास किया है। इसके साथ यदि हम लगभग चार लाख लोगों को रोजगार दे पाए और 6000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए की आय अर्जित कर सकें तो एक बार इस विधेयक के अधिनियम बन जाने पर देश में इसके विकास में तेजी आएगी और रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे। और और

[श्री सी. के. चन्द्रप्पन]

अधिक धनसंपत्ति अर्जित होगी। इसीलिए हम इस का समर्थन करते हैं।

इसके अतिरिक्त हम यह जानना चाहिए कि यह बुनियादी रूप से यह छोटे किसानों का कार्य है क्योंकि इस जलकृषि में लगे 91 प्रतिशत किसानों के पास दो हैक्टेयर से कम भूमि है और केवल छह प्रतिशत किसान मध्यवर्ग के हैं, जिनके पास दो से पांच हेक्टेअर के बीच जोत की जमीन है। बड़े किसान केवल तीन प्रतिशत ही हैं। इसलिए यह बुनियादी रूप से छोटे आदमी का व्यवसाय है। यह रोजगार उपलब्ध कराता है। इससे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है; और इसे ऐसी स्थितियां पैदा करनी चाहिए ताकि तटीय क्षेत्र में हमारे पर्यावरण की रक्षा भी हो सके।

अतः इस विधेयक का समर्थन करते समय मैं कहूंगा कि इस विधेयक में दो पहुलओं को शामिल किया जाना चाहिए था। यदि बाद में आप संशोधन लाएं तो यह बिल्कुल ठीक होगा। खंड 11 तटीय जल कृषि प्राधिकरण के कर्तव्यों के संबंध में है। प्राधिकरण निरीक्षण सर्वेक्षण आदि कर सकता है। मैं इसमें सतत आधार पर अनुसंधान और विकास और पर्यावरणानुकूल जल कृषि को भी शामिल करूंगा। तभी कदाचित हम देख सकते हैं कि यह स्थायी व्यवसाय बन सकता है जो पर्यावरणानुकूल होगा। इसके लिए नए प्राधिकरण को अनुसंधान और विकास और प्रशिक्षण का कार्य सौंपा जाना चाहिए।

मैं इसमें एक और पहलु भी जोड़ना चाहूंगा। वह पहलु गुणवत्ता वाले बीजों और आहार की आपूर्ति सुनिश्चित करना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आंकड़ों के अनुसार यह कहा गया है कि इस समय सीमा पालन के लिए उपलब्ध पचास प्रतिशत से अधिक बीज घटिया किस्म के हैं। इसी प्रकार उपलब्ध चारा भी घटिया और विषैला है। इसलिए यदि प्राधिकरण को ये दो कार्य सौंप दिए जाएं और सम्भवतः आप प्राधिकरण से पूरा काम करने के लिए कह रहे हैं। यह प्राधिकरण केवल निरीक्षण नहीं करेगा, प्रमाणपत्र आदि नहीं देगा और बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि उद्योग।

यदि अच्छा चारा और बीज उपलब्ध कराया जाएं तो यह उद्योग पर्यावरणानुकूल बना रहेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस दो बातों पर ध्यान दिया जाए। मेरी एक अन्य आशंका है, जिसे अन्य वक्ताओं ने भी व्यक्त किया है वह खंड 15 और 22 के बारे में है जिसमें यह उपबंध है? "न्यायालय प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है", मैं यह समझ सकता हूँ। किन्तु यह इसे कैसे प्रभावित करेगा। जब नौकरशाही द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और निहित स्वार्थों के साथ निर्णय लिए जाते हैं? यदि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती तो सम्भवतः लोग बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे।

इसलिए, मैं अनुरोध करता हूँ कि मंत्री जी इस मामले की जांच करें कि क्या खंड 15 और 22 में किसी सुधार की जरूरत है ताकि हम व्यथित लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दे सकें। मैं इन्हीं कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। कुल मिलाकर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योंकि शुरू में मैंने इसके कारण बताए थे। मेरी इच्छा है कि इस विधेयक को शीघ्र कार्यान्वित किया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री एम. एम. पल्लम राजू (काकीनाडा) : महोदय, तटीय जलकृषि प्राधिकरण विधेयक, 2005 पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा मानना है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इस विधेयक से हमारे पारितंत्र संरक्षण कई छोटे एवं मझोले किसानों की सुरक्षा, औद्योगिक क्षेत्र के असंगठित कामगारों, के कल्याण पर और सबसे महत्वपूर्ण यह कि समुद्री आहार के निर्यात में महत्व योगदान के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे।

मैं तटवर्ती निर्वाचन क्षेत्र काकीनाड़ा से हूँ जहां जलकृषि व्यापक स्तर पर की जाती है। और मेरा संबंध गोदावरी जिले से भी है। जहां की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में झींगापालन और मत्स्यपालन का योगदान रहा है। इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार प्रकट करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने इस उद्योग के विकास, इसकी सफलता और कठिनाइयों को नजदीकी से देखा है।

महोदय, यदि हम इतिहास देखें तो पाते हैं कि थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम में व्यवसायिक झींगा पालन की सफलता के बाद नब्बे के दशक की आरंभ में झींगा पालन ने जोर पकड़ा। जिन छोटे किसानों के पास समुद्र के निकट छोटी सी कृषि योग्य भूमि थी वे झींगा पालन करने लगे क्योंकि झींगा बीज के विकास के लिए भी मीठा जल और खारा जल का उपर्युक्त मिश्रण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तथा इसका व्यवसायिक रूप से दोहन किया जा सकता था।

वहां लोगों ने अत्यधिक लाभ अर्जित किया तथा जिन–जिन राज्यों ने इस नए क्षेत्र का शीघ्र दोहन किया वहां के झींगा पालन करने वाले किसानों ने कम समय में अधिक धन अर्जित किया। धनार्जन के इस नए अवसर से प्रोत्साहित होकर बहुत से किसानों ने झींगा पालन शुरू किया। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत बड़ी उपजाऊ कृषि भूमि को जलकृषि तालाबों के रूप में बदला जाने लगा, कृषिगत अवसंरचना का दुरूपयोग होने लगा। जैसे इन तालाबों

की जलनिकासी कृषि जल निकासी प्रणाली में की जाने लगी। जिसके स्वरूप कृषि जल निकासी प्रणाली प्रदूषित होने लगी और स्वच्छ कृषि पर्यावरण और देश के तटवर्ती क्षेत्रों में सामुद्रिक पारितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मुनाफे को देखकर बहुत बड़ी–बड़ी कम्पनियां भी इस क्षेत्र में कुद पड़ी।

इसके बाद झींगा बीज का उत्पादन करने के लिए झींगा अंडज प्रजनन केन्द्र स्थापित की जाने लगी। पुनः इससे मिलने वाले मुनाफे से प्रोत्साहित होकर बहुत से उद्यमी इस क्षेत्र में आए जो तटवर्ती और पारितंत्र से जुड़ी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं थे। सी आर जेड़ विनियमों और पारितंत्र संबंधी चिन्ताओं के बावजूद इस उद्योग से प्राप्त मुनाफे को देखते हुए कई उद्यमियों ने सी आर जेड़ अन्य मानदण्डों और अन्य मानदंडों का अविवेकपूर्ण ढंग से उल्लंघन किया।

इसके साथ ही झींगा के स्वस्थ विकास और आकार को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक झींगा आहार के व्यापार का अवसर मिला इससे विश्व में निर्यात बाजार मुख्य रूप से अमेरिका, जापान और यूरोप में झींगा मछली का अधिक मूल्य मिलने लगा। परंतु फसल के हरेक मौसम से उद्यमियों द्वारा झींगापालन की स्वस्थ प्रणाली का अनुसरण न करने के कारण बहुत सी अधिक उपज सुनिश्चित नहीं हो सकी। कई असफलताओं का सामना करना पड़ा और वे झींगा तालाब में क्षमता से अधिक झींगा पालन कर अधिक उपज प्राप्त करना चाहते हैं जिसके कारण झींगा मछलियों में बीमारी होती है और प्रदूषित होती है। निर्यात बाजार हेतु झींगे की उपयुक्त पैकेजिंग और भंडारण सुनिश्चित करने के लिए इस उद्योग ने प्रशीतन संयंत्र स्थापित करने का नया अवसर सृजित किया।

उपर्युक्त कार्यकलापों के फलस्वरूप बहुत से शिक्षित और असंगठित दोनों कामगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला। तालाबों, अंडज उत्पतिशालाओं और प्रशीतन संयंत्रों के आसपास रहने वाले बहुत से मछुआरों को रोजगार के लाभप्रद अवसर मिले फलतः उन्हें समुद्र में मछली पकड़ने के अलावा आजीविका का वैकल्पिक साधन मिला। तथापि, इस उद्योग की भी अपनी समस्याएं हैं और हमने उच्चतम न्यायालय का आदेश देखा जिसका उद्योग के विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। ऐसे मामलों में हम अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों जैसे पोत भाजन उद्योग जिसका हमारे तटवर्ती पारितंत्र पर बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, की अनदेखी करते हैं। ऐसे में हमें इस उद्योग को उपयुक्त नजरिए से देखना चाहिए और इसे समुचित सहायता देनी चाहिए।

इस स्थिति में मुख्य रूप से किसानों, पैकेजरर्स और निर्यातकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों और निर्यात गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय न किए जाने के कारण निर्यात में आई कमी से इस उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में यह उद्योग जिस संकट से गुजर रहा है वह है एन्टी–बायोटिक का प्रयोग किया जाना है। जिसका अमेरिकी बाजार में विरोध किया जा रहा है। अतः जब हम इस उद्योग को प्रोत्साहित करने की कोशिश करें तो इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

वर्तमान में भारत में झींगा उत्पादन प्रतिवर्ष 100,000 मीट्रिक टन होता है। जिसका निर्यात में वार्षिक योगदान 3000 से 6000 करोड़ रुपए तक है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी के बाद विदेशी मुद्रा का अर्जन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। यही वह क्षेत्र है जहां व्यवसायिक संभावनाएं एवं अवसर छिपे हुए हैं। जिसे यह देश खोना नहीं चाहेगा। इस उद्योग द्वारा सृजित रोजगार के अवसर दूसरा ऐसा सशक्त तथ्य है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है इसे समर्थन और प्रोत्साहन दिया जाए।

वर्तमान में इस क्षेत्र में मुख्य रूप रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 12 से 15 लाख अकुशल कामगार कार्यरत है। अतः इस विधेयक को पारित और कार्यान्वित करते समय हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस उद्योग से हमारे देश को मिलने वाले लाभ के कारण इसे प्रोत्साहन और बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। कृषि के लिए उपलब्ध भूमि के एक छोटे से हिस्से को ही इस समय उपयोग में लाया जा रहा है और भूमि के उपयोग में वृद्धि करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। 12 लाख हेक्टेयर उपलब्ध भूमि की तुलना में अभी लगभग 1,50,000 हेक्टेयर भूमि का ही उपयोग किया जा रहा है। साथ ही इस भूमि का अधिकांश भाग अन्य कृषि प्रयोजनों के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः हम लोग उसी भूमि का उपयोग कर रहे हैं। जो उत्पादक उपयोगिता के अन्य प्रयोजनों के लिए उपयुक्त नहीं है और इसे बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। इस पृष्ठ भूमि में, मेरा मानना है कि इस विधेयक से अनेक अवसर मिलेंगे और इस सम्बन्ध में मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं।

इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि – बहुत से छोटे और मझोले कृषकों की आजीविका खतरे में है, इस कार्य से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के बहुत से अवसर सृजित हुए हैं; इस तटवर्ती क्षेत्र में नाजुक पारितंत्र को सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है, जोकि भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों समुदाय की आजीविका के लिए और भी महत्वपूर्ण है; मौजूदा कृषि भूमि को जलकृषि क्षेत्र में परिवर्तन करने के संबंध में सोच–समझकर निर्णय लिया जाना चाहिए; पारितंत्र और पर्यावरण संबंधी मानदण्डों का उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए; हमें निर्यात गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कारगर एवं प्रभावी प्रशीतन श्रृंखला बनाए रखने के लिए आवश्यक अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने वाली दशाओं को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। इस उद्योग को स्वस्थ तरीके से विकसित करने के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जिससे स्वस्थ विकास संभव होगा।

[श्री एम. एम. पल्लम राजू]

मैं महसूस करता हूँ कि इस उद्योग को परानुभूतिक पदक देने के लिए इस उद्योग के विश्वसनीय उद्यमियों की प्राधिकरण में नियुक्ति की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त हमारे पास एम पी ई डी ए. नामक अच्छा निकाय है जिसे सुझाव और सूचना के प्रभावी एवं कारगार प्रसार के लिए सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। इससे निर्यात की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकेगी। प्राधिकरण अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में प्राधिकरण द्वारा प्रयोग के स्तर पर बीज और आहार की गुणवत्ता पर कारगर निगरानी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री एम. एम. पल्लम राजू : महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूँ।

प्राधिकरण को भूमि के समुचित उपयोग तथा अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए स्वरूप जल कृषि की स्वस्थ प्रक्रिया के विकास में सहायक होना चाहिए। इस कार्य को सकारात्मक और सृजनात्मक तरीके से करने और नियंत्रित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। अतः यह विधेयक इस सही दिशा में उठाया गया पहला महत्वपूर्ण कदम है।

अतः इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : महोदय, मैं अपनी पार्टी पी. एम. के. की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। इस विधेयक के उद्देश्यों को उत्कृष्ट तरीके से तैयार किया गया है और इस विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंध अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख क्षेत्रक अर्थात् मत्स्य-पालन के विकास में सहायक होंगे। यह क्षेत्रक रोजगार, आजीविका, निर्यात और बहुत सारे अग्रवर्ती और पश्चवर्ती लिंकेज के मामले में कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है। अतः इस विधेयक का उद्देश्य एक विनियामक अधिकरण का निर्माण करके इस उद्योग को संरक्षण प्रदान करना है।

इस विधेयक को समर्थन देने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों को स्वीकार करने में काफी तत्परता दिखाई है और उसने उच्चतम न्यायालय के 11 दिसम्बर 1996 इस विधेयक को के विनिर्णय के अनुरूप प्रस्तुत किया है। अतः हम पर्यावरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय को संतुष्ट करने में सक्षम हुए हैं।

दूसरा कारण यह है कि यह विधेयक आर्थिक चिंताओं और परिस्थितिकीय चिंताओं के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है। जैसा कि यह सभा और माननीय सभापति जानते हैं, भारत में झींगा उद्योग तेजी से प्रगति कर रहा है। जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने इंगित किया है, इस उद्योग का योगदान बहुत अधिक है, किंतु दुर्भाग्य से, जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में होता है। इस देश में विकास के साथ-साथ अपने ढंग की विपदाएं भी उत्पन्न होती हैं। चाहें कृषि हो या मत्स्य पालन या कोई अन्य उद्योग, अर्थव्यवस्था जितनी विकसित होती है, पर्यावरण को भी उतना ही नुकसान होता है और यह उद्योग भी इस प्रवृत्ति का अपवाद नहीं है इस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले बहुत सारे रसायनों के पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है और पर्यावरणविदों ने इस मुद्दे को अनुमान से कहीं अधिक उठाया है। अतः सरकार के समक्ष प्रश्न यह था कि इस गतिविधी को प्रोत्साहित किया जाये या समाप्त किया जाये। किंतु दोनों विकल्पों के परिणाम हानिकारक निकलते। अतः सरकार ने मध्य-मार्ग (गोल्डमीन्स) अपनाया और इस वृत्ति को समाप्त न करके संशोधित कर दिया। इसलिए यह विधेयक संतुलित आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न करता है। जिसमें झींगा, जलकृषि विकास और पर्यावरणिक चिंताओं का ध्यान रखा जायेगा और यही इस विधेयक का सबसे बड़ा लाभ है।

इस विधेयक का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह विनियामक प्राधिकरण को स्वायतशासी शक्ति तथा स्वायतशासी स्वरूप प्रदान करता है जिसका अर्थ है कि कोई भी सरकार, कोई भी पर्यावरणीय संगठन या कोई अन्य समूह इस प्राधिकरण के कार्यकलापों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्राधिकरण का गठन इस प्रकार का है कि इसमें झींगा कृषि से ताल्लुक रखने वाले सभी विशेषज्ञ शामिल हैं। अतः हमें सर्वोत्तम परामर्श मिलेगा और हम इस उद्योग को दीर्घकालीन दृष्टिकोण और दीर्घकालीन परिस्थिकीय दृष्टिकोण तथा आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकसित कर सकेंगे।

इसलिए इस विधेयक का स्वायतशासी स्वरूप इतना आकर्षक है कि इसे स्वीकार करना चाहिए इस विधेयक में और भी कई गुण हैं जिन पर मैं विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करना चाहता किंतु साथ ही, मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूँगा, जिन पर माननीय कृषि मंत्री, जो कि इतने सहृदय है और इस विधेयक को पेश किया है तथा इस पर ध्यान केंद्रित किया है, विचार कर सकते हैं।

अब मैं प्राधिकरण के गठन के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर बात करता हूँ। यह सच है कि इसमें सभी संबंधित पक्ष है किंतु दो समूह ऐसे है जिनका इस मामले से और तटीय क्षेत्रों में झींगा मछली पालन से संबंध है, और जिन्हें प्राधिकरण में शामिल नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए बड़ी संख्या में लघु कृषक इस पेशे से संबंध रखते हैं और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले बहुत सारे मछुआरे इस विकास से प्रभावित होंगे। इस प्राधिकरण में किनको प्रतिनिधित्व

किया गया है? आपके पास विशेषज्ञ है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि है। कृषि मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित लोग भी हैं। आपके पास हर कोई है किंतु ऐसा कौन है जो जल कृषि और मत्स्य पालन उद्योग में लगे छोटे और सीमांत किसानों की समस्याओं से समिति को अवगत करा सकेगा? मछुआरों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह जल कृषि में लगे किसानों तथा मत्स्य उद्योग के किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान करे।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूनामी से तटीय क्षेत्रों में मृदा बहुत प्रभावी हुई है। वहाँ "थाउजैन्ड मीटरी रेगुलेशन" स्थिति की जांच करनी है या उसे पुनः देखना होगा। महोदय आप जानते हैं कि पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र, तमिलनाडु, केरल, अडंमान और निकोबार द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश तटीय प्रदेश है और उनमें बहुत सारे झींगा मछली कार्यकलाप व मत्स्य पालन कार्यकलाप होते हैं। यह गतिविधियां सूनामी लहरों से प्रभावित हुई हैं। फलस्वरूप इन क्षेत्रों में क्षारीयता, मृदा उत्पादकता प्रभावित हुई है। इसलिए सरकार को यह देखना है कि क्या "थाउजैन्ड मीटर रेगुलेशन" हजार-मीटर विनियामक) अभी भी संगत और वैध है या नहीं।

तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विधेयक में एक सर्वग्राही उपबंध है जिसके अनुसार, केन्द्र सरकार या प्राधिकरण या प्राधिकरण के अध्यक्ष और किसी अन्य सदस्यों और ऐसे ही अन्य लोगों के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थापित नहीं की जायेगी। अतीत के अनुभवों को देखें तो मुझे डर है कि उससे प्राधिकरण को निरंकुशता से और इच्छा अनुरूप कार्य करने की शक्ति मिल जायेगी। इस देश में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। जब आयोगों और समितियों ने लोक हित के विरूद्ध कार्य किया है। मुझे लगता है कि इस खंड को संशोधित करना चाहिए और प्राधिकरण को अत्यधिक शक्तियां नहीं देनी चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

यहां 90 प्रतिशत कृषक लघु और सीमांत है। अतः आप उनके लिए सहकारिताएं क्यों नहीं बनाते हैं? जिस प्रकार किसानों की सेवा सहकारिताएं हैं उसी प्रकार छोटे सहकारी समूह क्यों नहीं बनाये जाते जो किसानों को नकदी और जिंस में सभी सहायता दें और उन्हें वित्तीय तंगी या बोझ से मुक्त करायें। ऐसा किये जाने पर उनका योगदान बहुत बढ़ जायेगा।

इसके पश्चात् जलकृषि उद्योग के प्रबंधन का प्रश्न आता है। इसके लिए लोगों में विशेष कौशल, दक्षता चाहिए ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। रसायनों के उपयोग और अन्य युक्तियों के अनुप्रयोग के लिए विशिष्ट प्रतिभा और प्रबंधन तकनीक की जरूरत हो सकती है। संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों के मत्स्य पालन विभाग इस संबंध में किसानों को सहायता देने में सक्षम नहीं है। यहाँ तक कि गैर सरकारी संगठनों को भी इतनी विशेषज्ञता हासिल नहीं है कि वे किसानों की कोई मदद कर सकें। यदि यह सुविधा प्रदान नहीं की जाती तो मत्स्य पालन उद्योग को दीर्घकाल में जाकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं महसूस करता हूँ कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के माध्यम से लघु कृषकों की सहायता करनी चाहिए या उन्हें स्व-सहायता समूहों के निर्माण के लिए उत्साहित करना चाहिए।

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सरकार जलकृषि क्लबों के निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है जो लोगों की बहुत सहायता करते हैं और इसलिए उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हम उन्हें सभी जगह क्यों नहीं स्थापित करते और सरकार लोगों के समक्ष जल-कृषि क्लब बनाने की योजना क्यों नहीं रखती?

अंततः सरकार को इस बारे में सावधान रहना चाहिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय तटीय क्षेत्रों में किसी भी रूप मे चाहें वह तकनीकी सहायता हो या वित्तीय मार्ग निर्देश का-न आ जायें और इस देश के समुद्री उत्पादों या संपदा का शोषण न करें।

हमें भारत के शोषण करने की अंग्रेजी रीति-नीति की तरह प्रयोग नही करने चाहिए क्योंकि उससे आने वाले वर्षों में देश से संपत्ति-स्त्रोतों का बर्हिगमन होगा। अतः सरकार को देश में मत्स्य पालन के विकास को दीर्घकालीन आधार प्रदान करने के लिए इन सभी तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम) : धन्यवाद महोदय, मैं तटीय जलकृषि प्राधिकरण विधेयक, 2005 के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ।

जैसाकि आप सभी को ज्ञात है जल कृषि उद्योग में वृद्धि हो रही है और इससे न केवल किसानों बल्कि स्थानीय मछुआरों, वैज्ञानिकों, जैव वैज्ञानिकों इत्यादि को रोजगार प्राप्त हो रहा है। हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में सात जिलों में इसे अपनाया गया। जल कृषि से हमें अत्यधिक विदेशी मुद्रा की आय होती है। लेकिन इस संबंध में किसी कानून के अभाव में जल कृषि किसानों को घाटा हो रहा था। उन्हें कई सूदखोरों द्वारा लूटा जा रहा था।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। गत जुलाई में नेल्लौर जिले जहाँ जल कृषि पालन व्यापक स्तर पर होता है, वहां से लगभग 30 कृषक दिल्ली आये थे। वे दिल्ली माननीय वाणिज्य मंत्री जी से मिलने आये थे क्योंकि वर्ष 2002 में हुए एक विषाणु संक्रमण से कृषकों को व्यापक हानि हुई थी। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास

[डा. बापू राव सिंडियम]

प्राधिकरण (एमपीईडीए) जो केरल में स्थित है ने कतिपय सहायता धनराशि मंजूर की थी। लगभग सभी चैक और डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर लिए गए थे लेकिन पूर्व सरकार ने इस पर इस तर्क के आधार पर रोक लगा दी कि चुनाव होने वाला है। चुनाव के 10 महीने के पश्चात भी कृषकों की चेक जारी नही किया गया है। वे मनमानी वाणिज्य मंत्री जी से मिलने आये थे और उन्होंने इस मुद्दे पर एक अभ्यावेदन दिया है। उन्होंने मेरे और आंध्र प्रदेश के अन्य माननीय सदस्यों के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है लेकिन उन्हें धनराशि अभी तक नहीं मिली है। अतः इस विधेयक को हमारे द्वारा अधिनियमित किए जाने के परिणामस्वरूप इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी।

जल कृषि से पारिस्थिकीय असंतुलन भी उत्पन्न होता है। इसमें सर्वाधिक मुख्य खतरा भूजल का खारापन, भूमि की उर्वरकता समाप्त होना, जहाँ यह किया जा रहा है उन क्षेत्रों में पेय जल की कमी इत्यादि है। अतः मेरी मांग है कि इस विधेयक में पारिस्थिकीय संरक्षण के लिए उपबंध शामिल किए जाएं।

दूसरी तरफ इस विधेयक में जल कृषि करने वाले कृषकों जो अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं के समर्थन के लिए कतिपय उपबंधों का भी समावेश होना चाहिए। यह समर्थन निम्नलिखित क्षेत्रों में होना चाहिए। उनमें लघु अथवा सीमांत कृषक होने के कारण हम उन्हें बैंक ऋण प्रदान करना चाहिए। उन्हें भूमि, कीटनाशकों, चारे, जैवरोधी सामग्री इत्यादि की खरीद हेतु बैंक ऋण दिया जाना चाहिए। दूसरे उन्हें एलआईसी इत्यादि जैसे कतिपय बीमा योजनाओं के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। अन्यथा किसी विषाणु अथवा किसी अन्य महामारी के प्रकोप के कारण उन्हें हानि होगी। अतः जलकृषि के लिए बीमा योजनाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरे, उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से तकनीकी समर्थन दिया जाना चाहिए। चौथे, उन्हें सस्ती दरों पर चारे, कीटनाशक और जैवरोधी सामग्रियों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

उन्हें अपने उत्पादों को संरक्षित रखने हेतु शीतागार की सुविधा उपलब्ध करायी जाए क्योंकि वे उच्च गुणवत्ता वाले झींगे का उत्पादन करते हैं। प्रत्येक झींगे का वजन लगभग 1 किलो होता है। वे अच्छी गुणवत्ता वाले झींगे का उत्पादन कर रहे हैं और उन्हें निश्चित रूप से कुछ सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि वे अपने उत्पादों का संरक्षण कर सकें और उन्हें इनके विपणन में भी सहायता दी जानी चाहिए। चूंकि उत्पाद का 90 प्रतिशत या तो निर्यात अथवा बाहर भेजा जाता है। उन्हें निश्चितरूप से बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

श्री जे. एम. आरुन रशीद (पेरियाकुलम) : मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष और नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने सुनामी से प्रभावित सभी तटीय क्षेत्रों का दौरा किया है। मैं सभापति, सरकार और माननीय प्रधान मंत्री का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने प्रभावित मछुआरों को लगभग 5000 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिए हैं।

सभापति महोदय : आप तमिल में ही बोल रहे हैं। आपने तमिल में बोलने का नोटिस दिया है। निःसंदेह आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं।

श्री जे. एम. आरुन रशीद : मैं तमिल में बोलूँगा।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अंग्रेजी में जारी रख सकते हैं। यहाँ यह लिखा हुआ था कि आप तमिल में बोलेंगे। आप अपना भाषण अंग्रेजी में दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री जे. एम. आरुन रशीद : समुद्री क्षेत्र से 500 मीटर दूर तक की परती भूमि को गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले मछुआरों के परिवारों को दे देना चाहिए। परती भूमि स्व सहायता समूह, स्थानीय सोसायटी तथा उस क्षेत्र में दो–दशक से अधिक समय से रहने वाले लोगों को दिया जाना चाहिए ताकि तटीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या का हल हो सके और विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। दूसरे तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को आसान किस्तों पर बैंक ऋण दिया जाना चाहिए। तीसरे पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी अध्ययन कराया जाना चाहिए। तटीय क्षेत्रों के संबंध में अनुसंधान और आवधिक जांच भी करायी जानी चाहिए।

झींगा पालन करने वाले मछुआरे बेहतर उत्पादकता हेतु उत्तम तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा निदेशित 20 प्रतिबंधित जैवरोधी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस पर निगरानी रखने हेतु राज्य और केन्द्र सरकार तटीय क्षेत्रों में एक निगरानी समिति स्थापित करें जहां जल कृषि की जाती है। सरकारी नियंत्रण वाली परती भूमि जैसे खारा क्षेत्र, मैंग्रोव वन भूमि जिसे सरकार द्वारा आप उपयोग हेतु निर्दिष्ट किया गया है उसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन मछुआरों को दिया जाना चाहिए जो जल कृषि करते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी और गरीबी की समस्या कुछ हद तक सुलझ सकती है।

बड़े व्यवसायिक घरानों द्वारा गरीब मछुआरों की जमीनों पर उन्हें दिए गए ऋण और अग्रिम के बदले कब्जा कर लिया गया है। वे उनकी भूमि लेकर 2.5 एकड़ के तालाब बना रहे हैं। जिससे स्थानीय लोगों को कठिनाई हो रही है। ये तालाब उनकी जीविका और आवास से केवल 50 मीटर की दूरी पर ही हैं। इसके अतिरिक्त दैनिक जल उपयोग हेतु तैयार किया गया 15 फीट × 20 फीट का कुआं प्रदूषित हो गया है। अतः सीआर जेड की अधिसूचना जिसमें न्यूनतम 1000 मीटर की सीमा का निर्धारण है। को क्रियान्वित करने के साथ साथ उस पर विमपती भी रखनी चाहिए। राजमार्ग अथवा आवासीय क्षेत्रों के आस–पास तालाब नहीं बनाए जाने चाहिए क्योंकि इन तालाबों में उपयोग होने वाले रसायन बदबू फैलाते हैं। सरकार

को यह सुनिश्चित करना होगा कि मछुआरों के गांवों के भूजल प्रदूषित न हो पाए अन्यथा इससे उनकी जीविका और पेयजल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सरकार मछुआरों को झींगा पालन, जल कृषि और कुक्कुट पालन हेतु भूमि दिए जाने की संभावना का पता लगाए। छोटे मछुआरे पुलिकट और बकिंगघम झील में मछली पकड़ते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करे कि तालाब से निकलने वाले अपशिष्ट जल को ऐसे ही बहने न दिया जाए। इन फार्मों के अपशिष्ट जल बांधों के माध्यम से समुद्र में जाता है। इसके कारण उन क्षेत्रों के पेड़ सूख जाते हैं। उन क्षेत्रों में नारियल, ताड़ और आम के पेड़ अत्यधिक जल भराव के कारण सूखे रहे हैं। सरकार को उन लोगों को मुआवजा देना चाहिए जिनकी भूमि अथवा पेड़ नष्ट हो गए हैं। प्रयुक्त जल का उचित रूप से शोधन करके इसे पाइपलाइन द्वारा समुद्र में छोड़ा जाना चाहिए।

मुर्गी पालन से उत्पन्न कूड़ा अत्यधिक खतरनाक होता है और इसे उचित रूप से निपटाया जाना चाहिए। मैं सरकार से एक बार पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह इस मुद्दे के हरके पहलू पर ध्यान दे। इस क्षेत्र से सरकार को अत्यधिक विदेशी मुद्रा की आय होती है। इस समय यह लगभग 7000 करोड़ रुपए है जो 1 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। अतः सरकार को इस उद्योग पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। सरकार को इस देश के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लघु किसानों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को महत्व देना चाहिए।

डा. सुखेन्दु चक्रवर्ती (जादवपुर) : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। यद्यपि हमें इसके लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है फिर भी इस विधेयक के पुरःस्थापन के समय इस पर चर्चा पूर्णतः उचित है। हालांकि मैं इस विधेयक का सामान्य रूप से समर्थन करता हूँ फिर भी कुछ विशिष्ट मुद्दों पर गौर किया जाना चाहिए।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण विधेयक इस समय विद्यमान सभी तटीय प्रबंधन प्रक्रियाओं और क्रिया–विधियों में स्पष्टतः हस्तक्षेप करेगा। इस देश में निस्संदेह जलकृषि एक कृषि उद्योग है। जिसकी संभावनाएं अपार हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं है ऐसा हमारे देश में विशेष रूप से है क्योंकि हमारी तटरेखा लंबी और तटीय क्षेत्र विशाल है। तटीय क्षेत्रों में जैव–विविधता भी विपुल है। अतः हमें जीव–जंतुओं और पादपों के विनिर्दिष्ट प्रलेखन और उन्हें बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए भी सुनियोजित योजना बनानी चाहिए। इसलिए मंत्रालय को इस संपूर्ण मुद्दे पर सर्वतोमुखी व व्यापक दृष्टिकोण करना चाहिए।

निस्संदेह यह हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में प्रभावी रूप से सहायक होगा इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षा भी एक गंभीर मुद्दा है। हम सभी जानते हैं कि आधुनिक काल में समुद्री जीवविज्ञान एक विशिष्ट विषय बन गया है। दुनिया के अनेक देश समुद्री जीव विज्ञान के अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जलकृषि प्राधिकरण के संपूर्ण उपागम उसके कार्यकरण और प्रत्येक पहलू में, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह साथ–साथ चलना चाहिए।

यह बहुत लाभदायक उद्योग है। इसलिए निर्यात का काफी महत्व है। मेरे कुछ मित्रों ने एक एम पी ई डी ए का उल्लेख किया है। मेरा मानना है कि एम पी ई डी ए को समुचित प्रोत्साहन दिया चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

यह बहुत लाभदायक उद्योग है इसलिए इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां का अतिक्रमण भी हो सकता है। हमें यह देखना है कि उस अतिक्रमण को कैसे रोका जा सकता है। यह बहुत महत्व है। अक्सर ये बड़ी कंपनियां अधिक लाभ के लिए अन्य क्षेत्रों और सामान्य भूमि को भी इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसलिए लवणता और विलवणीकरण का मुद्दा गंभीर मुद्दा होगा और उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

समुद्री उत्पादों के अति दोहन के संबंध में मैं सुस्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूँ कि रासायनिक अपक्षय एक सतत प्रक्रिया है जिसकी ओर हमें प्रारंभ से ही ध्यान देना चाहिए।

बहुराष्ट्रीय कंपनियां सामान्यता बड़े ट्रालरों का उपयोग करती है। हमें उन्हें समन्वित रीति से विनियमित करना चाहिए। वे जलकृषि को लाभ के नजरिये से देखती हैं। इसलिए मत्स्य बीज भी नष्ट होते हैं। इससे हमारे देश को भविष्य में भारी नुकसान होगा। अतः मैं तीन या चार सुझाव देना चाहता हूँ।

तटरेखा के साथ बसे किसानों को जलकृषि में शामिल करने के प्रश्न को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस क्षेत्र में हमें मछुआरा सहकारिताएं और स्व–सहायता समूह बनाने चाहिए, उन्हें बैंक–ऋण और लाभकारी कीमतें देनी चाहिएं। यदि हम इसे योजनाबद्ध रीति से करते हैं तो हमारी बेरोजगारी की समस्या का भी काफी हद तक समाधान होगा।

तटीय और दूरस्थ क्षेत्रों में संचार सुविधाओं से उन्हें आपदा के समय सहायता मिलेगी। आजकल हम प्रभावी आपदा प्रबंधन की बात कर रहे हैं और हमें यह सब उपलब्ध कराना चाहिए।

मेरा विशेष सुझाव बीज और चारा के बारे में है। मैं जानना चाहता हूँ कि हम बीज और चारा की समुचित व्यवस्था और उसका प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं। इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

[डा. सुजान चक्रवर्ती]

विधेयक में किसानों को प्रतिनिधित्व देने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। जबकि किसानों का प्रतिनिधित्व बहुत आवश्यक है अन्यथा उनके हितों की रक्षा नहीं हो पायेगी। अनुसंधान और विकास, वैज्ञानिक प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के समान ही मछुआरों को सहभागी बनाने का मुद्दा भी महत्त्वपूर्ण है। केन्द्रीय नीति–निर्माण में मछुआरों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को प्राधिकरण अध्यक्ष बनाये जाने के पीछे मुझे कोई तर्क नजर नहीं आता। ऐसा प्रावधान क्यों है। संभवतया वैज्ञानिक सोच या ज्ञानवान व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तटीय जलकृषि, विज्ञान और पर्यावरण के दृष्टिकोण से जलकृषि को विनियमित कर सकता है। उपर्युक्त को ध्यान रखकर ही प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। महोदय इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ तथा अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला) : महोदय, मैं तटीय जलकृषि प्राधिकरण विधेयक, 2005 पर चर्चा में भाग ले रही हूँ। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1996 के अपने निर्णय में जलकृषि की एक उद्योग के रूप में पहचान की थी और उसे इस रूप में मान्यता दी और निर्देश दिया था कि तटीय क्षेत्र में जलकृषि संबंधी कोई कार्यकलाप नहीं किया जायेगा। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि उचित विधान के माध्यम से एक जलकृषि प्राधिकरण स्थापित किए जाने की जरूरत है जो तटीय क्षेत्रों में जलकृषि का विनियमन करेगा। उच्चतम न्यायालय ने एक ही आदेश द्वारा तटीय विनियामक जोन में गहन, अर्ध–गहन, विस्तृत और अर्ध–विस्तृत सभी प्रकार के जलकृषि फार्मों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया था। न्यायालय ने परंपरागत और परिष्कृत परंपरागत जलकृषि की अनुमति दी। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के कारण, जलकृषि पर आश्रित लगभग तीन लाख लोग बेरोजगार हो गये थे। उन जलकृषि कार्यकलापों के लिए प्रयुक्त भूमि तटीय लवणीय भूमि थी जिसको किसी और प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता । उन कामगारों के हितों की रक्षा करने और जलकृषि उद्योग के संवर्धन के लिए यह आवश्यक था कि पर्यावरण की सुरक्षा के साथ–साथ जलकृषि उद्योग की भी रक्षा की जाए।

भारतीय समुद्री उत्पाद क्षेत्र का विश्व अर्थव्यवस्था में एक गौरवपूर्ण स्थान है और अब हमारा देश विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत के मत्स्य स्रोत देश में वृहद जलकृषि उद्योग की स्थापना में काफी सहायक हैं। हमारा देश हिंद महासागर में महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है जिससे यहाँ दो बार मानसून आते हैं जो जलकृषि में प्रयोग किए जाते खारे और लवन जल स्रोतों को भर देते हैं। साथ ही हमारे यहां तटीय दलदली क्षेत्र, तटीय लैगून और कम गहरे अंतःवर्ती जल स्त्रोत हैं जो जलकृषि के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। यदि सरकार जलकृषि के विकास के लिए उपयुक्त प्रयास करती है तो उससे काफी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित हो सकती है। इससे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूँ। किंतु मेरी राय में कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

प्रस्तावित विधेयक का खंड 4 तटीय जलकृषि प्राधिकरण के गठन और उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति का उपबंध करता है। इस निकाय में मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। उनमें से अधिकतर लघु कृषक हैं। उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। इसलिए जैसा कि मेरे साथी प्रो. रामदास ने इंगित किया है, इस निकाय में मछुआरों को अवश्य ही प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

दूसरा, प्रस्तावित प्राधिकरण का अध्यक्ष सेवारत न्यायाधीश होगा। मूलतः इसका औचित्य स्पष्ट नहीं है। किंतु जलकृषि की समस्याएं राष्ट्रीय महत्व की हैं तथा इनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव अतः इस प्राधिकरण का अध्यक्ष उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश होना चाहिए। यदि वह उच्चतम न्यायालय का हो तो और बेहतर।

खंड 11, उप–खंड 2 में यह उपबंध है कि जब प्राधिकरण किसी जलकृषि फार्म को हटाने या तोड़ने का आदेश देगा तो क्षतिपूर्ति की जायेगी और इसका विनिश्चय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किये गये उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति प्राप्त हो। प्राधिकरण में बाहर से किसी व्यक्ति को लेने और उसे मजिस्ट्रेट की शक्ति देने के स्थान पर यह अधिक उचित होता कि उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को या अन्य किसी जिला मजिस्ट्रेट को ये शक्तियां दी जातीं ताकि इससे मध्यस्थ की विश्वसनीयता भी सुनिश्चित होती।

अगला बिंदु खंड 12 के अधीन प्राधिकार देने के बारे में है। यह किसी तटीय जलकृषि भूमि, तालाब, बाड़ा, की जांच के लिए किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करने के बारे में है। किंतु इस संबंध में यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस उपबंध से इंस्पैक्टर राज का प्रारंभ न हो जाये क्योंकि इससे भ्रष्टाचार में रिश्वतखोरी बढ़ेगी। यह जलकृषि का विकास में बाधक का कार्य करेगा।

अब खंड 13, उपखंड 8(क) में उपबंध किया गया है कि उच्च ज्वार वाले क्षेत्र से 200 मीटर के भीतर किसी प्रकार की तटीय जलकृषि नहीं की जाएगी। महोदय, तटीय विनियमन क्षेत्र के अनुसार तटीय क्षेत्र से 500 मीटर के भीतर कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए। अतः इसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि इस 200 मीटर के मानदण्ड पर पुनः विचार किया जाना बहुत

ही महत्वपूर्ण है; विशेषकर उस परिस्थिति में जब हम 26 दिसम्बर 2004 को सुनामी का कहर झेल चुके हैं हमें 500 मीटर के मानदण्ड पर विचार करना चाहिए। मेरा मानना है कि यह बहुत ही आवश्यक है।

उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.12.1996 के निर्णय में यह निदेश दिया गया था कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए चिल्का और पुलीकैट झील के आसपास लगभग 1000 मीटर की दूरी में किसी प्रकार की झींगाकृषि और झींगा फार्म का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। इस विधेयक में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अतः मेरा मानना है कि जलकृषि से संबंधित सभी फार्म ऐसे सभी अभ्यारणयों से दूर स्थित होने चाहिए।

सभी तटीय क्षेत्रों में फैले हुए अनुसंधान संगठनों को बंद करने के भी प्रयास किए गए हैं ताकि उन्हें एक निकाय के दायरे में लाया जा सके। मेरा मानना है कि वे सभी संगठन जिस रूप में और जहां स्थित है उन्हें वहीं बनाए रखना आवश्यक है। इसका कारण यह है कि इससे तटवर्ती क्षेत्रों के आसपास के लोगों के लिए वे सुगम्य होंगे। विशेष रूप से अच्छे किस्म के आहार अच्छी गुणवत्ता वाले बीज आदि जैसी आवश्यकताओं के मद्दे नजर।

संवर्धन और विनियमन दोनों कार्य तटीय जलकृषि प्राधिकरण को सौंपे गए हैं। इन दोनों कार्यों के लिए बिल्कुल अलग–अलग मानसिकता की आवश्यकता होती है। जब आप संवर्धन संबंधी कार्य देखते हैं तो आपको सकारात्मक नजरिए की जरूरत होगी; लेकिन विनियमन के कार्य में निषेधात्मक दृष्टिकोण की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है। अतः यह आवश्यक है कि ये दोनों कार्य दो अलग–अलग निकायों के अधीन हों। मेरे अनुसार यह बहुत ही अच्छा होगा कि विनियमन संबंधी कार्य वर्तमान निकाय के अधीन ही रहें और संवर्धन संबंधी कार्य के लिए एक अलग निकाय की स्थापना की जाए। यह बहुत ही अच्छा होगा। यह जलकृषि के विकास के लिए निश्चित रूप से सहयोगी होगा।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आज पुरःस्थापित किए गए इस विधेयक का समर्थन करती हूँ।

श्री एस. डे. खारवेनथन (पलानी) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

महोदय, जलकृषि और रेशम कीट पालन से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैस जनहित की रक्षा के लिए कौन–कौन से कदम उठाए जाने चाहिए; जनता की मांग कैसी हो; किस प्रकार जलकृषि को विकसित किया जाए; के बारे में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट निदेश दिया है।

महोदय, वास्तविकता यह है कि तमिलनाडु में मद्रास से केप कामेरिन तक के 500 किलोमीटर के तटवर्ती क्षेत्र – नागपट्टिनम, कड़ाईकल, थनानगम्बाडी, पोरावईयार, थंजावुर, पडुकौट्टई, तुतिकोरिन, कन्याकुमारी, कांचीपुरम और पझावेरकाडु– के कई जगहों पर लोगों को इस कारण से मना किया कि इस प्रकार के उद्योगों से जो अपशिष्ट बन रहे हैं। उसका तथा रासायनिक पदार्थों का पेयजल, विशेषकर नलकूपों के पानी पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई रासायनिक पदार्थों की पहचान की गई। इसने 20 रासायनिक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषक लोग जलकृषि और रेशम कीट पालन के इस विकास से भयभीत है। इस क्षेत्र में नारियल, केले और सभी पेड़–पौधे प्रभावित हो रहे हैं। इतना ही, वे लोग कृषि भूमि को कम मूल्य पर खरीद कर इस प्रयोजन के लिए उपयोग कर रहे हैं। उनको आशंका है कि उनके घरों और भूमि पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सरकारी भूमि बहुत है जिसका इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है। तमिलनाडु में नागपट्टिनम और कांचीपुरम के बीच बहुत से प्रदर्शन किए गए और इसका विरोध करने के कारण बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध मामले भी दर्ज किए गए।

जलकृषि और झींगापालन दूसरे उद्योग हैं जिससे सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति हो रही है। ऐसी ही एक किस्म रामेश्वरम में है। यह "टाइगर प्रॉन" है। वे पूरी दुनियां में बहुत सी किस्में निर्यात कर रहे हैं। इससे बहुत अधिक आय होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार इस विधेयक से इन सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, मैं तेलुगूदेशम पार्टी की ओर से इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

हमारे देश में बहुत लम्बा तटीय क्षेत्र है, आन्ध्र प्रदेश का भी तटीय क्षेत्र 1000 कि.मी. से अधिक है।

यह विधेयक राज्य सभा में सात वर्ष पहले पुरः स्थापित किया गया था। वह व्यपगत हो गया था। पुनः नया विधेयक पुरःस्थापित किया गया। जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, उस समय श्री चतुरानन मिश्र कृषि मंत्री थे। उन्होंने इस विधेयक को पुरःस्थापित किया था। जब एन.डी.ए. की सरकार थी उस समय अजीत सिंह कृषि मंत्री थे। उन्होंने इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की कोशिश की थी। खैर मौजूदा सरकार यह विधेयक लायी है। इस विधेयक से छोटे एवं मझोले मछुआरों के लाखों परिवारों और उद्योग की रक्षा होगी।

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

मेरे अनुसार, हमें तटीय पर्यावरण और तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वालों लाखों लोगों की आजीविका की रक्षा करनी है।

अपराह्न 4.16 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*)

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद पूरा उद्योग धाराशायी हो गया है। 1996 के बाद उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार उद्योग, छोटे और मझोले कृषक और मछुआरों ने भी तटीय विनियामक प्राधिकरण के गठन का अनुरोध सरकार से किया था। इस प्राधिकरण से देश में इस उद्योग और मछुआरा समुदाय की रक्षा होगी।

इस उद्योग से हमें तीन लाख प्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगा और इसकी अनुषंगी एककों से हमारे देश के लगभग सात लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस उद्योग के माध्यम से हम प्रति वर्ष 6000 करोड़ रु. विदेशी मुद्रा के रूप में अर्जित कर रहे हैं। यदि हम इस उद्योग की रक्षा करते हैं तो रोजगार संभावनाओं में भी वृद्धि होगी। हमें मछुआरा समुदाय की आजीविका की रक्षा करनी चाहिए; विशेषकर उस समय जब जल के खारेपन की समस्या विद्यमान है। आज भी तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को शुद्ध पेय जल नहीं मिल रहा है। मछुआरा समुदाय में एक भय भी व्याप्त है कि इस उद्योग के कारण भूजल की गुणवत्ता और भी खराब हो जाएगी और पानी में खारापन और अधिक बढ़ जाएगा और तब मछुआरों को आने वाले दिनों में और अधिक समस्याओं को झेलना पड़ेगा। अतः मंत्रालय द्वारा वह सावधानी भी बरती जानी चाहिए।

हम किसी कार्यरत न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस प्राधिकरण का गठन कर लेंगे लेकिन मेरे अनुसार इसका अध्यक्ष किसी टेकनोक्रैट को बनाया जाना चाहिए। सामान्य रूप से यदि न्यायपालिका के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है तो उनके पास जलकृषि का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव नहीं हो, उसके बदले यदि किसी टेक्नोक्रेट को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है तो वह इस उद्योग, पर्यावरण पहलुओं और मछुआरों की समस्याओं को भलिभांति समझ सकेगा।

इसके अतिरिक्त, मछुआरा समुदाय के किसी प्रतिनिधि को शामिल करने के बारे में इस विधेयक में कोई उपबंध नहीं किया गया है। इसमें विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों और अन्य के लिए उपबंध किया गया है। लेकिन लाखों मछुआरों के प्रतिनिधित्व के बारे में कोई उपबंध नहीं किया गया है। अतः उनके हितों की रक्षा के लिए हमें मछुआरा समुदाय से एक प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए इसमें उपबंध करना चाहिए।

यह एक अच्छा विधेयक है। पिछले आठ वर्षों से हम इसके बारे में चर्चा करते रहे हैं और आखिरकार, वर्तमान कृषि मंत्री, श्री शरद पवार ने यह विधेयक प्रस्तुत कर दिया है। मैं अपनी पार्टी की ओर से उनकी प्रशंसा करता हूँ। वह इस उद्योग को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। मैं, मछुआरा समुदाय और और इस उद्योग की ओर से भी उनकी प्रशंसा करता हूँ।

...(व्यवधान)

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश (कनकपुरा) : महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूँ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है। श्री विक्रमभाई मदाम।

[हिन्दी]

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम (जामनगर) : सभापति महोदय, माननीय कृषि मंत्री जो तटीय जलकृषि प्राधिकरण विधेयक, 2005 लेकर आये हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, मैं गुजरात के जामनगर निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, जो देश का सब से बड़ा कोस्टल एरिया है। पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र में लोगों को कोई सुविधा नहीं है। वहां के मछुआरे बहुत दुखी हैं क्योंकि उन्हें कोई सुविधा नहीं है। मेरा सुझाव है कि उन्हें रहने के लिये जगह मिले और कम ब्याज पर ऋण मिले।

इससे किसान अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, उन्हें रोज़गार मिलेगा और उन लोगों को अपना जीवन–यापन करने के लिए बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। मैं मंत्री जी से गुज़ारिश करूंगा कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया कराएं और जैसे मेरे पूर्ववक्ताओं ने बताया कि ऐसे प्रावधान उसमें रखें जिनसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : सभापति जी मुझे खुशी है कि दिखने में छोटे मगर बड़े महत्वपूर्ण बिल पर कई माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव रखा।

[अनुवाद]

वास्तव में मुझे इस विधेयक की पूरी पृष्ठभूमि की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे सहयोगी राज्य मंत्री महोदय ने पहले ही विवरण दे दिया है। यह सच है, जैसा कि श्री के. एस. राव ने बताया है, यह मुद्दा पिछले आठ दस वर्ष से

लम्बित था। मुझे याद है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के पश्चात कुछ प्राधिकारियों विशेषरूप से आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा तत्काल कार्यवाही की गई। उस समय मैं विपक्ष में था और मुझे याद है कि उस समय तटीय क्षेत्रों विशेषकर आंध्र प्रदेश से कोई शिष्टमंडल आए थे। कई युवाओं ने बैंकों से बड़ी राशि का ऋण लिया था। उन्होंने अपना जीवन इस विशेष क्षेत्र में लगाने का निर्णय लिया था। लेकिन इस निर्णय के कारण उन्होंने वास्तव सब कुछ खो दिया था।

उन दिनों आंध्र प्रदेश से मेरे सहयोगी चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हों एक जुट हो गए थे। उन्होंने सरकार को यह समझाने का प्रयास किया कि कतिपय सुधारात्मक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार यह आसान नहीं था। एक तरफ मीडिया एक अलग रवैया अपनाए हुआ था। यह पर्यावरणविदों का साथ दे रहा था। यह निर्णय भी पर्यावरणविदों के ही हित में था। दूसरी तरफ हजारों युवा जिन्होंने व्यवसाय के रूप में इस मार्ग को चुनकर अत्यधिक भार लिया था व्यवहारिक रूप से सभी कुछ खो बैठे। लेकिन अब सुधारात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

राज्य सभा में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। दुर्भाग्यवश लोक सभा भंग हो गई और इसके परिणामस्वरूप सुधारात्मक कार्यवाही करना संभव नहीं हो सका। अगले वर्ष यह विधेयक पुनः पुरःस्थापित किया गया और इसे स्थायी समिति को भेजा गया। स्थायी समिति ने कई सुझाव दिए थे। मेरे पूर्ववर्ती श्री अजित सिंह ने सभी इच्छुक व्यक्तियों को अवसर दिया था। इसके परिणामस्वरूप सरकार को कई सुझाव प्राप्त हुए और सरकार द्वारा एक संशोधित विधेयक लाना संभव नहीं था। अंततः एक नया विधेयक पुरःस्थापित करने का निर्णय लिया गया। हालांकि दस वर्ष बीत चुके हैं मुझे हर्ष है कि सभी संबंधित पक्षों से राज्य के प्रतिनिधियों, मछुआरों और कृषक समुदाय से विस्तृत परामर्श और चर्चा के पश्चात हम इस विधेयक को ला सके हैं।

राज्य सभा ने इसे पारित कर दिया है और आज मुझे आशा है कि हम इस विधेयक पर गत कुछ घंटे से चर्चा कर रहे हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारत जैसे देश में अत्यधिक संभावना है। जैसाकि मेरे सहयोगी राज्य मंत्री ने बताया है गत वर्ष जलकृषि उत्पादों की हमारा निर्यात 6000 करोड़ रुपए का मैं यह गत तीन वर्षों से देख रहा हूँ। कि वियतनाम ने अपने निर्यात में काफी वृद्धि कर ली है। ऐसे छोटे देश में यह लगभग 10000 करोड़ रुपए हो चुका है। थाइलैंड का निर्यात लगभग 20000 करोड़ रुपए है। हम केवल 14 प्रतिशत भूमि का उपयोग कर रहे हैं और यह भूमि शेष अन्य उद्देश्यों हेतु उपयुक्त भी नहीं है लेकिन हम इस भूमि का उपयोग इस व्यवसाय के लिए कर सकते हैं। इस विधेयक के पारित होने के पश्चात और यदि संबंधित राज्य सरकार उन युवाओं को पर्याप्त सुविधाएं और प्रोत्साहन देने के लिए तैयार हो जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो मुझे विश्वास है कि वे हमारे तटीय क्षेत्रों के मित्रों के साथ एक ऐसी स्थिति बनाने का प्रयास करेंगे। जहाँ से गत कुछ वर्षों में भारत को हुई हानि की भरपाई की जा सकेगी।

माननीय सदस्यों द्वारा कई बातें उठाई गई हैं। सर्वप्रथम उनकी चिन्ता यह थी कि हम अपने पर्यावरण का किस प्रकार संरक्षण कर सकते हैं। वास्तव में पर्यावरण संरक्षण के लिए इस मुद्दे को कतिपय वर्ग द्वारा उठाया गया था और न्यायालय का निर्णय भी इस मत का समर्थन कर रहा था। इस संबंध में हमने उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पूरी तरह अनुपालन करने का निर्णय लिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण राज्य की जिम्मेदरी है। खंड ।। (1) में उपबंध हैं जिसमें यह कहा गया है कि यदि किसी कारण से पर्यावरण प्रभावित होता है प्राधिकरण को सुधारात्मक कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। उदाहरणार्थ यदि कोई फर्म हानि पहुंचा रही है यह भी संभव है कि पर्यावरण को प्रभावित करने वाले इस फर्म को बंद कर दिया जाए।

खंड 15 और 22 के संबंध में एक प्रश्न उठाया गया था और यह कहा गया था कि लोगों को वास्तव में न्यायालय में जाने से रोक देता है। लेकिन यह पूरी तरह से ही नहीं है। यदि आप खंड 15 और 22 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो आप पायेंगे कि प्राधिकरण कोई भी निर्णय पारित करने से पूर्व किसी व्यक्ति का विचार निश्चित रूप से सुनेंगे। स्पष्ट रूप से हमारे संविधान के अनुसार इसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का याचिका क्षेत्राधिकार हमेशा बना रहेगा।

एक माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया कि इस प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करने में केवल न्यायाधीशों को ही अवसर क्यों दिया जाए। वास्तव में यह एक अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण है और किसी न्यायाधीश को इसका अवसर देने, जो किसी का पक्ष लेने में इच्छुक नहीं हैं, से सभी दृष्टि से न्याय करने में सहायता मिलेगी।

मुआवजा प्रदान करने के संबंध में भी मुद्दा उठाया गया था। विधेयक के खंड 11 (2) में मुआवजा देने का उपबंध किया गया है। हम निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की एक सरल और प्रभावी प्रणाली बनाने पर विचार करेंगे जो मुआवजे पर निर्णय ले सकेंगा।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया कि प्राधिकरण द्वारा किसी पंजीकरण को निरस्त करने के निर्णय की स्थिति में क्या होगा। विधेयक के खंड 13(2) में इस विशेष विषय पर ध्यान दिया गया है। पंजीकरण करने से इंकार संबंधित यहां की दलील सुनने के पश्चात ही किया जा सकता है।

[श्री शरद पवार]

माननीय सदस्य श्री के. एस. राव ने सुझाव दिया है कि इस प्रकार के कारोबार के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है तथा इसे तटीय क्षेत्र में जलकृषि हेतु गरीब लोगों को पट्टे पर दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह निर्देशों द्वारा संभव है। जब हम दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो हम निश्चित रूप से इस पहलू पर ध्यान देंगे। हम इस सुझाव को स्वीकार कर इसे क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे।

कई माननीय सदस्यों द्वारा बीज और चारे की घटिया गुणवत्ता का उल्लेख किया है। वास्तव में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अंडज प्रजनन शाला द्वारा ही केवल बीज उपलब्ध कराए जाएंगे और यह रोग मुक्त होगा। अंडज प्रजनन शाला की निगरानी हेतु एक जांच तंत्र तैयार किया जायेगा।

मुझे इस उद्योग में गत दस वर्षों में हुए प्रगति की पूर्ण जानकारी है। कई मामले हैं और कतिपय मामलों में समस्याएं गंभीर प्रकृति की हैं। यह किसी उद्यमी की हानि नहीं है, बल्कि यदि इस प्रकार के हानि की सूचना अन्यत्र आती है तो इससे विदेशी बाजार भी प्रभावित होगा। हमें इस दृष्टि से सतर्क रहना होगा। इस संबंध में निश्चित रूप से प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

कई मामलों में महाजनों द्वारा इन उद्यमियों के शोषण और धोखाधड़ी करने का भी प्रश्न उठाया गया है। मैं समझता हूँ कि हमारा प्रयास नाबार्ड को निदेश जारी करने का होगा। हम इस पर प्राधिकरण नाबार्ड और आरबीआई के साथ चर्चा करेंगे और यह बैंकों को यह निदेश जारी करेंगे कि वे अपने संसाधनों का कतिपय प्रतिशत आरक्षित करके इस विशेष उद्योग को सहायता देने का प्रयास करें। मैं एन सी डी सी के साथ भी चर्चा करूंगा और इसमें एक योजना भी शुरू करने का प्रयास करूंगा जिसमें एनसीडीसी इस प्रकार के प्रस्ताव चाहे यह सहकारी, समूह वर्ग अथवा स्वसहायता समूह का हो, की सहयोग करेगा। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूँ कि धन की कोई समस्या नहीं होगी। हम निश्चितरूप से इसका ध्यान रखेंगे कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

कतिपय माननीय सदस्यों ने प्राधिकरण की संरचना के संबंध में प्रश्न उठाया है और लगभग सभी सदस्यों ने मछुआरों और कृषक समुदाय से प्रतिनिधित्व की मांग की है।

वास्तव में खंड 4 (3) (छ) में यह उपबंध है कि तटीय राज्यों के चार सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। तटीय राज्यों के ये चार सदस्य मुख्यतः मछुआरे अथवा कृषक समुदाय के होंगे जो विशेषरूप से इस क्षेत्र और उद्यमियों के हितों का संरक्षण करने के इच्छुक होंगे।

श्री किन्जरपु येरननायडु : इसे नियमों में सम्मिलित करना बेहतर है कि चार सदस्यों में से दो सदस्य मछुआरा समुदाय से और दो सदस्य कृषक समुदाय से होंगे। किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी।

श्री शरद पवार : मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूं और हम प्रारूप तैयार करने के समय इसका ध्यान रखेंगे।

माननीय के. एस. राव ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। यह सच है कि हाल ही में अमेरिकी सरकार ने पाटन–रोधी शुल्क के बारे में एक निर्णय लिया है। वास्तव में यह विशेष मुद्दा विदेश मंत्री द्वारा उठाया गया था जिन्होंने हाल ही में अमेरिका की यात्रा की थी और इस विशेष विषय पर अमेरिकी प्राधिकारियों के साथ चर्चा के बाद वे इस पर सहमत हुए और राज्य मंत्री को आश्वासन दिया कि वे इस पूरे मुद्दे की पुनः जांच कराने के लिए तैयार हैं और हम इसके परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री पल्लम राजू ने एक सुझाव दिया है कि हमें कोल्ड चेन और अन्य अवसंरचना को प्रोत्साहित करना चाहिए। वास्तव में एमपीईडीए इस क्षेत्र में सुधारात्मक कार्यवाही करेगा। वास्तव में हम इस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। बल्कि हम पहले ही कुछ निर्णय ले चुके हैं। किंतु कार्यवाही करने में कुछ समय तो लगेगा। इसलिए हमारे देश में जल कृषि और मत्स्यन क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में विशाल क्षमता है। हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग इस विशेष व्यवसाय से जुडा हुआ है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। हम उन्हें और अधिक समर्थन और प्रोत्साहन देना चाहेंगे। इसीलिए हमने नेशनल डेयरी विकास बोर्ड की तर्ज पर एक संगठन की स्थापना की थी जो देश में सफल हुआ है।

एक समय देश में दूध की कमी थी। मुझे याद है कि जब श्री लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे तो अपने निजी विचार से उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की थी और भारत सरकार द्वारा उस समय पर्याप्त धनराशि प्रदान की गई थीं। इस संगठन की देखभाल करने के लिए डा. कुरीन को नियुक्त किया गया था। इस संगठन ने आपरेशन फ्लड योजना शुरू की थी और आज भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। हम विश्व में पहले स्थान पर हैं और यह सफलता की बड़ी कहानी है। अतः दुग्ध के क्षेत्र में यह बड़ी सफलता है तो मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए भी ठीक उसी प्रतिमान का आभास क्यों नहीं करते। इसीलिए हमनें मत्स्यन विकास बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय किया है और मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि योजना आयोग ने सिद्धांत रूप से हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और कुछ सीमित प्रावधान का भी सुझाव दिया गया है। हम उचित समय पर अन्तिम निर्णय ले सकेंगे। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम इस नए संगठन द्वारा अवसरंचना के विकास की आवश्यकता और अन्य समस्याओं को हल करेंगे।

श्रीमती पुरन्देश्वरी ने चिल्का झील के बारे में एक अलग मुद्दा उठाया है जिसका इस विधेयक में उल्लेख नहीं है। हम इसका ध्यान रखेंगे। हम उपयुक्त कार्यवाही करेंगे जिसमें अन्ततः इस विशिष्ट समस्या को शामिल किया जाएगा। हम अपने दिशानिर्देशों में उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

अनेक माननीय सदस्यों ने भी सुझाव दिया है कि हमें इस विशेष क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए।

वास्तव में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पहले से ही इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। एक अथवा दो संस्थाएं स्थापित की गई हैं और वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने स्वयं इनमें से कुछ संस्थाओं का दौरा किया था। उन्होंने नई प्रजातियों विकसित की हैं। वे ट्रांसजेनिक तकनीक की सहायता से वे नई प्रजातियां विकसित कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अनुसंधान संगठनों और उद्यमियों के बीच पूर्ण समन्वयन होगा।

श्री एम. एम. पल्लम राजू : महोदय, क्या मैं इस में हस्तक्षेप कर सकता हूँ? अनुसंधान से नहीं हो रहा है। सभी अनुसंधान सूचना का प्रसार उचित रूप से नहीं हो रहा है। हो यह रहा है कि वे सभी अनुसंधान संगठनों को एक अथवा दो अथवा तीन स्थानों में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे समस्या बढ़ी है। किंतु संसाधनों को संरक्षित करने की आशा में इन सभी संगठनों को एक क्षेत्र में स्थापित करने का प्रयास चल रहा है। किंतु अब वे अलग–अलग स्थानों पर हैं। ये संगठन वहां स्थित हैं जहां भी जलकृषि और मत्स्यपालन है। इसलिए मैं महसूस करता हूं वे वहीं स्थित रहने चाहिए ताकि प्रभावी प्रसार हो सके। इसे सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

श्री शरद पवार : मैं जानता हूँ कि आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। यह विशिष्ट समस्या है। वास्तव में इस विशिष्ट समस्या पर प्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किया गया और वे कतिपय निष्कर्षों पर पहुंचे। यही कारण है कि कतिपय निर्णय लिए गए हैं। इस विशिष्ट विधेयक में प्रस्ताव है कि वे संगठन अथवा संस्थान जो अनुसंधान कार्य कर रहे हैं और दो सी मीटर के भीतर स्थापित हैं, को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ, मैं सभा को आश्वासन देना चाहूंगा कि हम निश्चित रूप से अनुसंधान पर ध्यान देंगे। हम अनुसंधान को बढ़ावा देंगे और हम इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराएंगे। जो भी अनुसंधान किया जाता है वह प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए और अन्ततः इसका उपयोग जल कृषि में किया जाना चाहिए। हमारे प्रयास इस उद्देश्य के लिए होंगे। इस प्रकार की सावधानियां भी बरती जाएंगी।

[हिन्दी]

कई सदस्यों ने, खास तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के सदस्यों ने यहां फ्रैश वाटर एक्वाकल्चर के बारे में कई सुझाव दिये। जैसा रामकृपाल सिंह यादव जी ने कहा, यह बात सच है कि गंगा यमुना के आसपास पानी की कोई कमी नहीं है और इस क्षेत्र में भी यह काम हो सकता है। मैंने कहा है कि हम एन.डी.डी.बी. के पैटर्न पर एक आर्गेनाइजेशन देश में बनाना चाहते हैं। हमारे सामने यह भी एक उद्देश्य है कि जैसे कोस्टल एक्वाकल्चर को मदद करने की बात हमारे सामने है, वैसे ही इस देश में कई तालाब है, कई इर्रीगेशन प्रोजैक्ट्स हैं और कई ऐसी जगह हैं, जहां बहुत पानी है। उस क्षेत्र में भी हम इस तरह का काम शुरू कर सकते हैं। उसे मदद करने की आवश्यकता है और उसे मदद करने के लिए कुछ न कुछ इन्तजाम करने की आवश्यकता है। इसलिए कई स्कीम्स आज भी हमारे सामने हैं, जैसे फ्रैश वाटर एक्वाकल्चर की स्कीम है। साथ–साथ इस तरह की स्कीम्स के लिए कुछ मदद कई राज्यों को दी भी गई है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश को 10 करोड़ रुपये के आसपास पिछले साल इसी काम के लिए मदद की गई।...*(व्यवधान)* बिहार का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, वहां कुछ प्राब्लम हो सकती है। जो कुछ कमियां हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हम कोशिश करेंगे और 2–3 साल में अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो उसे कम्पेंसेट करने के लिए ध्यान देंगे।

सैण्ट्रल स्कीम्स के बारे में कई प्रोवीजंस हैं। सैण्ट्रल स्कीम्स का फायदा खास तौर पर नॉन कोस्टल एरिया के राज्यों में अलग–अलग स्कीम्स पर अमल करके, वहां बढ़ावा देने के लिए ध्यान देना हमारा फर्ज रहेगा। इस पर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। एक सूचना यहां आई थी, एक प्रपोजल यहां आया था कि यह सब काम करते समय बी.पी.एल. फैमिलीज़ को मदद करने की आवश्यकता है और उन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यह बात सच है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो जमीन पड़ी है और जिसका इस्तेमाल हार्डली 14 परसेंट किया गया है, बाकी सभी जमीन का बंटवारा करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास रहा है। हम स्टेट गवर्नमेंट को लिखेंगे कि इसमें आप प्रायरिटी बिलों पावर्टी लाइन जितने परिवार हैं, उनको दीजिए, बेरोजगार नौजवानों को प्रायरिटी दीजिए, सैल्फ हैल्प ग्रुप को प्रायरिटी दीजिए। एक समस्या यहां खड़ी की गई कि कुछ मल्टीनेशनल्स के इसमें आने की संभावना है।

हमारे इस क्षेत्र में 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग दो हैक्टेयर से नीचे जमीन वाले हैं और इस क्षेत्र में काम करने के लिए कोई एमएनसी आएंगी, ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल नहीं है। राज्य सरकार को जब हम जमीन का बंटवारा करने के लिए लिखेंगे तब हम इनको सावधान करेंगे कि अब कोई एमएनसी या कोई दूसरी कंपनी यहां नहीं आएगी। यहां का बिजनेस खास तौर से नौजवानों के हाथों में, बेरोजगारों के हाथों में, छोटे किसानों के हाथों में और सैल्फ

[श्री शरद पवार]

हैल्प ग्रुप्स के हाथों में रहेगा। इस तरह के कदम राज्य सरकारों को उठाने के लिए कहेंगे। जिस तरह की पाजिटिव अप्रोच सदन के सभी माननीय सदस्यों की इस बिल के ऊपर रही है, यह देखने के बाद मुझे विश्वास है कि इस पर पूरा अमल करने के लिए मेरा मंत्रालय ध्यान देगा। इस क्षेत्र में इससे पहले कुछ काम करने की आवश्यकता थी, मगर हम पिछले सालों में किन्हीं कारणों से इस क्षेत्र में पिछड़े हैं, इस कारण से बाकी दुनियां के देश हमसे आगे आ गए और हम पीछे रह गए। यह जो परिस्थिति पैदा हो गई है, इसे दूर करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। यह सैक्टर देश में अनाज की पैदावार करने के साथ ही साथ देश के लिए निर्यात करने वाला एक बहुत बड़ा सैक्टर बनेगा। यह सैक्टर नौजवानों को रोजगार देने वाला बनेगा और इस तरफ हमारा ध्यान हमेशा रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

[अनुवाद].

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तटीय क्षेत्रों में तटीय जलकृषि से संबंधित क्रियाकलापों का विनियमन करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खंड–वार विचार आरम्भ करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 27 विधेयक के अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 27 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री शरद पवार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.49 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

निर्वाचन सुधार

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद सं. 13 नियम 193 के अधीन चर्चा अर्थात निर्वाचन सुधार लेंगे।

[हिन्दी]

सभी माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखेंगे और मुख्य बिन्दुओं तथा सुझावों पर ही प्रकाश डालेंगे।

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : सभापति महोदय, मैं कुछ बातें कहूंगा। बुनियादी रूप से मैं राजनीतिक भाषण नहीं दूंगा। कल जब सभा स्थगित हुई थी तो मैं इस बात का उल्लेख कर रहा था कि हमारे पास फोटो पहचान पत्र होने चाहिए जो सभी प्रयोजन पूरे करेगा। मैंने कहा था उसे इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन को चालू करना चाहिए। बुनियादी रूप से यह मतदान केन्द्र पर कब्जा करने की संभावनाओं को समाप्त करने और चुनावी प्रक्रिया के दौरान अपराधियों की भूमिका को कम करने के लिए है।

महोदय, कतिपय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं और आम जनता की ओर से भी सुझाव आ रहे हैं कि वह लोग जो किसी ऐसे अपराध के लिए आरोपित हैं जिसके दो वर्ष से अधिक है की सजा हो सकती है। उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। यह दुधारी तलवार है। अब आपके पास पहले से ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 है जो अनर्हता के लिए शर्तें निर्धारित करता है। कल यदि आप सांविधिक उपबंध यह कह कर बनाना शुरू करें कि कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे अपराध के लिए आरोपित है जिसके लिए दो वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है, वह अर्तहक घोषित किया जाएगा। तो यह पूर्णांक, लोकतंत्र के बुनियादी मानदंडों और सिद्धांतों के विपरीत है। हम सबने श्री एन. एन. वोहरा की रिपोर्ट पढ़ी है। आपकी स्थिति और परिस्थितियों में आरोग्य पत्र किसी भी व्यक्ति विरूद्ध दायर किया जा सकता है। यदि आरोप पत्र लाकर यदि आप किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकेंगे और यदि वह पांच अथवा दस वर्षों के बाद बरी हो जाता है। तो इस बीच का मुआवजा कौन देगा? मैं इस प्रकार के सुझाव का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ।

कुछ सहयोगियों ने वापस बुलाने के अधिकार के बारे में कहा। वापस बुलाने का अधिकार बहुत श्रेष्ठ विचार है। परन्तु हमारी

राजनीतिक व्यवस्था और स्थिति में, कल यदि आप वापस बुलाने का अधिकार देते हैं; तो जिस दिन आप संसद के लिए चुने जाएंगे; उसके बाद वाले दिन से ही आपके विरोधी आपको संसद से वापस बुलाने के लिए हस्ताक्षर एकत्र करना शुरू कर देंगे। पुनः, अपराधियों का उपयोग किया जाएगा, पैसा अपनी भूमिका अदा करेगा और यह निरंतर चलने–वाली प्रक्रिया बन जाएगी। अतः ऐसे उपबंधों को उपबंधित करने से पहले, हमें अपनी परिस्थिति को लेकर अन्य परिणामों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए।

वामपंथी दलों के हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि हमारे यहां अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली होनी चाहिए। यदि आधे लोगों का भी निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है तो विद्यमान संसदीय क्षेत्रों को बड़ा करना होगा, वे आकार में दोगुना हो जाएंगे। एक मिलियन मतदाताओं से भी ज्यादा के प्रति हमारा भौगोलिक उत्तरदायित्व है। इस प्रकार की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हमारी स्थिति में लाभदायक नहीं होगी।

मेरे पास एक अन्य सुझाव है। मेरे माननीय सहयोगी जो यहां बैठे हुए हैं ने उल्लेख किया कि अत्यधिक मत पाने की प्रणाली में एक दल को 51 प्रतिशत मत प्राप्त हो सकता है और एक दल जिसे 49 प्रतिशत मत प्राप्त होता है जरूरी नहीं है कि उस दल का एक भी सदस्य विधान सभा या संसद में हो। सिद्धांत रूप से यह संभव है। मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि क्यों नहीं हम उच्च सदन के लिए निर्वाचन हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू करें। किसी विधानसभा में पड़े मतों के प्रतिशत के आधार पर, एक फार्मुला निकाला जा सकता है और राजनीतिक दलों को राज्य सभा में सीटें आबंटित की जा सकती है। अतः, आप देखें कि वे लोग जिन्हें मतों का कम प्रतिशत प्राप्त हुआ है वे संसद के कम से कम किसी एक सदन में भी अपने विचार रखने से पूर्णतः वंचित न रह जाएं।

हाल के दिनों में, राज्यपाल की भूमिका के बारे में काफी चर्चा हुई है, कि राज्यपाल होना चाहिए या नहीं। उसे कैसे कार्य करना चाहिए और कैसे नहीं। आप भी इस तथ्य से अवगत हैं कि हमारे संविधान में, राज्यपाल ही केवल वह संवैधानिक प्राधिकारी है जिस पर आप महाभियोग नहीं चला सकते हैं। यह माना गया है कि चूंकि राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है, वह ही उसे वापस बुला सकता है। अन्यथा, यह अस्पष्ट है और एक राज्यपाल तब तक पद पर रह सकता है जब तक उसे पदमुक्त करने वाला राज्यपाल नहीं आ जाता है। मान लीजिए, कल यदि मैं किसी राज्य का राज्यपाल हूँ और आप 10 वर्षों तक पदमुक्त करने वाले को नहीं भेजते हैं तो मैं 15 वर्षों तक पद पर कार्य कर सकता हूँ। माननीय विधि मंत्री यहां पर हैं मैं चाहूंगा कि वह अन्य विपक्षी दलों के लोगों से बात करने के बाद संभावनाओं पर विचार करें। क्यों नहीं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा राज्यपालों का चुनाव किया जाय। यदि संसद के दोनों सदनों के सदस्य उप राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं जो राज्यसभा के सभापति हैं, तो क्यों नहीं राज्यों के राज्यपालों का निर्वाचन एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि राज्य सभा सदस्यों का निर्वाचन विधायकों द्वारा पांच वर्षों की निर्धारित अवधि के लिए किया जाता है? यह मेरा प्रस्ताव है और मैं चाहूँगा कि आप इस पर विचार करें।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : सभापति महोदय, कई सदस्यों ने कहा और आपने स्वयं भी कहा कि यदि मतों को प्रतिशत बढ़ता है, यदि यह 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत ज्यादा है तब इन मतों की गिनती नहीं की जाएगी। यह एक संवैधानिक निराकरण है। क्योंकि जब तक उसका मत सही है तब तक प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है और यह कहकर कि यह 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत ज्यादा है, यदि अंतिम 10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत मतदाता मत नहीं देते हैं तो सही मायने में आप उनके संविधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मुझे नही लगता कि निर्वाचन आयोग या किसी और को आपके उस बहुमूल्य और संवैधानिक अधिकार या मत देने की गारंटी को वापस लेने का अधिकार है। मेरे अनुसार सरकार द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपने मुझे समाप्त करने के लिए कहा है। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, कृपया सुझाव देने के लिए अनुमति दी जाए। विधि मंत्री से अनुरोध है कि वे इन चुनाव सुधारों के बारे में सुनने के लिए संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाएं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। वे संसदीय सौध या और कहीं सेमिनार भी करवा सकते हैं। ऐसा करना ही ज्यादा ठीक रहेगा। इसका कारण यह है कि बहुत से लोगों को यहां बोलने का मौका नहीं मिल पाएगा।

सभापति महोदय : ठीक है। आप उनसे व्यक्तिगत तौर पर अनुरोध कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है।

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : सभापति महोदय, मैं चुनाव सुधार पर नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करने के लिए आपको बधाई देता हूँ। वर्तमान परिस्थिति में यह बहुत ही आवश्यक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी भी यह नहीं सोचा होगा कि आजादी के 57 वर्ष के बाद हमारे देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

महोदय, न्यायपालिका प्रत्येक स्तर पर हस्तक्षेप कर रही है जो

[डा. एम. जगन्नाथ]

कि हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा कर रहा है। सरकार यह दलील दे रही है कि चुनाव सुधार को लागू करने के लिए राजनीतिक स्तर पर सर्वसम्मति होनी चाहिए। लेकिन आजादी के बाद इन 57 वर्षों के दौरान कितने सारे बदलाव आये हैं। जिन्हें हम सबने देखा है। बहुत से मामले सर्वसम्मति से तय किए गये हैं। यदि सरकार में इच्छा–शक्ति है तो उसे शीघ्र सभी राजनीतिक दलों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू करके चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए सर्वसम्मति बनानी चाहिए। हम प्रत्येक लोक सभा में इस पर चर्चा करते रहे हैं। लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

कुछ समय पहले, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा भारत सरकार के विरूद्ध एक रिट याचिका दायर की गई थी। उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को सभी प्रत्याशियों के अपराधिक रिकार्ड और संपत्ति के बारे में सूचना मांगने के निदेश दिए थे। इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। हमारे कानून में विद्यमान खामियों की वजह से ऐसा हो रहा है।

जहां तक चुनाव खर्च का संबंध है, चुनाव आयोग ने प्रत्येक संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव खर्च पर पाबंदियां लगा रखी हैं; लेकिन सभी प्रत्याशी सख्ती से उनका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। परिणामस्वरूप जिस चुनाव परिणाम में जनता की इच्छा परिलक्षित होनी चाहिए उसे अर्थ शक्ति जैसे कई घटकों के द्वारा प्रभावित किया जा रहा है। अर्थ शक्ति का इस्तेमाल जनता के कमजोर वर्गों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। हालांकि धन चुनाव जीतने का कोई इकलौता मानदण्ड नहीं है, हमें अनुभवों से पता चलता है कि जिसके पास धन है वह इसका इस्तेमाल करके चुनाव परिणाम को प्रभावित कर रहे हैं और यह परिणाम उन लोगों के विरूद्ध जा रहा है जिनके पास चुनाव में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। यही कारण है कि तेलुगु देशम पार्टी का बहुत दिनों से यह प्रस्ताव रहा है कि सरकार को चुनाव प्रक्रिया का वित्तपोषण करना चाहिए साथ ही इस पर कड़ी निगरानी भी रखी जानी चाहिए।

महोदय, कुछ समय पहले इस संबंध में प्रयास किये गये थे। लोगों ने सोचा कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ सुधार होने वाला है और कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन उन प्रयासों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और वही पुरानी परिपाटी चली आ रही है। हम लोग चुनाव के दौरान दूरदर्शन पर देख चुके हैं कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए भारी रकम ले जा रहे लोग किस तरह पकड़े गए हैं। जब वे पकड़े गए तो कहने लगे कि यह पैसा उनका नहीं है। फिर यह, पैसा किसका था? अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह चुनाव पर होने वाले व्यय का वित्तपोषण सरकार द्वारा किए जाने की शुरूआत करे और इस खर्च पर कड़ी नजर रखें। तेलगु देशम पार्टी ने स्थानीय निकायों के चुनाव मे भी इस प्रणाली की शुरूआत करने का प्रस्ताव किया था लेकिन कतिपय कारणों से उसका क्रियान्वयन नहीं किया जा सका।

अब मैं राजनीति के अपराधीकरण के बारे में बताना चाहता हूँ। इस देश में राजनीतिज्ञों और अपराधियों के बीच सांठगांठ के कारण हमारे समक्ष एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुछ मामलों में न्यायालय हावी हो रहा है और इससे देश में बहुत बुरी स्थिति हो रही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस तरह की स्थिति उत्पन्न होना हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। जब कुछ अपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति निर्वाचित हो जाते हैं, तो वह विधि निर्माता बन जाते हैं, और जब वे कानून बनाएंगे तो उसे क्रियान्वित कौन करेगा? क्या उस कानून को क्रियान्वित करने वाली एजेन्सियां उन व्यक्तियों के विरूद्ध उस कानून को क्रियान्वित कर पाएंगी जिन्होंने वो कानून बनाया हो?

महोदय हमारे देश में पर्याप्त कानून हैं लेकिन उनमें बहुत सी खामियां हैं; इसलिए मैं विधि मंत्री से अनुरोध करता हूँ हमें कठोर कानून बनाना चाहिए, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

अपराह्न 5.00 बजे

कुछ समय पहले, हमने चुनाव सुधार के सिलसिले में एक सर्वदलीय बैठक में भाग लिया। किंतु हम किसी सर्वसम्मति पर नहीं पहुंच पाएं क्योंकि सभी राजनीतिक दलों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ न कुछ लोग हैं; यह एक गंभीर मामला है। हमें मिल बैठकर इस पर विचार करना चाहिए और कानून बनाना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल अपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावों में टिकट नहीं देगा।

मेरे एक मित्र ने अभी–अभी कहा है कि यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दो वर्ष का आपराधिक इतिहास है; यह बड़ी हास्यास्पद बात है क्योंकि अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है कि वह व्यक्ति अपराधी है या नहीं। साथ ही, मुकदमें में वर्षों लग जाते हैं; लेकिन तब तक उस व्यक्ति का आपराधिक रिकार्ड हो जाता है। इसकी क्या स्थिति होगी? कानून को लागू करने वाला प्राधिकारी कौन होगा? वे ऐसे मामले में कानून को कैसे लागू कर सकते हैं। यदि यहां बैठे हुए लोगों का रिकार्ड आपराधिक है? इसीलिए मेरा माननीय कानून मंत्री से अनुरोध है कि वह यह देखे कि उपचारात्मक कानून बनाया जाए ताकि कोई राजनीतिक दल अपराधिक रिकार्ड वाले लोगों को प्रायोजित न करें।

महोदय, हाल ही में चूंकि हम एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे

हैं जहां निचले स्तर के कर्मचारी उच्च स्तर के कर्मचारी चुनाव की चिन्ता नहीं करते हैं वे वास्तव में निचले स्तर पर चुनावों में निर्णायक घटक बन गए हैं। यद्यपि ऐसे कानून है जो राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त होने वाले कर्मचारियों पर रोक लगाते हैं और दण्ड का प्रावधान है, किंतु अभी तक किसी को दण्ड नहीं दिया गया है। सामान्यतया चुनावों के दौरान यह शिकायत होती है।

महोदय, हाल के चुनावों में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया गया। हम मतदान प्रणाली में आमूल परिवर्तन लाए हैं। यह एक अच्छा संकेत है। इससे प्रक्रिया में तेजी आती है और हमें तत्काल परिणाम मिल जाते हैं। किन्तु हुआ क्या है? हमने इन इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के प्रचालन के बारे में लोगों को जानकारी नहीं दी है। जिसके कारण देश भर में परेशानी हुई है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। किन्तु ऐसी स्थिति में वहां कर्मचारी निर्वाचन नियमों का उल्लंघन करते हैं और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, उन्हें सख्त दण्ड दिया जाना चाहिए।

महोदय, धर्म और साम्प्रदायिकता के आधार पर मत मांगना आजकल चुनाव अभियान का आवश्यक अंग बन चुका है। यद्यपि प्राधिकारी जानते हैं कि क्या हो रहा है, वे नरम रवैया अपना रहे हैं और लोगों को जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर वोट मांगने की अनुमति दे रहे हैं। चुनाव के समय इस संबंध में खुले बयान दिए जाते हैं। इन पर रोक लगाई जानी चाहिए और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। अन्यथा यह पूरे देश के लिए खतरनाक रूझान बन जाएगा।

जहां तक बाहुबल और मतदान केन्द्रों पर कब्जे का मामला है तो कुछ राज्यों में हमने देखा है कि लोग चुनावों में बाहुबल प्रयोग करते हैं और मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लेते हैं। उनकी अपनी निजी सेना होती है। वे चुनाव केन्द्रों पर तैनात कर्मचारियों को धमकाते हैं। और अपने उम्मीदवारों को निर्वाचित करा लेते हैं। ऐसे उदाहरण हैं कि कुछ गांवों में जहां लोगों ने स्वतंत्रता के सत्तावन वर्षों के बाद भी कभी मतदान नहीं किया है। उन्होंने अभी तक बैलेट बक्स नहीं देखा है कि यह कैसा होता है। हमें उन स्थानों पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और चुनाव रद्द करने के बारे में कदम उठाने होंगे। किंतु यदि कानून बना दिया जाता है कि जहां भी इस प्रकार की मतदान पर कब्जा करने की घटनाएं है तो वहां चुनाव का स्वतः ही प्रतिसंहरण किया जाएगा; तो वहां उम्मीदवारों के मन में डर होगा कि यदि ऐसा होता है तो चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा। इससे लोग बाहुबल का प्रयोग करने से रूक जाएंगे।

अंत, में, मैं भारत सरकार से इस बात पर जोर न देने का अनुरोध करता हूं कि इस सम्बंध में सर्वसम्मति बनानी होगी। यह सर्वसम्मति कब बनाई जाएगी? जब तक सरकार ठोस प्रयास नहीं करती लगातार इस दिशा में प्रयास नहीं करती, तब तक इस संबंध में सर्वसम्मति नहीं बनाई जा सकती। महिला आरक्षण विधेयक का क्या हुआ? हम यह तर्क न लें कि सर्वसम्मति नहीं बनाई जा सकती। इससे राजनीति में अपराधियों के आने, बाहुबलियों के आने, धन बल के आने का मार्ग प्रशस्त होगा और चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे।

महोदय, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों से भारत को काफी यश प्राप्त हुआ है। यह छवि खराब नहीं होनी चाहिए। अंत में, मैं माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं, जिसमें सर्वसम्मति से ऐसा विधान लाएं जिससे अच्छे लोग निर्वाचित हों और देश को सुशासन दिया जा सके।

[हिन्दी]

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : सभापति जी, सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके द्वारा पेश किए नियम 193 के तहत चुनाव सुधारों के विषय पर मुझे इस सम्मानित सदन में चर्चा करने का मौका मिला है। यहां विधि मंत्री जी उपस्थित हैं। मैं उनका ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट देने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार भारत के हर उस नागरिक को प्राप्त है, जो प्रांतों में और केन्द्र में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं या ग्राम सभा से लेकर जिला परिषद तक का चुनाव करते हैं। कुछ अधिकारियों की त्रुटियों के कारण या राजनीतिक द्वेष भावना के कारण कई लोगों के इस मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है और उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता है। जब वे लोग वोट डालने जाते हैं तो उन्हें वहां अपना नाम नहीं मिलता। चुनाव आयोग ने सभी वोटर्स के लिए फोटो वाला पहचान पत्र बनाया था। लेकिन पिछले चुनाव में देखने में आया कि जिन लोगों के पास वह कार्ड था, वह स्थानीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया था। जब वे वोटर वहां पहुंचे, तो उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन लोगों को वोट डालने के संवैधानिक और मौलिक अधिकार से वंचित किया गया, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या नहीं? वे लोग तो बड़े मजे से कह देते हैं कि आपका नाम इस वोटर लिस्ट में नहीं है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि लाल पेंसिल से कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। वे लोग जब वोट डालने पहुंचे, तो उन्हें कहा गया कि तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं है। इसलिए तुम वोट नहीं डाल सकते। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को, जिनके ऊपर चुनाव कराने की जिम्मेदारी डाली गई थी, किसने यह अधिकार दे दिया और क्या उनके खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई? इसके अलावा क्या राजनैतिक दलों से भी पूछा गया कि इस तरह का भेदभाव करके क्यों इन लोगों का संवैधानिक अधिकार छीना गया है?

[कुँवर मानवेन्द्र सिंह]

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि चुनाव के समय पोलिंग बूथ्स काफी दूरी पर बनाए जाते हैं। कहीं यह कोई षडयंत्र तो नहीं है, क्योंकि वृद्धों को, महिलाओं को और बीमार लोगों को वोट डालने के लिए दो–तीन किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। पिछला चुनाव गर्मी के मौसम में हुआ, जिसकी वजह से कई वोटर इतनी दूर मतदान करने के लिए नहीं जा पाए।

मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि दो पोलिंग बूथ के बीच की दूरी 500 गज से अधिक की नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा किया जाएगा तो वृद्ध, महिलाएं और बीमार लोग आसानी से अपना वोट डाल सकेंगे। इसलिए वोट डालने का स्थान सुविधाजनक होना चाहिए।

चुनाव में अपराधीकरण की काफी बात यहां कहीं गई। मैं उस बार में अधिक नहीं कहूंगा। लेकिन मैं एक्जिट पोल के बारे में कहना चाहूंगा। ए. सी. कमरों में बैठकर चुनावों से पहले ही एक्जिट पोल तैयार कर लिए जाते हैं और हमें दूरदर्शन पर दिखाया जाता है कि इस चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी। पिछले आम चुनावों के पहले इन्हीं एक्जिट पोल वालों ने बता दिया था कि अगली सरकार बीजेपी की बनेगी। लेकिन बीजेपी विपक्ष में बैठी है। मेरा अनुरोध है कि चुनाव हो जाने के बाद एग्जिट पोल की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए।

जिन सुरक्षा कर्मियों को बूथ पर लगाया जाता है उनका आचरण वोटर के प्रति अच्छा नहीं होता। वे वोटर को भयभीत करते हैं। सुरक्षा कर्मियों को वोटरों को धमकाते तक देखा गया है जिससे वोटर वोट डालते वक्त घबरा जाता है और कभी–कभी वोट डालने भी अंदर नहीं जाता है। मेरा आग्रह है कि वहां पर जो सुरक्षा कर्मी लगाये जाएं वे संयम से काम लें और केवल वारदात होने पर ही एक्शन लें। उनका व्यवहार आम वोटरों के साथ नरमी का होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : सभापति जी, सबसे पहले मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आप चुनाव सुधार के लिए नियम 193 के अधीन इस प्रस्ताव को लाए हैं। महोदय, इस देश में चुनाव आयोग संविधान के अधीन बना है और संविधान के तहत जिस नागरिक को मतदाता बनाया गया है उस मतदाता को वोट देने का अधिकार है लेकिन प्रतिशत तय करके रोकने का अधिकार संविधान के किस नियम के अधीन चुनाव आयोग को प्राप्त है यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जब आप जवाब दें तो बताएं कि इस देश का कौन सा कानून है कि जिसको वोटर बनाया, उनको 62–68–70 प्रतिशत ही पहचानपत्र दिये गये, बाकी के 30 प्रतिशत मतदाताओं को चुनाव कमीशन के आदेश से, वोट देने से रोका गया। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कहां का नियम है?

दूसरा, आपने पहचान–पत्र बनाने का फैसला किया और कहा कि इसमें बेईमानी रुकेगी, बोगस वोट रुकेगा। लेकिन पहचान पत्र बनाने की ड्यूटी किसकी है, यह चुनाव आयोग की ड्यूटी है। मतदाता का क्या कसूर है कि उसको आयोग द्वारा पहचान–पत्र नहीं दिया गया और जो 14वां कानून आपने बनाया और जब वोटर अपना वोट डालने बूथ पर गया तो वहां पर तैनात अधिकारी ने, सिपाही ने पहचान–पत्र न होने के कारण, वोटर को वोट देने से रोका। यह किस कानून के अधीन है?

तीसरा, सारी जगह भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं और चुनाव में भी भ्रष्टाचार की बात हो रही है। कल कुछ सदस्य बोल रहे थे और कह रहे थे कि चुनाव में पैसे के दुरूपयोग को कैसे रोका जाएगा? इसका एक ही रास्ता है और वह यह है कि सरकार ऐलान कर दे कि जो भी चुनाव में पार्टियों की तरफ से कैन्डिडेट पर खर्च होगा, वह खर्च सरकार वहन करेगी तो स्वतः ही भ्रष्टाचार रुक जाएगा। यह मेरा सुझाव है और माननीय मंत्री जी बताएं कि मेरे सुझाव पर उनकी क्या मंशा है?

महोदय, चौथी बात मैं आचार संहिता के बारे में कहना चाहता हूं। आचार संहिता के नियम वोटर पर, कैंडीडेट और राजनीतिक दल के लिए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आचार संहिता के नियम चुनाव के अधिकारी और पदाधिकारी के लिए भी बनाए गए हैं या नहीं? माननीय सदस्य कह रहे हैं कि नियम बना है, मेरी जानकारी शायद कम होगी, यदि बना है तो क्या चुनाव के अधिकारियों और पदाधिकारियों को आचार संहिता का पालन करना चाहिए या नहीं? उसका पालन जरूर करना चाहिए, अगर वे नहीं करते हैं तो क्या आज तक कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें चुनाव के पदाधिकारी चुनाव के समय गलती करते हैं या पक्षपात करते हैं, उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई हो?

महोदय, एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संविधान और लोकतंत्र के तहत इसी पार्लियामेंट में बनाए हुए कानून को लागू करने वाले जो पदाधिकारी हैं और कई जनप्रतिनिधि हैं, जो सारे नियमों और कानूनों को गलत तरीके से इन्टरप्रेट करते हैं लेकिन उसे लोगों पर लागू करते हैं। उन्हीं लोगों पर शस्त्र और अस्त्र चलाते हैं और अपने लिए उन कानूनों को भूल जाते हैं।

महोदय, मत के हिसाब से बूथ तो बनाए, लेकिन समय उतना ही रहने दिया, मशीन आपने दी, लेकिन मशीन में कम से कम तीन मिनट लगते हैं। माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि दो मिनट लगते हैं, ऐसा नहीं है, तीन मिनट लगते हैं। जब तक पीं की आवाज नहीं निकलेगी तब तक वोट काउंट नहीं होगा। ऐसे कर्मचारी बूथ पर

प्रतिनियुक्त हैं कि किसी को चश्मा लगाने पर ही दिखाई पड़ रहा है और किसी ने ट्रेनिंग तो ली है। परन्तु ठीक से नहीं समझा पा रहा है। इस तरह हमारा वोट नहीं गिना जा रहा है। मेरा सुझाव है कि जैसे पूर्व में था, इसे वैसे ही रखा जाए।

महोदय, पुलिस बल जो प्रतिनियुक्त होता है, उसके लिए नियम यह है कि बूथ लूटने से रोका जाए। क्या यह नियम है कि वोटर बूथ पर वोट डालने से रोक दिया जाए। जो सुरक्षा बल वहां प्रतिनियुक्त हैं, बिहार में जो घटनाएं घटी हैं, वहां धमकाया गया और बिहार में जो उपद्रव हुआ, साम्प्रदायिकता की बू आई, पुलिस बल के द्वारा तरह–तरह की बातें बोली गईं। यह अफसोस की बात है कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही होती तो जनता को राहत की सांस मिलती। पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां गई और वहां साम्प्रदायिकता की बू आई, गरीबों को रोका गया और कहा गया कि निर्दलीय रूप से चुनाव क्यों नहीं लड़े, क्यों किसी अन्य पार्टी से लड़ रहे हो। तुम उसके खिलाफ वोट करो और राजनीतिक पार्टी का नाम लिया गया। ये सब चीजें बिहार में हुई। आज जो हार जाता है, वही बोलता है, लेकिन सबसे बड़ा दल हमारा है, नगर चुनावों पर हमें जबरदस्ती हराया गया, हमारी अकेले की सरकार बिहार में बनती।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया कंक्लुड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सीताराम सिंह : महोदय, मेरा लास्ट प्वाइंट है। बिहार में परिसीमन ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, यह बिहार का मामला है, आप इसे सुन लीजिए, यह बहुत जरूरी है...*(व्यवधान)*

श्री सीताराम सिंह : महोदय, गंगा के इस पार का वोटर उस पार पर जा रहा है।

जिले को यूनिट माना गया लेकिन पार्लियामेंटरी सीट को यूनिट नहीं माना गया। पंचायतों को तोड़ा गया। इस प्रकार कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, कोई सोच नहीं है। 10–10 किलोमीटर के बाद दूसरा क्षेत्र जोड़ा गया है। परिसीमन का जो प्रस्ताव है, वह गलत है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि किस कानून के तहत राजनैतिक दलों को उसका सदस्य बनाया गया है जिन्हें वोटिंग राइट का पता नहीं, जो कमीशन तय करेगा, वही होगा। राजनैतिक दलों का सवाल क्यों उठाया गया? न किसी की राय ली जायेगी, न किसी को वोटिंग राइट है और कमीशन को जो मन होगा, वह तय करेगा, फिर राजनीतिक दलों की क्या जरूरत है, इसका क्या औचित्य है? मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब उस चर्चा का जवाब दें, तो मेरे द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं चुनाव सुधार पर चर्चा आरंभ करने के लिए भी धन्यवाद आपको देता हूँ। मेरे विचार में, इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की जानी चाहिए किंतु दुख की बात है कि इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के समय हमारे विपक्षी मित्र संसद में उपस्थित नहीं हैं।

चुनाव सुधारों पर किसी भी चर्चा का उद्देश्य, बिना भय या पक्षपात के मत देने के जनता के अधिकार को मजबूत करना होना चाहिए, जिसके लिए, मैं समझता हूं कि अनिवार्य मतदान प्रणाली स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

जैसा कि बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इंगित किया है, चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी कम हो रही है। मतदान का प्रतिशत वर्ष–दर–वर्ष कम होता जा रहा है। इसका एक कारण तो यह है कि चुनाव मानदंडों में लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है। साथ ही राजनीतिक दल और उम्मीदवार जनता से किए गए चुनावी वायदों और उनके समक्ष रखे गये घोषणापत्रों पर अमल नहीं करते हैं।

साथ ही चुनावों में साम्प्रदायिकता, उनका अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और चुनावों के निगमीकरण से भी नुकसान हुआ है। सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार की तरह ही आजकल चुनावों का निगमीकरण हो रहा है। इसका कारण यह है कि चुनावी व्यय निरंतर बढ़ रहा है। इससे आम आदमी के लिए चुनाव लड़ पाना असंभव होता जा रहा है।

इस समस्या के समाधान के लिए, बहुत सारे माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव – राज्य को चुनावों का वित्त–पोषण करना चाहिए–स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके लिए एक कारपस निधि का निर्माण किया जाना चाहिए और उससे उम्मीदवारों को धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

अनिवासी भारतीयों और विभिन्न राज्यों के प्रवासियों की भी समस्याएं हैं। नयी दिल्ली में लगभग 8 से 10 लाख केरलवासी रहते हैं। किंतु किसी को भी मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। दस से पन्द्रह वर्षों तक यहां रहने के पश्चात् भी वे अपने मतदान अधिकारों से वंचित हैं। इसीलिए अनिवासी भारतीयों और एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने वाले लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए।

[डा. के. एस. मनोज]

एक अन्य मुद्दा यह है कि कोई सदस्य मंत्री या वर्तमान संसद सदस्य तो चुनाव लड़ सकता है किंतु केन्द्र या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है।

इसलिए सरकारी कर्मचारी को छुट्टी लेकर या अन्य किसी रीति से, चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। चुनाव जीतने पर वह पद से त्यागपत्र दे सकता है।

एक अन्य बात परिसीमन के बारे में है। इस समय परिसीमन का आधार जनसंख्या है। हमारे क्षेत्र में ज्यादातर शिक्षित और अगड़े समुदाय ने परिवार नियोजन को अपना लिया है। किंतु कुछ अन्य समुदाय हैं जिन्होंने परिवार नियोजन को नहीं अपनाया है। इससे परिवार नियोजन को अपनाने वाले समुदाय दंडित हो रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं जनसंख्या के आधार पर हैं। इसलिए जहाँ जनसंख्या अधिक होती है वहाँ सीटें अधिक हो जाती हैं जबकि कुछ क्षेत्रों को कम सीटें मिलती हैं। इसलिए इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री एस. के. खादवेनथन (पलानी) : सभापति महोदय, ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक चुनाव सुधारों के बारे में होने वाली इस चर्चा में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

सबसे पहली बात जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ वह आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में है। पिछले 50 वर्षों से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम से कोई परिवर्तन नहीं आया है। आरक्षण की अधिकतक अवधि 10 वर्ष है अन्यथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में 70 प्रतिशत जनसंख्या को नुकसान होता है। वे अपने उम्मीदवारों का निर्वाचन नहीं कर पाते हैं। अन्य शेष निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित वर्ग के लोग अपने समुदाय के अपने उम्मीदवारों को निर्वाचित नहीं कर पाते। अतः यह केवल 10 वर्ष तक ही सीमित होनी चाहिए।

साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों को भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रतिभूति राशि को बढ़ाना होगा।

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात नामांकन को वापस लेने के बारे में है। मतदान के दिनों को कम करके केवल एक सप्ताह कर देना चाहिए। इससे अनावश्यक व्यय नहीं होगा।

अब मैं मतदान पहचान पर्चियों के विषय पर आता हूं। मतदान केन्द्र पहचान पर्चियां दी जाती हैं और उसके साथ 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक दिए जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि भ्रष्टाचार को और धन-बल व बाहुबल को समाप्त करने के लिए सरकार स्वयं, कम से कम 10 दिन पहले मतदान केन्द्र पहचान पर्चियां बांटे।

हम मतदान केन्द्र में ऐसी सुरक्षा गार्ड और सेवानिवृत्त व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं जो 70 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं। किसी अप्रिय घटना को वे कैसे रोकेंगे? इसलिए उनके स्थान पर युवा लोगों को नियुक्त करना चाहिए।

साथ ही इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (डीवीएम) का प्रयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं इस विचार का कड़ा विरोध करता हूँ कि आरोपित व्यक्तियों को चुनावों में भाग नहीं लेना चाहिए। एक फौजदारी वकील होने के नाते मैं जानता हूं कि पुलिस से मिल कर प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकती है। वह भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन आरोप-पत्र दायर कर सकता है जिसमें दो वर्ष की सजा का प्रावधान हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसे रोका जा सकता है। इसलिए निर्णय के पश्चात, केवल सिद्दोष व्यक्तियों को ही चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। मैं उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने जिनके विरूद्ध आरोप पत्र दायर किए गये हैं, का कड़ा विरोध करता हूँ। यही मैं कहना चाहता था।

[हिन्दी]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : चेयरमैन साहब, आपने अपना भाषण हिन्दी में शुरू किया था, इसलिए मैं आपको हिन्दी में धन्यवाद देता हूं। आपने इतना कल्याणकारी सब्जैक्ट सदन में उठाया और प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव सुधारों पर पूरे देश की तवज्जो दिलाई। आपका मर्मस्पर्शी भाषण बहुत पसंद आया। मैं इसके हर बिन्दु पर जवाब देने की कोशिश करूंगा। सदन में काफी माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाये हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अपने उत्तर में उन सबका भी समावेश कर सकूं। लेकिन यदि कोई बात रह जाए तो मैं इस बात की दावत देता हूं कि जो भी माननीय सदस्य इलैक्ट्रोरल रिफॉर्म्स पर कुछ जानना चाहें या बताना चाहें तो हम सब एम.पीज. की एक गोष्ठी भी करा देंगे।

[अनुवाद]

महोदय, भारत एक जीवन्त लोकतंत्र है। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार गत वर्षों में भारत ने एक-एक पग चलकर इस पथ आगे बढ़ा है और लोकतंत्र को मजबूत किया है। संविधान के प्रवर्त्तन के पश्चात् भारत में जब पहली बार निर्वाचन हुआ तो 17.30 करोड़ मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया था।

वर्ष 1957 के चुनावों में यह संख्या 19.37 करोड़ तक पहुंची। अर्थात मतदाताओं की संख्या में 2 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 1962 के चुनावों में 24.90 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया। अर्थात इससे पिछले चुनावों की तुलना में मतदाताओं की संख्या में 2.2 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 1967 के चुनावों में मतदाताओं की संख्या में 3.3

करोड़ की वृद्धि हुई और 24.90 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वर्ष 1972 के चुनावों में 27.41 करोड़, वर्ष 1977 में 32.11 करोड़, वर्ष 1980 के चुनावों में 35.50 करोड़ व वर्ष 1984 में 39.98 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया।

उसके बाद महत्वपूर्ण अवधि आयी। हम देखते हैं कि मतदाताओं की भागीदारी में किस प्रकार भारी वृद्धि हुई। वर्ष 1988 में मतदान आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष कर दी गई। मुझे याद है कि हमारे ओजस्वी नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस बात में व्यक्तिगत रुचि ली थी कि युवा पीढ़ी को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दीजिए। अतः जब मैं विधि मंत्री था तो मतदान आयु कम कर दी गयी। वर्ष 1989 के चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी 39. 98 करोड़ से बढ़कर 47.89 करोड़ हो गयी। यह एक प्रमुख चुनाव सुधार था जिसने हमारी युवा पीढ़ी को मतदान करने और देश के भाग्य–निर्धारण का अवसर मिला। इसके पश्चात् मतदाताओं की संख्या में वृद्धि जारी रही । वर्ष 1999 के चुनावों में 51.41 करोड़, वर्ष 1996 के चुनावों में 59.15 करोड़ और पिछले चुनावों अर्थात वर्ष 2004 के चुनावों में 67.15 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया। प्रथम आम चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए उनमें हमने लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान की है...*(व्यवधान)* जो भी कारण हो चाहें जनसंख्या बढ़ी हो या अन्य कुछ, लेकिन मतदाताओं ने अधिक संख्या में भाग लिया है। गत चुनावों में, 67 करोड़ मतदाताओं ने भारतीय लोकतंत्र में भाग लिया। यही लोकतंत्र की सफलता है और हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र जीवंत नहीं है।

कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां धन और बाहुबल के कारण गरीब लोगों, वंचित लोगों को अपना मत देने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयां हमें दृढ़ विचार और कठोर कानून से दूर करनी है। अतः हम यह सुनिश्चित करने को दृढ़ संकल्प हैं कि कमजोर तबकों अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां चुनाव प्रक्रिया में भाग लें क्योंकि उनकी भागीदारी के बिना लोकतंत्र पूरा नहीं होगा। यह मेरी प्रतिबद्धता है और हम इस प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु सब कुछ करेंगे। अतः हमें अपने लोकतंत्र के बारे में चिन्तित नहीं होना चाहिए।

जो भी हो, इन समस्याओं के बीच ही हम चुनकर यहां आए हैं। आप सभी लोग चुने गए हैं। आपने अपने चुनावों में कठिन परिश्रम किया है। कुछ कठिनाइयां हैं जिसका आपने चर्चा के दौरान उल्लेख किया है। आप सभी ने कुछ समस्याओं का सामना किया है लेकिन दृढ़ राजनीतिक दल और दृढ़ उम्मीदवारों को इन समस्याओं को हल करना है ताकि वे भारत के लोकतंत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी, अधिक से अधिक दलित लोगों द्वारा मताधिकार के प्रयोग हेतु आगे आने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिक से अधिक लोगों द्वारा अपने अधिकारों को समझने से हमारा लोकतंत्र दिन–प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। अब वे अपनी बात कह सकते हैं। संसद में उनकी आवाज सुनाई दे रही है। संसद में अल्पसंख्यकों की आवाज सुनाई दे रही है। हमें इस पर गर्व करना चाहिए।

अब, मैं आपसे कुछ मुद्दों पर बात करूंगा। जो यहां उठाए गए हैं। पहला प्रमुख मुद्दा जिसका यहां उल्लेख किया गया है। वह है सकारी वित्तपोषण का मैं, वास्तव में, समझता हूं कि इन दिनों चुनावों में धन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसमें थोड़ा जोखिम है कि यदि आप चुनावों में धन शक्ति के अधिक प्रभाव को अनुमति देंगे तो लोकतंत्र को धक्का लगेगा क्योंकि भारत एक गरीब देश है जहां अधिक संख्या में कामगार और किसान हैं। अतः हमें इसमें धन शक्ति की भूमिका को अनमुति नहीं देनी चाहिए। इसलिए सरकारी वित्तपोषण की मांग की गई।

सभी माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि अनेक समितियां गठित की गईं लेकिन इस विषय पर विचार स्व. इन्द्रजीत गुप्त समिति ने किया। इसने कतिपय सिफारिशें की थी जो लंबित थी, मुझे यह घोषणा करने में खुशी है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में चुनावों में सरकारी वित्तपोषण की शुरूआत करने हेतु कदम उठाने के लिए वचनबद्धता जाहिर की है। यह हमारे साझा न्यूनतम कार्यक्रम में है, और आप सभी को ज्ञात है कि यह सरकार इसके प्रति वचनबद्ध है। इस संबंध में इन्द्रजीत गुप्ता समिति की सिफारिशें जिसमें चुनावों में राजनीतिक दलों के लिए निःशुल्क आवास, एसटीडी सुविधा सहित निःशुल्क टेलीफोन, पेट्रोल, डीजल, मुद्रणालय, कागज, डाक टिकट लाऊड स्पीकर, टेलीफोन आदि मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को दिया जाना है। यह एक वचनबद्धता है और मैं सभा में यह बात दोहराता हूं कि निश्चय ही हम इस पर सर्वानुमति बनाने के बाद सरकारी वित्तपोषण की दिशा में बढ़ेंगे। यदि इसमें सुधार हो सकता है तो हम इसमें सुधार करेंगे। लेकिन, यह सरकार की वचनबद्धता है।

दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा जो मैं सभा में करना चाहता हूं वह यह है कि इस सरकार के राष्ट्रीय न्यूतनम साझा कार्यक्रम में विधान सभा और लोक सभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण हेतु कानून लाना। तदनुसार, संविधान संशोधन विधेयक–व्यपगत विधेयक की तर्ज पर जो लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने हेतु था। इस सरकार के विचाराधीन है। ये दो प्रमुख घोषणाएं हैं जो मैं यहां करना चाहता हूं क्योंकि चुनाव प्रणाली में ये अत्यंत महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाने हैं।

[श्री हंसराज भारद्वाज]

महोदय, एक दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस पर चर्चा को लेकर आप भी गंभीर हैं और जिस पर बिहार के अनेक माननीय सदस्यों ने बोला है। हमारे सामने दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मुझे अफसोस है कि विपक्ष यहां नहीं है। मुझ प्रसन्नता होती यदि वे यहां होते। हमने कतिपय मुद्दों पर चर्चा की होती जो मुख्यतः लोकतंत्र के कार्यकरण से संबंधित है क्योंकि हम देश की निर्दोष जनता को गलत बयान देकर लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ा सकते।

दागी मंत्री या दागी संसद सदस्य से क्या तात्पर्य है? हमें इस मुद्दे के संबंध में कानून को समझना चाहिए। हमारा समाज मनमाने तरीके से नहीं चलता है। हमारा समाज कानून के नियम से चलता है। प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक मंच को कानून के नियम के अनुसार कार्य करना है। इस मुद्दे के संबंध में कानून क्या है? सभी माननीय सदस्य इससे अवगत हैं लेकिन मैं इस बिन्दु पर संक्षेप में बात करूंगा क्योंकि मेरे पास समय कम है। कुछ धारायें हैं नामतः, धारा 8, धारा 8 (क), धारा 9, धारा 9 (क), धारा 10, धारा 10 क और धारा 11 जो किसी व्यक्ति को चुने से निर्हर करने या संसद सदस्य चुने जाने के बाद निर्हरता से संबंधित है। आज, देश के कानून के अनुसार कोई व्यक्ति जो संसद सदस्य के रूप में चुना गया है मंत्री बनने के लिए पात्र है, और यदि व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है तो उसे छह माह के अंदर संसद सदस्य चुना जाना है। अन्यथा, वह व्यक्ति मंत्री नहीं रहेगा। यही देश का कानून है। क्या किसी व्यक्ति को इस कानून के बारे में संदेह है?

धारा 8 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने या अस्पृश्यता फैलाने के लिए दोषसिद्ध है, और यदि उसे कोई सजा मिली है तो वह अपात्र है। इसलिए इसमें अपराध सिद्ध होने के बाद निर्हरता की बात है; धारा 8 क में भ्रष्टाचार के आधार पर निर्हरता की बात है; धारा 9 में भ्रष्टाचार और सरकार के प्रति विश्वासघात के आधार पर निर्हरता की बात है; धारा 9 क में सरकारी ठेका लेने के कारण निर्हरता की बात कही गई है, धारा 10 में सरकारी कंपनी या सार्वजनिक उपक्रम में रोजगार प्राप्त करना; धारा 10 क में चुनावी खर्चे का ब्यौरा दायर करने की असफलता की बात है; और धारा 11 में कहा गया है कि निर्हरता की समीक्षा करने की शक्ति चुनाव आयोग के पास है। निर्हरता से संबंधित समस्त उपबन्ध यहीं है।

मुझे यह नहीं पता कि प्रत्येक दिन विपक्ष कैसे कहता है कि अमुक अमुक मंत्री दागी हैं या अमुक अमुक संसद सदस्य दागी हैं। मैं यह बात बड़े अफसोस से कहता हूं कि उनके मन में अपने सहकर्मियों के प्रति आदर की भावना नहीं है। संसद सदस्य चुने जाने के बाद हमें प्रत्येक के प्रति कुछ हद तक सम्मान की भावना रखनी चाहिए। संसद सदस्य चुन लिए जाने के बाद हम किसी एक राजनीतिक दल के लिए संसद सदस्य नहीं होते बल्कि हम पूरे देश के लिए संसद सदस्य होते हैं। हमें इसी भावना से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और इसी भावना से हमें वाद–विवाद में भाग लेना चाहिए। यदि आप इसकी उपेक्षा करते हैं तो यह विधि के नियम का उल्लंघन है। इसका अर्थ है कि आपकी लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है; कानून के नियम के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है; भारत के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है; और यदि सभा में यही होता रहा तो यह सबसे दुखद दिन होगा। यह देश में लोकतंत्र की अवनति होगी।

जिसने भी इस वाद विवाद में भाग लिया है मैंने उन सभी माननीय सदस्यों के नाम नोट कर लिए हैं। यहां अनेक सदस्य बोले हैं। वे है : श्री पवन कुमार बंसल, श्री रामजीलाल सुमन, श्री पी. करूणाकरन, श्री रघुनाथ झा, श्री इलियास आजमी जो बसपा के है और जिन्होंने बड़ी अच्छी बातें कहीं और मैंने उन्हें नोट कर लिया है; श्री संदीप दीक्षित–युवा व्यक्ति जो बड़ी बुद्धिमानी से बोले और मुझे उनसे बहुत संभावना हैं–श्री सुरवरम सुधारक रेड्डी, चौधरी लाल सिह–उन्होंने जिस तरीके से बोला मैं उससे खुश नहीं हूं। फिर भी, चूंकि वह जम्मू और कश्मीर से आते हैं, इसलिए उनकी आवाज तो बहुत तेज होनी ही है। श्री वरकला राधाकृष्णन, प्रो. रामदास, श्री अरूण कुमार, श्री राजा राम पाल, श्री रामकृपाल यादव, श्री तूफानी सरोज, श्री असादूद्दीन ओवेसी–वह एम आई एम के युवा सदस्य हैं, उनके पिता मेरे मित्र थे। मुझे खुशी है कि वे संसद में आए हैं और यहां बोले भी। डा. सुजान चक्रवर्ती, श्री लालमणि प्रसाद, श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव – वह मेरे प्रिय मित्र हैं और उन्होंने चुनाव सुधारों पर एक किताब लिखी है–वे भी बोले। यहां आने से पहले मैंने उनकी किताब पढ़ी थी। वह सदैव वाकपटुता से बोलते हैं और उनकी बातें नोट कर ली गई हैं। डा. एम. जगन्नाथ, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री सीताराम सिंह, डा. के. एस. मनोज, मेरे मित्र, थेन्नई से खारवेन्थन, और कुछ अन्य मित्रों ने अपने विचार व्यक्त किए। यदि मैं किसी का नाम नहीं ले पाया तो वे कृपया बताएं और मैं वाद–विवाद में उनके योगदान को अभिस्वीकृत कराऊंगा।

महोदय, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपके अपने भाषण में सम्मिलित है। मैं ज्यादा जोर इसी पर दूंगा क्योंकि आपने ऐसा बढ़िया भाषण दिया है जो मैंने हाल के वर्षों में काफी समय से नहीं सुना है। आपने ठीक कहा कि हम एक संविधान द्वारा शासित है, चाहे वह चुनाव आयोग हो, कोई उम्मीदवार हो, या कोई राजनीतिक दल। कोई भी निर्णय लेने के मामले में अपनी मर्जी नहीं चला सकता है। किसी की भी मर्जी नहीं चल सकती है; और प्रत्येक को कानून के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।

मैं पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं कि कभी–कभी चुनाव

आयोग सीमा से बाहर चला जाता है और तभी समस्या उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, हाल ही में, राजनीतिक दलों को यह नोटिस भेजा गया कि 'यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम आपका चुनाव चिह्न निरस्त कर देंगे।' यह कैसे किया जा सकता है? किसी राजनीतिक दल को चुनाव चिह्न इसीलिए आबंटित किया गया है क्योंकि वह एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल या राज्य दल है। दल का एक अधिकार है, और किसी चुनाव चिह्न के आरक्षण से आदर्श आचार संहिता का क्या लेना देना है? इन मामलों का निपटारा चुनाव चिह्न आरक्षण नियम के पैरा 15 के अंतर्गत किया जाता है, जबकि आदर्श आचार संहिता की कोई सांविधिक पहचान नहीं है क्योंकि आदर्श आचार संहिता केवल एक आदर्श है कि राजनीतिक दलों को यह या वह नहीं करना चाहिए। आदर्श आचार संहिता के रूप में चुनाव प्रक्रिया बहुत ही अपमानजनक हो गई है। किसी भी मंत्री को कहीं जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। मंत्रियों को वापस भेज दिया जाता है; और संसद सदस्यों को वापस भेज दिया जाता है। निश्चय ही यह लोकतंत्र का बुरा चेहरा है, और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस पर एक विधान लाऊँगा।

मैं नहीं चाहूँगा कि लोकतंत्र की भागीदारी में कोई भी अधिकारी सनक का, कदाशयता का, या इस हेतु इन मामलों में मर्जी का उपयोग करें। इन्हें स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया जाना है जिसके द्वारा एक साफ–सुथरी चुनाव प्रक्रिया बनाए रखी जानी है। मैं आपसे यह वादा करता हूँ।

अब मैं चुनाव पर्यवेक्षकों पर आता हूँ, वे महा–अधिकारी नहीं हैं; वे वहां यह देखने के लिए रहते हैं कि चुनाव ठीक–ठाक से हो। मैं मानता हूं कि यह केवल चुनाव आयोग ही है जिसे निष्पक्ष चुनाव कराने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। हमारे देश में दूसरा कोई अभिकरण नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह शक्ति चुनाव आयोग को सौंपी है। हम सभी को सहयोग करना चाहिए और सभी की जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए ताकि चुनाव निष्पक्ष कराया जा सके। यदि चुनाव निष्पक्ष नहीं होता है तो हारनेवाले हमारे मतदाता हैं जो हमारे सर्वेसर्वा हैं। हम नहीं कह सकते कि उन्हें उनके विधिमान्य अधिकार से वंचित रखा जाना चाहिए।

मैं यहां यह भी स्पष्ट कर दूँ कि कई लोग कहते हैं कि उन्हें मत देने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उनके पास पहचान पत्र नहीं है। कानून में आज की स्थिति के अनुसार, मैं उस धारा का संदर्भ दे सकता हूँ कि एक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है उसे मत देने का हकदार है, उसके पास मत देने का सांविधिक अधिकार है। ये सारे विपथन...*(व्यवधान)* उसे अधिकार से वंचित करने का प्रश्न ही नहीं है। उसके पास सांविधिक अधिकार है। वह जोर डाल कर अपना मत दे सकता है। ये सारे चुनाव आयुक्त विभिन्न तरीकों से मताधिकार के इस कार्य को कम कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : वे अनुमति नहीं दे रहे हैं।

श्री हंसराज भारद्वाज : राजनीतिक दल यहां किस लिए बैठे हैं? हमें आगे आकर इस पर चर्चा करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि गरीब लोगों को धमकियां नहीं मिले, उन पर सभी प्रकार के अनावश्यक और गलत दवाब नहीं डाले जाए। यह हमारा कर्त्तव्य है। परन्तु इस पर राजनीतिक दलों द्वारा बहुत गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

हमने पहचान पत्रों को स्वीकार किया। पहचान पत्र का क्या उपयोग है? मैं आपको बताऊँ, मैं मतदान केन्द्र पर एक कार्यकर्त्ता के रूप में रहा हूँ। मुझे इस रोग के बारे में जानकारी है। पहचान पत्र किसलिए है? प्रश्न यह है कि जब कोई मतदाता मतदान केन्द्र में जाता है तो प्रतिपक्ष मतदान अभिकर्त्ता मतदाता के पहचान पर प्रश्न उठा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको 2 रुपए जमा कराने पड़ते हैं–मेरे समय में यह 2 रुपए था–और तब आप उसे चुनौती दे सकते हैं। इसके विरोध के बाद ही पहचान का प्रश्न उठता है। अन्यथा, किसी गांव में सब लोग जानते हैं कि कौन क्या है। जब तक मतदान अभिकर्त्ता नहीं कहता है कि उसे किसी व्यक्ति के पहचान पर शंका है तब तक किसी को मत देने से रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। एक बार जब मतदाता जाकर कहता है कि उसका नाम यह है और पिता का नाम यह है तो उसे मत देने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि पहचान पर कोई प्रश्न न उठे। मुझे खेद है कि हम सब एक–एक कर पहचान के गलत तरीकों का ही अनुरक्षण कर रहे हैं।

इस देश में मतदाता की दृढ़ आम राय, मैंने अपने पूर्व कथनों में कहा है कि, सफल लोकतंत्र की है। यदि हम उनके अधिकार के साथ छेड़छाड़ नहीं करते तो लोग सहज भाव से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। पंचायतों में, स्थानीय लोगों ने चुनावों को सुचारू तरीके से संपन्न कराया है। मैंने ऐसा चुनावों में कभी नहीं देखा है, पिछले एक दशक को छोड़कर। पहले के चुनावों में, मेरे युवा दिनों में, मैंने बहुत ही बढ़िया भागीदारी देखी है। लोग स्वतंत्रता के गीत गाते हुए जाते थे और अपना मत ऐसे देते थे जैसे पिकनिक पर जा रहे हों। अब, चारों तरफ तनाव का माहौल है। यह तनाव क्यों आया है? इसकी कुछ जिम्मेदारी हमें भी लेनी चाहिए।

बूथ लूटने की शिकायतें दर्ज होती हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है, परन्तु ऐसी शिकायतें आती हैं जब कभी भी इस पर चर्चा की जाती है कुछ माननीय सदस्य अवश्य शिकायत करते हैं हम सभी को इस पर रोक लगानी चाहिए। यह पूरी तरह से लोकतंत्र

[श्री हंसराज भारद्वाज]

का विरोध है। यदि कोई राजनीतिक दल या कोई उम्मीदवार बूथ लूटता है तो वह संसद सदस्य बनने का हकदार नहीं है, क्योंकि आप अपने ही मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकांश मतदाता अपना मत दे सकें। मताधिकार का निष्पक्ष उपयोग ही केवल आपको संसद सदस्य बना सकता है। यही वह लोकतंत्र है जिसकी परिकल्पना की गई है अतः, सभी राजनीतिक दलों को साथ बैठकर यह देखना चाहिए।

यह गंदगी हाल ही में उभर कर आई है। यदि आप प्रसिद्ध संसद सदस्य हैं तो आपको बूथ लूटने की जरूरत नहीं है। यदि आपके राजनीतिक दल की जनता के बीच पैठ है तो आपको बूथ लूटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। परन्तु, यह जीवन की सच्चाई है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं क्योंकि मैंने 1989 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में विशेष धारा के रूप में जब बूथ लूटे जाने पर चुनाव रद्द किया जाना जोड़ा गया तो कानून में परिवर्तन किया। यही जीवन की सच्चाई है।

साम्प्रदायिकता के प्रयोग जैसी अन्य बुराइयां हैं। हमारे चुनावों में साम्प्रदायिकता का बेतहाशा प्रयोग होता। हम मन्दिर का मुद्दा उठाते हैं, मस्जिद का मुद्दा उठाते हैं, हम गुरूद्वारे का मुद्दा उठाते हैं। धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, रहीम के नाम पर, ये सब चीजें हो रही हैं। यह ठोस भ्रष्ट पद्धति है। धारा 123 इसकी अनुमति नहीं देती। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों को यह निर्णय करना चाहिए कि आप योग्यता के बल पर जीतें। आप मंदिर निर्माण का सहारा क्यों लेते हैं? चुनाव से मंदिर निर्माण का क्या लेना देना है? यहीं हमने अपने समाज को खतरनाक ढंग से विभाजित कर दिया है। हमने इसे इतने खतरनाक ढंग से विभाजित कर दिया है कि हम अनेक मामलों में एक दूसरे को आंख मिलाकर नहीं देखते। छोटे अथवा बड़े स्तर पर समाज को विभाजित करना इस देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है। हमारा शासन किस प्रकार का होगा यदि हम अपने समाज को विभाजित कर दें? शासन का अर्थ है अपने बहुलवादी समाज को एकीकृत करना, अनेकता में शानदार एकता जो आप दुनियाभर में नहीं देख सकते। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। मतदान केन्द्रों पर कब्जा को बंद कर देना चाहिए। आखिरकार हमने निर्वाचन आयोग को शक्ति प्रदान कर रखी है। कि वह चुनाव को रद्द कर सकता है, स्थगित कर सकता है। यह चुनाव की तारीखें घटा–बढ़ा सकता है और इस तरह के तमाम कार्य कर सकता है।

हमने इस प्रकार की परिघटना के बारे में सुना है। ऐसा देश के सभी भागों में नहीं है। इस देश के कुछ भागों में ऐसी कोई शिकायत बिल्कुल नहीं है। हमें उन लोगों को इसका श्रेय देना चाहिए। जहां भी ऐसा है, निश्चित रूप से आप इसे चाहते हैं। मुझे बी एस एफ. आर सी आर पी एफ तैनात करने हेतु अनेक अनुरोध प्राप्त होते हैं। अन्यथा स्थानीय पुलिस पर्याप्त होनी चाहिए।

मैं निर्वाचन कानूनों पर कार्य करने के अपने लम्बे अनुभव के बारे में आपको बता रहा हूँ कि पुलिस के विरूद्ध शिकायतें है। कल एक माननीय सदस्य ने बताया कि स्थानीय दरोगा ने किसी विशिष्ट उम्मीदवार के लिए मत डालने के लिए कहा। यह जीवन का सत्य है। हम इससे इन्कार नहीं कर सकते। हम राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों की सहायता ले रहे हैं। मुझे कहकर दुख हो रहा है कि इस प्रकार का निर्वाचन प्रजातंत्र की सफलता नहीं है जहां आप पीठासीन अधिकारी से कहते हैं कि आप निशान लगाते जाइए अथवा लोगों को डराने के लिए आप पुलिस अधिकारी से कहते हैं। यह प्रजातंत्र का अंग कतई नहीं है। यदि आपके अपने आदमी आप को चाहते हैं और आपके प्रति प्यार दर्शाते हैं और जब आप मतदान के लिए जाते हैं तो आप पुलिस की सहायता से और पीठासीन अधिकारी की सहायता से विशेष स्थान पर मतदान से उन्हें मना करते हैं। आप पुलिस और पीठासीन अधिकारी को कहते हैं कि उन्हें मत डालने की अनुमति नहीं दी जाय। और उनके स्थान पर आप अथवा पुलिस अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी उनके मताधिकार का प्रयोग उपयोग करते हैं। यह है हमारा काम। हमें इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमें विभाजित भी नहीं करना चाहिए।

कल मेरे प्रिय मित्र प्रो. राम गोपाल यादव ने वास्तविक स्थिति को लेकर शिकायत की थी। आपका कहना है कि जहां भी कोई विशिष्ट समुदाय है, वहां उसे समुदाय का पीठासीन अधिकारी तैनात न करें। उस समुदाय को पर्यवेक्षक तैनात न करें। हमने अपने देश को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है। हम जातिवाद, साम्प्रदायिकता, पक्षपातवाद और भाई भतीजावाद के लिए उत्तरदायी है। हम संसद सदस्य हैं। हम लोगों को भाग्य को संवारते हैं। इसलिए हमें संकल्प करना चाहिए किंतु मैं चाहूंगा कि जब सारा सदन सत्र में हो, जब पूरा सदन बैठक में भाग ले रहा है। आप उस समय इस मुद्दे पर उचित और निर्णायक वाद–विवाद करा सकते हैं। खंडित संसद का कोई असर नहीं होगा। मैं यह बात पूरी विनम्रता से कह रहा हूँ कि संसद एकमत होनी चाहिए।

हाल ही में यह सवाल उठा था कि न्यायपालिका संसद पर हावी हो रही है और संसद को हानि हो रही है। संसद के विधायी विशेषाधिकार कम हो रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि संसद एकमत नहीं है। तो विभाजित सभा अपने विशेषाधिकारों का निर्वहन नहीं कर सकती। संसद को एकमत होना चाहिए। संसद के संयुक्त निर्णय हमारे विशेषाधिकारों और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखेंगे। अन्यथा कोई भी संस्था दूसरे के क्षेत्र को हड़पना चाहेगी। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। खाली जगह में पानी जाएगा ही। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच चिन्हित शक्तियों को उचित स्थानों पर रखना होगा। मॉन्टेस्कर के शक्तियों के प्रथक्करण के सिद्धांत का सम्मान किया जाना चाहिए और उसका पालन किया

जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मामले को छोड़कर जिसमें अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी–हमारे पूर्वजों में ऐसा कोई संघर्ष नहीं रहा है। परन्तु वह मामला भी इस सभा द्वारा सुलझाया गया था। यह इतनी शक्तिशाली सभा है। किंतु धीरे धीरे केशवनंद भारती के मामले के बाद यह सभा अपने कुछ विशेषाधिकार खो चुकी है। हम यह विश्चय करें कि हम संसद की शक्तियों को किसी अन्य संस्था द्वारा हड़पने अथवा बलात ग्रहण न करने दें। हम सब इस मुद्दे पर एक हैं।

मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं–मैं मंत्री हूं–मैं निर्वाचन आयोग की आलोचना नहीं कर सकता। माननीय सदस्यों ने कुछ ठोस मुद्दे उठाए हैं कि हम अपने ऊपर सुपर बॉस को अनुमति न दें। हमारे पास ऐसे सरकारी कर्मचारी हो जो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से पूरा करें। हमें यह भी देखना चाहिए कि मतदाताओं को अनुचित धमकी या भयभीत नहीं किया जाना चाहिए। मैंने आपकी बातों को नोट कर लिया है।

बिहार में क्या हुआ? श्री लालू प्रसाद की राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल को कुछ शिकायतें थीं। इसी प्रकार अन्य पार्टियों की भी कुछ शिकातयें थीं। उन्हें यह भयावह अनुभव हुआ कि अधिकारी किस प्रकार पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करते हैं। इसका परिणाम स्पष्टतया चुनाव के लिए बाधक होगा। मैंने आपकी बातों को नोट कर लिया है। बूथ आबादी के निकट होना चाहिए ताकि कमजोर विकलांग एवं वृद्ध नागरिक बिना किसी कठिनाई के अपना मतदान कर सकें। तत्पश्चात् जहां भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहते हैं, मैं समझता हूँ, वहां मोबाइल बूथ होने चाहिए। मुझे याद आता है कि एक चुनाव में हमने उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए उनके मुहल्लों अथवा गलियों में मत देने के लिए मोबाइल वैन भेजी थीं। इस प्रस्ताव पर हम निर्वाचन आयोग के साथ चर्चा करेंगे। मेरा अपना विचार है कि एक मतदान केन्द्र में एक हजार से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। मतदान केन्द्रों के बीच की दूरी एक हजार मीटर से कम होनी चाहिए। ताकि मतदान के लिए निर्धारित समय के भीतर वे मतदान कर सकें।

यदि मतदाताओं की संख्या 500 से एक हजार तक है तो हम चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद समय भी बढ़ाया जा सकता है मैं पुनः आपको स्मरण करा रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण मामले हैं। जिसके लिए राजनीतिक मतैक्य तैयार करेंगे।

अब मैं उन प्रस्तावों की ओर आता हूं जो निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि बहुत सारे शपथ पत्रों को संशोधित किया जा रहा है और उन्हें प्रपत्र 26 में समेकित किया जाना चाहिए। यह एक औचित्यपूर्ण सुझाव है और हम इस पर विचार कर रहे हैं।

जो उम्मीदवार गंभीर नहीं होते हैं उनसे बचने के बारे में निर्वाचन आयोग ने सुझाव दिया है कि संसद सदस्यों के लिए जमानत राशि बीस हजार रुपए और विधान सभाओं के उम्मीदवारों के लिए दस हजार रु. तक बढ़ायी जानी चाहिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि में पचास प्रतिशत कमी की जानी चाहिए।

इसके बाद में राजनीति के अपराधीकरण पर आता हूँ। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता–भले यह प्रस्ताव कितना अच्छा क्यों न हो कि हम उस व्यक्ति को निर्हर घोषित कर दें। जिसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है अथवा जिस पर न्यायालय द्वारा आरोप पत्र लाया गया है। मैं न्यायालय में चालीस वर्ष तक रहा हूं। मैं जानता हूं कि किसी विरोधी को फंसाना, आरोप पत्र दाखिल करना और यह सुनिश्चित करना कि न्यायालय अगली सुनवाई में आरोप तैयार करें कितना सरल है। बुनियादी अवधारणा यह है कि समूचे विश्व में निर्दोषता की पूर्व धारणा है। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में भी कहा गया है कि आरोपी तब तक निर्दोष माने जाने का पात्र है जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाये। मैं अपने मित्रों को बता दूं कि निर्दोषता की अवधारणा को समाप्त करने जैसी मांग ब्रिटेन में की गई। किंतु यूरोपीय न्यायालय ने उल्टे ब्रिटिश काल की भारी आलोचना की और कहा कि आप निर्दोषता की पूर्वधारणा को समाप्त नहीं कर सकते। अथवा बचाव का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी।

मैं इन प्रस्तावों को सख्ती से अस्वीकार करता हूँ कि आरोपित व्यक्ति को निर्हर किया जाए। किंतु मैं विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि हमें इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। मुझे याद है कि एक बैठक में विपक्ष के नेता बैठे थे। उस समय इस विपक्ष में थे और वे सत्ता पक्ष में थे। कानून मंत्री वहां उपस्थित थे और हमने इस मुद्दे पर बारीकी से चर्चा की कि क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को निर्हर कर दें। यह एक गंभीर मामला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अपने संसद सदस्यों और मंत्रियों की छवि सुधारना चाहते हूं। किन्तु वह बहुत लोकप्रिय व्यक्ति है। एक व्यक्ति जिसके पास एक राज्य से 25 से 30 निर्वाचित संसद सदस्य हैं, तो कोई उसकी योग्यता की अवहेलना नहीं कर सकता। उनका कहना है कि हम उन्हें निर्हर कर दें क्योंकि वे उन्हें पसन्द नहीं करते। उनका बहुत विरोध हो रहा है। यह हमारे साथियों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह सभा इस पर वाद विवाद करे। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री सार्वजनिक जीवन में

[श्री हंसराज भारद्वाज]

साफ सुथरी छवि को लेकर बहुत अधिक चिन्तित है। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी एक ऐसी बात है जिस पर कोई दो विचार नहीं नहीं हो सकते। इस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन हम चर्चा किसके साथ करें? उनका कहना है कि हम ऐसा करें अन्यथा वे भाग नहीं लेंगे। क्या लोकतंत्र चलाने का यही तरीका है। हमें अपने मित्रों को आमंत्रित करना चाहिए। यदि वे सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की जांच करना चाहते हैं मेरा बचाव तैयार है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आमंत्रण दिया है। हम उन सभी बातों पर चर्चा कर सकते हैं। जिससे हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ होता हो। लेकिन वे इसे सुदृढ़ बनाना नहीं चाहते है। वे इससे जड़ता लाना चाहते हैं। यदि आप किसी गाड़ी के टायर को पंक्चर कर दें तो यह कैसे चल सकती है। सभा को किसी भी कारण से अस्त व्यस्त नहीं कर सकते हैं। यह हमारी सभा है। यह राजनीतिक दलों के धमार्थ नहीं है। वे यहाँ आकर सरकार की आलोचना कर सकते हैं, हम इसका स्वागत करेंगे, हम उनकी भागीदारी का स्वागत करेंगे। हम उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो हम अपने आप में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। वे ऐसा नहीं कर रहे हैं।

अतः मैं इस चर्चा से बहुत प्रसन्न नहीं हूँ। हम सभी दल के एक पहलू हैं। मैं इस पर पुनः चर्चा चाहूँगा। मैं चाहता हूं कि अपराधीकरण के मुद्दे पर निश्चितरूप से विचार किया जाना चाहिए और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। अन्यथा एक अन्याय होने की आशंका बनी रहेगी कि उनकी बात नहीं सुनी गई या उनके विचारों की अनदेखी की गई। अतः लोकतंत्र के लगभग 55 वर्षों के पश्चात सफर लगभग पूरा हो चुका है। संसद में अधिक से अधिक दबे हुए लोग आयेंगे, यहां पिछड़े वर्ग के भी अधिक से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। हम इसे लोकतंत्र की सफलता के रूप में स्वीकार करें बजाए इसके कि वे उचित व्यक्ति नहीं है और उन्हें निर्हर करार कर दिया जाए।

सायं 6.00 बजे

आपको वे योग्य नही लग सकते हैं। लेकिन यह लोकतंत्र का भाग है जिसकी बुनियाद महात्मा गांधी, नेहरूजी और अम्बेडकर जी ने रखी है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस आइटम के समाप्त होने तक सदन की कार्यवाही बढ़ाई जाती है।

[अनुवाद]

श्री हंसराज भारद्वाज : मैं इस समय जितना जल्दी हो सकता है, बोलने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा कहना है कि हम पंजीकृत प्रत्येक राजनैतिक दल को पूरी भागीदारी और हिस्सेदारी की अनुमति दें। जितने अधिक अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति और अनु. जन जाति के लोग आएंगे उतनी अधिक प्रसन्नता हमारे पूर्वजों को होंगी। अन्यथा हमारे देश में ब्राह्म्णवाद व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ था। जब लोगों को उनका अधिकार नहीं दिया गया था। इस देश में बौद्ध, जैन और सिख धर्म की स्थापना हुई। अतः हमारा समाज अन्याय का सहन नहीं करेगा। यह बगावत कर देगा। हम किसी समुदाय, जाति अथवा जाति समूह को इसका कारण नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ सबसे छोटा अल्प संख्यक पारसी समुदाय द्वारा देशके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। उन्होंने आश्चर्यजनक योगदान दिया है। हमें इन सभी का आदर करना चाहिए। अतः हमें यही करना चाहिए। हमें लोकतंत्र को पूर्ण रूप से कार्य करने देना चाहिए। राजनीतिक दलों का यह दायित्व हैं क्योंकि यदि आप काला धन स्वीकार करते हैं और उसका व्यय करते हैं फिर आप किसकी आलोचना कर रहे हैं? आपको इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।

निर्वाचन आयोग ने यह सिफारिश की है कि राजनीतिक दलों की लेखा परीक्षा होनी चाहिए। एक सीट पर ही चुनाव लड़ने के कानून से संबंधित प्रस्ताव है। यह भी विचाराधीन है। कई माननीय सदस्यों ने एक्जिट और ओपिनियन पोल के बारे में कहा है। मेरे विचार से, इन पर चुनाव पूरा होने तक पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। क्योंकि इससे अमीरों को लाभ होता है। वे टेलीविजन और प्रिंट मीडिया खरीद सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि "आप यह कहो कि हम जीत रहे हैं।" गरीब लोग दिग्भ्रमित होते हैं। अतः यह भी विचाराधीन है।

इसके पश्चात मीडिया में प्रतिनिधि नाम से दिये जाने वाले विज्ञापनों का प्रश्न है। इस पर भी निमंत्रण लगाया जाना चाहिए। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। निगेटिव मतदान का भी प्रस्ताव है। यह विचाराधीन है। हम सदन के विचारों के अनुरूप कार्य करेंगे कि निगेटिव अथवा पाजिटिव वोटिंग शुरु करायी जाए अथवा नहीं। मेरे विचार से केवल पोजिटिव वोटिंग होनी चाहिए। भारत एक विशाल देश है। यहाँ 67 करोड़ लोग चुनाव में भाग लेते हैं। हम उन्हें पाजिटिव कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। एक अपीलीय प्राधिकरण स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा सुझाव है। हम इस पर विचार कर सकते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा लेखाओं का अनिवार्य रूप से रखरखाव और इसकी लेखा परीक्षा का प्रश्न भी उठाया गया है। इस पर राजनीतिक पार्टियां निर्णय ले सकती हैं।

टेलीविजन और केबल नेटवर्क के मामले में हम भागीदारिता के पक्ष में हैं। इसके लिए नियम और विनियमन बनाए जा सकते हैं। हम इस निर्णय के अनुरूप कार्य करेंगे। जहाँ तक निर्वाचन आयोग

की संरचना और उसके संवैधानिक संरक्षण का प्रश्न है, वर्तमान में केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ही संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। एक प्रस्ताव लंबित है। पूर्व की सरकार ने इस प्रस्ताव का पक्ष नहीं लिया था और अब यह हमारे समक्ष लंबित है।

निर्वाचन आयोग के काम को "प्रभारित" माने जाने के संबंध में मैं समझता हूँ कि निर्वाचन आयोग को जब कभी भी मांग होती है धनराशि दी जाती है। इसमें कोई समस्या नहीं है।

इसके पश्चात निर्वाचन अधिकारियों के स्थानांतरण का प्रश्न आता है। यह मुद्दा समस्या का मुख्य कारण है। ऐसे लोग लाये जाते हैं जिन्हें क्षेत्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। वे बॉस की तरह जाकर गेस्ट हाउस में रहते हैं और वहीं से अपना आदेश पारित करते हैं। हमें दोनों पक्षों, पर्यवेक्षक अथवा निर्वाचन अधिकारी और संसद सदस्य का सम्मान करना चाहिए। ये अनुभवी लोग हैं जिन्हें आम व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त है। अतः दोनों को अपना कार्य करना चाहिए। पीठासीन अधिकारी और अन्य लोगों को तटस्थ होना चाहिए। यदि पर्यवेक्षक बाहर से आयें है। तो उन्हें इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि वे इसके साथ हस्तक्षेप नहीं करें। हम इस पहलू को जहाँ तक संभव हो सके सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस पर अपना ध्यान दे रहे हैं।

दल बदल कानून से संबंधित कई ऐसे मामले हैं जिन पर कई सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं जब मैंने 1985 में एक विधेयक पेश किया था मैंने प्रस्ताव किया था कि दलबदल पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। कारण चाहे कुछ भी हो यह धारणा मजबूत होती गई कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों में विचारधारा का आधार पर विभाजन होता है।

अतः हमने इसे एक तिहाई रखा है। आप सभी जानते हैं कि इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है। पूर्व में यह सर्वसम्मति थी कि इसे समाप्त किया जाना चाहिए। इसे समाप्त कर दिया गया। अब दल बदल एक गंभीर मामला है। इससे किसी संसद सदस्य के पास कुछ भी नहीं रह जाता है। 'आया राम गया राम' अच्छा शब्द नहीं है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को इससे बचना चाहिए, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों को आया राम गया राम जैसे खराब नाम से बचना चाहिए। यह निर्णय हमें लेना है। कि दल बदल को रोकने के लिए और क्या अधिक उपबंध किए जा सकते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि दल बदल के आधार पर किसी को सत्ता का आनंद लेना चाहिए। यह लोकतंत्र की एक गंभीर खामी है और हमें इसे समाप्त करना चाहिए।

आपको अपने राजनीतिक दल के साथ रहना चाहिए। आप अपने राजनीतिक दल के नाम की शपथ लेते हैं, अपने नेता के नाम की शपथ लेते हैं, आप अपने राजनीतिक दल से धन लेते हैं, और केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप इसे कभी भी छोड़ देते हैं। दल बदल कानून के संबंध में और अधिक कठोरता लाने की आवश्यकता है।

आम मतदाता सूची का भी मुद्दा हैं हमारा यह अगला प्रस्ताव है। जब मतदाता सूची में मतदाता का फोटोग्राफ लगा दिया जायेगा। तो सभी पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज निरर्थक हो जायेंगे। हम मतदाता सूची में प्रत्येक मतदाता के फोटोग्राफ को लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अतः पहचान पत्र अथवा कोई अन्य दस्तावेज मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। यह कार्य सूचना प्रौद्योगिकी के कारण अधिक सरल हो जायेगा। इस प्रकार की मतदाता सूची विश्व के कतिपय भाग में है। अतः इस प्रकार की मतदाता सूची बेहतर होगी।

मतदाता सूची को अद्यतन बनाने की भी बात है। आप इसके लिए निर्वाचन आयोग को दोष नहीं दे सकते हैं। यह आपका कर्तव्य है कि आप चुनाव से पूर्व अपने नाम की जांच सूची में कर लें। मेरे समय में प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव से पूर्व सूची की जांच कर लेता था। हम जान लेते थे कि कितने मतदाता उत्प्रवास कर गए हैं या कितने मतदाता किसी विशेष क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं, इत्यादि। हमारे पास उनके लिए अलग से एक सूची होती थी, राजनीतिक दल अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। वे अब निर्वाचन आयोग पर निर्भर हो गए हैं। निर्वाचन आयोग के पास अद्यतन कार्य का दो तरीका है, एक आम जांच है। जिसमें शिक्षकों को कार्य में लगाया जाता है। और दूसरा आम संशोधन है जो प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में किया जाता है। इसी प्रकार की व्यवस्था हम करते हैं। किंतु लोप करने की संभावना हमेशा रहती है। यदि कतिपय विलोपन हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। मुझे मालूम है कि कभी–कभी अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नामों का लोप कर दिया जाता है। वे उनका वोटिंग पैटर्न तथा उनकी मनः स्थिति जानते हैं। इसलिए वे उनका नाम लोप करने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु यह कानून के अंतर्गत आपका सांविधिक अधिकार है कि आप सूची में अपने नाम की रक्षा करें और आप वोट डाल सकें। इस पर हम बाध्यता नहीं थोप सकते हैं।

मताधिकार सांविधिक अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। यह विशेषाधिकार है जो आपको प्रत्येक आम चुनाव अथवा उप चुनाव में मिलता है। आपको समाज को इस बारे में शिक्षित करना चाहिए। इस पर कानून बनाना अधिक उपयोगी नहीं होगा। मैंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से मैंने मतदान पैटर्न को बतलाया है। वोटिंग पैटर्न 61 प्रतिशत, 51 प्रतिशत, 61 प्रतिशत, 67 प्रतिशत इत्यादि रहा है और किसी भी स्थिति में 70 प्रतिशत अधिक नहीं रहा है। मैं इस बात के पक्ष में नहीं कि विशेष क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत अधिक होने पर चुनाव रद्द कर दिया जाएं आप इतने लोकप्रिय नेता हो सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आपको ही मत देना चाहे। इसलिए

[श्री हंसराज भारद्वाज]

चुनाव आयोग सिर्फ अत्यधिक मतदान के आधार पर इस पर रोक नहीं लगा सकते है। हम देखेंगे कि किस तरह हम इस प्रकार की त्रुटि को दूर कर सकते हैं। ये चिन्ता की कुछ विषय है।

सौभाग्यवश, हाल के चुनावों में जो 2004 में हुए इस तरह की स्थिति था, हम निश्चित तौर पर विपक्ष और अन्य सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठना चाहते हैं। हम निर्दलियों को हटाने का प्रयास करेंगे वे मतपत्र को अत्यधिक बड़ा बना रहे हैं। पहले हमने कहा कि उनका अनुपात बढ़ना चाहिए। यह किया गया था। फिर मत पत्र में उनके नामों के क्रम निर्णय किया गया कि पहले राजनीतिक दलों का नाम होगा और फिर उनका नाम होगा।

इसके अलावा, हम यह भी सोचेंगे कि क्या और कुछ भी किया जा सकता है। किंतु कृपया स्मरण रखिए कि कानून की नजरों में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि निर्दलीय अभी भी चुने जा रहे हैं और बड़ी संख्या में चुने जा रहे हैं। जब किसी को टिकट नहीं दिया जाता है तो वह निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना चाहता है। इन दिनों निर्दलीय सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल यह कहता है कि हमें निर्दलीय का समर्थन जरूर प्राप्त करना चाहिए।

इसलिए हमें इसके बारे में कानून का अध्ययन करना होगा–हम उनके प्रवेश को किस तरह रोक सकते हैं। यह एक व्यापक प्रश्न है। महोदय, आपने मूलभूत तथ्य का उल्लेख किया हैं। अब, इस सभा को इसके साथ जारी रखना चाहिए और राजनीतिक दलों की सरकार अपना विचार रखने के लिए आमंत्रित करेगी और हम ऐसा करके अत्यधिक प्रसन्न होंगे। यह सरकार जैसा कि मैंने कहा है इसके लिए कटिबद्ध है। यदि हम सब गंभीर हैं तो सार्वजनिक जीवन में शुचिता का साफ–सुथरा उच्च मानक बनाना संभव हो सकता है।

मैं सभी सदस्यों और विशेष रूप से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज मुझे अवसर दिया यदि कोई स्पष्टीकरण है तो मैं उसका उत्तर देने में हर्ष महसूस करुँगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आमतौर पर माननीय सदस्यों को मालूम है कि सामान्यतः माननीय मंत्री जी के जवाब के बाद कोई स्पष्टीकरण पूछने की परम्परा यहाँ नहीं है, परन्तु राष्ट्रीय महत्व का विषय होने के कारण इस विषय पर विशेष अनुमति के तहत मैं कुछ माननीय सदस्यों को, जिन्होंने हाथ उठाए हैं, जो उत्सुक हैं, बोलने की अनुमति दे रहा हूँ, लेकिन यह पूर्व उदाहरण नहीं बनेगा।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। चुनाव सुधारों पर दो दिनों तक सार्थक चर्चा हुई लेकिन एक सफल अधिवक्ता के तौर पर आपने अपने पक्ष की बहुत अच्छी पैरवी की है। मैं आपकी मर्यादाओं को जानता हूँ, इसलिए चुनाव आयोग की आपने आलोचना नहीं की है। यह बात अपनी जगह सही है, लेकिन जिस तरह के मामले प्रकाश में आए हैं, उनसे चुनाव आयोग जैसी संस्था की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बारे में जैसा कि आपने बताया कि जिस व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम हैं, उसे मतदान का अधिकार है, लेकिन पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान केन्द्रों से मतदाताओं को बिना मत डाले वापस किया गया, उनको वोट नहीं डालने दिया गया और वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि मतदान का प्रतिशत इससे कहीं अधिक अच्छा हो सकता था अगर इन लोगों को मत देने का अवसर दिया गया होता। लेकिन मतदाता पहचान पत्र के अभाव में उनको मत डालने नहीं दिया गया, जबकि दूसरे लोगों ने यह पुष्टि की कि यह वहीं आदमी है जिसका मतदाता सूची में नाम है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोगों को मताधिकार से वंचित न किया जा सके इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि चूंकि जल्दी ही कुछ राज्यों में विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं, तत्काल सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर इस विषय पर चर्चा किए जाने की जरूरत है। ताकि अच्छे सुझाव आ सकें।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड़) : स्वीकृत समय के अंदर माननीय मंत्री जी ने अधिकतर प्रश्नों का उत्तर दिया है। मैं समझता हूं कि हमें इस मुद्दे पर कुछ और चर्चा करने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ राज्यों में अगले वर्ष चुनाव होने जा रहे हैं। केवल कुछ राज्यों में परिसीमन पहलू को कवर किया गया है। मैं माननीय विधि मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या कानून इस बात की अनुमति देता है अथवा क्या सरकार यह सोंचती है कि अगले चुनाव जोकि होने जा रहे हैं विद्यमान चुनाव क्षेत्रों अथवा परिसीमित चुनाव क्षेत्रों के साथ हो सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं व्यवधान शुरू हो जाता है। मंत्री जी ने अपने जवाब उन बहुत सारी बातों को स्वीकार किया है। जो भी माननीय सदस्यों ने कहीं हैं और खास तौर पर जो श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने कहीं हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जैसे – वोट प्रतिशत के बारे में कहीं कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि वोट प्रतिशत 63 प्रतिशत, 65 या 67 प्रतिशत कितना हो। आपने भी इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। आपने भी स्वीकार किया है कि कुछ पदाधिकारियों मनमाने ढंग से काम करते हैं। ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही

करेंगे, इस पर भी आपने कोई चर्चा नहीं की है। मंत्री जी, जिन पदाधिकारियों ने, खास तौर पर बिहार में अपनी सीमा लांघ कर कानून बनाकर नियमावली और संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने, जो अभी आसन पर विराजमान हैं, चुनाव आचार संहिता की खामियों और त्रुटियों में सुधार हेतु सर्वदलीय समिति बनाने की बात कही थी, ताकि इस सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष निकल सके। आपने जवाब में उसकी चर्चा की है, लेकिन एक ठोस कमेटी बनाएं, क्योंकि जितनी हमने चर्चा इस विषय पर की है, उस समस्या का कोई समाधान निकल सके और ऐसे अधिकारियों पर अंकुश लगाया जा सके, जिससे स्वस्थ और निष्पक्ष चुनाव हो सके।

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी) : कानून मंत्री जी ने करीब-करीब हर बिंदु पर प्रकाश डाला है। लेकिन एक बिंदु था, जिस पर पूरा सदन पिछले कई दिनों से चिंतित है कि आज वोटिंग का प्रतिशत कम होता जा रहा है, जिससे लगता है कि लोगों को लोकतंत्र में रुचि कम होती जा रही है। आप शायद यह पाइंट मिस कर गए या फिर बाद में इसका जवाब देंगे। जिस तरह से संविधान के तहत हमारी फंडामेंटलन ड्यूटीज चिह्नित की गई है, उसी तरह से क्या हमारी यह फंडामेंटल ड्यूटी भी चिन्हित नहीं की जा सकती? यदि फंडामेंटल ड्यूटीज में इसे चिन्हित किया जाए, तो उससे लोगों में लोकतंत्र के प्रति रूचि पैदा होगी और वोटिंग का प्रतिशत भी ज्यादा होगा। इससे लोगों को अपने कर्त्तव्य का भी पता चलेगा। जैसा हम लोगों का कर्त्तव्य है कि हम यहां सदन में जनता द्वारा चुनकर आए हैं, भले सत्ता पक्ष में हों या विपक्ष में, तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और सदन में बैठना चाहिए। जो लोग सदन का बहिष्कार करते हैं, उन्हें सदन में बैठना चाहिए, यह भी फैंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल किया जा सकता है।

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम (जामनगर) : मैं आचार संहिता पर कुछ कहना चाहता हूं कि वह कैसे लागू की जाए। मैंने 1998 में चुनाव लड़ा था। उस समय मेरे क्षेत्र में कई बैनर लगे थे। पता नहीं किसी आदमी ने एक बैनर सरकारी जगह पर लगा दिया। इसके कारण मेरे पर केस दर्ज हो गया और सात साल से मैं उस केस के सिलसिले में धक्के खा रहा हूं, अभी तक वह खत्म नहीं हुआ है।

सभापति महोदय : मंत्री जी के संज्ञान में आपका बिंदु आ गया है।

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : पिछले 15 साल की एक्सरसाइज में यह साबित हो चुका है कि हम सभी को फोटो पहचान पत्र नहीं दे सके। लगभग 60 प्रतिशत लोगों को ही अरबों रुपए खर्च होने के बाद ये जारी हुए हैं। इसलिए इस व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। जो व्यवस्था पहले होती थी कि अगर किसी व्यक्ति पर शक है कि यह वह व्यक्ति नहीं है, तो वह दो रुपए जमा कराकर चैलेंज वोट दे देता था, उसी को दोबारा शुरू किया जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : मैं मंत्री जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने लगभग सभी मुद्दों का जवाब दिया है किंतु मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ। वह इस सभा में यह वायदा कर चुके हैं कि वह विधान सभाओं और संसद में महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर विचार कर रहे है। क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या यह आगामी मानसून सत्र में संविधान में संशोधन लाने पर विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब कानून मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री हंसराज भारद्वाज : श्री रामजीलाल सुमन ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब और कोई माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी के अलावा और किसी की बात रिकार्ड में नहीं की जाएगी।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री हंसराज भारद्वाज : मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूँ... *(व्यवधान)* यदि वे यह नहीं चाहते हैं तो मैं उनकी बात नहीं मानने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

इस सदन में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मंत्री के जवाब के बाद फिर बहस शुरू हो जाए। इन्हें समझा दिया जाए कि ऐसा नहीं होता है। माननीय सदस्य ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है।

कुछ सम्माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं। माननीय रामजीलाल सुमन जी ने इलेक्शन कमीशन के रोल का प्रश्न उठाया है। संविधान के तहत हमने पूरी जिम्मेदारी और किसी को भी नहीं दी है। केवल इलेक्शन कमीशन को दी है। उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है और वोटर लिस्ट भी वही बनवाते हैं, अपना पैरा-फरनैलिया स्टेट्स में बनाते हैं और उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है वोटर लिस्ट बनाने और फ्री और फेयर इलेक्शन कराने की। यहां तक कि कोर्ट ने भी कह दिया है कि जब इलेक्शन शुरू हो जाते हैं तो हम दखल नहीं देंगे। इसलिए सब माननीय सदस्य सोच कर चलें कि इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्शन संबंधी सारी कार्यवाही सम्मानित इलेक्शन कमीशन को दी है। आप लोगों ने जो चर्चा की है यह पहली बार मैं

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री हंसराज भारद्वाज]

सुन रहा हूं। मेरे भी कुछ मतभेद पर्सनली टीएन शेषन साहब से थे। हम लोगों ने कुछ कार्रवाई ऐसी की, जिसको हमने बाद में कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमीशन की बनाकर दुरूस्त कर दिया। इलेक्शन कमीशन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। आपको चाहे यह बात पसंद आये या न आये, वह एक संवैधानिक अदारा है और उसको मजबूत और इंडिपैंडेंट बनाना हम सब का कर्तव्य है। अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो हम उनको कानून बनाकर दूर करेंगे और वह चीजें आप लिखकर दीजिए। जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी को दावत देंगे तो अपने नेताओं के जरिये आप अपनी बात दीजिए। हम आपको बुलाएंगे और डिबेट कराएंगे और उसके बाद देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन के सम्मान को कायम रखते हुए, उसकी परम्परा को कायम रखते हुए हम उनसे गुजारिश करके कहेंगे कि आपके प्रति राजनैतिक पार्टियों की श्रद्धा होना जरूरी है, आपका मान–सम्मान होना जरूरी है, तो आप कोओपरेट करें और पॉलिटिकल पार्टीज को स्वयं भी बुलाएं। साथ ही यह भी कहेंगे कि वे आपकी बातों को सुनें। यही देश की राजनीति की परम्परा है और यही हमारे में एक दूसरे पर विश्वास की परम्परा है। मिनिस्टर पर दबाव डालो, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालो, यह परम्परा नहीं है। एग्जिट पोल को रोकने के लिए पिछली सरकार ने कोशिश की थी। एटोर्नी जनरल ने ओपिनियन दी थी कि यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से होता है लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने एक सुझाव दिया है कि हम इसको स्टेच्युटरी कोई प्रोविजन लाकर कानून बनाकर इसे रोकेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो भी कार्यवाही होगी वह आपको बता दी जाएगी और आपसे पूछ कर होगी। डिलिमिटेशन का काम डिलिमिटेशन कमीशन बना रहा है, मैं संसद में उसके बारे में कोई बयान नहीं दे सकता हूं क्योंकि वह अलग बॉडी है। इलेक्शन कमीशन से मिलकर हर राज्य में डिलिमिटेशन्स हो रहे हैं और जहां–जहां कंपलीट हो गये हैं उसकी जानकारी आपको वही दे सकते हैं। आप डिलिमिटेशन कमीशन से मिलकर पूछ लीजिए कि वर्ष 2006 के चुनावों में कहां–कहां डिलिमिटेशन होगा? कानून बनाने का पूरा प्रयास है और मैं इस चीज से खुद चिंतित हूं कि ज्यादा वोट पड़ें तो अच्छी बात है, 70–80 प्रतिशत मिले तो बहुत गर्व की बात है। लेकिन बूथ कैपचरिंग करक 100 प्रतिशत पोलिंग कराना चाहते हो तो यह नहीं हागा। मैंने अपनी पहली स्पीच में कहा है कि यह नहीं होगा कि खाली 70 प्रतिशत को आप टार्गेट बनाए। इसको भी मैं एग्जामिन करूंगा कि आपकी ज्यादा वोट हम प्रोटैक्ट करें। यह मेरे भाई जो कह रहे हैं कि जनता में वोट देने की इच्छा शक्ति की कमी हो गयी है तो कोई कमी नहीं हुई है। मैं आपको पहले इलैक्शन से लेकर अब तक का प्रतिशत बता सकता हूं। पहले इलेक्शन में 61 प्रतिशत वोट पडा था, दूसरे में 62 प्रतिशत हुआ और उसके बाद घटकर 56 प्रतिशत हो गया, फिर बढ़कर 61 प्रतिशत हो गया, फिर फिफ्थ राउंड में 55 प्रतिशत हुआ। गर्मी में दो–चार प्रतिशत वोट घट जाता हैं, अच्छा मौसम हो तो प्रतिशत बढ़ जाता है। छठे इलैक्शन में 60 प्रतिशत हुआ, फिर सातवें इलैक्शन में 56 प्रतिशत और आठवें लोक सभा में 63 प्रतिशत हुआ, नौवीं लोक सभा में 61 प्रतिशत हुआ, फिर 56–57 प्रतिशत रहा और फिर 62 प्रतिशत पर आया और 62 प्रतिशत के बाद अब 58 प्रतिशत है। यही वोटिंग है और इसके बहुत सारे कारण हैं। जो कहते हैं कि 100 प्रतिशत वोटिंग करा देंगे तो यह तो आंकड़े कहते ही नही हैं। अपने लिए आप करा सकते हैं लेकिन पूरे देश में जो प्रतिशत आती है वह यही आती है और इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है। जब जनता में जागरूकता आयेगी तो और लोग वोट देंगे।

मैं उन लोगों को सजा देने के खिलाफ हूं। मेरा मत यह है भी नहीं है कि जनता को कुछ मत दो और उनके खिलाफ कानून और बना दो कि आप कंपलसरी वोटिंग करो नहीं तो आपके खिलाफ यह होगा। यह जनता की परंपरा के विरूद्ध है।

इसके अलावा इलैक्शन स्टाफ के संबंध में शिकायतें की गई हैं। आप यह जानते हैं कि सरकार के किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी को सजा दे सकते हैं। जब इलैक्शन हो जाता है, सारा स्टाफ डेपुटेशन पर चला जाता है। चाहें राज्य सरकार हों या जिस तरह से आपकी सरकार थी, श्री लालू प्रसाद जी की खुद की सरकार थी, खुद उनके डीएम उनके खिलाफ हो गए, उनके पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ हो गए। इसलिए आप यह सोचकर चलें कि अफसरशाही न्यूट्रल है, वह समय के अनुसार बदल जाती है। आप अपना बल मजबूत करें, अपने काम को अच्छे ढंग से करें और जनता में निष्ठा लाएं...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, इलैक्शन कमीशन के अधिकारी न्याय नहीं करेंगे तो ...*(व्यवधान)*

श्री हंसराज भारद्वाज : इलैक्शन कमीशन के अधिकारी से बड़ा कोई आदमी नहीं है, उससे बड़ी कोई ऑथोरिटी नहीं बन सकती...*(व्यवधान)* इसके बाद मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा 6 मई, 2005 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

...*(व्यवधान)*

सायं 6.27 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार 6 मई 2005/16 वैशाख 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध - I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री टी. के. हमज़ा श्री महेश कनोडीया	561
2.	श्री एस. के. खादवेनथन श्री असादूद्दीन ओवेसी	562
3.	डा. चिन्ता मोहन श्री उदय सिंह	563
4.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री किसनभाई वी. पटेल	564
5.	श्री कैलाश मेघवाल	565
6.	डा. एम. जगन्नाथ	566
7.	श्री अर्जुन सेठी	567
8.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	568
9.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' श्री राम कृपाल यादव	569
10.	श्री हेमूलाल मुर्मू	570
11.	श्री रामदास आठवले	571
12.	श्री तथागत सत्पथी श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	572
13.	श्री रायापति सांबासिवा राव श्री सुव्रत बोस	573
14.	श्री रूपचंद मुर्मू श्रीमती मनोरमा माधवराज	574
15.	श्रीमती मिनाती सेन श्री रामजीलाल सुमन	575
16.	श्री सुग्रीव सिंह	576
17.	श्री भर्तृहरि महताब	577
18.	श्री बाडिगा रामकृष्णा	578
19.	श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	579
20.	श्री अधीर चौधरी श्री निखिल कुमार	580

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	6067, 6098, 6119, 6132
2.	अहमद, श्री अतीक	6009, 6106
3.	अहीर, श्री हंसराज जी.	6006
4.	आठवले, श्री रामदास	6085
5.	आजमी, श्री इलियास	5997, 6023
6.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	6061, 6111
7.	बर्मन, श्री रनेन	6062, 6139
8.	बखला, श्री जोबाकिम	6069
9.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	6062
10.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	5999, 6106
11.	चन्द्र कुमार, प्रो.	6040
12.	चन्द्रप्पन, श्री सी. के.	6057, 6105, 6136
13.	चौरे, श्री बापू हरी	6014
14.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	6005
15.	चिन्ता मोहन, डा.	6089, 6126
16.	देव, श्री विक्रम केशरी	6092
17.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	6070
18.	धनराजू, डा. के.	6072
19.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिह	6064
20.	धोत्रे, श्री संजय	6051
21.	गढ़वी, श्री पी. एस.	6063, 6110, 6141
22.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	6099
23.	गमांग, श्री गिरिधर	6011
24.	गंगवार, श्री संतोष	6058, 6118
25.	गाव, श्री तापिर	6062
26.	गोहेन, श्री राजेन	6095
27.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	6038
28.	हमजा, श्री टी. के.	6043
29.	हर्ष कुमार, श्री जी. वी.	6035, 6109, 6138

1	2	3
30.	जगन्नाथ, डा. एम.	6086, 6128, 6148
31.	जय प्रकाश, श्री	6007
32.	जोशी, श्री प्रहलाद	6034, 6160
33.	कामत, श्री गुरूदास	6077
34.	कनोडीया, श्री महेश	5996, 6087
35.	करूणाकरन, श्री पी.	6033
36.	कस्वां, श्री राम सिंह	5998
37.	खां. श्री सुनील	5995, 6159
38.	खारवेनथन, श्री एस. के.	6088, 6125, 6155
39.	कौशल, श्री रघुवीर सिह	6098, 6113
40.	कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	6017
41.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	6089, 6094
42.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	6041, 6091
43.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	6020
44.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	6153
45.	मंडल, श्री सनत कुमार	6018, 6081, 6121
46.	माने, श्रीमती निवेदिता	6027, 6099
47.	मेघवाल, श्री कैलाश	6080, 6123, 6144, 6153
48.	मेहता, श्री आलोक कुमार	6065
49.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	6055, 6102, 6134
50.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	6013, 6103
51.	मोहिते, श्री सुबोध	6010, 6107, 6137
52.	मूर्मू, श्री हेमलाल	6095
53.	मूर्मू, रूपचन्द	6100, 6133
54.	नायक, श्री अनन्त	6061, 6074, 6117, 6142
55.	निहाल चन्द, श्री	6123
56.	नीतीश कुमार, श्री	6126
57.	ओराम, श्री जुएल	6025, 6074
58.	ओवेसी, श्री असादूददीन	6078, 6122, 6145 6154
59.	पलनिसामी, श्री के. सी.	6016, 6082
60.	पाण्डा, श्री प्रबोध	6060
61.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	6153
62.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	6000
63.	पटेल, श्री जीवाभाई ए	6042
64.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	6090, 6098, 6132, 6150
65.	पटैरिया, श्रीमती नीता	6015, 6108
66.	पाठक, श्री ब्रजेश	6032, 6112, 6139, 6151
67.	पाटील श्रीमती रूपाताई डी.	6022
68.	पिंगले, श्री देविदास	6047
69.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	6026, 6037
70.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	5997
71.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	6045
72.	रामदास, प्रो. एम.	6059
73.	राणा, श्री काशीराम	6062
74.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	6031
75.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	6048
76.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	6061, 6141
77.	रेड्डी श्री के. जे. एस. पी.	6052, 6097, 6131
78.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	6064
79.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	6039
80.	रिजीजू, श्री कीरेन	6030
81.	साई प्रताप, श्री ए.	6002
82.	सज्जन कुमार, श्री	6036, 6114, 6140
83.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	6031, 6083, 6130 6149
84.	सरोज श्री दरोगा प्रसाद	6037, 6084
85.	सरोज, श्री तूफानी	6046
86.	सत्पथी, श्री तथागत	6119, 6158
87.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	6050

1	2	3
88.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	6054, 6119, 6120, 6158
89.	शिवन्ना, श्री एम.	6073
90.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	6062
91.	सिंह, श्री रामसेवक	6076
92.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	6075
93.	सिंह, श्री चन्द्रभान	6162
94.	सिंह, श्री गणेश	6024
95.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	6027, 6101
96.	सिंह, श्री मोहन	6161
97.	सिंह, श्री राकेश	6049, 6096, 6129, 6156
98.	सिंह, श्री सुग्रीव	6090, 6098, 6104, 6135
99.	सिंह, श्री सूरज	6044, 6093
100.	सिंह, श्री उदय	6068
101.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	6066
102.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	5996, 6087, 6124
103.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	6003, 6146
104.	सुमन, श्री रामजीलाल	6094
105.	स्वाईं, श्री खारवेल	6021
106.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	6019
107.	तुम्मर, श्री वी. के.	6042, 6062
108.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	6090, 6127, 6147, 6152
109.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	6039
110.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम. पी.	6028
111.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	6004
112.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	6067, 6115, 6119, 6143, 6157
113.	विनोद कुमार, श्री बी.	6066, 6071, 6116
114.	यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु	6027, 6101
115.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	6062
116.	यादव, श्री बालेश्वर	6001
117.	यादव, श्री मित्रसेन	6029
118.	यादव, श्री राम कृपाल	6037, 6084
119.	यादव, श्री सीता राम	6065
120.	यादव, श्री उमाकान्त	6056
121.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	6053
122.	जाहेदी, श्री महबूब	6012, 6079

अनुबंध - II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	562, 566, 575, 577, 578, 580
संस्कृति		
रक्षा		565, 572
भारी उद्योग और लोक उद्यम		573
सूचना और प्रसारण		567, 570
पंचायती राज	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		563, 564, 569, 574
रेल		561, 568, 576, 579
सामाजिक न्याय और अधिकारिता		571

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन		6002, 6005, 6015, 6038, 6043, 6054, 6059, 6061, 6064, 6071, 6078, 6086, 6120, 6121, 6122, 6128, 6137, 6141, 6149, 6154
संस्कृति		5996, 6016, 6027, 6035, 6036, 6047, 6050, 6073, 6077, 6083, 6090, 6092, 6106, 6131, 6132, 6142, 6144, 6162
रक्षा	:	5995, 6001, 6007, 6028, 6030, 6049, 6076, 6085, 6096, 6104, 6108, 6118, 6129, 6140, 6156, 6158, 6161
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	6018, 6126
सूचना और प्रसारण	:	6021, 6031, 6091, 6094, 6100, 6107, 6109, 6112, 6113, 6114, 6115, 6117, 6119, 6146
पंचायती राज		6032, 6033, 6034, 6063, 6145
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		5997, 6003, 6004, 6008, 6014, 6017, 6020, 6026, 6029, 6042, 6044, 6046, 6052, 6062, 6066, 6068, 6081, 6082, 6089, 6097, 6101, 6123, 6127, 6130, 6147, 6152, 6153, 6160

रेल	5998, 5999, 6000, 6006, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6022, 6024, 6025, 6040, 6041, 6048, 6051, 6053, 6057, 6058, 6060, 6065, 6069, 6070, 6072, 6074, 6075, 6079, 6087, 6093, 6095, 6099, 6103, 6105, 6111, 6116, 6124, 6125, 6133, 6135, 6136, 6138, 6139, 6148, 6150, 6151, 6157, 6159
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	6019, 6023, 6037, 6039, 6045, 6055, 6056, 6067,6080, 6084, 6088, 6098, 6102, 6110, 6134, 6145, 6155

अनुबंध - II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन		562, 566, 575, 577, 578, 580
संस्कृति		
रक्षा		565, 572
भारी उद्योग और लोक उद्यम		573
सूचना और प्रसारण		567, 570
पंचायती राज		
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	563, 564, 569, 574
रेल	:	561, 568, 576, 579
सामाजिक न्याय और अधिकारिता		571

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन		6002, 6005, 6015, 6038, 6043, 6054, 6059, 6061, 6064, 6071, 6078, 6086, 6120, 6121, 6122, 6128, 6137, 6141, 6149, 6154
संस्कृति	:	5996, 6016, 6027, 6035, 6036, 6047, 6050, 6073, 6077, 6083, 6090, 6092, 6106, 6131, 6132, 6142, 6144, 6162
रक्षा		5995, 6001, 6007, 6028, 6030, 6049, 6076, 6085, 6096, 6104, 6108, 6118, 6129, 6140, 6156, 6158, 6161
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	6018, 6126
सूचना और प्रसारण		6021, 6031, 6091, 6094, 6100, 6107, 6109, 6112, 6113, 6114, 6115, 6117, 6119, 6146
पंचायती राज		6032, 6033, 6034, 6063, 6145
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		5997, 6003, 6004, 6008, 6014, 6017, 6020, 6026, 6029, 6042, 6044, 6046, 6052, 6062, 6066, 6068, 6081, 6082, 6089, 6097, 6101, 6123, 6127, 6130, 6147, 6152, 6153, 6160

रेल	5998, 5999, 6000, 6006, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6022, 6024, 6025, 6040, 6041, 6048, 6051, 6053, 6057, 6058, 6060, 6065, 6069, 6070, 6072, 6074, 6075, 6079, 6087, 6093, 6095, 6099, 6103, 6105, 6111, 6116, 6124, 6125, 6133, 6135, 6136, 6138, 6139, 6148, 6150, 6151, 6157, 6159
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	6019, 6023, 6037, 6039, 6045, 6055, 6056, 6067,6080, 6084, 6088, 6098, 6102, 6110, 6134, 6145, 6155

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी–लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।